वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2017-18

समावेशी प्रगति के लिए समर्पित

POWERING INCLUSIVE GROWTH

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

निदेशक मंडल / Board of Directors

श्री एन. दामोदरन (कार्यपालक निदेशक), श्री देबब्रत सरकार, श्री डी. हरीश, श्रीमती वेनी थापर, श्री दीनबंधु मोहापात्रा (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ), श्री जी. पद्मनाभन (अध्यक्ष), श्रीमती आर सेबॅस्टियन, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, श्री ए. के. दास (कार्यपालक निदेशक), श्री सी. जी. चैतन्य (कार्यपालक निदेशक)

Shri N Damodharan (Executive Director), Shri Debabrata Sarkar, Shri D Harish, Ms. Veni Thapar, Shri Dinabandhu Mohapatra (Managing Director & CEO), Shri G Padmanabhan (Chairman), Ms. R Sebastian, Shri Girish Chandra Murmu, Shri A K Das (Executive Director), Shri C G Chaitanya (Executive Director)

बैंक ऑफ़ इंडिया / Bank of India

(भारत सरकार का उपक्रम),
(A Government of India undertaking),

प्रधान कार्यालय:
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051.
फोन : 022 - 6668 44 44
ई-मेल : headoffice.share@bankofindia.co.in
वेबसाइट: www.bankofindia.co.in

Head Office :
Star House, C-5, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400 051.
Phone : 022- 6668 44 44
E-mail : headoffice.share@bankofindia.co.in
Website : www.bankofindia.co.in

महत्वपूर्ण सूचनाएँ		Important Information	
ई-वोटिंग तिथियां	10 जुलाई, 2018 सुबह 10.00 बजे से 12 जुलाई 2018 शाम 5.00 बजे तक	E- Voting dates	10th July 2018 10 a.m. to 12th July 2018 Till 5.00 p.m.
लेखाबंदी तिथि	9 जुलाई 2018 से 12 जुलाई 2018	Book Closure	9th July 2018 to 12th July 2018
वार्षिक आम बैठक तिथि एवं समय	शुक्रवार, 13 जुलाई 2018 सुबह 10.30 बजे	Date & Time of Annual General Meeting	Friday 13th July 2018 at 10.30 a.m.
वार्षिक आम बैठक का स्थान	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम स्टार हाऊस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400 051.	AGM Venue	Bank of India Auditorium, Star House, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

विषय सूची

Contents

अवलोकन / Overview

2 सांविधिक लेखा परीक्षक
2 महाप्रबंधक
3 अध्यक्ष का संबोधन
6 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य

2 Statutory Auditors
2 General Managers
3 Chairman’s Statement
6 Managing Director & CEO’s Statement

सांविधिक रिपोर्ट / Statutory Reports

10 निदेशक रिपोर्ट
14 प्रबंधन विचार - विमर्श एवं विश्लेषण
41 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट
42 कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट
60 सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण
60 मुख्य कार्यपालक अधिकारी की घोषणा
169 बासेल-III (स्तंभ 3) - प्रकटन
229 आम बैठक की सूचना

12 Directors' Report
28 Management Discussion & Analysis
41 Corporate Social Responsibility Report
42 Corporate Governance Report
60 CEO/CFO Certificate
60 Declaration by CEO
200 Basel-III (Pillar 3) - Disclosures
229 Notice of Annual General Meeting

वित्तीय विवरण / Financial Statements

62 तुलनपत्र
63 लाभ एवं हानि खाता
64 नकदी प्रवाह विवरण
72 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ
84 खातो के भाग स्वरुप टिप्पणियां
123 स्वतंत्र लेखा परीक्षको की रिपोर्ट
127 समेकित वित्तीय विवरण

62 Balance Sheet
63 Profit & Loss Account
64 Cash Flow Statement
72 Significant Accounting Policies
84 Notes Forming Part of Accounts
123 Independent Auditor’s Report
127 Consolidated Financial Statements

सांविधिक लेखा परीक्षक Statutory Auditors

मेसर्स जी.डी.आपटे एण्ड कंपनी	M/s. G D Apte & Company
मेसर्स एनबीएस एण्ड कंपनी	M/s. NBS. & Company
मेसर्स बंसी जैन एण्ड एसोसिएट्स	M/s. Banshi Jain & Associates.

महाप्रबंधक General Managers

देवेन्द्र शर्मा (सी वी ओ)	DEVENDRA SHARMA (CVO)	जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव	JITENDRA KUMAR SRIVASTAVA
शंकरदास गुप्ता	SHANKARDAS GUPTA	अश्विनी कुमार पुन	ASHWANI KUMAR PUNN
एस.आर. मीणा	SHEOJI RAM MEENA	राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव	RAJENDRA KUMAR SHRIVASTAVA
अनन्त उपाध्ये	ANANT UPADHYAY	देवेंद्र पी. शर्मा	DEVENDER P. SHARMA
ब्रजेश कुमार मोहन्ती	BRAJESH KUMAR MOHANTY	के राजारामन	K RAJARAMAN
अज्ञेय कुमार आज़ाद	AGYEY KUMAR AZAD	राजेंद्र नारायण हरिचन्दन	RAJENDRA N. HARICHANDAN
दिनेशकुमार गर्ग	DINESHKUMAR GARG	अरुण कुमार मण्डल	ARUN KUMAR MANDAL
राजकुमार सिंह चौहान	RAJKUMAR SINGH CHOUHAN	सुनील कुमार रेलन	SUNIL KUMAR RELAN
मृत्युंजय कुमार गुप्ता	MRITYUNJAY KUMAR GUPTA	गौर हरि सारंगी	GOURA HARI SARANGI
श्याम सुंदर बनिक	SHYAM SUNDAR BANIK	मिलिंद माधव वैद्य	MILIND MADHAV VAIDYA
रमेश चंद ठाकुर	RAMESH CHAND THAKUR	पर्शुराम पंडा	PARSHURAM PANDA
प्रसाद अंबादास जोशी	PRASAD AMBADAS JOSHI	अजय कुमार साहू	AJAY KUMAR SAHOO
राज कुमार मित्रा	RAJ KUMAR MITRA	चन्द्र शेखर सहाय	CHANDRA SHEKHAR SAHAY
सुदीप्त कुमार मुखर्जी	SUDIPTA KUMAR MUKHERJEE	शंकर प्रसाद	SHANKER PRASAD
रवि प्रकाश गुप्ता	RAVI PRAKASH GUPTA	अरुण कुमार जैन	ARUN KUMAR JAIN
अरविंद वर्मा	ARVIND VERMA	के. व्ही. राघवेंद्र	K.V. RAGHAVENDRA
विश्वनाथ गुंटा	VISWANATH GUNTA	एम नसीम अहमद अंसारी	M NASEEM AHMED ANSARI
स्वरूप दासगुप्ता	SWARUP DASGUPTA	मनोज दास	MONOJ DAS
आदर्श कुमार अरोड़ा	ADARSH KUMAR ARORA	सुरेश कुमार वर्मा	SURESH KUMAR VERMA
एस रवि कुमार जोयसुला	S. RAVI KUMAR JOSYULA	लाल बृज	LAL BRIJ
सलिल कुमार स्वाईं	SALIL KUMAR SWAIN		

अध्यक्ष का संबोधन

Chairman's Statement

प्रिय शेयरधारकों और हितधारकों,

1. विगत वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2017-18 आर्थिक एवं बैंकिंग क्षेत्र का एक विविधतापूर्ण एवं नित्य बदलनेवाला परिदृश्य प्रस्तुत करता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2011 से 3.8% पर सबसे तीव्रतम वृद्धि नज़र आई; जबकि घरेलू आर्थिक वृद्धि काफी मंद रही। वर्ष 2017 के दौरान विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 2.3% वृद्धि हुई और उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्ताओं में 4.8% वृद्धि हुई। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में निवेश-व्यय में पुनरुत्थान, उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निजी खपत में वृद्धि और वैश्विक व्यापार में पुन: आई तेज़ी ने वृद्धि की गति को बनाए रखा।

2. तथापि, पुन: बढ़ने वाली इस वृद्धि के साथ-साथ उपयोगी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ी हैं और मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा है। सकारात्मक आर्थिक वृद्धि और बेरोज़गारी के दर में गिरावट ने यूएसए को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ब्याज दर नीति तीन बार बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। यह आशा की जाती है कि ब्याज दरों के सामान्यकरण की यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी जारी रहेगी, जिससे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए ब्याज दरों में वृद्धि और पूँजी प्रवाह पर उनके संभावित प्रतिकूल प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं।

3. हालांकि आर्थिक वृद्धि में आई उछाल हम सबके लिए हर्ष की बात है, यह समय है जब आर्थिक इकाइयों को अत्यधिक जोखिम लेने और जोखिम के गलत मूल्य निर्धारण से बचना चाहिए, जिससे भविष्य में वित्तीय असंतुलन पैदा हो सकता है।

4. वैश्विक वृद्धि के इस दौर में, तथापि भारत को वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.1% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 6.7% की जीडीपी वृद्धि-दर का सामना करना पड़ा। इसका प्रमुख कारण, विमुद्रीकरण एवं जीएसटी के कार्यान्वयन की वजह से आर्थिक गतिविधियों में आए अवरोध थे। इसके अलावा मुद्रा को कठोर बनाने के उपायों के कारण भी उपभोग एवं निवेश-मांग में कमी आई।

Dear Shareholders and Stakeholders,

1. The year gone-by i.e. FY 2017-18 presents a varied and kaleidoscopic view of the economic and banking sector. The global economy witnessed fastest growth rate at 3.8% since 2011 while domestic economic growth remained somewhat muted. The advanced economies grew by 2.3% and emerging and developing economies by 4.8% during 2017. The resurgence in investment spending in advanced economies, upward movement in private consumption in emerging and developing economies coupled with rebound in global trade has kept up the growth momentum.

2. The resurgent growth, however, has been accompanied with the rise in commodity prices and building up of inflationary pressure. The uptick in economic growth and drop in unemployment rate has prompted USA to raise its policy interest rate thrice during the year FY 2017-18. This process of normalization of interest rate is also expected to continue during FY 2018-19, which have significant implications for emerging economies in terms of hardening of interest rate and possible adverse impact on capital flows.

3. Although buoyancy in economic growth is a matter of satisfaction for all of us , it is the time, when the economic units have to guard them against excessive risk taking and mispricing of risk, which may sow the seeds of future financial imbalances.

4. Amidst the world growth story, however, India stood 'de-coupled', with a GDP growth rate of 6.7% during FY 2017-18 against growth rate of 7.1% during FY 2016-17, primarily due to temporary disruption of economic activities because of demonetization and implementation of GST, apart from the fact that monetary tightening measures also had the sobering effect on consumption and investment demand.

5. वर्ष के दौरान भारत के लिए प्रसन्नता के विषय रहे हैं। "व्यवसाय में सुगमता सूचकांक में हमारे देश ने 190 देशों में 100 वाँ स्थान प्राप्त किया तथा इस रैंकिंग में 30 स्थानों का सुधार आया। हम तब भी प्रसन्न हुए जब मूडी इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने भारत सरकार के स्थानीय तथा विदेशी करेंसी जारीकर्ता रेटिंग को बी.ए.ए.2 से बी.ए.ए.3 के स्तर पर अपग्रेड किया तथा ऑउटलुक पर रेटिंग को स्थिर से सकारात्मक किया जो 13 वर्षों के बाद हुआ, परन्तु हम यह भी महसूस करते हैं कि यह देश की क्रेडिट स्थिति को देर से पहचानना है।

6. बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में आस्ति की गुणवत्ता तथा पूँजी आवश्यकताओं पर दबाव था एवं बैंक की आय बॉन्डपर यील्ड के बढ़ने के कारण प्रभावित हुई परन्तु वर्ष के दौरान ऋण वृद्धि कुछ सम्मानजनक रही। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अनर्जक ऋण के प्रावधान के कारण भारी प्रभाव पड़ा तथा लगभग सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा निवल हानि दर्ज की गयी।

7. पिछले कुछ वर्षों से निश्चित रूप से एन.पी.ए. की पहचान तथा समाधान भारतीय बैंकिंग के केन्द्र में रहा है। अब हम विशेष रूप से कॉरपोरेट ऋणों के संदर्भ में बढ़ते एन.पी.ए. के समाधान के लिए इन्सॉल्वेंसी बैंकरप्टसी कोड (आई.बी.सी.) फ्रेमवर्क पर आशा एवं उम्मीद से देख रहे हैं। यद्यपि विभिन्न एन.सी.एल.टी. बेंचों के द्वारा 500 से अधिक इन्सॉल्वेंसी मामले स्वीकार किये गये हैं, परन्तु ज्यादातर मामलों में समाधान होना अभी बाकी है। यहाँ यह उल्लिखित करना प्रासंगिक होगा कि आई.बी.सी. के अंतर्गत समाधान न केवल बैंकों के लिए महत्वपूर्ण है परन्तु पूरी अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह तथा आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

8. पी.एस.यू. बैंकों के बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए तथा पूँजी पर्याप्तता के विनियामकीय नियमों को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा घोषित रु.2.11 लाख का री-कैपीटलाइजेशन पैकेज भरोसा दिलाने वाला तथा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहा है। परन्तु पूँजी प्रदान करने के साथ-साथ बैंकों को विभिन्न सुधार उपाय लागू करने के लिए कहा गया है जिसे इन्हान्स्ड एक्सेस एण्ड सर्विस एक्सेलेन्स (ई.ए.एस.ई.) नाम दिया गया है जिसमें बेहतर ग्राहक सेवाएं, त्वरित गति से डिजिटलीकरण, ऋण मूल्यांकन को मजबूत करना, ऋण निगरानी प्रणाली, ऋण को प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार तथा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह शामिल है।

9. भविष्य में, बैंकिंग क्षेत्र को आकार देने में विभिन्न कारक भूमिका अदा करेगें। डिजिटाइजेशन इनमें से एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके माध्यम से बैंक न केवल अपनी पहुंच और उपयुक्तता/उत्कृष्टता बढ़ाएगें बल्कि, यह परिष्कृत परिचालन दक्षता और ग्राहक आधार में विस्तार के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक बढत भी सिद्ध होगा। तथापि, डिजिटलीकरण विशुद्ध अनुग्रह मात्र नहीं है, डिजिटलीकरण की सफलता के लिए साइबर सुरक्षा उपाय अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

10. इसी प्रकार, बैंकिंग में विशेषत: रिटेल/वाणिज्यिक उधार और भुगतान के क्षेत्र में फिनटेक (fintech) की पैठ तेजी से बढ़ रही है और फिनटेक कंपनियों और बैंकों के मध्य यह साझेदारी दोनों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। फिनटेक के माध्यम से बैंक नवोन्मेषी और विशिष्ट उत्पाद प्रदान कर सकते हैं, बड़े कारोबारी लेन-देन सृजित कर सकते हैं और सेवा प्रदान करने की समय सीमा (Turn–around-time) (TAT) घटा सकते हैं।

5. There have been occasions for cheers for India. The country improved its ranking by 30 notches to secure 100th place among 190 countries in "Ease of doing Business". All of us also felt delighted, when Moody's Investors Services upgraded the Government of India's local and foreign currency issuer ratings to Baa2 from Baa3 and changed the outlook on the rating to stable from positive, which happened after a long 13 years, although we feel it was a delayed recognition of our county's credit standing.

6. In the Banking and Financial sphere, there was a pressure on asset quality and capital requirement and Banks earnings were affected due to rising yield, although credit growth during the year remained somewhat decent. The bad debt provisioning has taken a heavy toll in terms of net loss posted by almost all the Public sector banks during the year FY 2017-18.

7. The recognition and resolution of NPAs, of course, have remained at the centre stage for Indian Banks for quite a couple of years. All of us are now pinning hope on the Insolvency Bankruptcy Code (IBC) framework for resolution of mounting NPAs, especially of corporate ones. Although more than 500 corporate insolvency cases have been admitted by various NCLT benches, resolution in majority cases is yet to happen. It is quite pertinent to mention that, resolution under IBC is not only crucial for banks, but also critical for the economy as a whole for augmenting credit flow and supporting economic growth.

8. The re-capitalization package of Rs.2.11 lakh crore announced by the Government to strengthen the balance sheet of the PSU banks and enable them to fulfill the regulatory norms for capital adequacy has been quite re-assuring and confidence boosting. However, along with capital infusion, the banks have been advised to implement various reform measures under six broad agenda called Enhanced Access and Service Excellence (EASE) including better customer services, fast paced digitization, strengthening credit appraisal, credit monitoring system, improving credit delivery and credit flow to MSME sector.

9. Going forward, banking space will be shaped by a host of factors. Digitisation is one of the prominent factors, through which banks would not only extend their outreach and convenience/excellence in services, but also it will prove to be a competitive advantage through enhanced operational efficiency and expansion of customer base. However, digitalization is not entirely an unmixed blessing. Crucial to the success of digitization is strengthening of cyber security measures.

10. Similarly, the penetration of Fintech in Banking especially retail/commercial lending and payment space is fast progressing and partnership between the Fintech companies and banks can be a win win situation for both. Through Fintech, banks can provide innovative and niche products, generate large business transactions, can be able to reduce delivery in turn-around-time (TAT).

11. अन्त में, नवीनतम आर्थिक पूर्वानुमान एक अच्छी खबर है और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आशा की एक किरण उजागर करती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), ने अपने नवीनतम वैश्विक आर्थिक समीक्षा में वर्ष 2018 और 2019 में मजबूत वैश्विक वृद्धि 2018 और 2019 में का अनुमान लगाया है। आईएमएफ के साथ-साथ आरबीआई दोनों ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग 7.4% की उच्चतर घरेलू वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। यह उत्साहवर्धक आर्थिक वृद्धि न केवल ऋण की मांग को और अधिक बढ़ाएगी बल्कि यह ऋण चुकौती के लिए भी सहायक होगी और इस प्रकार ऋण बकाया में कमी होगी। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आईबीसी के अंतर्गत बड़े दाबावग्रस्त कॉरपोरेट खातों की समाधान प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है और उनके समाधान से वृद्धि की संभावना बढ़ेगी। सरकार से प्राप्त पूंजी सहयोग और सुधार उपायों के क्रियान्वयन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आने वाले वर्षों में और अधिक शक्तिशाली, स्वस्थ और प्रगति उन्मुख बैंक बनाने की ओर अग्रसर हैं।

(जी. पद्मनाभन)

11. Lastly, the latest economic forecast augurs well and brings in optimism for FY 2018-19. The IMF, in its latest World Economic Review, has projected the strengthening of global growth through 2018 and 2019. Both the IMF as well as RBI have also projected higher domestic growth rate of around 7.4% during FY 2018-19. The encouraging economic growth will not only further activate credit demand, but also it will be conducive for credit repayment and thus reduce delinquency. The resolution of large stressed corporate accounts which are being processed under IBC is likely to be expedited during FY 2018-19 and their resolution will create space for growth. With the capital support from the Government and implementation of reform measures, public sector banks are now poised to transform themselves into stronger, healthier yet growth oriented banks in coming years.

(G. Padmanabhan)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य

Managing Director & CEO's Statement

प्रिय शेयरधारकों और हितधारकों,

1. सबसे पहले मैं आप सब का आपके बैंक की 22वीं वार्षिक आम बैठक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है, कि मुझे दूसरी बार आपको संबोधित करने का अवसर मिला है और मैं आप सब का आभारी हूँ कि इस चुनौतीपूर्ण समय में मुझे आप सब का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है।

2. वर्ष 2017-18 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही उत्साहजनक वर्ष रहा है, जिसमें विकसित एवं उभरती हुई दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रगति हुई है। वैश्विक व्यापार में निवेश वसूली एवं पुनरूत्थान से इस वृद्धि को व्यापक आधार मिला है। इस वैश्विक वृद्धि को दिसंबर 2017 में यू.एस. द्वारा शुरू किए गए वित्तीय उत्प्रेरक उपायों एवं कर सुधार के कारण भी प्रोत्साहन मिला है। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में सतत उत्साह की स्थिति ने फेडरल रिजर्व और कई अन्य केन्द्रीय बैंकों को ब्याज दर बढ़ाने एवं ईज़ी मनी उपायों को धीरे धीरे हटाने को प्रोत्साहित किया। घरेलू स्तर पर अनेक नीतिगत सुधार शुरू किए गए। जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) शुरू किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत बड़े खातों का समाधान शुरू किया गया। भारत विविध सुधारात्मक उपायों के कारण विश्व बैंक की आसानी से कारोबार करने वाली श्रेणी में 30 स्थानों का सुधार कर 100वें स्थान पर पहुँचा। तथापि आर्थिक घरेलू वृद्धि, गत वर्ष 7.1% की तुलना में 6.7% रही जिसका कारण था, कृषि वृद्धि (6.3% की तुलना में 3.4%) एवं विनिर्माण क्षेत्र (गत वर्ष के 7.9% की तुलना में 5.7%) दोनों में कम वृद्धि। घरेलू वृद्धि को, विमुद्रीकरण की शीघ्रावधि प्रभाव और जीएसटी लागू करने की वजह से आर्थिक गतिविधियों में अस्थायी अवरोधों ने काफी हद तक प्रभावित किया।

3. घरेलू स्तर पर वृद्धि एक सीमा तक विमुद्रीकरण के कारण पिछड़ी और GST के लागू करने के कारण अस्थायी रूप से आर्थिक तौर पर प्रभावित हुई । बैंकिंग प्रणाली में वर्ष 2016-17 के ऋणवृद्धि के दौरान 8.2% की ऋण वृद्धि की तुलना

Dear Shareholders & Stakeholders,

1. At the very outset, I extend a very warm welcome to each one of you to the 22nd Annual General Meeting of your Bank. I am privileged enough to address you for the second time and am thankful to you all for placing your unstinted support in this challenging times. I have great pleasure in placing before you the Annual Report of your Bank for the year ended March 31, 2018.

2. The year 2017-18, has been a very fulfilling year for the global economy with upswing in world output continuing both in developed and emerging economies. The world output growth has strengthened in 2017 to 3.8%. The growth has been broad based supported by investment recovery and resurgence in global trade. The impetus for global growth also came from the tax reforms and fiscal stimulus measures introduced by US in December, 2017. On the other hand, continued buoyancy in economy has prompted Federal Reserve and several other Central Banks to raise the interest rates and initiate gradual withdrawal of the monetary easing measures. Domestically, a slew of policy reforms were initiated. The Goods and Service Tax (GST) was introduced in July, 2017. Resolutions of large accounts under Insolvency and Bankruptcy Code were initiated by the RBI. Because of various reforms measures, India improved its position by 30 places by moving onto 100th place on the World Bank's ranking of Ease of Doing Business. However, domestic economic growth remained muted at 6.7% against 7.1% witnessed last year because of lower growth in both agriculture (3.4% against 6.3%) and manufacturing sector (5.7% against 7.9% of last year). The domestic growth, to a major extent, was impacted by the lingering effect of demonetisation and temporary dislocation of economic activities due to introduction of GST.

3. The Banking System witnessed healthy credit growth during FY 2017-18 at 10.3% against 8.2% during FY 2016-17. The

में वर्ष 2017-18 में 10.3% की उत्साहजनक वृद्धि हुई। जमाराशियों में वृद्धि वित्त वर्ष 2016-17 के 15.3% की तुलना में कम होकर 6.7% रहीं।

4. वर्ष के दौरान, सरकार और आरबीआई ने कई नीतिगत घोषणाएं की हैं जिनका बैंकिंग क्षेत्र पर व्यापक एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हेतु रु.2.11 लाख करोड़ के पुन:पूंजीकरण की योजना बनाई, जिससे बैंकों को बहुत राहत मिली, पुन:पूंजीकरण के साथ-साथ, सरकार ने 'इन्हान्स्ड ऐक्सेस एण्ड सर्विस एक्सलेन्स'(EASE) नामक बैंकिंग सुधार (reforms) उपाय शुरू किया है, जो बैंकों को और अधिक ग्राहक-उन्मुख, प्रतिस्पर्धी और आंतरिक रूप से सुदृढ़ बनाएगा और बैंकिंग क्षेत्र के भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करेगा। आरबीआई ने बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव के प्रभाव को कम करने हेतु कुछ उपाय किए हैं जैसे- भारतीय लेखांकन मानक (Indian Accounting Standards) को एक वर्ष के लिए स्थगित करना, एमएसएमई को बकाया भुगतानों पर छ: महीने की ऋण-स्थगन अवधि की अनुमति प्रदान करना, प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने हेतु एमएसएमई क्षेत्र हेतु निर्धारित सीमाएं हटाना, एमटीएम प्रावधानों को चार तिमाहियों में बांटने (spread) हेतु बैंकों को अनुमति देना आदि। पिछले महीनों में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता में कई संशोधन किए गये हैं जिनसे एनसीएलटी के तहत मामलों का समाधान करने की प्रक्रिया सुगम हो जाएगी। आरबीआई अधिसूचना दिनांक 12.02.2018 एक ऐसा महत्वपूर्ण विनियामक परिवर्तन है जिसका, कम-से-कम लघु अवधि में, बैंकों के तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाते पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, हालांकि भारत में सुदृढ़ ऋण-संस्कृति विकसित करने की दृष्टि से इससे दीर्घावधि लाभ मिलेगा।

5. वर्ष 2017-18, कई मामलों में भारतीय बैंकों के लिए उथल-पुथलपूर्ण रहा। आरबीआई ने बैंकों को यह अधिदेशित किया कि वे आईबीसी के तहत, बड़े एनपीए खातों का समाधान करें। प्रारम्भ में 12 बड़े चूककर्ता उधारकर्ताओं के लिए यह समाधान करना है जिनका सकल एनपीए में कुल बैंकिंग सिस्टम का 25% हिस्सा है। बाद में 29 बड़े खातों का समाधान किया जाए। इसके अलावा, सरकारी प्रतिभूतियों एवं बॉण्ड्स का प्रतिफल वर्ष के अधिकांश भाग हेतु 8.0% के आसपास रहा, जिसके फलस्वरूप बैंकों की गैर-ब्याज आय तो प्रभावित हुई है, साथ में इस वजह से उच्चतर एमटीएम प्रावधान भी करना पड़ा। पीएनबी द्वारा जारी वचन पत्र (LoU) के मामले में लगभग रु.13,000 करोड़ के धोखाधड़ीपूर्ण संव्यवहारों से पूरे बैंकिंग उद्योग का संतुलन बिगड़ गया।

6. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, आपके समक्ष वर्ष के दौरान आपके बैंक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण पहल और वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं प्रस्तुत करता हूँ।

7. **बैंक का कार्यनिष्पादन**

- संभाव्यताओं का दोहन करने के लिए आपके बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान अनेक नई पहल की। जिनमें **"प्रोजेक्ट कनेक्ट-संपर्क"** के अंतर्गत व्यवसाय विकास तथा आस्ति गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए क्षेत्र प्रबंधकों की तैनाती करना तथा सभी विशिष्ट ग्राहकों के लिए **"स्टार प्राइम"** की अवधारणा शामिल है।
- विकास की संभावना वाले केन्द्रों पर व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए **"स्टार प्वाइंट"** नाम से (731) व्यवसाय प्रतिनिधि आधारित आउटलेट खोले गये हैं। ग्राहकों को उत्कृष्ट डिजिटलीकृत बैंकिंग सेवा देने के लिए 113 शाखाओं को **स्टार डिजी शाखाओं** के रूप में पुन: डिजाइन किया गया है।
- आपके बैंक की आई.टी. क्षमता को मजबूत किया जा रहा है तथा इसके लिए **"स्टार महाशक्ति"** परियोजना को आरंभ किया गया है। यह बैंक के आइटी बेस को अपग्रेड करेगा तथा कोर बैंकिंग समाधान को अगले स्तर पर ले जायेगा।
- **"आमंत्रण"** नामक विशेष कासा अभियान आयोजित किया गया जिसमें "GABHI" खातों (सरकार, संघ/क्लब/सोसाइटियों, कारोबारी ग्राहकों, उच्च निवल आय व्यक्तियों तथा गैर-निवासी भारतीयों एवं संस्थाओं) पर विशेष ध्यान दिया गया।

deposits growth, however, remained subdued with growth rate of 6.7% against 15.3% during FY 2016-17.

4. During the year, several policy pronouncements were made by the Government and the RBI and some of them have far reaching implications for the banking sector. The Government came out with recapitalization of public sector banks to the tune of Rs.2.11 lakh crore, which has come as a great relief for banks. Along with recapitalization, the Government has also introduced Banking Reforms measures called - Enhanced Access and Service Excellence (EASE), which will define future contours of Banking Sector, by making banks more customer oriented, more competitive, yet internally strong. Some of the RBI measures which has lessened the impact of stress on banking sectors are :- deferring Indian Accounting Standards norm by one year, allowing six months moratorium to specified categories of MSMEs on overdue payments, removing limits stipulated for MSME sector for inclusion in priority sector, allowing banks to spread over MTM provisions over four quarters. For last six months, we have seen a host of facilitating amendments to the Insolvency and Bankruptcy Codes, which will ease the process of resolution of cases under NCLT. One of the significant regulatory changes which have significant impact on banks' balance sheet and P&L, at least in short term, is of course RBI's notification of February 12, 2018, although it will have long term benefits for developing a sound credit culture in India.

5. The year 2017-18 has also been a tumultuous year for Indian banks on several counts. The RBI mandated banks for resolution of large NPA accounts under IBC, initially for 12 large defaulting borrowers accounting for 25% of the Gross NPAs of banking system and later 29 large accounts. Secondly, the G-sec and bond yields for most part of the year remained elevated almost touching 8.0%, thus not only impacting the non-interest income of banks, but also entailing upon higher MTM provisions. The entire banking Industry was rocked with around Rs.13,000 crore fraudulent transactions in case of Letter of Undertaking issued by PNB.

6. Against the above backdrop, let me present before you the major initiatives taken by your bank during the year as well as the highlights of the Bank's performance during FY 2017-18.

7. **BANK'S PERFORMANCE**

- Your Bank, during 2017-18, embarked upon several new initiatives for unlocking the potential. Among them were concept of **"Project Connect- Sampark"** with posting of Area Managers at the grass root level to take care of business development and assets quality and concept of **"Star Prime"** for all Prime Clients.
- For tapping the business of potential Growth Centres, Business Correspondent based outlets called **Star Points** (731) have been opened. For offering high end digitalized banking services to customers, 113 branches have been redesigned as **Star Digi Branches**.
- The IT capability of your Bank is being strengthened and for this, project **'Star Mahashakti'** has been launched, which will upgrade the IT base of the Bank to the next level of Core Banking Solution.
- Special CASA campaigns **"Amantran"** were organized with special focus on **"GABHI"** accounts (Government, Associations/ Clubs/ Societies, Business Clients, HNIs / NRIs and Institutions).

- स्वर्ण ऋण खण्ड में बैंक की पहुँच को बढ़ाने के लिए "**स्वर्ण धारा**"नामक नई योजना आरंभ की गयी।
- एनपीए के त्वरित समाधान के लिए "**मिशन समाधान**" नामक योजना आरंभ की गयी है जो गैर-विभेदकारी तथा गैर-पक्षपाती है।
- वर्ष 2017-18 में समेकन एवं पूंजी संरक्षण बैंक की स्थिति को मजबूती प्रदान करने हेतु प्रमुख निर्देशक रहे हैं। तुलनात्मक रूप से जहाँ मार्जिन/प्रतिफल अधिक है, उन स्थानों को संसाधन प्रदान करने के विचार से बैंक ने विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय का समेकन किया है। 2017-18 में पूरे साल पूरी तरह से अभियान मोड में रहकर आपके बैंक ने निरन्तर एनपीए की वसूली, रिटेल ऋण की वृद्धि तथा कासा को प्राप्त करने का अनवरत प्रयास किया है। वर्ष के दौरान बैंक की कुछ उपलब्धियों को मैं रेखांकित करूंगा।
- यथा 31 मार्च 2018 आपके बैंक का वैश्विक व्यवसाय रु.8,96,850 करोड़ रहा। बैंक का वैश्विक जमा रु.5,20,854 करोड़ तथा वैश्विक सकल अग्रिम रु.3,75,995 करोड़ रहा।
- आपके बैंक का कासा अनुपात बेहतर होकर मार्च 2017 के 39.84% की तुलना में मार्च 2018 में 41.43% हो गया। बैंक के द्वारा की गयी विभिन्न पहलों के कारण कासा का स्तर मार्च 2017 के रु.1,66,608 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 में रु.1,72,787 करोड़ हो गया।
- बैंक अपने अग्रिम पोर्टफोलियो को संतुलित करने के पथ पर है तथा इसके लिए इसने विचारपूर्वक जोखिम का विविधीकरण, पूँजी का संरक्षण तथा ज्यादा प्रतिफल की संभावना को ध्यान में रखा है। फलस्वरूप, आरएएम अग्रिम (रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई) में यथा 31 मार्च, 2017 में रु.1,37,156 करोड़ से बढ़कर यथा 31 मार्च, 2018 में रु.1,50,924 करोड़ हुये हैं एवं अग्रिमों में इनकी हिस्सेदारी मार्च 2017 में 48.00% से बढ़कर मार्च 2018 में 51.42% हुई है। इनमें से, रिटेल अग्रिम यथा 31 मार्च, 2018 को 19.25% वृद्धि के साथ रु. 47,817 करोड़ पर पहुंच गए।
- आपके बैंक ने प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों के संबंध में विनियामक मानदण्डों को प्राप्त किया है। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम रु.1,21,691 करोड़ रहा, जो कि एएनबीसी का 40.80% है। इस प्रकार कम ब्याज सहित आरआईडीएफ में जबरन निवेश करने से बैंक बच गया। कृषि अग्रिम रु.51,938 करोड़ रहा, जो एएनबीसी का 18.58% था।
- सकल एनपीए अनुपात दिसंबर 2017 (जब आरबीआई ने पीसीए प्रस्तावित किया) के 16.93% की तुलना में बेहतर होकर मार्च 2018 में 16.58% हुआ है। उसी प्रकार, आरबीआई द्वारा एनपीए के रूप में डाउनग्रेड किए गए एसबीएलसी के समक्ष रु. 9000 करोड़ के ऋणों की जोरदार वसूली के कारण निवल एनपीए अनुपात को दिसंबर में 10.29% से घटकर मार्च, 2018 में 8.26% हुआ है।
- प्रावधान कवरेज अनुपात में क्रमिक एवं वर्ष-दर-वर्ष दोनों आधार पर सुधार हुआ। इसमें मार्च, 2017 में 61.47% एवं दिसंबर 2017 में 56.96% से मार्च 2018 में 65.85% का सुधार हुआ है।
- जमा लागत एवं निधि लागत दोनों को कम किया गया है। घरेलू जमाओं की लागत जो मार्च, 2017 के 6.04% थी से घटाकर मार्च, 2018 में 5.52% कर दिया गया है एवं उसी अवधि के दौरान निधि लागत को 5.48% से घटाकर 5.09% किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में आपके बैंक का परिचालन लाभ रु.7,139 करोड़ एवं निवल लाभ (-) रु.6,044 करोड़ है। वर्ष के दौरान अन्य सभी बैंकों के मामले में बैंक का लाभ नए विनियामक मानदण्डों के अनुवर्ती अतिरिक्त एनपीए प्रावधानों एवं न्यून कोषागार आय एवं एमटीएम प्रावधानों के कारण भी प्रभावित हुआ है।

- For larger penetration of the Bank into the Gold Loan segment, a special scheme **"Swarna Dhara"** was formulated.
- A non-discriminatory and non-discretionary OTS Scheme called **"Mission Samaadhan"** was formulated for quick resolution of NPAs.
- Consolidation and Capital Conservation has been the guiding force for the Bank for FY 2017-18. Particularly, the Bank went for a consolidation of international business, with a view to allocate resources to the avenues where margin/returns are relatively higher. Your Bank also relentlessly strived for Recovery of NPAs, expansion of Retail Credit and augmentation of CASA in a virtually campaign mode throughout the year 2017-18. I will highlight some of the achievements by the Bank during the year.
- Your Bank's Global Business stood at Rs.8,96,850 crore as on March 31, 2018. The Global Deposits of the Bank stood at Rs.5,20,854 crore and Global Gross Advances at Rs.3,75,995 crore.
- The CASA ratio of your Bank improved from 39.84% in March, 2017 to 41.43% in March, 2018. The CASA level moved up from Rs.1,66,608 crore in March, 2017 to Rs.1,72,787 crore in March, 2018 as a result of various initiatives taken by the Bank.
- The Bank, as a conscious decision for diversification of risks, capital conservation and prospects of higher returns, has been on a path of rebalancing of advances portfolio. As a result, the RAM Advances (Retail, Agriculture and MSME) increased from Rs.1,37,156 crore as on March 31,2017 to Rs.1,50,924 crore as on March 31, 2018 and its share in Advances increased from 48.00% in March 2017 to 51.42% in March 2018. Among these, the Retail Advances posted a 19.25% growth to reach Rs.47,817 crore as on March 31, 2018.
- Your Bank has achieved the regulatory norms with regard to the Priority Sector Advances, which stood at Rs.1,21,691 crore constituting 40.80% of ANBC and thereby avoiding forced investment in RIDF with very low interest. Agriculture advances were Rs.51,938 crore forming 18.58% of ANBC.
- The Gross NPA ratio improved sequentially from 16.93% in December, 2017 (When RBI proposed PCA) to 16.58% in March 2018. Similarly, the net NPA ratio declined from 10.29% in December, 2017 to 8.26% in March, 2018 by aggressively recovering Rs.9,000 crore loan against SBLC which were downgraded as NPA by RBI.
- Provision Coverage Ratio improved, both sequentially as well as on y-o-y basis. From 61.47% in March, 2017 and 56.96% in December 2017, it has improved to 65.85% in March 2018.
- Both the cost of deposits and cost of funds have been brought down. The domestic cost of deposits has been brought down from 6.04% in March, 2017 to 5.52% in March, 2018 and cost of funds has been curtailed from 5.48% to 5.09% during the same period.
- Your Bank's Operating Profit stood at Rs.7,139 crore and Net Profit at (-) Rs. 6,044 crore in FY 2017-18. The Bank's profits, as in case of all other banks during the year, has been impacted by additional NPA provisions consequent to the new regulatory norms and also because of lower treasury income and MTM provisions.

- विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपायों के माध्यम से, हम जोखिम भारित आस्तियों में वर्ष के दौरान लगभग रु.30,000 करोड़ की कमी करने में सफल रहे हैं। मार्च, 2017 में रु.3,46,611 करोड़ से मार्च, 2018 में रु.3,17,546 करोड़ हुआ है जिससे हमें पूंजी संरक्षण एवं टियर I पूंजी में सुधार करने में सहायता मिली।
- सीआरएआर (बेसल III) दिसंबर, 2017 में 12.05% एवं मार्च, 2017 में 12.14% से सुधरकर मार्च, 2018 में 12.94% हुआ है। सीईटी-1 अनुपात 7.87% रहा, जो मार्च, 2017 में 7.17% के सीईटी-1 अनुपात से ज्यादा था। वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने रु. 9,232 करोड़ की पूंजी लगाई है।
- आपके बैंक के ग्राहक आधार में निरंतर वृद्धि हुई है। ग्राहकों की संख्या में मार्च, 2017 के 101 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2018 में 109 मिलियन हुई है।
- बैंक द्वारा आईटी के क्षेत्र में उठाये गये विभिन्न कदमों के फलस्वरूप इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड उत्पाद और पीओएस मशीनों का प्रयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। मार्च 2017 में 41 लाख की तुलना में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या बढ़कर 52 लाख हो गई है। मार्च 2017 की तुलना में मार्च 2018 में डेबिट कार्ड के ग्राहकों की संख्या में 14.8% वृद्धि हुई है और पीओएस प्रयोगकर्ता ग्राहक 6078 से बढ़कर 91,936 हो गये हैं। इस प्रकार के डिजिटीकरण संबंधी उपाय कासा की वृद्धि में तेजी लाएंगे और साथ ही बैंक की गैर-ब्याज आय में वृद्धि करेंगे।
- वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा आयोजित अपने जोखिम आधारित पर्यवेक्षण में रु.14,057 करोड़ की आस्तियों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने का अधिदेश दिया गया जिनमें से लगभग 70% अन्य बैंकों द्वारा जारी आपाती साख पत्र (SBLC) पर बैंक द्वारा दिया गया कर्ज है। मुझे प्रसन्नता है कि बैंक द्वारा एसबीएलसी पर दिये गये कुल रु.9766 करोड़ के अग्रिमों में से रु.9239 करोड़ पहले ही वसूल किये जा चुके हैं। आस्तियों के पुनर्वर्गीकरण के परिणाम स्वरूप आरबीआई द्वारा बैंक को दिसबंर, 2017 में पीसीए फ्रेमवर्क के अधीन डाला गया था। तथापि, मैं समस्त हितधारकों को आश्वस्त करता हूं कि आपका बैंक स्वाभाविक रूप से ही एक शक्तिशाली बैंक है और बैंक को न्यूनतम संभव समय में पीसीए से बाहर लाने के लिए समुचित उपाय और कार्रवाई की जा रही है।

8. मैं आपके बैंक के निदेशक मंडल के सभी निदेशकों, जिनमें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पद से निवृत्त हुए निदेशक, यथा श्री मेल्विन रेगो, एमडी व सीईओ, श्री आर.ए. शंकर नारायणन, कार्यपालक निदेशक, श्री नीरज भाटिया, शेयरधारक निदेशक, श्री संजीव कुमार, शेयरधारक निदेशक शामिल हैं; के बहुमूल्य योगदान हेतु उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बैंक भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और अन्य विनियामक प्राधिकरणों को भी उनके उत्तम सहयोग तथा मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद करता है। मैं बैंक की ओर से और अपनी ओर से अपने कारोबारी सहयोगियों, ग्राहकों शेयर धारकों और हितधारकों, वित्तीय संस्थाओं और प्रतिनिधि बैंकों के हमारे प्रति विश्वास, भरोसे एवं सहयोग हेतु उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और उनके सतत संरक्षण, मार्गदर्शन एवं सहयोग की कामना करता हूं। अंत में मैं अपने प्रतिबद्ध स्टाफ सदस्यों के ईमानदार और निष्ठापूर्ण प्रयासों की सराहना करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

(दीनबंधु मोहापात्रा)

- Through prudent risk management measures, we have been able to prune Risk Weighted Assets by around Rs.30,000 crore during the year, from Rs.3,46,611 crore in March, 2017 to Rs.3,17,546 crore in March, 2018 helping us in capital conservation and improving Tier I position.
- The CRAR (Basel III) improved to 12.94% in March, 2018 against 12.05% in December, 2017 and 12.14% in March, 2017. The CET-I ratio stood at 7.87%, which is higher than the CET-I ratio of 7.17% in March, 2017. During the year, the Government of India infused Capital to the extent of Rs. 9232 crore.
- There has been continuous rise in the customer base of your Bank. The number of customers has increased from 101 million in March 2017 to 109 million in March, 2018.
- As a result of various IT initiatives taken by the Bank, the number of customers using Internet Banking, card products and the POS machines base have witnessed sharp rise. The internet customer base has increased to 52 lakh from 41 lakh in March 2017. The debit card customers have increased by 14.8% and POS customers base has increased from 6078 in March, 2017 to 91,936 in March, 2018. These digitization measures will give a fillip to CASA growth as also add to Bank's Non-Interest Income.
- The RBI, in their Risk Based Supervision conducted during the year, mandated to classify Rs.14,057 crore assets as NPAs, out of which, about 70% was the Bank's lending against Stand by Letter of Credit (SBLC) issued by other Banks. I am happy to inform that the Bank has already recovered Rs. 9,239 crore out of total Rs.9,766 crore advances against SBLCs. The Bank, consequent to the re-classification of Assets, was also put under the PCA framework by the RBI in December, 2017. However, I assure all the stake holders that, your bank is an inherently strong bank and appropriate measures and actions are being taken to bring the Bank out of PCA within the shortest possible time.

8. I wish to place on record the valuable contribution made by the directors of your Bank's Board including those who have demitted office during FY 2017-2018 viz. Shri Melwyn Rego, MD & CEO, Shri R.A. Sankara Narayanan, Executive Director, Shri Neeraj Bhatia, Shareholders' Director, Shri Sanjiv Kumar Arora, Shareholder's Director. The Bank also thanks the Government of India, Reserve Bank of India, SEBI and other regulatory authorities, who have provided excellent support and valuable guidance. On behalf of the Bank and on my personal behalf I would like to thank our Business Associates, Customers, Shareholders and Stakeholders, Financial Institutions and Correspondent Banks for their trust, faith and active association and look forward to their continued patronage, guidance and support. Last, but not the least, I also place on record my appreciation for the sincere and unstinted efforts put in by our committed staff members.

With warm regards,

(Dinabandhu Mohapatra)

निदेशक रिपोर्ट

निदेशक मण्डल 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

कार्यनिष्पादन

घरेलू कारोबार

- बैंक का समग्र घरेलू कारोबार 0.78% वृद्धि के साथ 31 मार्च 2017 को रु.709,183 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2018 को रु.714,712 करोड़ हो गया।
- कासा जमाराशियां वर्ष-दर-वर्ष 3.71% वृद्धि के साथ रु.172,787 करोड़ पर रही, एसबी जमाराशियों में 2.86% की वृद्धि हुई और सीडी जमाराशियों में 8.86% की वृद्धि हुई। घरेलू जमाराशियों में कम लागत की जमाराशियों की हिस्सेदारी यथा 31.03.2017 को 39.84% से सुधरकर यथा 31.03.2018 को 41.43% हो गई।
- कुल जमाराशियां 0.53% घटकर रु.421,211 करोड़ पर रही।
- अग्रिम, 2.72% वृद्धि के साथ रु.285,725 करोड़ से बढ़कर रु.293,500 करोड़ को गए।
- प्राथमिकता क्षेत्र उधार, समायोजित निवल बैंक ऋण का 40.80% था और समायोजित निवल बैंक ऋण में कृषि ऋण की हिस्सेदारी 18.58% थी।
- रिटेल ऋण 19.25% वृद्धि के साथ रु.40,098 करोड़ से बढ़कर रु.47,817 करोड़ हो गए।

विदेशी कारोबार :

- विदेशी कारोबार में 18.92% की कमी दर्ज की गयी और यथा 31.03.2017 को रु. 224,637 करोड़ की तुलना में यह यथा 31.03.2018 को रु. 182,138 करोड़ रहा।

वैश्विक कारोबार :

- बैंक का वैश्विक कारोबार जो यथा 31 मार्च, 2017 को रु.933,820 करोड़ था यथा 31 मार्च 2018 को रु.8,96,850 करोड़ पर रहा। कारोबार स्तर में 3.96% की यह गिरावट, अपने विदेशी एक्सपोज़र के युक्तिकरण के बैंक के सचेत निर्णय का परिणाम था।
- कुल जमाराशियां 3.55% गिरावट के साथ रु.520,854 करोड़ पर रही।
- अग्रिम, 4.52% गिरावट के साथ रु.375.995 करोड़ पर रहे।

वित्तीय मानदण्ड :

- परिचालन लाभ रु.7139 करोड़ और निवल हानि रु. 6044 करोड़।
- आरबीआई द्वारा निर्धारित मानक 10.875% (बासेल III के तहत) की तुलना में पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.94% रहा।
- निवल मालियत मार्च 2017 की तुलना में 4.60% घटकर रु.18992 करोड़ पर रहा।
- प्रतिशेयर बही मूल्य रु. 108.91।
- सकल एनपीए अनुपात यथा 31.03.2018 को 16.58% रहा।
- निवल एनपीए अनुपात यथा 31.03.2018 को 8.26% रहा

वर्ष 2017-18 के लिए बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन का संक्षेप नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	वृद्धि (%)
निवल ब्याज आय	11,826	10,506	-11.16
गैर-ब्याज आय	6,772	5,734	-15.34
परिचालन व्यय	8,866	9,101	2.65
परिचालन लाभ	9,733	7,139	-26.65
प्रावधान / आकस्मिकताएं	11,291	13,183	16.75
निवल लाभ	-1,558	-6,044	
प्रति शेयर आय (₹)	-15.72	-52.55	
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	188.62	108.91	-42.26
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	-7.78	-31.07	
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%)	-0.24	-0.91	

प्रमुख वित्तीय अनुपात नीचे प्रस्तुत किए गए हैं

(प्रतिशत) (%)

मानदण्ड	2016-17	2017-18
अग्रिम पर प्रतिफल	7.98	7.15
निवेश पर प्रतिफल	7.58	7.25
निधियों पर प्रतिफल	6.41	6.16
जमा राशियों की लागत	4.84	4.58
निधियों की लागत	4.48	4.46
निवल ब्याज मार्जिन	2.20	1.92
परिचालन व्ययों की तुलना में गैर ब्याज आय	76.39	63.00
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य आय	1.03	0.86
औसत कार्यशील निधि की तुलना में परिचालन व्यय	1.45	1.47
औसत कार्यशील निधि की तुलना में स्टाफ व्यय	0.88	0.79
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य परिचालन व्यय	0.57	0.68
आस्ति उपयोग अनुपात	1.59	1.16
कुल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	14.70	13.09
निवल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	36.41	35.31
आय की तुलना में लागत अनुपात	47.67	56.04

पूँजी

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा भारत सरकार को रू. 10/- के प्रत्येक शेयर रू. 165.32 की कीमत पर 55,84,32,131 नये शेयर जारी करके 9232 करोड़ जुटाये गये। बैंक ने बासेल III अनुपालक 8.79% अतिरिक्त टियर I बाण्ड्स भी रू. 500 करोड के लिये जारी किये।

बैंक द्वारा दिनांक 21.04.2018 को रेग्युलेटरी कॉल ऑप्शन का उपयोग कर अपने सभी अतिरिक्त टियर I बाण्ड्स (शृंखला 1 से 5) का रू.5500 करोड की कीमत पर मोचन किया गया।

पूँजी पर्याप्तता

- बासेल III फ्रेमवर्क के अनुरूप, बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.94% था, जो कि विनियामक अपेक्षा 10.875% की तुलना में उच्चतर है।
- पूंजी पर्याप्तता (बासेल II व III) का विवरण निम्नवत है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	बासेल - III			
	31.03.2017		31.03.2018	
सीईटी 1 सीआरएआर	24858	7.17%	24993	7.87%
एटी 1 सीआरएआर	6008	1.73%	5905	1.86%
टियर - 1 पूँजी	30866	8.90%	30898	9.73%
टियर - 2 पूँजी	11216	3.24%	10199	3.21%
कुल पूँजी	42082	12.14%	41097	12.94%
जोखिम भारित आस्तियाँ	346611		317546	

कारोबार पहल:

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने तुरंत टर्नाराउंड हेतु विभिन्न पहल कार्यान्वित किए हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार है:-

- ग्राहकों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने और कारोबार विकास, वसूली, निचले स्तर पर डिजिटैजेशन और शाखा में पुन: सक्रीयन हेतु क्षेत्र प्रबंधक और स्टार प्राइम अवधारणा का कार्यान्वयन किया गया।
- कासा, एनपीए वसूली और ऋण संवितरण में तेज़ी लाने हेतु "घर घर दस्तक" नामक मासिक अभियान का आयोजन किया जा रहा है।
- सरकार, कारोबारी सहयोगियों, एचएनआई और एनआरआई पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए "आमंत्रण" नामक विशेष कासा अभियान का आयोजन।
- आरएएम अग्रिमों (रिटेल, कृषि और एमएसएमई) के पक्ष में ऋण संविभाग को पुनर्व्यवस्थित करने और कॉरपोरेट क्षेत्र को हमारे एक्सपोज़र को कम करने हेतु कार्यनीति।
- एनपीए के त्वरित समाधान हेतु "मिशन समाधान" नामक भेद-भाव रहित ओटीएस (OTS) योजना तैयार की गई है।
- सभी वेतनमान-IV एवं V के नेतृत्वाधीन शाखाओं को सक्रिय करने हेतु "मिशन रॉकेट" की शुरूआत।
- "स्वर्ण धारा" – स्वर्ण ऋणों में तेज़ी लाई गई है।
- टेक्-सैवी ग्राहकों हेतु उच्च कोटी की डिजिलाइज़्ड सेवाओं सहित, चयनित शाखाओं को "स्टार डिजी" के रूप में नया रूप देना।
- बैंक की प्रौद्योगिकीय क्षमताओं को अगले उच्च स्तर तक लिए जाने हेतु आई. टी. पहल "स्टार महाशक्ति" का कार्यान्वयन।
- डिजिटैज़ेशन और इन्टरनेट बैंकिंग, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड, पीओएस मशीनें जैसे वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों पर विशेष ध्यान।
- डिजिटल ग्राम की अवधारणा को कार्यान्वित करने वाले अग्रणी बैंकों में से एक। अब तक 325 गाँवों को डिजिटल ग्राम के रूप में परिवर्तित किया गया है।
- हमारे आउटरीच कार्यक्रम में विस्तार करने हेतु कारोबार संपर्कियों (बीसी) के माध्यम से "स्टार पॉइन्ट्स" नामक 561 विकास केन्द्रों को सक्रिय करना।

पुरस्कार एवं सम्मान:

- पीएसयू बैंक वर्ग में इकॉनॉमिक टाइम्स द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया को दूसरा सबसे विश्वसनीय बैंक घोषित किया गया।
- एनएसई द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में करेंसी डेरीवेटिव खण्ड में **"मार्केट अचीवर्स अवार्ड"** पुरस्कार से अलंकृत किया गया।
- बीएसई द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया को समस्त बैंकों के वर्ग में **"बेस्ट परफॉरमर इन करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट"** अवार्ड प्रदान किया गया।
- बड़े बैंकों के वर्ग में आईडीआरबीटी बैंकिंग टेक्नॉलजी एक्सीलेंस अवार्ड, आईटी ईकोसिस्टम प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार।
- बड़े बैंकों के वर्ग में आइडीआरबीटी बैंकिंग टेक्नॉलजी एक्सीलेंस अवार्ड, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार।
- प्रतिष्ठित ईटी नाउ (ET NOW) समूह द्वारा **"विश्व सीएसआर दिवस"** 2018 के उपलक्ष्य में "सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, दिव्यांगों के लिए रोज़गार को बढ़ावा देना और शिक्षा गुणवत्ता के क्षेत्र में सहयोग एवं सुधार" पुरस्कार प्रदान किया गया।
- थिंक बिजनेस बैंकिंग अवार्ड 2018 द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया को **"केन्या में सबसे दक्ष बैंक"** का पुरस्कार दिया गया।
- "भारतीय कारोबारी फोरम, यूगांडा" से 'बैंक ऑफ़ इंडिया - यूगांडा अनुषंगी' को "बेस्ट कंपनी कीपिंग इमेज हाई अवार्ड - 2018" प्राप्त हुआ।
- बैंक ऑफ़ इंडिया की गृह-पत्रिका तारांगण को मुंबई में प्रतिष्ठित "ABCI मैग्जीन ऑफ़ दि इयर आवार्ड 2017" प्राप्त हुआ।

निदेशक उत्तरदायित्व कथन :-

निदेशक पुष्टि करते हैं कि मार्च 31, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को तैयार करने में;

क) लागू लेखा मानकों का पालन किया गया और महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो तो उसके लिए उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई लेखांकन नीति का सदैव पालन किया गया है। उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति के संबंध में तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि खाते के बारे में सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;

ग) बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उन्हें रोकने के लिए भारत में कार्यरत बैंकों पर लागू कानूनों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रखरखाव के लिए उचित एवं उपयुक्त सावधानी रखी जाती है;

घ) वार्षिक लेखा, निरन्तरता के आधार पर तैयार किए गए हैं;

ङ) बैंक द्वारा अनुसरण की जानेवाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से परिचालन में हैं;

च) समस्त लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था बनायी गयी है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसी व्यवस्था पर्याप्त है और प्रभावी रूप से परिचालन में है।

DIRECTOR'S REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the audited statement of accounts and the cash flow statement for the year ended 31st March 2018.

Performance:

Domestic Business:

- Overall Domestic Business of the Bank increased by 0.78% reached at Rs. 714,712 crore as on 31.03.2018 from Rs. 709,183 crore as on 31.03.2017.
- CASA deposits increased by 3.71% on Y-O-Y and Stood at Rs. 172,787 crore, SB deposits grew by 2.86% and CD by 8.86%. Share of low cost deposits (CASA), in domestic deposits improved from 39.84% as on 31.03.2017 to 41.43% as on 31.03.2018.
- Total deposits decreased by 0.53% and stood at Rs. 421,211 crores.
- Advances registered a growth of 2.72% from Rs. 285,725 crores to Rs. 293,500 crores.
- Priority Sector lending constituted 40.80% of Adjusted Net Bank Credit and the share of Agricultural Credit to Adjusted Net Bank Credit was 18.58%.
- Retail Credit grew by 19.25% from Rs 40,098 crores to Rs 47,817 crores.

Overseas Business:

- Overseas business has de-grown by 18.92% and stood at Rs. 182,138 crore as on 31.03.2018 compared to Rs. 224,637 crore as on 31.03.2017.

Global Business:

- Global Business of the Bank stood at Rs.896,850 crore as on 31.03.2018 against Rs.933,820 crore as on 31.03.2017. The de-growth of 3.96% in business level has been as a result of conscious decision of the Bank to rationalise its overseas exposure.
- Total deposits decreased by 3.55% and stood at Rs. 520,854 crores.
- Advances decreased by 4.52% and stood at Rs. 375,995 crores.

Financial Parameters:

- Operating profit at Rs.7139 crores and Net loss at Rs.6044 crores.
- Capital Adequacy Ratio at 12.94% as against 10.875% prescribed by RBI (under Basel III).
- Net Worth at Rs.18992 crores, declined by 4.60% over 31.03.2017.
- Book value per share Rs.108.91.
- Gross NPA ratio at 16.58% as on 31.03.2018.
- Net NPA ratio at 8.26% as on 31.03.2018.
- The Financial performance of the Bank for the year 2017-18 is summarised below

(Amount in crore)

Particulars	2016-17	2017-18	Growth (%)
Net Interest Income	11,826	10,506	-11.16
Non-Interest Income	6,772	5,734	-15.34
Operating Expenses	8,866	9,101	2.65
Operating Profit	9,733	7,139	-26.65
Provisions / Contingencies	11,291	13,183	16.75
Net Profit	-1,558	-6,044	
Earnings per share (Rs.)	-15.72	-52.55	
Book Value per share (Rs.)	188.62	108.91	-42.26
Return on Equity (%)	-7.78	-31.07	
Return on Average Assets (%)	-0.24	-0.91	

Key Financial Ratios are presented below

(Percentage) (%)

Parameters	2016-17	2017-18
Yield on Advances	7.98	7.15
Yield on Investments	7.58	7.25
Yield on Funds	6.41	6.16
Cost of Deposits	4.84	4.58
Cost of Funds	4.48	4.46
Net Interest Margin	2.20	1.92
Non Interest Income to Operating Expenses	76.39	63.00
Other Income to Average Working Fund	1.03	0.86
Operating Expenses to Average Working Fund	1.45	1.47
Staff Expenses to Average Working Fund	0.88	0.79
Other Operating Expenses to Average Working Fund	0.57	0.68
Asset Utilisation Ratio	1.59	1.16
Non Interest Income to Total Income	14.70	13.09
Non Interest Income to Net Income	36.41	35.31
Cost to Income Ratio	47.67	56.04

Capital

During the year Bank has raised Rs. 9232 crore by issue of 55,84,32,131 fresh shares of Rs.10/- each at a price of Rs.165.32 to Government of India. Bank has also issued Basel III compliant 8.79% Additional Tier I Bonds for an amount of Rs. 500 crore.

Bank has exercised the regulatory call option and redeemed all its Additional Tier I Bonds (Series 1 to 5) for an amount of Rs. 5500 crore on 21.04.2018.

Capital Adequacy:

- As per Basel III framework, the Bank's Capital Adequacy Ratio was 12.94% which is higher than the regulatory requirement of 10.875%
- Details of Capital Adequacy (BASEL II & III) are :

(₹ in crore)

Particulars	BASEL – III			
	31.03.2017		31.03.2018	
CET1 CRAR	24858	7.17%	**24993**	**7.87%**
AT1 CRAR	6008	1.73%	**5905**	**1.86%**
Tier I Capital	30866	8.90%	**30898**	**9.73%**
Tier II Capital	11216	3.24%	**10199**	**3.21%**
Total Capital	42082	12.14%	**41097**	**12.94%**
Risk Weighted Assets	346611		317546	

Business Initiatives:

During the current year the Bank has implemented various initiatives for a Prompt Turn Around. A few of them are mentioned as under:

- Concept of Area Managers and Star Prime implemented for being more customer focused and for business development, recovery, digitization at ground level and re-activation of branches.
- Monthly Campaign called "Ghar Ghar Dastak" being organized every month for speeding up CASA, NPA Recovery and Credit disbursement.
- Special CASA campaigns "Amantran" organized with special focus on Government, Business Associates, HNIs & NRIs
- Strategy for re-balancing of portfolio in favour of RAM advances (Retail, Agriculture and MSME) and reducing exposure to Corporate sector.
- A non-discriminatory OTS Scheme called "Mission Samaadhan" formulated for quick resolution of NPAs.
- "Mission Rocket" launched to activate all the Scale-IV & V headed branches.
- "Swarna Dhara" – Gold Loans have been intensified.
- Refurbishing select branches as "Star Digi" branches with high end digitalized services for tech savvy customers.
- IT initiative "Star Mahashakti" being implemented for taking the Bank's technological capability to next level.
- Focus on Digitisation and Alternate Delivery Channels such as internet Banking, Debit and Credit Cards, POS machines.
- One of the premier Banks in implementing concept of Digital Village. Till now 325 villages converted into digital villages.
- Activation of 561 Growth Centers through Business Correspondents (BCs) called "Star Points" for expanding our outreach.

Awards and Recognition:

- Bank of India ranked as the 2nd Most Trusted Bank in the PSU Bank category by Economic Times.
- Bank of India has been conferred "Market Achievers' Award" in Currency Derivatives Segment amongst Public Sector Banks by NSE.
- Bank of India awarded as "Best Performer in Currency Derivative Segment" amongst all Banks' Category by BSE.
- IDRBT Banking Technology Excellence Award, Best Bank for Managing IT Ecosystem, large Bank category.
- IDRBT Banking Technology Excellence Award, Best Bank for Electronic Payments, large bank category.
- Bank of India awarded for Best Corporate Social Practices: Promoting Employment for Physically Challenged and also for Support and improvement in Quality of Education from ET NOW- WORLD CSR DAY Award.
- Bank of India awarded as "The Most Efficient Bank in Kenya" by Think Business Banking Award 2018.
- Bank of India-Uganda Subsidiary awarded for "Best Company Keeping Image High Award 2018" from Indian Business Forum, Uganda.
- Bank's In-House Journal 'Taarangan' conferred with Prestigious "ABCI Magazine of the Year Award 2017" at Mumbai

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2018:

a) The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied. Reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for the year ended March 31, 2018.

c) Proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities,

d) Annual accounts have been prepared on a going concern basis,

e) Internal financial controls system to be followed by the Bank were laid down and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively,

f) Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

वैश्विक स्थिति

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) के अनुसार वैश्विक वृद्धि दर 2016 के 3.2% से 2017 के दौरान 3.8% के आस-पास तक तेज हुई है। यह वृद्धि लगभग सभी देशों में व्यापक रूप से हुई है तथा लगभग एक समान रही है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका तथा यूरो क्षेत्र के देशों ने 2.3% की वृद्धि दर प्राप्त की है। 2016 के दौरान उनकी वृद्धि दर 1.5% से 1.8% के बीच थी। वैश्विक व्यापार में बढ़त तथा निवेश की वसूली से 2017 के दौरान विकास की गति तेज हुई है। विशेष रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में स्थायी पूँजी निर्माण मजबूत रहा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे जर्मनी, यू.एस., जपान तथा विकासशील एशिया ने निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की है। उभरती हुई तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने 4.8% की वृद्धि दर दर्ज की है जबकि उभरते तथा विकसित होते एशिया की वृद्धि दर उनसे ज्यादा 6.5% रही है। विकास में तेजी तथा बेरोजगारी दर में कमी ने 2017 के दौरान तीन बार फेडरल रिज़र्व को फेडरल निधि दर बढ़ाने के लिए प्रेरित किया तथा इस संबंध में नवीनतम बढ़ोतरी मार्च, 2018 में हुई। अभी निधि दर 1.50-1.75% है। महंगाई में थोड़ी बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2017-18 के दौरान वस्तु की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई।

घरेलू आर्थिक परिस्थिति

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनंतिम अनुमान के अनुसार 2017-18 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद 6.7% की दर से बढ़ा। यह पिछले वर्ष के 7.1% की तुलना में धीमा था। क्षेत्र के स्तर पर, बेसिक कीमत पर तथा जीवीए के आधार पर, पिछले वर्ष 6.3% की वृद्धि दर की तुलना में कृषि 3.4% बढ़ा। पिछले वर्ष के दौरान 13.0% की तुलना में उत्खनन 2.9% बढ़ा। पिछले वर्ष के 7.9% वृद्धि दर की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र 5.7% की दर से बढ़ा। पिछले वर्ष 7.5% वृद्धि दर की तुलना में सेवा क्षेत्र में 7.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उच्चतर वैश्विक वृद्धि दर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था की धीमी विकास दर अनेक क्षणिक कारकों का योग था। इसमें विमुद्रीकरण का देर तक प्रभाव तथा जुलाई 2017 में जी.एस.टी. को लागू करने के कारण आर्थिक गतिविधियों में बाधा शामिल है। इसके अतिरिक्त मौद्रिक परिस्थिति के कठिन होने तथा ट्विन बैलेंस शीट समस्या के कारण भी नया निवेश प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 4.6% की तुलना में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) ने 4.3% की बढ़ोतरी दर्ज की। यद्यपि 2016-17 के दौरान संपूर्ण औद्योगिक विकास दर निचले स्तर पर रही परन्तु पूँजीगत वस्तु क्षेत्र तथा आधारभूत/विनिर्माण वस्तु खण्ड ने ऊँची वृद्धि दर दर्ज की जो निवेश चक्र में बढ़ोतरी की दिशा में संकेत करता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) जो वर्ष की आरंभिक अवधि में कम हुआ तथा 3.20% के स्तर पर चला आया, वह दिसंबर 2017 में 5.21% हो गया। निश्चित रूप से यह मार्च, 2018 तक 4.28% तक संयमित हो गया। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के एच.आर.ए. में बढ़ोतरी तथा खाद्य वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी के कारण महंगाई दर बढ़ गयी।

वर्ष 2017-18 के दौरान निर्यात में 10.03% की बढोत़री आयी जो पिछले 6 वर्षों में सबसे बड़ी वृद्धि थी, जबकि आयात लगभग 20% बढ़ा। इसके कारण व्यापार घाटा बढ़ गया। बढ़ते व्यापार घाटे के कारण पिछले वर्ष समान अवधि के दौरान यू.एस.डी. 11.8 बिलियन की तुलना में वर्ष 2017 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान चालू खाता घाटा (सी.ए.डी.) बढ़कर यू.एस.डी. 35.6 बिलियन हो गया। जी.डी.पी. के प्रतिशत के रुप में सी.ए.डी. 1.9% रहा जो पिछले वर्ष समान अवधि के दौरान 0.7% था। अप्रैल से दिसम्बर 2017 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यूएसडी 35.94 बिलियन रहा, जो पिछले वर्ष के युएसडी 35.84 बिलियन से कुल अधिक रहा।

जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर को आरंभ करना तथा बाद में नवंबर 2017 में जीएसटी की संरचना को तार्किक बनाना राजकोषीय क्षेत्र में प्रमुख पहल थे। वर्ष के दौरान एक अन्य राजकोषीय सुधार, बजट चक्र को एक माह पूर्व करने का सरकार का निर्णय था; जिसका सरकार के व्यय पर प्रभाव है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय घाटा निर्धारित राशि को पार कर गया तथा यह रु. 5.46 लाख करोड़ (जीडीपी का 3.2%) के बजट अनुमान की तुलना में रु. 5.92 (जीडीपी का 3.53%) रहा।

बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 8.2 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान बैंकिंग प्रणाली ने अच्छा ऋण विकास दर्ज किया तथा यह 10.3% रहा। परंतु वि.वर्ष 2016-17 के दौरान 15.3% की तुलना में जमाराशि में वृद्धि धीमी रही तथा यह 6.7 प्रतिशत दर्ज की गई। धीमी वृद्धि के लगभग 2 साल बाद ऋण वृद्धि में तेजी, अलग-अलग मात्रा में ही सही, सभी बैंकों में है तथा यह सभी क्षेत्रों में देखी जा रही है।

वर्ष के दौरान अधिकांश समय, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के अंतर्गत समावेशन (absorption) की वजह से चलनिधि अधिशेष मात्रा में उपलब्ध रही। तथापि, वर्ष के दौरान समय के साथ चलनिधि समावेशन की मात्रा घटी और फरवरी 2018 तक बाज़ार में चलनिधि की कमी हो गई और आरबीआई द्वारा चलनिधि ड़ालने की आवश्यकता पड़ी।

वित्तीय क्षेत्र में हुई गतिविधियों में से एक महत्वपूर्ण गतिविधि सरकारी प्रतिभूति के प्रतिफल में तेजी होना रही; विशेषत: अगस्त 2017 से। दस वर्षीय सरकारी प्रतिभूति पर बेंचमार्क यील्ड वर्ष के आरंभ में 6.66% से मार्च 2018 के प्रथम सप्ताह में बढ़कर 7.78% हो गयी। सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल में इस तेजी के पीछे विभिन्न वैश्विक और घरेलू कारक रहे। उनमें से महत्वपूर्ण कारक हैं- संघीय निधि दर (Federal fund rates) (अमेरिकी ट्रेजरी दर, भी), उच्चतर सीपीआई मुद्रास्फीति, कच्चे तेल की कीमतों में बढोत़री, उच्चतर सरकारी उधार आदि। तथापि, वर्षान्त तक प्रतिफल में कमी हुई, जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा उधारों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के पूर्वार्ध में ही नहीं लिए जाने (not to front-load borrowings) की घोषणा रही।

आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन मंद रहा और सार्वनजिक क्षेत्र के बैंक सबसे अधिक प्रभावित हुए। बैंकिंग सिस्टम का सकल अनर्जक अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात, मार्च, 2017 में 9.6% से बढ़कर दिसम्बर, 2017 में 10.4% हो गया। तथापि, इसी अवधि के दौरान दबावग्रस्त आस्ति अनुपात 12.0% से घटकर 11.9% हो गया।

आरबीआई द्वारा घोषित कुछ नीतिगत उपायों ने बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव के प्रभाव को कम किया है। ये हैं – बैंकों पर भारतीय लेखांकन मानकों की प्रयोजनीयता एक वर्ष के लिए आस्थगित करना, अतिदेय भुगतानों पर कुछ विशेष श्रेणी के एमएसएमई को 6 महीनों के लिए ऋणस्थगन की अनुमति देना, प्राथमिकता क्षेत्र में एमएसएमई क्षेत्र को शामिल करने के लिए निर्धारित सीमाओं को हटाना, बैंकों को चार तिमाहियों के लिए एमटीएम प्रावधानों के स्प्रेड ओवर की अनुमति देना।

आरबीआई ने अपने फरवरी, 2018 के परिपत्र में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के संबंध में एक नई रुपरेखा अधिसूचित की है, जिसमें, सभी कॉरपोरेट पुर्नरचना पैकेज. जैसे कि सीडीआर योजना, 5/25 योजना, एसडीआर और एस4ए योजना वापस ले लिए गए थे और नई समयबद्ध समाधान योजना प्रस्तावित की गई थी, जिसमें आईबीसी के अंतर्गत प्रस्तावित योजना शामिल है। नये दिशानिर्देशों में विभिन्न विशेषताओं के होते हुए भी इसने एनपीए में अत्यधिक वृद्धि के रूप में और परिणामत: प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के बढने से बैंकों पर दबाव डाला है।

2017-18 के दौरान, आरबीआई द्वारा बैंकों को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत बड़े एनपीए खातों के समाधान का आदेश दिया गया; आंरभ में 12 बड़े चूककर्ता उधारकर्ता, जो बैंकिंग सिस्टम के सकल एनपीए के 25% के भागीदार हैं और बाद में 29 बड़े खाते। यद्यपि, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान इन खातों में अन्तिम समाधान नहीं हो पाया; आरबीसी प्रक्रियाएं जारी हैं, जो वर्ष 2018-19 में बैंकों के लिए सकारात्मक परिणाम लाएंगी।

वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का रु.2.11 लाख तक का पुर्नपूंजीकरण का कार्य किया गया, जो बैंकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हुई। पुन:पूंजीकरण के साथ-साथ, सरकार द्वारा बैंकिंग सुधार उपाय भी प्रस्तावित किये गये हैं, जिसे 'इन्हैन्स्ड् एक्सेस एंड सर्विसज़ एक्सीलेंस (EASE)' नाम दिया गया है; जिसमें बेहतर ग्राहक सेवा, तेज गति से डिजिटलीकरण, ऋण मूल्यांकन प्रणाली को शक्तिशाली बनाना, संघीय उधार हेतु मानदंड, ऋण निगरानी सिस्टम, एमएसएमई क्षेत्र में ऋण सुपुर्दगी और ऋण प्रवाह में सुधार लाना, बेहतर मानव संसाधन व्यवहार आदि शामिल है।

भारतीय लेखाकंन मानक (Ind-AS) के कार्यान्वयन हेतु कार्यनीति एवं उसकी प्रगति का प्रकटन

भारतीय रिजर्व् बैंक (RBI) ने दिनांक 11 फरवरी, 2016 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें बैंकों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) कार्यान्वित करें और 1 अप्रैल, 2018 से शुरू करते हुए लेखांकन अवधियों के लिए IndAS वित्तीय विवरण तैयार करें और साथ में 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि और तत्पश्चात अवधि हेतु तुलनात्मक स्थिति भी प्रस्तुत करें। तथापि, विकास एवं विनियात्मक नीतियों पर आरबीआई की हाल की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 5 अप्रैल, 2018 में यह सूचित किया गया था कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में लंबित विधिक संशोधनों की वजह से तथा बैंकों की तैयारी के स्तर को देखते हुए, IndAS के कार्यान्वयन की तारीख को एक वर्ष के लिए स्थगित किया गया है, अर्थात यह 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगी।

वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुरूप, इस परियोजना के पर्यवेक्षण हेतु बैंक ने कार्यपालक निदेश की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की है और बोर्ड की लेखा परीक्षा समति को नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। आरबीआई की अपेक्षानुसार, बैंक ने 30 सितंबर, 2016 को समाप्त अर्धवर्ष और 30 जून, 2017 को समाप्त तिमाही हेतु स्टैंड अलोन आधार पर प्रोफार्मा वित्तीय विवरण (PFS) प्रस्तुत किया है।

आरबीआई ने अपने परिपत्र दिनांक 13 सितंबर 2017 में, विभिन्न चरणों में अग्रिमों के वर्गीकरण के संबंध में स्पष्ट किया है और पीएफएस यथा 30 जून, 2017 तैयार करते समय इनका ध्यान रखा गया है।

IndAS के कार्यान्वयन से यह अपेक्षित है कि बैंक जिस तरीके से अपने वित्तीय विवरण तैयार करता है और उन्हें प्रस्तुत करता है, उसमें काफी परिवर्तन होगा। चूंकि वर्तमान रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की तुलना में, IndAS अधिक सिद्धांत-आधारित है, उसके कार्यान्वयन में पर्याप्त मात्रा में निर्णय एवं अनुमान शामिल होंगे, विशेषकर अग्रिमों तथा निवेशों हेतु प्रावधानों के परिकलन के संबंध में ।

कार्यान्वयन की वास्तविक तारीख तक तैयारी सुनिश्चित करने हेतु बैंक, विभिन्न नीति-निर्णयों और कार्यान्वयन कार्यनीतियों तथा समय सीमाओं का मूल्यांकन भी कर रहा है। संबंधित स्टाफ सदस्यों को IndAS के सुचारू कार्यान्वयन हेतु ज़रूरी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

ऐसे क्षेत्र जहां IndAS के कार्यान्वयन एवं उससे संबंधित विभिन्न अन्य मुद्दों के संबंध में बैंक चुनौतियों का सामना कर रहा है, वहां आरबीआई तथा अन्य औद्योगिक निकायों, जैसे भारतीय बैंक संघ, से उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु बैंक आरबीआई से निरंतर संपर्क में रहेगा।

कारोबारी समीक्षा

1. संसाधन संग्रहण :

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बचत जमाराशियों में 2.86% तथा चालू जमाराशियों में 8.86% की वृद्धि हुई है। कासा जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 3.71% की वृद्धि दर्ज की गयी है। एच.एन.आई. सेगमेंट (औसत तिमाही शेष रु 1 लाख एवं उससे अधिक) में बचत खण्ड में वर्ष-दर-वर्ष 0.33% तथा चालू खाता जमा में 14.85% वृद्धि दर्ज की गयी। मार्च 2018 में कासा अनुपात वर्ष-दर-वर्ष 39.84% से बढ़कर 41.43% हो गया। रु.1 करोड़ से कम खुदरा मीयादी जमा का हिस्सा वर्ष-दर-वर्ष 7.04% बढ़ा तथा यह कुल मीयादी जमाराशियों का 83.36% है।

2. अग्रिम :

बैंक का सकल अग्रिम 4.52% की कमी के साथ रु.3,93,788 करोड़ से रु.3,75,995 करोड़ के स्तर तक कम हो गया। सकल घरेलू ऋण में 2.72% की वृद्धि हुई तथा यह यथा 31.03.2017 के रु.2,85,725 करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2018 को रु.293,500 करोड़ हो गया। वर्तमान वर्ष के दौरान जोखिम के विविधीकरण के लिए बैंक ने रिटेल तथा एसएमई अग्रिमों पर ध्यान केन्द्रित किया है जिसमें ज्यादा प्रतिफल भी है। 10 लार्ज कॉरपोरेट शाखाओं तथा 31 मिड कॉरपोरेट शाखाओं के माध्यम से बैंक कॉरपोरेट/मिड कॉरपोरेट ग्राहकों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। रिटेल, एसएमई तथा कृषि क्षेत्र के अन्य ग्राहकों की आवश्यकताएं 5186 शाखाओं के नेटवर्क तथा विशेषीकृत प्रसंस्करण केन्द्रों के माध्यम से पूरी की जाती हैं। बैंक के 29 विदेशी केन्द्र निर्यातकर्ताओं तथा विदेशी ग्राहकों की ऋण आवयश्यकताओं को पूरा करते हैं।

3. रिटेल :

वर्ष के दौरान आवास ऋण सेगमेन्ट रु.22,248 करोड़ से बढ़कर रु. 26,616 करोड़ हो गया और उसमें 19.63% की वृद्धि दर्ज की गयी। 2015-2022 के दौरान लागू किये जा रहे "सभी के लिए आवास (शहरी)" मिशन पहल के अंतर्गत भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का आरंभ बैंक ने किया है। कम ब्याज दर, लम्बी चुकौती अवधि तथा लचीले चुकौती विकल्प वाले संपत्ति पर ऋण (एल.ए.पी.) की राशि रु.5617 करोड़ से बढ़कर रु.6963 करोड़ हो गयी और उसमें 23.96% की वृद्धि दर्ज की गयी। शिक्षा ऋण क्षेत्र 7.05% की वृद्धि के साथ रु.3121 करोड़ से बढ़कर रु.3341 करोड़ हो गया। पढ़ो परदेश योजना (विदेश में अध्ययन के लिए अल्प संख्यक वर्ग के छात्रों के लिए ब्याज सब्सिडी) के अंतर्गत भी वित्तपोषण किया गया। वर्ष के दौरान वाहन ऋण क्षेत्र में भी रु.3495 करोड़ से बढ़कर रु.4476 करोड़ हो गया और उसमें 28.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। बैंक ने मारूति-सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुन्डई मोटर्स तथा महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा के साथ गठजोड़ किया है। हमारा बैंक पीएसयू/पीएसई/प्रतिष्ठित कॉरपोरेटस/संस्थानों के नियोक्ता के साथ गठजोड़ व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारियों को व्यक्तिगत ऋण देता है।

4. लघु व मध्यम उद्यम:

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) एक महत्वपूर्ण खण्ड है तथा यह देश के विनिर्माण जीडीजी में लगभग 6.11%, विनिर्माण उत्पादन में 33.4% तथा निर्यात में लगभग 45% योगदान करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक क्षेत्र के ऋण के लक्ष्यों तथा वर्गीकरण के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है। संशोधित दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार सेवाओं के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रति उधारकर्ता रु.5 करोड़ तथा मध्यम उद्यमों को रु.10 करोड़ की लागू ऋण सीमा हटा दी गयी है। तदनुसार एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अंतर्गत निवेश एवं उपकरण की शर्तों के अनुसार यथा परिभाषित, सेवाओं को प्रदान करने में शामिल एमएसएमई क्षेत्र को सभी बैंक ऋण बिना किसी ऋण सीमा के प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत माने जायेंगे। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया तथा डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों पर फोकस ने बैंक स्तर पर एमएसएमई ऋण में महत्वपूर्ण बदलाव लाये हैं।

कार्य-निष्पादन

- एमएसएमई क्षेत्र को ऋण के संबंध में बैंक का कार्य-निष्पादन यथा 31 मार्च 2018 निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित है -

(राशि करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018	2016 की तुलना में यथा मार्च 2017 वर्षानुवर्ष अभिवृद्धि (%)	2017 की तुलना में यथा मार्च 2018 वर्षानुवर्ष अभिवृद्धि (%)
कुल एमएसएमई	48206	51086	54285	5.97	6.26

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 184887 नये खाते खोले गये हैं जिनकी कुल स्वीकृत सीमा रु. 12,413.77 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान संवितरण रु.11,183.34 करोड़ था तथा बकाया राशि यथा 31.03.2018 रु.9418.80 करोड़ है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान यथा 31.03.2018 को मुद्रा के अंतर्गत संवितरण रु. 5800 करोड़ के बजट की तुलना में रु.5397.76 करोड़ था। इस प्रकार 361708 खातों के साथ आबंटित बजट का 93.06% लक्ष्य प्राप्त किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान रु.223.11 करोड़ की कुल स्वीकृत सीमा के साथ 1083 खाते जोड़े गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्टैण्ड अप इंडिया के अंतर्गत 5185 खातों के साथ 943.18 करोड़ के कुल स्वीकृत सीमा का समेकित आंकड़ा है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान हमने सीजीटीएमएसई के अंतर्गत 29,830 नये खाते कवर किये हैं जिनकी कुल गारंटी राशि रु.3474.58 करोड़ है तथा सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर किये गये समेकित खाते 340862 हैं तथा यथा 31.03.2018 इनकी कुल राशि रु.21685.17 करोड़ है।
- एमएसएमई खण्ड के अंतर्गत कुल एनपीए 20% तक सीमित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 17-18 की प्रमुख विशेषताएं

- TReDS : एमएसएमई ग्राहकों के बिल बट्टाकरण के लिए आरएक्सआईएल द्वारा आरंभ किये गये TReDS प्लैटफार्म पर हम चले गये हैं।
- हमने एमएसएमई के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के बजट को पार किया है।
- सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत विनियामक लक्ष्य को प्राप्त किया है जिसका यथा 31.03.2018 कुल बकाया एएनबीसी का 7.96% है। यह स्थिति एएनबीसी के 7.5% लक्ष्य के विरूद्ध है।
- एमएसएमई उधारकर्ताओं को ज्यादा कार्यशील पूंजी प्रवाह/उधारकर्ताओं को कार्यशील पूंजी की स्वीकृति की सीमा को न्यूनतम 20% से बढ़ाकर 25% करने के लिए बैंक ने अब अपनी नीति में संशोधन किया है। इसके अतिरिक्त डिजिटल रूप से संव्यवहार करने वाले इन एमएसई उधारकर्ताओं के लिए कार्यशील पूंजी सीमा, डिजिटल भाग के लिए कार्यशील पूंजी सीमा का वर्तमान 20% से बढ़ाकर 30% कर दी गयी है।
- बढ़ी हुई कार्यशील पूंजी सीमा तथा इनपुट क्रेडिट के लिए जीएसटी का अनुपालन करने वाले ग्राहकों हेतु नये उत्पाद का आरंभ किया गया।
- जूते, वस्त्र, शीशा, दवा इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित ऋण के अंतर्गत नई योजनाओं को पहचाना तथा अनुमोदित किया गया।

एमएसएमई के अंतर्गत वृद्धि के लिए रणनीति

- कम जोखिम भार वाले अस्ति तथा रु.5 करोड़ से कम के ऋण पर अधिक ध्यान देना (विनियामक रिटेल)।
- एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह चैनलीकृत करने के लिए वर्तमान 100 के अतिरिक्त 107 एसएमई केन्द्रित शाखाओं की पहचान।
- एमएसएमई उधारकर्ताओं को मदद करने के लिए हमारे सभी प्रशासनिक कार्यालयों में एसएमई नोडल अधिकारी तथा सभी एसएमई

केन्द्रित शाखाओं में रिलेशनशिप प्रबंधकों की पहचान की गई है।

- एमएसएमई क्षेत्र को नकद प्रवाह आधारित वित्तपोषण को गति देना।
- जीएसटी पंजीकृत उधारकर्ताओं को जीएसटी विवरण पर आधारित कार्यशील पूंजी वित्तीयन आरंभ किया गया।
- महत्वपूर्ण उद्योग आधारित खण्ड तथा बाजार की विभिन्न अलग-अलग उत्पादों के माध्यम से वृद्धि।
- समान ऋण मानदण्ड तथा किसी विशेष क्लस्टर में सभी उधारकर्ताओं के लिए समान दर पर क्लस्टर आधारित ऋण पर ज्यादा बल देना।
- एमएसएमई वित्तपोषण में आसानी तथा समुचित सावधानी विधि के सुधार के लिए फिन्टेक के प्रयोग को विकसित करना।
- सिडबी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ कॉन्टैक्टलेस ऋणों के क्षेत्र में प्रवेश किया।
- संभावित व्यवसाय के लिए उद्यमी मित्र पोर्टल का अधिक प्रभावी प्रयोग।
- औद्योगिक संघों/वाणिज्यिक चैम्बर/कैम्प आयोजन इत्यादि के द्वारा ज्यादा लिंकेज के माध्यम से उद्यमियों तक पहुँचना।
- वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों तथा कार्यशालाओं के माध्यम से उधारकर्ताओं को क्रेडिट प्लस सेवाओं की जानकारी देना।
- TReDS प्लैटफॉर्म पर जाना तथा इस प्लैटफार्म के माध्यम से एमएसएमई के अंतर्गत अच्छी-खासी वृद्धि की उम्मीद करना।
- एफओएस तथा रिलेशनशिप मैनेजरों में बढ़ोत्तरी के साथ हमारे एसएमई प्रसंस्करण केन्द्रों को मजबूत करना।
- मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, पीएमईजीपी, एनयूएलएम योजनाओं के अंतर्गत वृद्धि को लक्ष्य करना।
- ग्राहकों के वैलेट शेयर को बढ़ाने के लिए, संदर्भित व्यवसाय प्राप्त करने के लिए तथा यदि कुछ समस्या हो तो उसे दूर करने के लिए हमारी सभी शाखाओं में ग्राहक बैठकें आयोजित करना।
- सीजीटीएमएसई के अंतर्गत नये नियमों का लाभ उठाना।
- पुनरूज्जीवन फ्रेमवर्क के माध्यम से उन सभी एसएमए-1/2 एमएसएमई खातों की पहचान करना जिन्हें मदद की आवश्यकता है।
- चैनल क्रेडिट के माध्यम से एमएसएमई के अंतर्गत उद्योगों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के निधीयन के लिए उद्योगों के साथ टाई-अप।
- विभिन्न विनियामक तथा आंतरिक बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शाखाओं को सक्रिय करने के लिए हमारे घर-घर दस्तक योजना के माध्यम से मेगा संवितरण कैम्प आयोजित करना।

5. कृषि वित्त :

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम :

ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थापित अपनी शाखाओं एवं 43 कृषि बैंकिंग केन्द्रों (एबीसी) के नेटवर्क के माध्यम से बैंक प्राथमिक तथा कृषि क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रहा है। बैंक ने प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रु.1,21,691 करोड़ (एएनबीसी का 40.80%) का शानदार स्तर प्राप्त किया है। इसमें कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रु.51938 करोड़ (एएनबीसी का 18.58%) है तथा कृषि के अंतर्गत भी लघु एवं सीमांत किसानों को रु.23858 करोड़ का (एएनबीसी का 8.45%) ऋण शामिल है। एसएमई के अंतर्गत रु.51678 करोड़ दिया गया है, जिसमें एमएसएमई सूक्ष्म क्षेत्र में रु.24,051 करोड़ (एएनबीसी का 7.54%), शिक्षा में रु.3226 करोड़, आवास में रु.13690 करोड़ तथा अन्य श्रेणी में रु.1159 करोड़ शामिल है। वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत बैंक की शाखाओं ने वर्ष के दौरान रु.27,617 करोड़ संवितरित किये। लचीले रूप से ऋण उपयोग के लिए बैंक ने रु.2978 करोड़ की ऋण सीमा के साथ 171908 केसीसी जारी किये हैं। विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत बैंक कम आय वर्गों को 4% के छूट प्राप्त ब्याज दर पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। बैंक ने वर्ष के दौरान डीआरआई योजना के अंतर्गत 430 मामले स्वीकृत किये हैं जिसमें रु. 2.80 करोड़ की राशि शामिल है। यथा मार्च 2018 अल्प संख्यक समूहों को बैंक का ऋण एक्सपोज़र रु.13879 करोड़ है। कमजोर वर्गों के अंतर्गत 31.03.2018 को बकाया राशि रु.32184 (एएनबीसी का 10.90%) है। यथा 31.03.2018 खाद्य एवं कृषि उद्योग को बैंक का वित्तपोषण रु. 5573 करोड़ है। बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि, एमएसएमई - सूक्ष्म उद्यम तथा कमजोर वर्गों को ऋण के अंतर्गत विनियामक अनुपातों को प्राप्त किया है।

ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के जीवन से गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) एक महत्वपूर्ण योजना है। वर्ष के दौरान बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 27003 उधारकर्ताओं को रु.297 करोड़ ऋण संवितरित किये हैं।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)

वर्ष 2018 तक बैंक के पास 2,18,555 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का ग्राहक आधार है जिसमें से 1,23,955 एसएचजी को ऋण सुविधा से जोड़ा गया है तथा इसमें से 67,468 महिला एसएचजी हैं। ऑफ़साइट संव्यवहारों, वित्तीय तथा डाटा डिजिटलीकरण के लिए बैंक ने दोहरा बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन आरंभ किया है।

अग्रणी बैंक योजना

बैंक के पास 51 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है जो झारखण्ड (15), महाराष्ट्र (14), मध्य प्रदेश (13), उत्तर प्रदेश (07) तथा ओडिशा (2) - इन पांच राज्यों में फैली हुई हैं। इसके अतिरिक्त बैंक झारखण्ड राज्य में एसएलबीसी अग्रणी बैंक का संयोजक भी है।

बैंक को सोशल बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार - 2017 में सर्टिफिकेट ऑफ़ एक्सलेंस प्राप्त हुआ है। बड़े बैंक श्रेणी के अंतर्गत कृषि बैंकिंग के लिए संयुक्त रूप से रनर अप पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

6. वित्तीय समावेशन :

बैंक यह मानता है कि वित्तीय समावेशन के माध्यम से व्यवसाय करना व्यावहारिक है तथा इस दिशा में बैंक ने अपना दृष्टिकोण “सीएसआर” से “आर्थिक व्यवहार्यता” की ओर मोड़ दिया है। वित्तीय क्षेत्र की अपेक्षानुसार अत्यंत कम लागत के संव्यवहारों को समर्थित करने एवं संरक्षित करने हेतु आईसीटी आधारित समाधान। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) से वित्तीय समावेशन अभियान को गति प्राप्त हुई है। व्यापार संपर्की मॉडल के

नेतृत्व में आई.सी.टी. के माध्यम से उन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ने ये सेवाएं दी हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएं नहीं हैं।

स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) : बैंक झारखंड, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में 42 आरसेटी परिचालित कर रहा है। वर्ष के दौरान आरसेटी ने 1118 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये तथा 9943 अभ्यर्थियों को क्रेडिट लिंकेज सहित 30640 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि लाभकारी रोजगार के लिए उनकी मदद की जा सके।

वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श केन्द्र (एफ.एल.सीसी.) : भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी केन्द्रों में उन जिला स्थानों पर एफएलसीसी/एफएलसी स्थापित किया है जहाँ बैंक के पास अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है। बैंक की 51 एफ.एल.सी. सभी 51 जिलों में कार्यरत हैं। प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त एफएलसी मामला-दर-मामला आधार पर दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए उपचारात्मक परामर्श तथा मीडिया, कार्यशाला एवं संगोष्ठी के माध्यम से निवारक परामर्श भी देते हैं। अब तक 1508178 जरूरतमंद विपदाग्रस्त लोगों को सलाह दी गयी थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :

बैंक ने आर्यवर्त ग्रामीण बैंक (उत्तर प्रदेश), नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक - एन.जे.जी.बी. (मध्य प्रदेश), विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक - वी.के.जी.बी. (महाराष्ट्र) तथा झारखंड ग्रामीण बैंक - जे.जी.बी. (झारखंड) को प्रायोजित किया है। सभी चारों ग्रामीण बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय और शाखाएं सीबीएस प्लेटफार्म पर हैं, और इनमें सिस्टम द्वारा सृजित रिपोर्ट सुविधा उपलब्ध है। ये सभी आर.आर.बी., आर.टी.जी.एस., एन.ई.एफ.टी. तथा एटीएम प्लेटफार्म पर कार्य कर सकते हैं तथा ये 1672 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 61 जिलों को कवर करते हैं। उनका कुल कारोबार मिश्र रु.46422.52 करोड़ है तथा ये सभी इनके 4 प्रधान कार्यालय और कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालयों से नियंत्रित किए जाते हैं।

7. अंतरराष्ट्रीय :

सभी टाइम ज़ोन के 21 देशों में बैंक की कुल 29 शाखाएँ, 2 प्रतिनिधि कार्यालय, 5 अनुषंगी एवं 1 सहयोगी/संयुक्त उद्यम हैं। यथा दिनांक 31.03.2018 को बैंक के वैश्विक व्यवसाय में विदेशी परिचालन का हिस्सा 20.31% है।

विदेशी अनुषंगी एवं सहयोगी :-

1. पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके
2. बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि.
3. बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.
4. बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लि.
5. बैंक ऑफ इंडिया (यूगांडा) लि.
6. इंडो ज़ाम्बिया बैंक लि. (IZB) - संयुक्त उद्यम

जारी वर्ष के दौरान बैंक ने म्यांमार एवं दुबई में अपने प्रतिनिधि कार्यालय बंद किए हैं।

विदेशी कारोबार :

निर्यातकों तथा आयातकों का व्यापार वित्तपोषण तथा विदेशी विनिमय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना बैंक का प्रमुख एवं प्राथमिक क्षेत्र है। पूरे भारत में बैंक की 217 प्राधिकृत डीलर (ए.डी.) शाखाएं हैं। ये शाखाएं विदेशी विनिमय व्यापार संभालती हैं तथा निर्यातकों एवं आयातकों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। पूरे विश्व में 247 बैंकों के साथ बैंक का संपर्की बैंकिंग संबंध भी है। आवक धन-प्रेषण में सहायता के लिए खाड़ी के निजी विनिमय प्रतिष्ठानों के साथ बैंक की रुपया आधारित आहरण व्यवस्था है।

8. ऋण निगरानी:

रोकथाम उपचार से बेहतर है, जब खाता एनपीए हो जाता है तो प्रावधानीकरण के कारण बैंक की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका शेयर के मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ता है। निधियां अवरूद्ध हो जाती हैं और पात्र उधारकर्ताओं के लिए पुनर्निवेश हेतु उपलब्ध नहीं रहतीं।

विभाग द्वारा कमजोरी/संभावित चूक (defaults)/ अपचार (delinquencies) के लक्षणों वाले खातों की पहचान और निगरानी के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानक खाते मानक ही रहें व एनपीए न हो जाएं; विभिन्न साधनों और तौर-तरीकों का प्रयोग किया जाता रहा है :

निगरानी व नियंत्रण हेतु प्रभावशाली साधन :

1) ऋण अपचार (loan delinquency) की निगरानी हेतु पूर्व चेतावनी सिस्टम: एसएमए के अंतर्गत वर्गीकृत की गई अपनी ऋण आस्तियों की निगरानी हेतु समस्त शाखाओं और नियंत्रण कार्यालयों को एक व्यापक निगरानी माड्यूल उपलब्ध कराया गया है। कमजोरी के प्राथमिक लक्षण अर्थात विभिन्न चेतावनी संकेत (alert) सृजित करना जिसमें अतिदेय खाते शामिल है, एल/सी न्यागमन/गारंटी लागू करना, समीक्षा हेतु विलंबित खाते, नवीकरण दस्तावेजों की अवधि की समाप्ति (expiry), विलंबित निरीक्षण, 10 लाख से अधिक नकदी का आहरण, अधिक मूल्य वाले चेकों को वापस लौटाया जाना, तदर्थ/सीमा से अधिक राशि की लगातार संस्वीकृति, उच्च मूल्य वाले आरटीजीएस आदि दर्शाने वाले खातों के संबंध में पूर्व चेतावनी संकेतों को पहचानने के लिए हमारे बैंक के पास सिस्टम उपलब्ध है। इन खातों की नजदीकी से निगरानी हेतु साप्ताहिक आधार पर विभिन्न स्तरों पर समयपूर्व चेतावनी संकेत (EWS) स्थापित करने की सलाह दी जाती है। सिस्टम के अंतर्गत आंतरिक निगरानी के उद्देश्य से खातों के एनपीए हो जाने के पर्याप्त समय पूर्व अग्रसक्रिय हस्तक्षेप के लिए न्यूनतम समय सीमा सुनिश्चित करने हेतु अतिदेय खातों के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। इससे बैंक यह निर्धारण कर पाता है कि क्या चूक किसी अंतर्निहित कमजोरी के कारण हुई है या किसी तात्कालिक चल निधि/नकदी प्रवाह की समस्या के कारण से। असंतोषजनक लक्षण/समयपूर्व चेतावनी संकेत दर्शाने वाले सभी खातों चाहे ऐसे खाते वर्तमान में नियमित हों, तो भी फॉलो-अप और समयबद्ध कार्रवाई हेतु निगरानी सूची के अंतर्गत रखा जाता है ताकि गिरावट रोकी जा सके।

2) एसएमए श्रेणी की पहचान कर लेने पर हानि कम करने के उपाय आरम्भ हो जाते हैं जैसे कि नियमन, पुनर्रचना आदि के लिए फॉलोअप। आरबीआई के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप रु.5 करोड़ और अधिक की ऋण सीमा वाले दबावग्रस्त खातों की आरबीआई को साप्ताहिक आधार पर रिपोर्टिंग की जाती है।

3) एनपीए का चिन्हीकरण सिस्टम द्वारा किया जाता है। वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर अतिदेय की स्थिति दर्शाने के लिए और साथ ही उन खातों के लिए जिनमें तकनीकी खामियां जैसे, तीन महीने से अधिक से स्टॉक/क्यूआईएस विवरणी प्रस्तुत नहीं किया जाना, सीसी खातों में अपर्याप्त क्रेडिट होना/कोई भी क्रेडिट न होना आदि, जिससे कि खातों की डाउनग्रेडिंग हो सकती हो दर्शाई जाती हैं, से संबंधित डेटा समय-समय पर सृजित किया जाता है। मानक आस्तियों की डाउनग्रेडिंग रोकने के लिए इन खातों की विशेष रूप से निगरानी की जाती है।

4) ऋण प्रक्रिया लेखा परीक्षा से संवितरण पूर्व व पश्चात की शर्तों और मंजूरी की शर्तों/प्रसविदांओं के अनुपालन का सत्यापन सुनिश्चित किया जाता है। सीपीए का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि संवितरण अधिकारी ने बैंक निधियों का संवितरण करने से पूर्व प्रतिभूति के सृजन/प्रतिभूति की पूर्णता हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं ताकि कथित प्रतिभूतियों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित की जा सके।

5) हम पात्र खातों में स्टॉक व प्राप्य राशियों की समयबद्ध लेखापरीक्षा किया जाना सुनिश्चित करते हैं और जहां कहीं भी आवश्यक हो तत्पर/निवारक कदम उठाते हैं। स्टॉक लेखा-परीक्षा रु.5 करोड़ और अधिक के कार्यशील पूंजी एक्सपोज़र वाले खातों के लिए लागू है। इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाना अपेक्षित है। पूर्व चेतावनी संकेत दर्शाने वाले खातों में स्टॉक लेखा-परीक्षा अर्ध-वार्षिक आधार पर की जानी अपेक्षित है।

6) अर्निहित कमजोरी जैसे कि अनियमित स्थिति, साखपत्रों के अंतर्गत अतिदेय बिल, गारंटी लागू किया जाना, विलंबित समीक्षा आदि के लक्षण दर्शाने वाली आस्तियां, जो कि बैंक की आस्ति गुणवत्ता के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं; इनके संबंध में विभिन्न स्तरों व मंचों पर टेली/वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम विचार-विमर्श कर व इस प्रकार सभी संबंधितों को जानकारी देकर फॉलोअप किया जाता है।

7) जल्दी ही एनपीए होने वाले मामलों (quick mortality cases) में समालोचनात्मक समीक्षा की जाती है। समस्त अपचारी (delinquent) आस्तियों में जवाबदेही की जाँच भी की जाती है।

8) समय पूर्व चेतावनी संकेतों (EWS) के आधार पर खाते को रेड फ्लैग (Red Flag) किया जाता है और फॉरेंसिक लेखा-परीक्षा की जाती है। रेड फ्लैग वाले खातों, धोखाधड़ी वाले खातों, जहां हमारा एक्सपोज़र रु.50 करोड़ व अधिक है; की सूचना सीआरआईएलसी में अपलोड की जाती है। बैंक द्वारा खातों को रेड फ्लैग करने और फॉरेंसिक लेखा-परीक्षा के लिए नीति अनुमोदित की गई है।

9. एनपीए प्रबंधन :

बैंक ने एनपीए और बट्टे खाते डाले गये खातों में वसूली के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यनीतियों को आत्मसात करते हुए और आस्ति वसूली शाखाओं की शुरूआत करके तथा जमीनी स्तर पर स्टाफ के साथ मिलकर काम करके लगातार अथक प्रयास किये हैं। किये गये प्रयासों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित कार्यनीतियों में से कुछ के माध्यम से वसूली में सुधार आया है :

अस्थायी नकदी प्रवाह असंतुलन से एनपीए हुए खातों को कम से कम समय में अपग्रेड करने के उद्देश्य से उनमें परिचालन रोकना; कुल अतिदेय की वसूली के पश्चात पूरे खाते का अपग्रेडेशन करना, उस खाते की पुर्नरचना करना जिसे दीर्घावधि सहयोग की आवश्यकता हो, एनसीएलटी पर आवेदन भरना, जहाँ हम लीडर नहीं हैं वहाँ अन्य बैंकों से अनुवर्ती कार्रवाई करना, खातों मे ओटीएस द्वारा बैंक के लाभ व हानि खाते में सकारात्मक प्रभाव लाना, सरफेसी (SARFAESI) एक्ट के प्रावधान तुरन्त लागू करना; मुकदमा दायर करना और 'वैकेशन ऑफ स्टे' के लिए प्रयास (follow) करना, और डीआरटी के जरिए जल्दी-जल्दी निपटान के लिए, उन सभी मामलों में उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता घोषित करना जहाँ इरादतन चूक के स्पष्ट मामले हों। प्रक्रिया को और तेज बनाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विशाल ई-नीलामी करना, राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेना विभिन्न स्तरों पर सफ़ल रहा। जिन मामलों में मुकदमा/डिक्री फाइल कर दिया गया है अब उनकी ऑनलाइन निगरानी की जाती है। बैंक स्तर पर आयोजित की गई उन जेएलएफ़ बैठकों में अग्रसक्रिय रूप से भाग लिया जाता है जहाँ बैंक अग्रणी बैंक है या सहायता संघ (consortium) का सदस्य है।

10. ट्रेज़री :

विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) कारोबार : वर्ष 2017-18 के दौरान, मर्चंट और अंतर बैंक का कुल कारोबार क्रमश: रु.1.47 लाख करोड़ और रु.37.12 लाख करोड़ था। वर्ष के दौरान बैंक के फोरेक्स कारोबार का कुल समेकित टर्नओवर रु.38.59 लाख करोड़ था।

ट्रेज़री परिचालन व निवेश : बैंक ने 2017-18 के दौरान बाज़ार-निधियों, विदेशी मुद्रा और बॉण्ड्स के सभी क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका अदा करना जारी रखा। ब्याज आय और बाज़ार जोखिम के मध्य संतुलन बनाये रखकर बैंक ने निवेश का उच्चतर स्तर बनाये रखा। रेपो/सीबीएलओ विण्डोज़ से उधार लेने हेतु अतिरिक्त एसएलआर का उपयोग करने के लिए बैंक ने समय-समय पर एसएलआर निवेशों को विनियामक आवश्यकता के 19.50% से अधिक पर बनाये रखा। यथा दिनांक 31.03.2018 को सकल एसएलआर निवेश रु.1,12,030.26 करोड़ (कुल निवेश का 82.57%) था और गैर-एसएलआर निवेश रु.24,027.30 करोड़ (कुल निवेश का 17.66%) रहा। निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति के अनुसार किये जाते हैं और बाज़ार में होने वाले बदलावों/विनियामक आवश्यकताओं से तालमेल बनाए रखने हेतु समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी:

चिह्नित शाखाओं के लिए केन्द्रीय केवाईसी का क्रियान्वयन किया गया है।

केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री वित्तीय क्षेत्र में एकसमान केवाईसी मानदण्डों एवं केवाईसी रिकॉर्ड के आंतरिक उपयोगिता (inter-usability) के साथ ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड का केन्द्रीयकृत रिपॉजिटरी है। जब ग्राहक वित्तीय संस्था के साथ नया संबंध बनाता है तो हर समय केवाईसी दस्तावेजों की प्रस्तुति एवं सत्यापन का भार यह कम करता है। उपर्युक्त प्रोजेक्ट दिनांक 21.03.2018 को सफलतापूर्वक आरंभ किया गया है।

पूरे भारत में ईकेवाईसी पंजीकृत डिवाइस(आरडी) सेवाओं का आरंभ किया गया है

यूआईडीएआई (आधार) दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल पंजीकृत डिवाइस आधार प्रमाणीकरण/ई-केवाईसी लेन-देनों के लिए प्रयोग की जा सकती है। ग्राहक सूचना इनक्रिप्ट प्रारूप में यूआईडीएआई को भी प्रेषित की जानी चाहिए। वर्तमान में, लगभग 4100 से अधिक शाखाओं को आधार के माध्यम से ग्राहक सत्यापन एवं ग्राहक आईडी सृजित करने हेतु सक्षम किया गया है।

मोबाइल एप्लीकेशन विकास एवं एकीकरण

ए. हमने एनपीसीआई के भीम (BHIM) एप्लीकेशन के साथ समन्वय स्थापित किया है। हमने स्टार टोकन एनजी में प्रीपेड मोबाइल एवं डीटीएच रिचार्ज मोड्यूल एकीकृत किया है।

बी. हमने यूपीआई (भीम बीओआई यूपीआई) एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हमने बीबीपीएस (बीओआई बिल पे) एप्लीकेशन लांच किया है।

वेबसाइट संबंधी विकास एवं एकीकरण

ए. हमने अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट को पुन: डिजाइन किया है एवं अब हमारी वेबसाइट मोबाइल प्रतिक्रियाशील है।

बी. वियतनाम वेबसाइट का आरंभ।

सी. वेबसाइट में शामिल अन्य एकीकरण (इन्टीग्रेशन)

- ऑन लाइन आवेदन के माध्यम से बिल भुगतान रिफण्ड दावे की सुविधा
- ऑन लाइन एटीएम असफल रिफण्ड दावे की सुविधा
- ऑन लाइन असफल पीओएस रिफण्ड दावे की सुविधा
- प्री-पेड कार्ड शेष पूछताछ हेतु सुविधा

डी. हमने ऑनलाइन लीड जनरेशन को ऑपरेशनल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (OCRM) मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया है।

स्टारडेस्क में मॉड्यूल विकसित करना/स्टार डेस्क में फार्म

ए. सतर्कता पोर्टल

बी. निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा पोर्टल

सी. समवर्ती लेखा परीक्षा फीडबैक फॉर्म

डी. मार्केटिंग स्टाफ डैशबोर्ड

ई. ग्राहक सेवा समिति बैठक

इंटरनेट बैंकिंग में सुधार एवं समन्वय

इंटरनेट बैंकिंग प्रयोगकर्ताओं के लिए ट्रांजैक्शन पासवर्ड ऑनलाइन रिजनरेट करने की सुविधा का आरंभ किया गया है।

ए. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बिल भुगतान (बीबीपीएस) सेवाएं - हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग में एकीकृत बीबीपीएस सेवाएं है एवं ग्राहक अब गैस, बिजली, मोबाइल पोस्टपेड, डीटीएच हेतु भुगतान कर सकते हैं। सेवाओं में बिलर जोड़ना, बिल प्राप्त करना एवं भुगतान करना, क्विक पे शामिल है।

बी. मीयादी जमाओं को समयपूर्व बंद करना - हमने रिटेल इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग चैनल के माध्यम से उनके द्वारा खोली गयी मीयादी जमा को समय-पूर्व बंद करने के लिए आवेदन देने हेतु सक्षम बनाया है।

सी. वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) - वस्तु और सेवाकर का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन (परिचालन का माध्यम-इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एवं काउंटर पर फिनैकल के माध्यम से)।

डी. सभी जमाओं (बचत बैंक खातों सहित) हेतु ब्याज सर्टिफिकेट- देशी एवं एनआरआई दोनों के लिए। ब्याज सर्टिफिकेट ग्राहक के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा जाता है।

ई. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से 15 G/H के प्रस्तुत करने की सुविधा - ऐसे ग्राहक जिन्हें शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है उनके लिए यह विशेष सुविधा प्रदान करने हेतु एक कदम है।

एफ. इंटरनेट बैंकिंग में संपर्क विवरण को ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा।

हमारे रिटेल इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए शाखा में जाए बिना ऑनलाइन विवरण अद्यतन करने जैसे पत्राचार पता, ई-मेल आईडी एवं पंजीकृत मोबाइल संख्या की नई सुविधा प्रदान की गयी है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुभाग में आईटी संबंधी विकास

ए. सभी 4 आरआरबी में जनसांख्यिकी अधिप्रमाणन संपन्न।

बी. दोनों लोकेशनों (डीसी एवं डीआर) में आईबी सेटअप उपलब्ध है एवं कटओवर भी किया गया था। ग्राहकों के लिए अवलोकन की सुविधा उपलब्ध है।

सी. हाल ही में इंटरनेट के माध्यम से आरआरबी तक एमएमएस की सुविधा का विस्तार किया गया है।

डाटावेयरहाउस ने निम्नलिखित वृद्धियों के साथ प्रका/एनबीजी एवं आंका के लिए उच्च प्रबंधन डैशबोर्ड (ver-2) जारी किया है

उच्च प्रबंधन डैशबोर्ड, एक नज़र में, विशेष उद्देश्य अथवा कारोबार प्रक्रिया (जैसे, शाखा प्रोफाइल, कारोबार मिक्स आदि) से संबद्ध केपीआई (key performance indicators) को देखने की सुविधा प्रदान करता है। यह डाटा की त्वरित जांच के लिए ग्राफिकल रूप में जानकारी प्रदान करता है एवं इसे बैंक नेटवर्क के किसी पीसी पर अथवा इंटरनेट से बीओआई-सेफ के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

डाटावेयरहाउस की अन्य पहल

ए. एनपीए खातों में प्रावधान

बी. क्षेत्रवार खातों का वर्गीकरण

सी. सीबिल (CIBIL) रिपोर्टिंग

डी. प्रका विभागों/एनबीजी/अंचलों को एमआईएस डाटा/रिपोर्ट प्रदान करना

ई. उच्च प्रबंधन को दैनिक एनपीए रिपोर्ट प्रदान करना।

एफ. सीए-23 रिपोर्ट सृजित करना

जी. जोखिम प्रबंधन विभाग के लिए विभिन्न टाइम बकेट, ब्याज संवेदनशीलता एवं संरचनात्मक चलनिधि में बेमेल आस्ति देयता की जांच करने के लिए रिपोर्ट जनरेट करना।

शाखाओं के नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना

ए. ईथरनेट कार्ड से 1900 शाखा राउटर अपग्रेड किए गए।

बी. शाखाओं में 2700 नये राउटर इन्स्टॉल किए गए।

सी. 1200 शाखाओं को 2 एमपीबीएस बैंडविड्थ के साथ अपग्रेड किया गया।

डी. सभी शाखाएं एवं कार्यालय जल्द ही प्राथमिक 2 एमबीपीएस बीएसएनएल लिंक से अपग्रेड किए जाएंगे। मेसर्स टाटा, सिफी, भारती एवं वोडाफोन द्वारा 2 एमपीबीएस का सेकेण्डरी लिंक अपग्रेड करने हेतु 4063 शाखाओं में कार्य आरंभ कर दिया गया है।

ई. सुरक्षित नेटवर्क : हमारे नेटवर्क को सुरक्षित रखने हेतु नवीनतम, इन्ट्रूजन प्रिवेनशन सिस्टम (आईपीएस) सफलतापूर्वक इन्स्टॉल किये गये हैं।

12. जोखिम प्रबंधन :

जोखिम तथा नियंत्रण :

बैंक ने एकल और समेकित आधार पर संगत जोखिमों का अनवरत मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु तंत्र स्थापित किए हैं। जोखिम प्रबंधन, बोर्ड द्वारा संचालित कार्य है, जिसमें शीर्ष स्तर पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति होती है जिसको विभिन्न जोखिमों जैसे सीआरएमसी (ऋण जोखिम प्रबंधन समिति), एमआरएमसी (बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति) और सीओआरएम (परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति)का प्रबंधन करने के लिए उच्च कार्यपालकों की परिचालन स्तर की समितियों से सहयोग प्राप्त होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक द्वारा मुख्य जोखिम अधिकारी (CRO) की नियुक्ति की गई है।

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण शामिल है। ये प्रक्रियाएं विभिन्न नीतियों यथा उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालन जोखिम प्रबंधन, बाज़ार जोखिम प्रबंधन, डेरिवेटिव्स (Derivatives), एएलएम, विदेशी विनिमय और डीलिंग रूम परिचालनके अंतर्गत समाविष्ट हैं। सभी गतिविधियों और उत्पादों में संभावित जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी व उसका न्यूनीकरण व्यापक विश्लेषण के माध्यम से किया जाता और इसकी जांच परिचालन स्तर की जोखिम समितियों और कार्यबलों द्वारा की जाती है। चिह्नित जोखिमों के मूल्यांकन/मापन के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं वाले यंत्र व प्रणालियां, नये बेसिल अनुपालक क्रेडिट रेटिंग मॉडल, क्रेडिट लेखा-परीक्षा, बाजार जोखिमों हेतु VaR मॉडल, परिचालन जोखिम के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों की निगरानी के साथ-साथ स्वंय मूल्यांकन प्रक्रिया प्रस्तावित की गई है।

01अप्रैल 2013 से प्रभावी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण,बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत मूल्यांकन पद्धति (SMM) और परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण के आधार पर बेसिल III विनियमन के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता की गणना करना आरंभ कर दी गयी है। बैंक द्वारा विभिन्न जोखिमों, इसकी जोखिम वहन करने की क्षमता की सीमा और जोखिमों व जोखिम वहन क्षमता के संबंध में आतंरिक पूंजी के समुचित स्तर के मूल्यांकन/मापन के लिए वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (ICAAP) संपन्न की जाती है।अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में भी बैंक को संभावित प्रभाव के बारे में बेहतर जानकारी उपलब्ध करके जोखिम मूल्यांकन को और बेहतर बनाने के लिए स्ट्रेस परीक्षा प्रक्रिया मौजूद है।

बैंक के बढ़ते हुए कारोबार को देखते हुए आंतरिक नियंत्रकों को सुदृढ़ बनाकर बैंक के ब्रांड, प्रतिष्ठा और आस्तियों की सुरक्षा हेतु साइबर सुरक्षा खतरों से बचना बैंक के सूचना जोखिम प्रबंधन प्रणाली का स्पष्ट उद्देश्य है।

बैंक द्वारा तत्काल (real-time) सूचना सुरक्षा उल्लंघन प्रयासों/घटनाओं/ वारदातों की 24x7 निगरानी के लिए विभिन्न सूचना सुरक्षा परियोजनाएं कार्यन्वित की गई हैं। बैंक अपने ग्राहकों और खाता धारकों से संबंधित डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर सतर्क है और इसे साइबर हमले से सुरक्षित करने का अत्यधिक ध्यान रखता है। बैंक ने विपरीत परिस्थितियों में अनवरत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिकूल परिस्थितयों से उभरने की समुतिच क्षमता विकसित की है। बैंक द्वारा डेटा सेंटर में आबद्ध (captive) सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित किया गया है। बैंक आईएसओ 27001 (आईएसएमएस) और आईएसओ 22301 प्रमाणपत्र धारक है और PCI – DSS V3-2 प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। अन्य उन्नत सुरक्षा यंत्र जैसे विशेषाधिकार (privilege) यूजर प्रबंधन, डेटाबेस गतिविधि निगरानी, Anti-APT (web) और Anti–DDoS यंत्र कार्यान्वित कर दिये गए हैं। सुरक्षा समाधान जैसे कि Anti-APT(F&cesue) संस्थापित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। सभी संवेदनशील अनुप्रयोगों (Applications) और सेवाओं के लिए नियमित जोखिम व कमजोरी (vulnerability) मूल्यांकन प्रक्रिया समयबद्ध उपचारात्मक गतिविधियों सहित पूरी की जाती है।

13. वैकल्पिक डिलिवरी चैनल :

बैंकिंग उद्योग तेजी से बढ़ने वाला बन गया है। नोटबंदी के बाद कम नकदी वाले समाज की ओर बढ़ने की जरूरत है और इसलिए डिजिटलाइजेशन पर विशेष जोर है। बैंक ऑफ़ इंडिया न केवल विभिन्न डिजिटल उत्पाद जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भुगतान एवं स्वाइप करने के सभी प्रकार के पीओएस, क्लिक एंड पे, टच एंड पे, इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग के वितरण में शानदार निष्पादन के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि इन उत्पादों को सक्रिय किया जाए और उपयोग किया जाए। बैंक ऑफ़

इंडिया ने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए यूपीआई/भीम, भारत क्यूआर एवं आधार-पे को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। पीओएस का वितरण भी बढ़ा है और वे 16,622 से बढ़कर दिनांक 31/3/2018 को 85,980 हो गए हैं। नोटबंदी से पहले सक्रिय डेबिट कार्ड जहां केवल 35% थे वे बढ़कर 40% हो गए जो डिजिटलाइजेशन की दिशा में हमारी तेज गति को दर्शाता है। हमने सभी कार्डों के लिए बीओआई स्टार लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू किया है तथा धनराशि के सहज अंतरण और विभिन्न सेवाओं के भुगतान हेतु "चिल्लर" मोबाइल एप शुरू किया। हमने अपने पीओएस की उपयोगिता बढ़ाने हेतु गतिशील मुद्रा परिवर्तन के लिए कोब्रांडेड प्रीपेड कार्ड शुरू किए हैं और पूरे भारत में 2594 डिजिटल गाँव बनाने हेतु पहल की है।

14. संव्यवहार बैंकिंग :

डिजिटल बैंकिंग के जरिए ग्राहकों, विशेष रूप से लार्ज कॉरपोरेट, सरकारी संगठन और उच्च निवल मालियत वाले व्यक्तियों के "नकदी प्रवाह" का प्रबंधन करके बैंक के लिए थोक आय और फ्लोट सृजित करने के लिए बैंक ने एक अलग संव्यवहार बैंकिंग विभाग स्थापित किया है। स्टार नकदी प्रबंधन सेवा (सीएमएस) हब में चेक वसूली, पीडीसी वसूली और प्रत्यक्ष ऋण अधिदेश, अन्य सेवाएं जैसे नकदी प्रबंधन सेवाएं (घर-घर बैंकिंग), ऑनलाइन शेयर व्यापार – (3 in 1 A/cs, ASBA, SYND-ASBA), पेमेंट गेटवेज, एनपीसीआई प्लैटफॉर्म पर NACH क्रियाकलाप और स्टार चैनल वित्त का परिचालन शामिल हैं। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विभाग ने रु.49.40 करोड़ की आय सृजित की है।

15. थर्ड पार्टी उत्पाद प्रभाग :

जीवन बीमा :

बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए बैंक की संयुक्त उद्यम जीवन बीमा कंपनी, स्टार यूनियन दाई-इचि जीवन बीमा कं.लि. के साथ अपना कॉरपोरेट एजेंसी समझौता जारी रखा है। बैंक के पास शाखाओं में 7400 से अधिक आईआरडीएआई अर्हता प्राप्त विशेषज्ञ कर्मचारी उपलब्ध हैं। बैंक, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत अपने रिटेल, आवास और शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं को कम प्रीमियम पर वैकल्पिक जीवन बीमा सुरक्षा प्रस्तावित करता है। बैंक ने रु. 886 करोड़ का प्रीमियम संग्रहीत किया, इस प्रकार रु. 75.79 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की।

साधारण बीमा :

साधारण बीमा उत्पादों के लिए बैंक का नेशनल इन्शोरेंस कं.लि. (एनआईसीएल), रिलायंस जनरल इन्शोरेंस कं.लि. एवं द न्यू इंडिया एशुरेंस कं.लि. के साथ भी कॉरपोरेट एजेंसी समझौता है। बैंक का को-ब्राडेंड स्वास्थ्य बीमा उत्पाद - बीओआई नेशनल स्वास्थ्य बीमा, एक फैमिली फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा है जो कम प्रीमियम पर बैंक ऑफ़ इंडिया के खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। बैंक द्वारा सामान्य बीमा कारोबार से रु. 28.15 करोड़ का कमीशन अर्जित किया गया।

एकल (स्टैंडअलोन) स्वास्थ्य बीमा:

बैंक ने स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा श्रेणी के तहत स्टार हेल्थ एंड एलाइड इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस प्रकार बैंक ने प्रीमियम के तहत रु 17 करोड़ जुटाए तथा आय के तहत रु. 2.48 करोड़ अर्जित किए।

म्यूचुअल फंड उत्पाद:

बैंक हमारे ग्राहकों की सभी वित्तीय जरूरतों के लिए हमारी अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी BOI-AXA म्यूचुअल फंड के साथ-साथ 10 आस्ति प्रबंधन कंपनियों के विभिन्न म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए लगातार एक बिक्री केन्द्र का कार्य कर रहा है। बैंक ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान म्यूचुअल फंड कारोबार से रु. 9.28 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

16. विपणन एवं प्रचार विभाग :

बैंक के छवि निर्माण की साथ-साथ उत्पादों एवं सेवाओं की दृश्यता को बढ़ाने के लिए बैंक का प्रचार एवं जन-संपर्क विभाग मल्टी मीडिया कॉरपोरेट अभियान का कार्यान्वयन करता है। विभिन्न मीडिया संबंधी योजना के माध्यम से देशभर में बैंक के विविध उत्पादों का प्रचार-प्रसार, बैंक की थीम लाइन "रिश्तों की जमापूँजी" के साथ किया जाता है। रेडियो चैनलों और टेलीविजन प्लेटफॉर्म से बैंक के उत्पादों का प्रचार-प्रसार जोरदार ढंग से किया गया है। प्रिंट मीडिया में बड़े राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और विभिन्न प्रमुख पत्रिकाओं तथा OOH गतिविधियों यथा होर्डिंग/बिल बोर्ड/गैट्रीज के जरिए बैंक के उत्पादों का प्रचार किया जाता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक को ABCI वार्षिक अवॉर्ड समारोह में "बेस्ट कॉरपोरेट फिल्म श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

17. कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास :

बीपीआर विभाग बैंक में मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ चेंज मैनेजमेंट के अन्य पहलुओं जिसमें संगठनात्मक संरचना, उत्पाद एवं नीतियाँ शामिल है में सुधार लाने के लिए कार्य करता है। 2017-18 के दौरान ग्राहक केन्द्रित मुख्य पहल की गयी :-

1. **"प्रोजेक्ट - कनेक्ट" के तहत - क्षेत्र प्रबंधक के नाम से एक नये क्लस्टर का आरंभ :**

   निकटवर्ती शाखाओं (स्केल III तक) के समूह बनाकर, देश भर में 112 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनका नेतृत्व स्केल IV/V के अधिकारी करेंगे और पांच पांडव (5 अधिकारियों की टीम) उनकी सहायता करेंगे। क्षेत्र प्रबंधक कार्यालय (AMO) निरंतर क्लस्टर की शाखाओं के संपर्क में रहेंगे और सक्रिय फील्ड सहायता, मार्गदर्शन एवं निर्णय/निपटान द्वारा समूह की प्रत्येक शाखा में कारोबार एवं नियंत्रण संबंधी सभी मुद्दों का समाधान करेंगे।

2. **स्टार प्राइम सेट-अप बनाना/प्राइम क्लायंट केयर हेतु वर्टिकल :**

   बैंक में घरेलू कारोबार का 48% कारोबार स्केल IV एवं V शाखाओं द्वारा जनरेट होता है। अपने प्रमुख ग्राहकों का उचित ध्यान रखने और समय से कारोबार वृद्धि मुहिम और उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के क्रम में, स्टार प्राइम वर्टिकल बनाया गया है जिसमें महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, चयनित एनबीजी में 6 सीआरई एवं आंचलिक कार्यालय में कई आरएसएम होंगे।

3. **डिजी (DIGI) शाखाएं :**

अतिविशिष्ट ग्राहक अनुभव, खुदरा कारोबार में वृद्धि, एवं डिजिटल बैंकिंग के विस्तार हेतु 112 डिजी शाखाओं (पूर्व बीओटीएफ प्रोजेक्ट को पुनर्निर्मित करके) का आरंभ किया गया है।

4. **आरईआरए प्लस खाता (सीडी उत्पाद) :**

रेरा (RERA) प्लस खाता अर्थात् रेरा (RERA) अनुपालन निलंब खाता एवं बिल्डर्स् एवं डेवलपर्स के लिए चालू नियमित सीडी खाता का सम्मिश्रण; का आरंभ किया गया।

5. **शाखाओं का वर्गीकरण :**

सही स्टाफ एवं ग्राहक सेवा प्रस्तुति की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित मानदण्डों के तहत शाखाओं का पुन: वर्गीकरण किया गया है।

6. **स्टार परामर्श - स्टाफ परामर्श योजना :**

सम्मेलन, कॉनक्लेव एवं प्रशिक्षण केन्द्रों सहित सभी फोरम पर स्टाफ द्वारा दिए गए सभी विचारों एवं सुझावों को शामिल करने के लिए योजना में विस्तार किया गया है। चयन किए गए सुझावों की निगरानी एवं शीघ्र कार्यान्वयन के लिए 6 महाप्रबंधकों की कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान 1638 सुझाव प्राप्त हुए जिसमें से 178 सुझावों का कार्यान्वयन के लिए चयन किया गया एवं 18 को पुरस्कृत किया गया।

18. निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा :

बैंक के पास जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, जोखिम आधारित प्रबंधन लेखापरीक्षा (घरेलू), समवर्ती लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा तथा विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा पर बोर्ड अनुमोदित नीति है। इन नीतियों को, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन करने तथा आरबीआई एएफआई रिपोर्ट में उल्लिखित क्षेत्रों को कवर करने तथा साथ ही बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के निर्देशों के अनुसार समीक्षित/संशोधित किया गया। 2017-18 के दौरान, विभाग ने 5082 शाखाओं की लेखापरीक्षा आयोजित की। समवर्ती लेखापरीक्षा में एफसीए द्वारा 750 शाखाओं, ट्रेजरी शाखा, डाटा सेंटर तथा प्रधान कार्यालय के विभागों को कवर किया जाता है तथा बैंक के आंतरिक अधिकारियों द्वारा सभी विदेशी शाखाओं को कवर किया गया है। समवर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा वैश्विक जमा के 60% से अधिक और वैश्विक अग्रिम के 80% से अधिक को कवर किया गया।

बैंक ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु समय-समय पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं:

- "उच्च जोखिम तथा अधिक" रेटिंग वाली शाखाओं में विवेकाधीन लेखापरीक्षा आयोजित की गई।
- लेखापरीक्षाधीन शाखाओं में निवारक सतर्कता उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन।
- निर्यात संव्यवहारों/आयात अग्रिम विप्रेषणों से संबंधित संव्यवहारों की जांच/सत्यापन के लिए चयनित प्राधिकृत डीलर शाखाओं की विशेष लेखापरीक्षा।
- बैंक के आंतरिक सूचना सिस्टम लेखापरीक्षकों द्वारा डाटा सेंटर तथा आपदा रिकवरी साइट की आईएस लेखापरीक्षा।
- ब्याज मानदंडों के सत्यापन, ब्याज प्रक्रिया को लागू करने तथा नमूना खातों में ब्याज की जाँच को सुनिश्चित करने हेतु डाटा सेंटर की समवर्ती लेखापरीक्षा।
- शीर्ष प्रबंधन, कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को सभी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की निर्देशों के अनुसार नियमित रिपोर्टिंग की जाती है।
- बैंक में समवर्ती लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, प्रबंधन लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया ऑनलाइन है।

19. विधि एवं सूचना का अधिकार अधिनियम :

बैंक का विधि विभाग एक सहायक विभाग के रूप में कार्य करता है और प्रधान कार्यालय तथा अंचल के कार्यात्मक विभागों से उभरे मामलों पर सलाह, प्रलेखीकरण, मुकदमों के लिए सहयोग प्रदान करता है। एनबीजी/अंचल, घरेलू शाखाओं/विदेशी शाखाओं तथा बैंक के अनुषंगियों के निर्दिष्ट मामलों के कार्य करने के साथ, यह विभाग विभिन्न संविदाओं के प्रलेखों का प्रारूपण/संवीक्षा/ सेवा स्तरीय करार (एसएलए), सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की खरीद, टाईअप व्यवस्थाएं/नए उत्पाद, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, आईबीए के प्रश्नों का उत्तर देने, शेयर संचार मामलों पर राय तथा बैंक के विरूद्ध दावे से संबंधित मामलों के संबंध में भी कार्य करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदनों का अधिनियम के अनुरूप उत्तर दिया जाता है। अंचलों/एनबीजी में केंद्रीय जनसूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। उपमहाप्रबंधक (विधि) बैंक के सीपीआईओ हैं। महाप्रबंधक, विधि अपीलीय अधिकारी हैं। विभाग संविधियों पर संशोधनों के बारे में एनबीजी/अंचलों को दिशानिर्देश जारी करता है।

20. अनुपालन विभाग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक के लिए एक अनुपालन कार्यनीति बैंक के बोर्ड द्वारा स्वीकार की गई है । बैंक में महाप्रबंधक श्रेणी के मुख्य अनुपालन अधिकारी के नेतृत्व में स्वतंत्र अनुपालन विभाग कार्य कर रहा है। बैंक के घरेलू और विदेशी परिचालन दोनों के लिए बैंक की सांविधिक, विनियामक एवं आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, इसका कार्य का क्षेत्र है। विभाग ने बैंक के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के घरेलू परिचालन हेतु एवं निष्पादन/निगरानी के लिए अनुपालन नियम तैयार किए हैं जो निम्नलिखित है;-

1. अपने ग्राहक को जानिए /धनशोधन निवारण /आंतकवाद को वित्तपोषण का प्रतिरोध
2. जमाराशियां एवं सेवाएं
3. अग्रिम
4. फेमा (एफईएमए)

इन नियमों के आधार पर छमाही अनुपालन निरीक्षण का (नमूने के आधार पर) कार्य शुरू किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के तहत निर्धारित ट्रांश III संबंधी अनुपालन नियमों के लिए भी परीक्षण जांच की जा रही है।

विदेश स्थित प्रतष्ठिान लागू विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं और तत्संबंधी पुष्टि प्रस्तुत करते हैं प्रत्येक विदेशी शाखाओं में अनुपालन अधिकारियों द्वारा त्रैमासिक अनुपालन जांच की जाती है ।

बैंक में अपने ग्राहक को जानिए (KYC)/ धनशोधन निवारण (AML) आंतकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (CFT) दिशानिर्देशों को लागू करने / निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी विभाग को दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार सभी खातों में केवाईसी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। धनशोधन अधिनियम 2002 (PML Act) के प्रावधान तथा अनुवर्ती संशोधन के अनुसार इसके तहत और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ नियम बनाएं गए हैं। बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित KYC/AML/CFT नीतियों को प्रस्तुत किया है। तद्नुसार शाखाएं प्रत्येक ग्राहक की यथार्थ रूप से पहचान नवीनतम फोटोग्राफ एवं पहचान/निर्धारित अधिकारिक वैध दस्तावेजों (ओवीडी) में से पता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर रही है ऐसे व्यक्ति जिनके पास उक्त/निर्धारित अधिकारिक वैध दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज़ नहीं है, उन्हें "लघुखाता श्रेणी" के अन्तर्गत खाता खोलने की सुविधा दी जा रही है। जोखिम बोध के आधार पर सभी ग्राहकों को उच्च, मध्यम और मंद जोखिम में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा प्रत्येक छमाही आधार पर की जाती है। विभाग, स्टाफ सदस्यों को केवाईसी/एएमएल और उसके अनुपालन से संबंधित पहलुओं पर प्रशिक्षण देना भी सुनिश्चित करता है।

अनुपालन विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित जोखिम आधारित पर्यवेक्षण हेतु नोडल संपर्क बिंदु है। बैंक के समस्त विभागों के समन्वय से (RBS) रिपोर्ट पर कारवाई की जाती है। अनुपालन विभाग सभी विनियामक एजेन्सियों के लिये सिंगल पॉइन्ट संपर्क है।

21. राजभाषा

बैंक में एक सुस्थापित राजभाषा विभाग है जो भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोगों को सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान बैंक को 'ख" क्षेत्र में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। 'ख" क्षेत्र में नराकास श्रेणी में बैंक के नागपुर तथा रत्नागिरी अंचलों को क्रमश: प्रथम तथा द्वितीय राजभाषा क्षेत्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राजभाषा हिन्दी के बेहतरीन कार्यान्वयन के लिए पूरे भारत में अन्य अंचलों को 19 पुरस्कार/एवार्ड प्राप्त हुए हैं। बैंक ने 149 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया है तथा उनके हिन्दी भाषा संबंधी कौशल को विकसित करने के लिए 3426 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। विश्व हिन्दी दिवस (10 जनवरी 2018) के अवसर पर पूरे देश में 394 विद्यालयों में वाद-विवाद तथा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 7253 छात्रों ने भाग लिया। स्टाफ सदस्यों के राजभाषा संबंधी कौशल को बढ़ाने तथा अपग्रेड करने के लिए राजभाषा ई-लर्निंग मोड्यूल विकसित किया गया है तथा एच.आर.एम.एस. में रखा गया है। 15 अगस्त से 14 सितंबर 2017 तक हिन्दी माह मनाया गया जिसमें दैनिक कामकाज़ में हिन्दी के प्रयोग में रुचि विकसित करने के लिए कर्मचारी सदस्यों के लिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

22. मानव संसाधन, अध्ययन एवं विकास और गृहपत्रिका :

एचआर रूपांतरणीय कार्यनीति; क्षमता संवर्धन पर ज़ोर दिया जा रहा है जिससे समुचित कौशल युक्त मानव शक्ति की उपलब्धता, वर्तमान मानवशक्ति का इष्टतम उपयोग तथा कौशल में कमी को पूरा करते हुए मानवशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। कारोबार कार्यनीति योजना के अनुरूप वर्तमान एवं भविष्य के मानव संसाधनों की उपलब्धता; उभरते समय के साथ कदम-से-कदम मिलाने हेतु मानव संसाधन रूपांतरण पर निरंतर ध्यान देना। वर्ष के दौरान बैंक ने 872 सामान्य बैंकिंग अधिकारी, 381 विशेषज्ञ अधिकारी और 2575 लिपिक भर्ती किए हैं। कॉरपोरेट क्रेडिट, ऋण जोखिम, कोषागार, आईटी और विपणन जैसे क्षेत्रों में मानव कौशल में कमी को पूरा करने हेतु बैंक निरंतर प्रयासरत है।

आरक्षण नीति का अनुपालन :

बैंक, भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहा है। प्रधान कार्यालय और आंचलिक कार्यालयों में भर्ती अनुभाग एवं एससी/एसटी कक्ष आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं तथा एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों का निवारण करते हैं। प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधकों को एससी/एसटी एवं ओबीसी हेतु मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप पद-आधारित आरक्षण रोस्टर रखे जाते हैं।

एससी/एसटी/ओबीसी स्टाफ (भारतीय) का प्रतिनिधित्व :

मार्च-2018	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	कुल
कुल	21198	19989	7493	48680
एससी	3768	3242	2494	9504
कुल स्टाफ की तुलना में %	17.78	16.22	33.28	19.52
एसटी	1791	2233	825	4849
कुल स्टाफ की तुलना में %	8.45	11.17	11.01	9.96
ओबीसी	4762	4576	1671	11009
कुल स्टाफ की तुलना में %	22.46	22.89	22.30	22.62

अध्ययन एवं विकास :

एक अलग कक्ष अध्ययन एवं विकास हेतु कार्यरत है जो प्रशिक्षण प्रदान करने और प्रतिभा विकास कार्यक्रम के लिए कार्यरत है। बैंक ने कर्मचारियों

की दक्षताओं को बढ़ाने और विभिन्न खंडों में निरंतर बदलती व्यावसायिक गतिशीलता को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को सही कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए ई-लर्निंग मॉड्यूल शुरू किए हैं। बैंक के प्रशिक्षण कॉलेजों ने वर्ष के दौरान आरआरबी सहित अन्य संस्थानों के 25000 स्टाफ सदस्यों और 550 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया है। सहायक महाप्रबंधकों तथा उप महाप्रबंधकों के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रम भी इन हाउस शामिल किए गए हैं। आंतरिक पदोन्नति प्रक्रिया के लिए पूर्व पदोन्नति कौशल प्रशिक्षण 2100 स्टाफ सदस्यों को प्रदान किया गया था। बैंक ने पहली बार, दृष्टिहीन विकलांग कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, ताकि वे अपेक्षाकृत अधिक संतोष और आसानी से अपने कार्य कर सकें। वर्ष के दौरान 435 छात्रों को ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप भी प्रदान की गई थी।

तारांगण (द्विभाषिक) और बीओआई वार्ता (हिंदी)

बैंक में आंतरिक संचार विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग में कॉर्पोरेट गृह पत्रिका 'तारांगण' (वर्ष 1964 से) और हिन्दी गृह पत्रिका 'बीओआई वार्ता" (सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप कर्मचारियों के मध्य हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु) शामिल हैं। आंतरिक प्रकाशन कर्मचारियों को बैंक से जोड़ने का महत्वपूर्ण उपकरण है। बैंक के प्रकाशन, कर्मचारियों को अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने, अपनी उपलब्धियों को साझा करने और विविध क्षेत्रों में अपनी सृजनात्मकता और ज्ञान को प्रदर्शित करने हेतु एक प्रभावी प्लेटफॉर्म हैं। आंतरिक गृह पत्रिकाओं देश विदेश में अंचल/शाखाओं/भारत से बाहर के कार्यालयों और विदेश में सामाजिक, प्रचार संबंधी, स्टाफ उपलब्धियाँ, पुरस्कार और अन्य कारोबारी गतिविधियों का उल्लेख होता है।

2017-18 के दौरान तारांगण को प्रतिष्ठित 'ABCI पत्रिका का वर्ष 2017 का पुरस्कार' सिंगापुर में CMO एशिया से सबसे अच्छी आंतरिक गृहपत्रिका के लिए अंतरर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बीओआई वार्ता को स्वर्ण (प्रथम पुरस्कार)8 अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

स्टार परिवार @112

बैंक के 112वें स्थापना दिवस पर, बैंक के सभी कार्यरत कर्मचारियों हेतु क्लोज्ड फेसबुक ग्रुप स्टार परिवार @112 शुरू किया गया। यह प्लेटफॉर्म जानकारी साझा करने, विविध मामलों पर सामान्य चर्चा करने और विविध दैनंदिन कारोबारी गतिविधियों, कार्यक्रमों और प्रशिक्षणों इत्यादि साझा करने हेतु उपलब्ध कराया गया है। यह पहल कर्मचारियों को बैंक से जोड़ने में सफल रहा है।

23. ग्राहक श्रेष्ठता शाखा बैंकिंग :

हमारा बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड की शुरुआत अर्थात वर्ष 2006 से, सदस्य है। हमारा बैंक पारदर्शी तरीके से उच्च स्तरीय सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा बैंक नियमित आधार पर ग्राहक अभिमुखता कार्यक्रम चलाता है और ग्राहकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है ताकि उन्हें बैंक के द्वारा प्रस्तुत विविध बैंकिंग उत्पादों पर उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।

विविध नीतियां जैसे कि ग्राहक अधिकार नीति, ग्राहक स्वीकार्यता, देखरेख और विच्छेदन नीति और शिकायत निवारण नीति इत्यादि विनियामक आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हैं। और इसमें बदलावों को शामिल करने हेतु समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इसे बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए बैंक द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित कदम उठाये गये :

1. हमारे प्रशिक्षण महाविद्यालय ने ग्राहक सेवा में सुधार करने हेतु विविध प्रशिक्षण शुरू किया है। जिसमे प्रवेश प्रशिक्षण में बैंकिंग संहिता और ग्राहक सेवा पर विस्तृत सत्र शामिल है। अग्रिम पंक्ति के स्टाफ/अधिकारियों के लिए वर्ष में कम-से-कम एक बार इस प्रकार के प्रशिक्षण में शामिल होना अनिवार्य किया गया है।

2. बैंक ने ग्राहकों और शाखाओं के लाभ हेतु ग्राहकों के अधिकारों को हमारी वेबसाइट पर हिंदी अंग्रेजी और मराठी में चित्रात्मक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है।

3. बैंक ने आंतरिक प्रणाली में टिकर (Ticker) के माध्यम से स्टाफ हेतु ग्राहकों के लिए चुनिंदा शाखाओं में एटीएम स्क्रीन/डिजिटल संकेतक प्रणाली पर और जागरूरता अभियान शुरू किया है।

4. अनुपालन सत्यापन आंतरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण रिपोर्ट में शामिल किया गया है जिसमें बेहतर ग्राहक सेवा/कोड प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में स्टाफ को जानकारी दी जाएगी।

5. हमने स्टार डेस्क पर ई-बुक रखी हैं जिसमें शिकायत निवारण नीति ग्राहकों हेतु बीसीएसबीआई कोड, एमएसएमई हेतु बीसीएसबीआई (BCSBI) कोड बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 शामिल है तथा इसे सुलभ संदर्भ हेतु सभी शाखाओं में वितरित और प्रिंट भी किया जा रहा है।

6. "बैंक ग्राहकों के अधिकार" नाम की पुस्तक को प्रिंट किया गया और सभी शाखाओं में वितरित किया गया।

7. सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम और शर्तों (MITC) को प्रिंट किया गया हैं और इसे स्वागत किट के माध्यम से सभी नये ग्राहकों को वितरित किया जा रहा है।

24. शाखा नेटवर्क और विस्तार :

बैंक का भारत और विदेश में भौगोलिक दृष्टि से शाखा नेटवर्क फैला हुआ है। यथा 31.03.2018 को भारत में बैंक की 5127 शाखायें थी। विदेशों में 29 शाखायें और 30 प्रतिनिधि कार्यालय सभी टाइम ज़ोन में बैंक की उपस्थिति को दिखाते है और सभी वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण वित्तीय केन्द्र भी हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने 8 नई शाखायें खोली जिनमें से 3 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। बैंक का शाखा नेटवर्क निम्नानुसार है-

श्रेणी	31.03.2017		31.03.2018	
	शाखाओं की संख्या	कुल का प्रतिशत	शाखाओं की संख्या	कुल का प्रतिशत
महानगरीय	875	17.07	885	17.26
शहरी	859	16.76	860	16.77
अर्द्ध शहरी	1379	26.94	1371	26.74
ग्रामीण	2010	39.23	2011	39.22
कुल घरेलू शाखायें	5123	100	5127	100
विदेशी	61		59	
कुल शाखायें	5184		5186	
विशेषीकृत	271		271	

25. बैंक की अनुषंगियां/सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम :

बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड (बीओआईएसएल)

बीओआईएसएल (BOISL), बैंक की 100% अनुषंगी है, इसमें बैंक का निवेश रु.6.64 करोड़ है। बीओआईएसएल राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (NSDL) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लि. (CDSL) दोनों निक्षेपागारों हेतु निक्षेपागार सहभागी (DP) के रूप में कार्य करता है। कंपनी महाराष्ट्र, गुजरात, नई दिल्ली, तामिलनाडु, तेलंगना, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और कर्नाटक सरकार की ओर से ब्रोकर आवर्त स्टाम्प शुल्क के संग्रहण का भी कारोबार करता है।

बीओआई एक्सा निवेशप्रबंधक प्रा.लि. तथा बीओआई एक्सा ट्रस्टी सेवा प्रा.लि. :

ये अनुषंगी, सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र विनियमन के तहत म्यूचुअल फंड और पोर्टपोलियो प्रबंधन के कारोबार में है। बैंक ऑफ़ इंडिया ने रु. 60.69 करोड़ के निवेश के साथ इन दोनों कंपनियों में 51% शेयर का धारण किया हुआ है।

बीओआई मर्चेंट बैंकर लि. (BOIMBL) :

BOI मर्चेंट बैंकर्स को 31.10.2014 को सामूहिक ऋण, बॉन्ड तथा डिबेंचर की व्यवस्था करने सहित मर्चेंट बैंकिंग कारोबार करने हेतु संस्थापित किया गया था। रु.10 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ यह बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है।

STCI फैनान्स लि.

1994 में स्थापित STCI वित्तीय लि. जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। बैंक ऑफ़ इंडिया STCI में रु.380 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ 29.96% धारिता वाला सबसे बड़ा हितधारक है। STCI प्राइमरी डीलर लि. (STCIPD), STCI फ़ैनान्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी है। STCIPD ने 25 जून 2007 से परिचालन शुरू किया तथा यह देश की अग्रणी डीलरों में से एक है।

स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इन्शेरेन्स कंपनी लि. (सुड लाइफ)

अपने ग्राहकों को जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया तथा दाई-इची लाइफ इन्शेरेन्स कंपनी, जापान ने "स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इन्शेरेन्स कंपनी" का गठन किया है। कंपनी ने फरवरी 2009 से बीमा कारोबार आरंभ किया। कंपनी में बीओआई की धारिता 28.96% (रु.75 करोड़) है, यूबीआई की धारिता 25.10% तथा दाई-इची लाइफ इन्शेरेन्स कंपनी की धारिता 45.94% है।

निवेश/गठबंधन:

केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (इंडिया) लि. को बीएसई एवं बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अन्य बैंकों के साथ 1997 में संस्थापित किया गया। CDSL की रु.104 करोड़ की प्रदत्त पूंजी में बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 5.57% है।

ASREC (इंडिया) लि. को जांच तथा आस्ति पुनर्गठन गतिविधियां करने के लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रम द्वारा शुरू किया गया था। कंपनी की रु.98 करोड़ की इक्विटी पूंजी में बैंक की हिस्सेदारी 26.02% है।

नैशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. (NCML) को नैशनल कमॉडिटि एण्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. (NCDEX) द्वारा प्रवर्तित है। यह प्रतिभूतियों तथा वस्तुओं को सुरक्षित प्रबंधन तथा नियंत्रण रखने के लिए संपार्श्विक प्रबंधन सेवाओं को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध कराने हेतु 28.09.2004 को निगमित हुआ। रु.3 करोड़ की प्रदत्त पूंजी निवेश के साथ कंपनी की इक्विटी पूंजी में बैंक की धारिता 2.34% है।

स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विस प्रा.लि. एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसे स्विफ्ट और बैंक ऑफ़ इंडिया सहित 9 प्रमुख बैंकों द्वारा प्रोन्नत किया गया है। स्विफ्ट के पास इक्विटी की 55% धारिता है और शेष 45% धारित 9 प्रमुख बैंकों के पास है। कंपनी में रु.7.71 करोड़ के निवेश के साथ बैंक ऑफ़ इंडिया की इक्विटी स्टेक 3.26% है।

एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ़ इंडिया लि. (SMERA) एक प्रमुख ऋण रेटिंग एजेंसी डन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट के सहयोग से सिडबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान SMERA की स्थापना की गई। SMERA का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय रेटिंग प्रदान करना है जिससे एर्स क्षेत्र को बड़ी मात्रा में और आसानी से ऋण की उपलब्धता होगी। रु.0.40 करोड़ के निवेश के साथ इसकी इक्विटी पूंजी में बैंक की धारिता मात्र 2.69% है।

अन्य महत्वपूर्ण निवेश :

बैंक का, CERSAI (रु.2.15 करोड़) इक्वीफैक्स क्रेडिट इन्फार्मेशन सर्विसेस लि. (रु.4.73 करोड़), यू.वी.एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कं.लि. (रु.0.15 करोड़), क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया (रु.0.50 करोड़), अग्रीकल्चरल फायनांस कारपोरेशन लि. (रु. 1.26 करोड़) SIDBI (रु.45.30 करोड़), सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन लि. (रु.1.11 करोड़), लॉस डाटा कंसोरटीयम CORDEX (रु. 1 करोड़) SBIDFHI (रु. 5.54 करोड़), NPCI (रु. 10 करोड़), MCX स्टॉक एक्सचेंज लि. (रु. 1 करोड़) CSC ई-गव्हर्नंस सर्विसेस इंडिया लि. (रु.1 करोड़) इन्वेस्ट एसेट सिक्युरीटी स्टेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. (रु.10 करोड़) में भी महत्वपूर्ण निवेश है।

26. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन :

उत्तम कारपोरेट शासन, धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। यह सच है कि धोखाधड़ी को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सक्रिय फ्रेमवर्क और दृष्टिकोण के साथ, अन्य कारोबारी जोखिमों की तरह धोखाधड़ी जोखिमों का प्रबंधन किया जा सकता है और कम किया जा सकता है।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन विभाग निम्न क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से सभी धोखाधड़ी संबंधी मामलों की देखरेख करता है-

- बैंक हेतु FRM नीति तैयार करना एवं उसका प्रशासन।
- नियत समय के भीतर आरबीआई को रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी की निगरानी करना।
- धोखाधड़ियों पर केंद्रीकृत डाटा का रखरखाव।
- की गई धोखाधड़ियों और धोखाधड़ियों के प्रयास का विश्लेषण।
- धोखाधड़ी मामलों के मूल कारणों का विश्लेषण और निदान तथा उपचारी उपायों का कार्यान्वयन, उत्पाद की कमियों के संबंध में जोखिम कम करना।
- परिपत्रों/अनुदेशों के जरिए समान प्रकृति के धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली और धोखाधड़ी के कारणों की जानकारी देना ताकि उक्त प्रकार की धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
- स्टाफ को धोखाधड़ी निवारण पर शॉर्ट अलर्ट संदेशों टिकरों/ आवधिक संदेशों एमएमएस/प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूक करना।
- धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए आवधिक अंतराल पर जाँच बिंदु परिचालित करना।
- पुलिस मामलों और एफआईआर पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- प्रधान कार्यालय में धोखाधड़ी पर कार्यबल समिति की बैठक का आयोजन करना और धोखाधड़ियों पर आंचलिक कार्यबल समिति की बैठक की निगरानी करना।
- विभाग सभी वितरण चैनलों को शामिल करने वाले नए उद्यम व्यापक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

27. सतर्कता प्रबंधन :

सतर्कता तंत्र का संचालन वित्त मंत्रालय भारत सरकार तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा किया जाता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को सतर्कता मामलों से संबन्धित मुद्दों पर तथा अनुशासनात्मक विषयों पर संबन्धित मामलों में सामान्य बैंकिंग अधिकारी जो संबन्धित पृष्ठभूमि/ज्ञान से हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। सतर्कता विभाग सतर्कता निवारक उपायों के साथ-साथ इनके प्रवर्तन और प्रसार पर भी विशेष ध्यान देता है। बैंक के एनबीजी कार्यालयों में 8 अलग "सतर्कता इकाइयां" हैं। सतर्कता विभाग बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा सलाह हेतु प्रेषित मामलों में भी उचित सलाह देता है।

28. लाभांश वितरण नीति :

सेबी - सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकता विनियमन के खंड 43A के अनुसार बैंक ने लाभांश वितरण नीति बनाई है और यह हमारी वेबसाइट - https://www.bankofindia.co.in/pdf/DDP.pdf पर उपलब्ध है।

29. कारोबार दायित्व रिपोर्टिंग 2017-18 :

सेबी - सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकता विनियमन के खंड 32(2) (एफ) के अनुसार कारोबार दायित्व रिपोर्ट, हमारी वेबसाइट - www.bankofindia.co.in पर उपलब्ध है।

30. बासेल III (स्तंभ3)-प्रकटन(समेकित)मार्च 2018 :

बासेल-III पूंजी विनियमन पर आरबीआई परिपत्रसं.DBOD.No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 जिसे पूंजी पर्याप्तता और चलनिधि मानक - संशोधनों पर आरबीआई परिपत्र सं.DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च,2015 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार बैंकों को बासेल-III के तहत लागू स्तम्भ 3 प्रकटन करना ज़रूरी है जिसमें लीवरेज अनुपात और चलनिधि कवरेज अनुपात शामिल हैं। ये प्रकटन हमारी वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:- http://www.bankofindia.co.in/english/Regdisclosuresec.aspx.

आभार

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रति उनके यथोचित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थाओं एवं संपर्ककर्ता बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। बोर्ड ग्राहकों, कारोबार सहयोगियों एवं शेयरधारकों की असीमित सहायता हेतु आभार व्यक्त करता है। साथ ही बोर्ड बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों के प्रति भी उनकी समर्पित सेवाओं और सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

बोर्ड के निदेशकों के लिए एवं उनकी ओर से

दीनबंधु मोहापात्रा
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थल : मुंबई
दिनांक : 6 जून, 2018

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

GLOBAL SCENARIO

The global growth rate, according to the International Monetary Fund (IMF), has accelerated to 3.8% in 2017 from 3.2% in 2016. The growth has remained broad based and near synchronous across countries. The advanced economies viz: US, Euro Areas posted a growth rate of 2.3% each against 1.5% -1.8% growth witnessed by them during 2016. Growth during 2017 has been boosted by recovery in investment and upsurge in global trade. Particularly, the Fixed Capital formation was stronger in advanced economies. Both the advanced economies such as Germany, US, Japan and emerging Asia experienced recovery in exports. The emerging and developing economies have clocked 4.8% growth rate while the growth rate of emerging and developing Asia has been higher at 6.5%.The acceleration in growth and fall in unemployment rate has prompted Federal Reserve to increase the federal fund rates, three times during 2017 and with latest increase in March,2018 the fund rate now stands at 1.50-1.75%. The year 2017-18 also witnessed rise in commodity prices, with uptick in inflation.

DOMESTIC ECONOMIC SCENARIO

As per the provisional estimate by Central Statistical Organization (CSO), the Gross Domestic Product (GDP) grew at 6.7% during 2017-18, slower than the previous year's growth rate of 7.1%.At the sectoral level on the basis of GVA at basic prices, the agriculture grew by 3.4% against previous year growth rate of 6.3%, mining at 2.9% against 13.0% during previous year, and manufacturing sector grew at 5.7% against previous year's growth rate of 7.9%. The services sector registered an increase of 7.9% against previous year's growth rate of 7.5%. The subdued growth rate of domestic economy during FY 2017-18 vis a vis higher global growth rate was as a result of combination of several temporary factors, such as delayed impact of demonetization and disruption of economic activities due to implementation of GST in July, 2017. Apart from this, tightening of monetary conditions and Twin Balance Sheet problem also adversely affected fresh investment.

The Index of Industrial Production (IIP) registered an increase at 4.3% during FY 2017-18 against 4.6% during FY 2016-17. Although overall industrial growth rate remained a tad lower than that during 2016-17, the capital goods sector and Infrastructure/construction goods segments witnessed higher growth rate, thus indicating uptrend in investment cycle.

The Consumer Price Index (CPI) which declined in the initial periods of the year and stood bellow 3.0% till July 2017 surged to 5.21% in December 2017. Of course, it gradually sobered down to 4.28% by March 2018. The hardening of inflation rate was due to rise in crude oil prices, increase in HRA to Central Government employees and rise in food inflation.

The exports rose 10.03% during 2017-18, the highest growth rate in six years, while imports went up nearly 20%, thus pushing up trade deficit. The Current Account Deficit (CAD) increased to USD 35.6 billion during April to December 2017 period from USD 11.8 billion during corresponding period previous year on account of widening trade deficit. As percentage of GDP, the CAD stood at 1.9% against 0.7% during the same period last year. The FDI in flow during April to December 2017 period stood at USD 35.94 billion, a little higher than last year's level of USD 35.84 billion.

On fiscal front, the major initiative was the introduction of Goods and Service Tax in July 2017 and later rationalisation of GST rate structure in November 2017. Another fiscal reform during the year was the Government's decision to advance the budget cycle by about a month, which has implications for public expenditure. The fiscal deficit during the year FY 2017-18 overshot the budgeted amount and it stood at Rs.5.92 lakh crore (i.e. 3.53% of GDP) against the budget estimate of Rs.5.46 lakh crore (3.2% of GDP).

BANKING SECTOR DEVELOPMENT

The Banking System witnessed healthy credit growth during FY 2017-18 at 10.3% against 8.2% during FY 2016-17. The deposits growth, however, remained subdued with growth rate of 6.7% against 15.3% during FY 2016-17. The resurgence of credit growth, coming after nearly two years of depressed growth, has been across all the banks, varying in degrees of course, and it has been sectorally broad based.

During the most part of the year, liquidity position remained in surplus mode, with absorptions by the RBI under Liquidity Adjustment Facility (LAF). However, during the year, the volume of liquidity absorption declined over the period and by February 2018, the market turned into deficit mode requiring injection of liquidity by RBI.

One of the significant developments in the financial sector has been the hardening of G-Sec Yield, especially from August 2017. The 10 year G.Sec bench mark yield rose from 6.66% in the beginning of the year to around 7.78% in the first of week of March 2018. The upward bias in G-sec yield was caused by a host of global as well as domestic factors. Prominent among them are rise in federal fund rate (also,US treasury rate), higher CPI inflation, rise in crude oil prices, higher government borrowings, etc. Towards the year-end, however, yield softened mainly because of announcement by the Government not to front-load borrowings in first half of FY 2018-19.

The performance of the banking sector in areas of asset quality and profitability, remained depressed and the Public Sector Banks were worst affected. The Gross Non-Performing Advances (GNPA) ratio of the Banking System rose from 9.6% in March 2017 to 10.4% in December 2017. The Stressed Assets Ratio, however, declined from 12.0% to 11.9% during the same period.

Some of the policy measures announced by the RBI has lessened the impact of stress on banking sectors. These are- deferring applicability of Indian Accounting Standards to banks by one year, allowing six months' moratorium to specified categories of MSMEs on overdue payments, removing limits stipulated for MSME sector for inclusion in priority sector, allowing banks to spread MTM provisions over four quarters.

The RBI notified a new framework of resolution of stressed assets in its Circular of February12, 2018, in which all the extant corporate restructuring packages such as CDR scheme, 5/25 scheme, SDR,

and S4A schemes were withdrawn and a new time bound resolution plan, including that under IBC, was put in place. Notwithstanding various merits in the new guidelines, it did put pressure on banks in terms of sizeable increase in NPAs and consequent rise in provisioning requirement.

During 2017-18, the RBI mandated banks for resolution of large NPA accounts under Insolvency and Bankruptcy Code, initially for 12 large defaulting borrowers accounting for 25% of the Gross NPAs of banking system and later 29 large accounts. Although final resolution in these accounts did not materialize during FY 2017-18, the IBC processes are continuing, which would bring positive results for banks in FY 2018-19.

During the year, the Government came out with recapitalization of public sector banks to the tune of Rs.2.11 lakh crore, which has come as a great relief for banks. Along with recapitalization, the Government has also introduced Banking Reforms measures called- Enhanced Access and Service Excellence (EASE), which includes better customer services, fast paced digitization, strengthening credit appraisal system, norms for consortium lending, credit monitoring system, improving credit delivery and credit flow to MSME sector, better HR practices etc.

Strategy for Ind-AS implementation and its Progress – Disclosure

The Reserve Bank of India (RBI) issued a circular on February 11, 2016 requiring banks to implement Indian Accounting Standards (Ind AS) and prepare Ind AS financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards, with comparatives for the periods ending March 31, 2018 or thereafter. However, in a recent press release by RBI on Developmental and Regulatory Policies dated April 5, 2018, it was communicated that owing to the pending legislative amendments in Banking Regulation Act, 1949 and looking at the level of preparedness of Banks, date of implementation of Ind AS has been deferred by one year i.e. it will come into effect from April 1, 2019.

In accordance with extant guidelines, Bank has constituted a Steering Committee headed by Executive Director to oversee the project and regular progress is being submitted to the Audit Committee of the Board. As required by RBI, Bank has submitted the Proforma Financial Statements (PFS) for the half-year ended September 30, 2016 and for quarter ended June 30, 2017 on stand-alone basis.

RBI in its circular dated September 13, 2017, clarified regarding classification of advances in various stages which have been considered for preparing PFS as on June 30, 2017. We await further direction from RBI in this respect.

The implementation of Ind AS is expected to result in significant changes in the manner in which the Bank prepares and presents its financial statements. Since Ind AS is more principle-based compared to present reporting requirements, its implementation would involve use of substantial amount of judgments and assumptions, especially with respect to calculation of provision for advances as well as investments.

Bank is also evaluating various policy decisions and implementation strategies alongwith timelines to ensure readiness by actual implementation date. Necessary training for smooth implementation of Ind-AS is being imparted to concerned staff members.

The Bank will continue to liaise with RBI as well other industry bodies like Indian Bank's Association seeking appropriate guidance in areas where Bank is facing challenges in Ind AS implementation and various other matters pertaining to it.

BUSINESS REVIEW

1. RESOURCE MOBILISATION:

Saving deposits grew by 2.86% and Current deposits by 8.86% in FY 2017-18. The CASA deposits registered y-o-y growth of 3.71%. The HNI segment (AQB Rs.1 lac & above) under Savings, registered y-o-y 0.33% growth and under Current account Deposits, registered 14.85% y-o-y growth. CASA ratio increased from 39.84% to 41.43% y-o-y in March, 2018. The share of Retail Term Deposits, One Crore and below has grown by 7.04% Y-o-Y and constitutes 83.36% of Total Term Deposits.

2. ADVANCES:

Bank's gross advances decreased from Rs. 393,788 crore to Rs.375,995 Crore with decreased by 4.52%. Gross Domestic Credit registered a growth of 2.72% from Rs.285,725 crores on 31.03.2017 to Rs. 293,500 crores on 31.03.2018. Bank has focused on Retail and SME advances during current year with high yield to diversify the risk. Bank caters to specialised needs of Corporates/Mid Corporates through 10 Large Corporate Bank Branches and 31 Mid Corporate Branches. The requirements of other clients from Retail, SME and Agriculture are met through the Network of 5,186 branches and the Specialized Processing Centers. Bank's 29 Overseas Branches cater to credit requirement of exporters and overseas clients.

3. RETAIL:

The Home Loan segment during the year recorded a growth of 19.63% from Rs. 22,248 crore to Rs. 26,616 crore. Bank has introduced Prime Minister Awas Yojana of Government of India (GOI) initiative for "Housing for All (Urban)" Mission, being implemented during 2015-2022. Loan Against Property (LAP) portfolio with a low rate of interest, longer repayment period and flexible repayment options registered a growth of 23.96% from Rs.5,617 crore to Rs.6,963 crore. Education Loan portfolio recorded a growth of 7.05% from Rs. 3,121 crore to Rs. 3,341 crore. Finance was also granted for Padho Pradesh Scheme (Interest subsidy for students from Minority communities for pursuing studies abroad). The Vehicle Loan segment recorded growth of 28.07% from Rs.3,495 crore to Rs.4,476 crore during the year. Bank has tie-up arrangement with Maruti Suzuki, Tata Motors, Hyundai Motors and Mahindra and Mahindra. Our Bank also extends Personal Loans to employees of PSUs/PSEs/Reputed Corporates/ Institutions under tie up arrangement with employer.

4. SMALL & MEDIUM ENTERPRISE:

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is a very important segment and contribute nearly 6.11 % of the country's manufacturing GDP, 33.4 % of the manufacturing output and nearly 45 % of the exports. Reserve Bank of India has revised the guidelines for targets and classification of Priority sector lending. In terms of revised guidelines, the cap on applicable loan limits under services, viz Rs. 5 Crore per borrower to Micro and Small enterprises and Rs. 10 Crore to Medium enterprises, has been removed for classification under priority sector. Accordingly all Bank loans to MSMEs engaged in providing and rendering of services as defined in terms of investment and equipment under MSMED Act 2006, shall qualify under priority sector without any credit cap. Focus on programmes, such as, Make in India, Skill India and Digital India have also brought major changes in MSME credit at Bank's level.

PERFORMANCE

- Performance of our Bank in lending to MSME Sector as on 31.03.2018 is depicted as under:

(Amt. in crore)

Particulars	31st March 2016	31st March 2017	31st March 2018	Y-o-Y Growth as on March 2017 over 2016 (%)	Y-o-Y Growth as on March 2018 over March 2017 (%)
Total MSME	48206	51086	54285	5.97	6.26

- During the financial year 2017-18, 184,887 new accounts have been added with sanctioned limit of Rs.12,413.77 crores. Disbursement during the Financial year 2017-18 was Rs.11,183.34 crores and outstanding as on 31.03.2018 is Rs.9,418.80 crores.
- During the financial year 2017-18, disbursement under MUDRA as on 31.03.2018 was Rs.5,397.76 crore against budget of Rs.5,800.00 crore, thus achieving 93.06% of allocated budget with 361,708 no. of accounts.
- During financial year 2017-18, 1,083 accounts have been added with a total sanction limit of Rs.223.11 crore and cumulative figure is 5,185 accounts with total sanction limit of Rs. 943.18 crore under Stand Up India during Financial Year 2017-18.
- During financial year 2017-18, we have covered 29,830 new accounts under CGTMSE with total guarantee amount of Rs.3,474.58 crore and cumulative accounts covered CGTMSE is 340,862 with total amount of Rs.21,685.17 crore as on 31.03.2018.
- Total NPA under MSME segment was contained at 20%.

HIGHLIGHTS OF FY17-18

- TReDS: We have on boarded TReDS platform floated by RXIL for bill discounting of MSME customers.
- Exceeded the priority sector budget under MSME
- Achieved the regulatory target under micro enterprises with total outstanding being 7.96% on ANBC as on 31.03.2018 against target of 7.5% on ANBC.
- Enhanced working capital flow to MSE borrowers. Bank has now amended Policy to enhance the sanction of working capital limit to borrowers from minimum 20% to 25%. Further the working capital limit for these MSE borrowers transacting digitally, the working capital limit has been enhanced to 30% of the turn over for digital portion, from existing 20%.
- Launched new products for GST compliant borrowers for increased requirement of working capital limits and input credit.
- Identified and approved new schemes under cluster based lending in different sectors such as footwear, textile, glass, medicine, etc.

STRATEGY FOR GROWTH UNDER MSME

- More Focus in lending to assets with low RWA and lending below Rs 5 Crore (Regulatory Retail).
- Identification of 107 additional SME centric Branches, in addition to existing 100 for channelizing credit flow to MSME sector.
- Identified Relationship managers in all SME centric branches and SME nodal officers at all our administrative offices for providing assistance to MSME borrowers.
- Stepping up Cash Flow based financing to MSME sector.
- Launched GST returns based working capital funding to GST registered borrowers.
- Growth through various differentiated products and services to key industry based segments and markets.
- More emphasis on Cluster Based lending with common lending parameters and pricing for all the borrowers in a particular cluster.
- Evolving use of Fintechs for ease of MSME finance and to improve due diligence modalities.
- Ventured into Contactless Loans along with SIDBI and other public sector Banks.
- More effective use of Udyami Mitra portal for potential business.
- Reaching out to Entrepreneurs through increased linkages with Industry associations/Chamber of Commerce/Organising Camps, etc.
- Instituting Credit Plus services to Borrowers through financial literacy programs and workshops.
- On boarded TReDS platform and mulling considerable growth under MSME through the Platform.

- Strengthening our SME processing centers with increase in FOS and relationship managers.
- Targeting growth under MUDRA, STAND UP INDIA, PMEGP, NULM schemes.
- Conducting customers meet in all our branches to increase customers' wallet share, referral business and removing bottlenecks, if any.
- Leveraging on the new norms under CGTMSE.
- Identification of all SMA-1/2 MSME accounts needing help through the Revival Framework.
- Tie Ups with industries for funding to its backward and forward linkages, under MSME through Channel Credit.
- Organising mega disbursement camps through our Ghar Ghar Dastak program for activation of branches for achieving various regulatory and internal budgets.

5. AGRICULTURE FINANCE:

Priority Sector Advances:

The bank is servicing to the priority and agriculture sectors, through its network of rural and semi-urban branches and 43 Agricultural Banking Centres (ABCs) set up in these areas. The Bank has registered an outstanding level of Rs 121,691 crore (40.80% of ANBC) under Priority Sector consisting of Agriculture Rs 51,938 crore (18.58% of ANBC). Out of which SF & MF Rs. 23,858 crore (8.45% of ANBC), SME Rs 51,678 crore out of which MSME Micro Rs. 24,051 crore (7.54% of ANBC), Education Rs 3,226 crore, Housing Rs 13,690 crore & others Rs 1,159 crore. Under Annual Credit Plan, Bank branches disbursed Rs 27,617 crore during the year. Bank has issued 171,908 KCC with credit limits of Rs 2,978 crore for flexible credit utilization. The Bank also extends financial assistance under Differential Rate of Interest at concessional rate of interest of 4% to low income groups. The Bank has sanctioned 430 cases under DRI scheme during the year involving Rs 2.80 crore. Bank's credit exposure to the Minority Communities is Rs 13,879 crore as on March 2018. Amount O/s as on 31.03.2018 under weaker section is Rs. 32,184 (10.90% of ANBC). Bank's finance to Food & Agro Industries as on 31.03.2018 is Rs. 5,573 crore. The Bank has surpassed the regulatory ratios under Priority sector, Agriculture, MSME Micro and credit to Weaker sections.

National Rural Livelihood Mission (NRLM): is an important poverty eradication programme for rural poor. During the year Bank has disbursed Rs 297 crore to 27,003 borrowers.

Self Help Groups (SHGs):

Bank has customer base of 218,555 Self Help Groups (SHGs) of which 123,955 SHGs are credit linked including 67,468 women SHGs during the year 2018. Bank has introduced Dual Biometric authentication for offsite transactions, financial and Data Digitalization for monitoring of SHGs.

Lead Bank Scheme:

The Bank has Lead Bank responsibility in 51 districts spread across five states of Jharkhand (15), Maharashtra (14), Madhya Pradesh (13),Uttar Pradesh (7) and Odisha (2) and one SLBC" Lead Bank Convener" responsibility in the State of Jharkhand.

"Bank was awarded with Certificate of Excellence in Social Banking Excellence Award – 2017"

(Joint Runner Up) for Agricultural Banking under Large Bank Category.

6. FINANCIAL INCLUSION:

Bank considers Financial Inclusion as a viable business proposition and has shifted outlook from "CSR" to "economic viability". ICT based solution to support and secure sufficiently low cost transactions required by the financial sector. Financial inclusion drive gained momentum with Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) programme. Bank has provided banking services in unbanked rural areas through ICT led Business Correspondents model.

Star Swarojgar Prashikshan Sansthan(RSETIs):

Bank is operating 42 RSETIs in the States of Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal. During the year the RSETIs have conducted 1,118 training programs and imparted training to 30,640 candidates with credit linkage of 9,943 candidates to enable them for gainful employment.

Financial Literacy and credit Counseling Centres (FLCC)

FLCC/FLCs are established as per Reserve Bank of India guidelines at Rural and Urban Centers at district locations where Bank is having Lead Bank responsibility. Bank's 51 FLCs are functional in all 51 Lead districts. The FLCs in addition to imparting training also undertake remedial counselling on case to case basis for the distressed borrowers, preventive counselling through media, workshops and seminars. To date 1508178 needy distressed people were given counselling

Regional Rural Banks :

Bank has four sponsored Regional Rural Banks - Gramin Bank of Aryavart-GBA (Uttar Pradesh State), Narmada Jhabua Gramin Bank -NJGB (Madhya Pradesh State), Vidarbha Konkan Gramin Bank –VKGB (Maharashtra State) and Jharkhand Gramin Bank-JGB (Jharkhand State). All four RRBs Branches and Administrative offices are on CBS platform with system generated report facility. These RRBs are enabled on RTGS, NEFT and ATM platform and cover 61 districts, with a network of 1672 branches. They have a combined business mix of Rs.46422.52 Crore controlled by their respective 4 Head Offices and altogether 29 Regional Offices.

7. INTERNATIONAL:

The Bank has 29 Branches, 2 Representative Offices 5 Subsidiaries and 1 Associate/Joint Venture spread across 21 countries of all time zones. The contribution of foreign operations in Bank's global business mix has been 20.31% as on 31.03.2018.

Overseas Subsidiaries and Associates:

i) PT Bank of India Indonesia Tbk

ii) Bank of India (Tanzania) Ltd

iii) Bank of India (New Zealand) Ltd

iv) Bank of India (Botswana) Ltd

v) Bank of India (Uganda) Ltd

vi) Indo Zambia Bank Ltd. (IZB)- Joint Venture.

Bank has closed its representative offices at Myanmar and Dubai during current year.

FOREIGN BUSINESS:

Bank's key priority areas include meeting trade finance and forex requirements of exporters and importers. Bank has 217 Authorized Dealer Branches Pan India. These Branches handle foreign exchange business and cater to the need of exporters and importers. Bank also has correspondent banking relationship with 247 banks across the globe. Bank has Rupee Drawing Arrangements with Gulf based private exchange houses to facilitate inward remittances.

8. CREDIT MONITORING:

Prevention is better than cure. Profitability of the Bank is adversely affected due to provisioning when accounts slip into NPA category. It also has got bearing on the share prices. Funds are blocked which are not available for recycling to the deserving borrowers.

The Department has been using various tools and methods for identifying and monitoring accounts with signs of weakness /potential default/delinquencies and to ensure that Standard Accounts continue to remain standard and do not slip to NPAs.

Tools for efficient monitoring & control process:

i) Early Warning System for Monitoring Loan delinquency:-A comprehensive Monitoring Module is made available to all Branches and controlling offices for monitoring their credit assets categorised under SMA. Our Bank has a system that captures Early Warning Signals (EWS) in respect of accounts showing first signs of weakness i.e. generation of various alerts which include overdue accounts, L/C devolvement/Guarantee invocations, accounts overdue for review, expiry of renewal documents, overdue inspection, withdrawal of cash over Rs.10 lacs, Return of high value cheques, Frequent sanction of Adhoc/Over limits, High value RTGS etc. EWS are advised to various levels on weekly basis for close monitoring of these accounts. For internal monitoring purposes under the system, a time limit for overdue accounts is designated to determine the threshold for a proactive intervention – well before the accounts become NPA. This is to enable the Bank to assess whether the default is due to some inherent weakness or due to a temporary liquidity/cash flow problem. All accounts displaying unsatisfactory features/early warning signals are put under watch list for follow up and time bound action to prevent slippages, even though such accounts could be regular at present.

ii) Identification of the SMA category triggers mitigating steps such as follow-up for regularisation, restructuring etc. In terms of RBI's revised guidelines, stressed accounts with credit limit of Rs. 5 crores and above are reported to RBI on weekly basis.

iii) Marking of NPAs is done by the system. Data for showing overdue position based on record of recovery as well as for accounts showing technical lacunae such as non-submission of Stock/QIS statement over three months, insufficient/no credit in CC accounts etc. which may cause downgrading of accounts are generated periodically. These accounts are monitored specifically for containment of downgrading of standard assets.

iv) Credit Process Audit is to ensure verification of compliance of Pre and Post disbursement terms of sanction terms/covenants. CPA is to ensure that the disbursing officer, before parting with the Banks funds, has taken all necessary measures for creation/perfection of security with a view to ensure enforceability of the said securities.

v) We ensure timely conduct of Stock & Receivables audit in eligible accounts and take active/preventive steps wherever warranted. The stock audit is applicable for accounts having working capital exposure of Rs. 5 crores and above. It is required to be conducted annually. In the accounts showing EWS, the stock audit is required to be conducted half yearly.

vi) Assets showing inherent signs of weakness, such as out of order position, overdue Bills under Letters of Credit, invocation of guarantees, review overdue etc., which pose a threat to the bank's asset quality are followed up by discussions at various platforms & levels by use of Tele/Video conferencing & thereby sensitizing all concerned.

vii) Critical analysis is done for quick mortality cases. Also accountability is examined in all delinquent assets

viii) On the basis of Early Warning Signal (EWS), the account is Red flagged and Forensic Audit is done. Information on Red Flagged Accounts (RFA), Fraud Accounts where our exposure is Rs.50 crore & above is uploaded in CRILC. The bank has approved the policy for Red Flagging of accounts and forensic Audit.

9. NPA MANAGEMENT:

The Bank made sustained relentless efforts for NPA and Written Off recovery by adopting Board approved strategies with activation of Asset Recovery Branches, staff at grass root levels. The measures initiated resulted in improved recovery through some of the following strategies:

- Holding-on operations in NPA accounts arising out of temporary Cash Flow mismatch for up-gradation within short span of time.
- Up-gradation of the entire account after recovery of the total overdue.
- Restructuring in accounts, which needs a long term support.
- Filing up application with NCLT, pursuing other Bank where we are not leader.
- OTS in accounts with positive impact in Bank's profits & loss A/c; Invoke promptly the provisions of SARFAESI Act.
- Filing of suit and follow for vacation of stay and for speedy resolution through the DRT.
- Declaring Borrowers as wilful defaulters in all eligible cases, Mega E-auctions on Pan-India basis to fast forward the process.
- Participation in the National Lok Adalat at various levels.
- Suit filed/decreed cases are now monitored online.
- Proactive participation in JLF meetings conducted at Bank level in all cases where Bank is Leader and also a member of consortium.

10. TREASURY:

Forex Business: During the financial year 2017-18, Merchant and interbank turnover was Rs. 1.47 lakh crore and Rs. 37.12 lakh crore respectively. The aggregate turnover of Bank's Forex Business during the year was Rs. 38.59 lakh crore.

Treasury Operations & Investments: Bank continued to play an active role in all segments of the market- Money market, Forex, Bonds and Derivatives 2017-18. Bank has maintained a higher level of investments by holding SLR investments in excess of the regulatory requirement of 19.50% of NDTL from time to time to utilize excess SLR for borrowing from Repo /CBLO windows. As on 31.03.2018 the gross SLR investments were Rs. 112,030.26 crore (82.57% of total investments) and Non SLR investments stood at Rs. 24,027.30 crore (17.66% of total investments). The investments are made in accordance with the Board approved comprehensive policy which is reviewed periodically to respond to market developments/regulatory requirements.

11. INFORMATION TECHNOLOGY:

Central KYC is implemented for Identified branches.

Central KYC Registry is a centralized repository of KYC records of customers in the financial sector with uniform KYC norms and inter-usability of the KYC records. It reduces the burden of production & verification of KYC documents every time when a customer creates a new relationship with a financial entity. The said project has been successfully rolled out on 21.03.2018.

EKYC Registered Devices (RD) services Rolled out PAN India

As per UIDAI (Aadhaar) guidelines, only registered biometric devices can be used for Aadhaar Authentication/ e-KYC transactions. Also, Customer Information must be communicated to UIDAI in encrypted form. Presently, about 4100+ branches have been enabled for Customer Authentication and Customer ID Creation through Aadhaar.

Mobile application development and integration

i) We have integrated with NPCI's BHIM application and Prepaid Mobile and DTH recharge module in Star Token NG.

ii) We have launched UPI (BHIM BOI UPI) application and BBPS (BOI Billpay) application.

Website related development and integration

i) We have redesigned our Corporate Website and our website is now mobile responsive.

ii) Launch of Vietnam Website

iii) Other integration and facilities in website are:

- To claim bill payment refund through online request
- To claim ATM failure refund online
- To claim POS failure refund online
- Facility for pre-paid card balance enquiry

iv) We have integrated online lead generation with Operational Customer Relationship Management (OCRM) module

Stardesk Development of modules /forms in Stardesk

i) Vigilance Portal

ii) Inspection and Audit Portal

iii) Concurrent Audit Feedback Form

iv) Marketing Staff Dashboard

v) Customer Service Committee Meeting

Enhancements and Integrations in Internet Banking

Facility of online regeneration of transaction password for Internet Banking users is introduced.

i) Bill Payment (BBPS) services through Internet Banking – We have integrated BBPS services in Internet Banking and customers can now make

payment for Gas, Electricity, Mobile Postpaid, DTH and Electricity. Services include biller addition, fetch bill and pay, Quick Pay.

ii) Premature closure of Term deposits – We have enabled retail Internet Banking customers to submit request for premature closure of their term deposits opened through Internet Banking channel.

iii) Goods and Services Tax (GST) – Successful implementation of Goods and Services tax (Mode of Operation – Over the counter through Finacle and through Internet Banking)

iv) Interest Certificate for all deposits (including Savings bank accounts) for both domestic and NRE. The interest certificate is sent to customer's registered email id.

v) Facility of submission of 15G/H through Internet Banking - This feature is a step towards providing customer convenience who does not need to visit the branch.

vi) Facility of Online update of contact details in Internet Banking.

A new facility has been provided to our Retail Internet Banking Customers for updating details like communication address, email-id and registered mobile number online without the need to visit the Branch.

IT related development in Regional Rural Banks Segment

i) Demographic Authentication is completed in all the 4 RRBs.

ii) IB setup is made available at both the locations (DC & DR) and cutover was also done. View facility is available to the customers.

iii) MMS facility through intranet has been extended to RRB recently

Datawarehouse has released Top Management Dashboard (ver-2) for HO / NBGs and ZOs with the following enhancements

Top Management Dashboards provide at-a-glance views of KPIs (key performance indicators) relevant to a particular objective or business process (e.g. Branch Profile, Business Mix, etc) It provides information in graphical form for quick analysis of the data and it can be accessed from any PC on Bank's Network or through BOI-Safe from Internet.

Other Initiatives of Datawarehouse

i) Provision in NPA Accounts

ii) Sector wise classification of accounts

iii) CIBIL reporting

iv) Providing MIS data/reports to HO Departments/NBGs/ Zones

v) Providing Daily NPA Report to the top management

vi) Generation of CA-23 report

vii) Generation of reports for Risk Management Department for analysing the Asset-Liability mismatch in various Time Buckets, Interest Sensitivity and Structural Liquidity

Improving the Network Infrastructure of Branches

i) 1900 Branch Routers upgraded with Ethernet cards.

ii) 2700 New Routers installed at branches.

iii) 1200 Branches upgraded with 2 MPBS bandwidth.

iv) All branches and offices shall be upgraded with Primary 2 MBPS BSNL links shortly. Upgrading secondary links to 2 MPBS for 4063 branches is initiated with M/s Tata, Sify, Bharati and Vodapone.

v) Secured Network : Latest, Intrusion Prevention Systems (IPS) are successfully installed for protecting our Network.

12. RISK MANAGEMENT :

Risk and Control:

Bank has established mechanisms to ensure ongoing assessment of relevant risks on an individual as well as consolidated basis. Risk Management is a Board driven function with the Risk Management Committee of the Board at apex level supported by operational level committees of Top Executives for managing various risks, such as CRMC (Credit Risk Management Committee), MRMC (Market Risk Management Committee) and CORM (Committee for Operational Risk Management). As per the directions of RBI, Bank has appointed the Chief Risk Officer (CRO).

The process of Risk Management consists of identification, measurement, monitoring and control. These processes are covered in policies viz. Enterprise Wide Risk Management, Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Derivatives, ALM, Foreign Exchange and Dealing room operations. The identification, measurement, monitoring & mitigation of potential risks, in all activities and products is done through detailed analysis and vetting of the same is done by the operational level risk committees and task forces. Tools and systems of prudential limits, new Basel Compliant Credit Rating Models, Credit Audit, VaR models for Market Risks, Self-assessment exercise coupled with tracking of Key Risk Indicators for Operational Risk have been introduced for assessing / measuring the identified risks.

Bank has migrated to computation of Capital Adequacy under Basel III regulation based on Standardized Approach for Credit Risk, Standardised Measurement Method (SMM) for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk as per RBI guidelines effective 01st April, 2013. The Bank undertakes Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on a yearly basis for assessment / measurement of various risks, the limits of its risk-bearing capacity and appropriate level of internal capital in relation to the risk and the Risk Appetite. Stress Testing Process is in

place for enhancing risk assessment by providing the bank a better understanding of the likely impact even in extreme circumstances.

Bank's Information Risk Management System has clear objectives to obviate cyber-security risks in the face of acceleration in Bank's business by strengthening internal controls to protect the brand, reputation and assets of the Bank.

Bank has implemented various information security projects for monitoring of Real-Time Information Security breach attempts / incidents / events on 24x7 basis. Bank is vigilant of the security and privacy of the data related to its patrons and account holders and takes utmost care to protect it from cyber-attacks. Bank has developed reasonable resiliency to provide uninterrupted services in adverse situations. Bank has put in place Captive Security Operation Centre (SOC) at Data Center. The Bank is ISO 27001 (ISMS) and ISO 22301 (BCMS) certified and the PCI-DSS V3-2 certification is under process. Other advanced security tools like Privilege User Management, Database Activity Monitoring Anti-APT (web) and Anti-DDoS have been operationalized. Security solutions like Anti-APT (Email) is under installation process. Risk and vulnerability assessment exercises are routinely carried out for all critical application and services with in-time remedial activities.

13. ALTERNATE DELIVERY CHANNEL :

The Banking industry has become fast paced. Post demonetization era needs moving towards less cash society and thus, the emphasis is on digitalization. Bank of India is committed to give a stellar performance not only in distribution of various digital products viz. Debit cards, Credit cards, POS in all varieties of Swipe & Pay, Click & Pay,Touch & Pay, Internet Banking/ Mobile Banking but also in ensuring that these products are activated and used. BOI has successfully implemented Government of India launched UPI/BHIM, BHARAT QR and AADHAAR PAY. POS distribution has gone up from 16,622 to 85,980 as on 31.03.2018.Debit card activation has gone up from 35% before demonetization to 40% which shows our fast pace in digitalization. Bank has launched BOI Star Loyalty programme for introducing 'Chillr' Mobile App for easy money transfer and utility payments. Bank cobranded Prepaid cards, added value to POS for dynamic currency conversion launched and have taken lead to have 2594 Digital Villages Pan India.

14. TRANSACTION BANKING :

Bank set up separate Transaction Banking Department to generate bulk income and float for the Bank by providing management of "cash flows" of customers especially large corporates, government institutions and high net worth individuals through digital banking. The Star Cash Management Services (CMS) Hub comprising of Cheque collections, PDC collections and Direct Debit mandates, other services viz. Cash Management Services (Doorstep Banking), On–line Share Trading – (3 in 1 A/cs, ASBA SYND-ASBA), Payment Gateways, NACH activities on NPCI platform and operational aspect of Star Channel Finance. During the FY 2017-18, the Department has generated income of Rs. 49.40 Crores.

15. THIRD PARTY PRODUCTS DIVISION

Life Insurance:

Bank has continued its Corporate Agency arrangement with Bank's Joint Venture life Insurance Company Star Union Dai-ichi Life Insurance Co Ltd. for sale of life insurance products. Bank has more than 7,400 IRDAI certified Specified Person employees at the branches. Bank offers optional life insurance cover to Bank's Retail Home and Education Loan borrowers under Group Insurance Policy at a discounted premium. Bank collected premium of Rs. 886 Crore thus earning commission income of Rs. 75.79 crore.

General Insurance:

Bank has Corporate Agency agreement with National Insurance Co. Ltd. (NICL), Reliance General Insurance Co. Ltd. & The New India Assurance Co. Ltd. for General Insurance products. Bank's co-branded health insurance product - BOI National Swasthya Bima is a Family Floater Medi-claim Insurance Cover available for Bank of India account holders at a discounted premium. Bank has earned commission income of Rs. 28.15 Crore from sale of General Insurance products.

Standalone Health Insurance:

Bank has tie-up arrangement with Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. under Standalone Health Insurance category. Bank collected premium of Rs. 17 crore thus earning commission income of Rs. 2.48 crore.

Mutual Funds Products:

Bank continues to be a shop for all financial needs to the customers by distributing various Mutual Fund products of 10 Asset Management Companies including BOI-AXA Mutual Fund, our own joint venture company. Bank has earned a commission of Rs. 9.28 Crore from Mutual Fund business during FY 2017-18.

16. MARKETING & PUBLICITY :

Bank's Publicity and Public Relation Department executes multi-media corporate campaigns to enhance the visibility of Bank's products and services along with image building. Bank's various products down the line across the country are executed by various media plan, along the lines of Bank's theme **"Relationship Beyond Banking"**. Publicity of Bank's Products through Radio channels and Television platform has been undertaken in a big way. The promotion of Bank's product through print media in major national / regional dailies and various top magazines and OOH activities i.e. hoarding/Bill Boards/Gantries is also undertaken.

During the year 2017-18 Bank was awarded the 2nd Prize in the category of Best Corporate Film at ABCI Annual Awards ceremony.

17. BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING

BPR Department works on improving the existing systems and processes in the Bank as also on other aspects of change management that include the organizational structure, products, & policies. The major customer centric initiatives taken during 2017-18 are:

i) **Introduction of Area Manager, A new cluster – head position under "Project Connect":**

112 clusters formed Pan –India by grouping contiguous branches (up to Scale III) with each headed by Scale IV/V officer & supported by Panch Pandav (Team of 5 officers). AMOs connect with the branches on a continuous basis & address all issues of business & control of each constituent group branch through active field support, guidance and decision/ disposal.

ii) **Creation of Star Prime Set-up/ Vertical for Prime Clients Care :**

Bank's 48% of domestic business is generated by Scale IV & V branches. In order to harness their full potential & drive business growth through timely & appropriate care of their prime clientele, Star Prime vertical has been created with a GM at HO, 6 CREs at identified NBGs & a score of RSMs at Zonal level.

iii) **DIGI Branches:**

112 Digi branches launched (through revamp of previous BOTF project) for unique customer experience, increase of retail business, & spread of digital banking.

iv) **RERA Plus Account (CD Product):**

Introduced RERA Plus Account i.e. a combo of RERA complied escrow account and an operative regular CD a/c for builders and developers.

v) **Categorization of Branches :**

Re-categorization of branches done under revised norms for ensuring right staffing and ease of customer service delivery.

vi) **Star Paramarsh – Staff Suggestion Scheme:**

Expanded the scheme to cover all ideas & suggestions of staff given at all fora, including at conferences, conclaves, & training centers. Implementation committee of 6 General Managers constituted to monitor & expedite grounding of the selected suggestions. Suggestions received during the year: 1638, Selected for implementation: 178, Awarded prizes: 18

18. INSPECTION & AUDIT:

Bank has board approved policy on Risk Based Internal Audit, Risk Based Management Audit (Domestic), Concurrent Audit, Information System Audit and Audit of Foreign Branches. The policies were reviewed/revised to comply with the Guidelines issued by the Department of Financial Services, MOF, GOI and covers the areas mentioned in the RBI SPARC report, MOF guidelines and also as per the directions of Audit Committee of the Board. During the FY 2017-18, the Department conducted audit of 5082 branches and offices. Concurrent Audit covers 750 Branches, Treasury Branch, Data Centre and HO Departments by practising CAs and all the Foreign Branches are covered in-house by Bank's officers. Concurrent Auditors covered more than 60% of Global Deposits and more than 80% of Global Advances.

Bank also conducts special assignments to meet requirements of the Bank from time to time in areas of:

- Discretionary Audit conducted at branches with 'High Risk and above' rating.
- Assessment of impact of preventive vigilance measures at branches under audit.
- Special Audit of select Authorized Dealer (AD) branches for checking/verification of transactions relating to Export transactions / Import Advance Remittances.
- IS Audit of Data Centre & Disaster Recovery site by Bank's Internal Information System Auditors.
- Concurrent audit of Data Centre to ensure verification of interest parameters, application of interest process and checking of interest in sample accounts.
- Regular reporting on all important Audit findings are made to Top Management, Audit Committee of Executives and Audit Committee of the Board as per the directions.
- Concurrent Audit, IS Audit, Management Audit report submission is Online in the Bank.

19. LEGAL & RIGHT TO INFORMATION ACT :

Legal Department of the Bank is a support department and provides platform on matters of Opinion, Documentation, Litigation and emanating from functional departments at Head Office and Zones. In addition to attending to referral matters of NBGs/Zones, Domestic Branches/Foreign Branches and Bank's subsidiaries, the Department undertakes Drafting / Vetting of documents of various contracts/ Service Level Agreements (SLAs), Software/Hardware procurement, tie-up arrangements /new products, approval of Plaints for suits filed by the bank, responds to MOF, RBI, IBA query, opinion on Share transmission matters and cases relating to Claims against the Bank. Under the Right to Information Act applications are responded as per the Act. Central Public Information Officer and Appellate Authority across Zones / NBGs are placed. Deputy General Manager (Law) is the CPIO of the Bank, General Manager, Legal, is the Appellate Authority. Department issues guidance to NBGs/Zones on the amendments on Statues.

20. COMPLIANCE DEPARTMENT:

A Compliance Function Policy for the Bank was adopted by the Board as per Reserve Bank of India guidelines. An independent Compliance Department, headed by a Chief Compliance Officer in the rank of General Manager, is

functioning at Head office. Compliance of statutory, regulatory and Bank's internal guidelines is the scope of operation of the compliance function of the Bank, both for Domestic and Overseas operations. Bank has framed Compliance Rules for different work areas of Bank's domestic operations for implementation / monitoring purpose, given as under-

- Know Your Customer/Anti-Money Laundering/ Combating of Financing of Terrorism;
- Deposits & Services;
- Advances;
- FEMA

Based on these rules, half-yearly Compliance testing exercise (on sample basis) is undertaken. Test check is also being carried out for Tranche III compliance rules prescribed by RBI under Risk Based Supervision.

Overseas establishments comply with the applicable regulatory requirements and submit confirmations. Quarterly Compliance testing through the compliance officers at each overseas Branch is undertaken.

KYC /AML / CFT: Bank has also vested with the responsibility of implementation/ monitoring Know Your Customer (KYC)/ Anti Money Laundering (AML) Measures/ Combating Financing of Terrorism (CFT) Guidelines in the Bank. Compliance with KYC norms in all accounts, as directed by RBI is ensured. As per the provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PML Act) and subsequent amendments thereto and the Rules made thereunder as well as the guidelines issued by the RBI, Bank has put in place Board approved KYC/AML/CFT Policy. Accordingly, branches are properly identifying every customer by obtaining recent photograph and required document for identity / address proof out of prescribed Officially Valid Documents (OVD). The persons, who do not possess any document specified as OVD, are being facilitated to open Bank account under "Small Account" category. All customers have been classified into High, Medium or Low Risk category based on the Risk perception. As per extant RBI guidelines, the review of the Risk categorisation is done once in every six months. The department also ensures for imparting of training on KYC / AML and its related compliance aspects to the staff members.

The Compliance department is the nodal point of contact of Risk Based Supervision (RBS) undertaken by RBI. The RBS reports are attended in coordination with all the departments of Bank and compliance is submitted to RBI. The department is also the single point of contact for all the Regulatory Agencies.

21. OFFICIAL LANGUAGE :

Bank has a well established set- up of Official Language Department which ensures the implementation of Government of India policy related provisions and progressive use of Hindi. During the year Bank received RAJBHASHA KIRTI PURSKAR ' SECOND' PRIZE for 'B" Region category. Bank's Nagpur & Ratnagiri zones received Rajbhasha Regional Puraskar FIRST & SECOND prize respectively in TOLIC category "B" region. Other zones received 19 prizes/awards for excellent implementation of Official Language Hindi across pan India. Bank has conducted 149 Hindi work-shops and 3426 staff were imparted training to harness their Hindi language skills. On Vishwa Hindi Diwas (10 January 2018) debate and speech competitions were organized in 394 schools across the country in which 7253 students participated. The e-learning Rajbhasha E-module has been developed and placed in HRMS for harnessing and upgrading skills of staff members. Hindi-month was observed from 15 August to 14 September 2017 wherein various Hindi competitions were held for staff members to generate interest towards use of Hindi in their daily work.

22. HUMAN RESOURCES, LEARNING & DEVELOPMENT AND IN HOUSE JOURNALS:

The HR transformational strategy, focus is on Capacity Building, ensuring availability of manpower with right sets of skills, optimum utilization of existing manpower and by bridging skill gaps. The current and future human resources in consonance with business strategic plan, focus on HR transformation on a continuous basis to keep pace with emerging time. Bank has during the year recruited 872 General Banking, 381 Specialist officers and 2575 clerks. Endeavour is to bridge the human skill gaps in areas of Corporate Credit, Risk Management, Treasury, IT and Marketing on an on going basis.

Compliance with Reservation Policy :

The Bank is complying with the reservation policy of Government of India. Recruitment and SC/ST Cells at Head Office and Zonal Offices ensure to implement the reservation policy and redressal grievances relating to SC/ST/OBC Employees. General Managers at Head Office are designated as Chief Liaison Officer for SC/STs and OBCs. Officers from SC/ST/OBC category are designated as Cell / Liaison Officers at Zonal Offices. Post-based Reservation Rosters are maintained as per Government guidelines.

Representation of SC/ST/OBCs Staff (Indian) :

Mar-2018	Officer	Clerk	Sub Staff	Total
Total	21,198	19,989	7,493	48,680
SC	3,768	3,242	2,494	9,504
% to total Staff	17.78	16.22	33.28	19.52
ST	1,791	2,233	825	4,849
% to total Staff	8.45	11.17	11.01	9.96
OBC	4,762	4,576	1,671	11,009
% to total Staff	22.46	22.89	22.30	22.62

LEARNING AND DEVELOPMENT:

A separate Cell for Learning and Development is functioning for imparting training and talent development programmes. Bank has introduced E-Learning modules for enhancing the competencies of employees and to equip the staff with right skills and knowledge for meeting ever changing business dynamics across different segments. The Bank's Training Colleges have imparted training to 25,000 Staff members and 550 trainees from other Institutes including RRBs during

the year. Executive Development Programmes for AGMs and DGMs were also conducted in-house. Pre-promotion skills training for internal promotion process was provided to 2100 staff members. Bank has also conducted, for the first time, special training programs for visually impaired staff members to enable them to perform their job with greater satisfaction and ease. Summer internship to 435 students was also provided during the year.

TAARANGAN (Bilingual) & BOI VAARTA (Hindi)

Internal communication Department has been created in the Bank consisting of Corporate In-House Journal 'Taarangan (Since 1964)' and Hindi Magazine 'BOI Vaarta' (Published for promotion of Hindi Language amongst employees as per GOI OL Policy). The In-house publications are important tool of employee engagement in the Bank. Bank's publications are effectively serving as a platform for employees to express their views, share their achievements and bringing out their creativity & intellect in various areas. The house journals carries social, promotional, staff achievements, awards and other business activities organized at Zones/ Branches/ offices across India and abroad.

During 2017-18 Taarangan has been awarded prestigious 'ABCI Magazine of the Year 2017 Award' with an International Award for Best In-House Journal from CMO Asia at Singapore. Gold (First prize) for BOI Vaarta alongside 8 other awards.

StarParivar@112

On the eve of 112th Foundation Day of the Bank, a closed Facebook group titled StarParivar@112 was started for all serving employees of the Bank. The platform has been provided to share knowledge, general interactions on various matters, showcasing achievements and various day to day business activities, program and trainings etc. The initiative has been successful in engaging employees.

23. CUSTOMER EXCELLENCE BRANCH BANKING:

Our Bank is a member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) since its inception in 2006. Our Bank is committed to provide service of a high order in a transparent manner. Our Bank undertakes customer orientation programmes on a regular basis and provides customers with necessary information so as to enable them to take appropriate decision on different banking products offered by the Bank.

Various policies such as Customer Rights Policy, Customer Acceptance, Care and Severance Policy and Grievance Redressal Policy etc. are in place as per the regulatory requirements and same are reviewed from time to time to incorporate the changes and are placed in the public domain.

The Bank took the following initiatives during the year to enhance Customer service at Branches:

i) Our training colleges have undertaken various trainings for improvement in customer service consisting a detailed session on customer service and banking codes in the induction training. It is also made mandatory for all the front line staff/ officers to attend such training at least once in a year.

ii) Bank has published the customer's rights on our website in Hindi, English and Marathi as a pictorial booklet for the benefit of customers and branches.

iii) Bank has started an awareness campaign for staff through ticker in internal system and on ATM screens/ Digital signage system in selected branches, for customers.

iv) Compliance verification is included in the Internal Audit/ Inspection Report which would sensitize the staff for compliance of code provisions/ improved customer service.

v) We have kept E-book on Stardesk containing Grievance Redressal Policy, BCSBI codes for Consumers, BCSBI codes for MSME and Banking Ombudsman Scheme 2006 and the same is also being printed and distributed to all the branches for ready reference.

vi) The book named "बैंक ग्राहकों के अधिकार" was printed and distributed to all the branches.

vii) Most Important Terms & Conditions (MITC) printed and is being distributed to all the new customers through Welcome Kit.

24. BRANCH NETWORK & EXPANSION

Bank has a geographically well spread branch network in India and aboard. Bank had 5127 branches in India as on 31.03.2018. In the foreign countries, 29 branches and 30 representative offices keep Bank's presence felt in all times Zones and important financial centers of the globe. During the year 2017-18, Bank opened 8 new branches out of which 3 are in rural area. Composition of Bank's Branch Network is

Category	31.03.2017		31.03.2018	
	No of Brs	% to total	No of Brs	% to total
Metropolitan	875	17.07	885	17.26
Urban	859	16.76	860	16.77
Semi-Urban	1,379	26.94	1,371	26.74
Rural	2,010	39.23	2,011	39.22
Total Domestic Branches	5,123	100	5,127	100
Overseas	61		59	
Total Branches	5,184		5,186	
Of which Specialized	271		271	

25. BANK'S DOMESTIC SUBSIDIARY/ASSOCIATES/JOINT VENTURES :

BOI SHAREHOLDING LIMITED (BOISL)

Bank has investment of Rs.6.64 crore in BOISL, a 100% subsidiary of the Bank. BOISL acts as Depository Participant (DP) of both the Depositories, National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India)

Ltd. (CDSL). The Company also undertakes collection of Broker Turnover Stamp Duty on behalf of Government of Maharashtra, Gujarat, New Delhi, Tamil Nadu, Telangana, West Bengal, Haryana and Karnataka.

BOI AXA INVESTMENT MANAGERS PVT. LTD. & BOI AXA TRUSTEE SERVICES PVT. LTD.

These subsidiaries are in the business of Mutual Fund and Invesment Advisory Services under SEBI Investment Advisor Regulations. Bank of India is holding 51% Stake in both the Companies with Investment of Rs.60.69 crore.

BOI MERCHANT BANKERS LIMITED (BOIMBL)

BOI Merchant Bankers Limited was promoted on 31.10.2014 to undertake merchant banking business including arranging of Syndicated Loans, Bonds and Debentures. It is a wholly owned subsidiary of the Bank with paid up capital of Rs.10 crore.

STCI FINANCE LIMITED

Established in 1994, STCI Finance Ltd., acts as a non deposit taking NBFC. Bank of India with 29.96% holding is the largest stakeholder in STCI, with a Paid up Capital of Rs.380 crore. STCI Primary Dealer Ltd. (STCIPD) is a wholly owned subsidiary of STCI Finance Limited. STCIPD commenced its operations from 25th June 2007 and is one of the leading primary dealers in the country.

STAR UNION DAI-ICHI LIFE INSURANCE COMPANY LTD. (SUDLIFE):

Bank of India, Union Bank of India and Dai-Ichi Life Insurance Company, Japan have formed "Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company" to provide life insurance services to its clients. The company commenced insurance business in February 2009. BOI holds 28.96% (Investment of Rs.75 crore), UBI holds 25.10%, and Dai-ichi Life Insurance Company holds 45.94% stake of the Company.

INVESTMENT / ALLIANCES :

Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) was promoted in 1997 by BSE and Bank of India along with other Banks. Bank of India holds 5.57% stake in the paid up capital of Rs.104 crore of CDSL.

ASREC (India) Ltd. was floated by the Specified Undertaking of the Unit Trust of India (SUUTI) to undertake securitization and asset reconstruction activities. Bank holds 26.02% stake, in the equity capital of the company of Rs. 98 crore.

National Collateral Management Services Ltd. (NCML) is promoted by the National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. (NCDEX). It was incorporated on 28.09.2004 to promote and provide collateral management services for securing, managing and controlling securities and commodities. Bank holds stake of 2.34% in the equity capital of the company with Investment of Rs.3 crore.

SWIFT India Domestic Service Pvt. Ltd. a joint venture company promoted by SWIFT and 9 major Banks including Bank of India. SWIFT is holding 55 % equity and remaining 45% is held by 9 major Banks. Bank of India has an equity stake of 3.26% in the company with Rs.7.71 crore Investment.

SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA) was set up during FY 2005-06 by SIDBI in association with Dun & Bradstreet, one of the leading providers of commercial data and analytics. The Company's objective is to provide comprehensive, transparent and reliable ratings which would facilitate greater and easy flow of credit to SME sector. Bank has a nominal stake of 2.69% in the equity capital with investment of Rs.0.40 crore.

Other Strategic Investments:

Bank also has strategic investments in CERSAI (Rs.2.15 crore), Equifax Credit Information Services Ltd. (Rs.4.73 crore), U.V. Asset Reconstruction Co. Ltd. (Rs.0.15 crore) Clearing Corporation of India (Rs.0.50 crore), Agricultural Finance Corporation Ltd. (Rs.1.26 crore), SIDBI (Rs.45.30 crore), Central Ware Housing Corporation Ltd. (Rs.1.11 crore), Loss Data Consortium CORDEX (Rs.1 crore), SBIDFHI (Rs.5.54 crore), NPCI (Rs.10 crore), MCX Stock Exchange Ltd. (Rs.27.50 crore), CSC e-Governance services India Ltd. (Rs.1 crore), Invent Assets Securitisation and Reconstruction Pvt. Ltd. (Rs.10 crore).

26. FRAUD RISK MANAGEMENT

Good corporate governance serves as an important factor in control of fraudulent activities. It may be true that Fraud itself cannot be eliminated but fraud risks can be managed and mitigated like other business risks with a proactive framework and approach.

Fraud Risk Management Department handles all fraud related matters independently in areas of:

- Devising and Administration of FRM Policy for the Bank,
- Reporting to RBI within stipulated timeline and Monitoring of Frauds,
- Maintenance of Centralized data on frauds,
- Analysis of Perpetrated and Attempted Frauds,
- Diagnostic and root cause analysis of fraud cases and implementation of remedial measures and steps to mitigate risks thereof in respect of product deficiencies,
- Plugging the loopholes in the systems, procedures & practices leading to perpetration of frauds,
- Dissemination of modus operandi & reasons for occurrence of fraud revealed by way of Circulars/ instructions to avoid the risk of recurrence of frauds of similar nature,
- Sensitizing staff through short alerts messages through tickers/periodical messages through MMS/ training/Video Conferencing on Fraud prevention,
- Periodical circulation of checklist on prevention of frauds,
- Follow up of complaints and FIRs with police authorities,

- Convening meeting of Task Force Committee on frauds at HO and monitoring the meeting of Zonal Task Force Committee on frauds,
- Department is in the process of acquiring new Enterprise wide Fraud Risk Management Solution encompassing all delivery channels.

27. VIGILANCE MANAGEMENT :

Vigilance machinery is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO) appointed by Government of India, Ministry of Finance and the Central Vigilance Commission. The CVO is assisted by General Banking officers with knowledge/ background of investigation and disciplinary matters for rendering advice and support on matters relating to vigilance cases. Vigilance Department also focuses on initiation and dissemination of preventive vigilance measures. Bank has eight separate "Vigilance Units" across NBG offices. The Vigilance Department also renders advice of the CVO in Vigilance cases referred by the Bank's sponsored Regional Rural Banks (RRB).

28. DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

In terms of Clause 43A of SEBI-Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulations, Bank has formed a Dividend Distribution Policy and the same is available on our website - https://www.bankofindia.co.in/pdf/DDP.pdf

29. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORTING-2017-18

In terms of Clause 32 (2) (F) of SEBI-Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulations, the Business Responsibility Report is available on our website - www.bankofindia.co.in

30. BASEL-III (PILLAR 3) DISCLOSURE (CONSOLIDATED) MARCH 2018

In terms of RBI Circular DBOD.No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 dated July 1, 2015 on Basel III Capital Regulations read together with RBI Circular DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015 on Prudential Guidelines on Capital adequacy and Liquidity Standard – Amendments, requires Banks to make applicable Pillar 3 disclosures including Leverage Ratio and Liquidity Coverage Ratio under the Basel III framework. These disclosures are available on Bank's website at the link http://www.bankofindia.co.in/english/Regdisclosuresec.aspx.

ACKNOWLEDGEMENT:

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India and other regulatory authorities for their valuable guidance and support. The Board also thanks financial Institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers, business associates and shareholders. The Board also wishes to place on record its appreciation of staff members for their dedicated service and contribution for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mumbai
Date : 6th June, 2018

Dinabandhu Mohapatra
Managing Director & CEO

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

बैंक ऑफ़ इंडिया, जो कि भारत का एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है; उन समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति लगातार समर्पण में विश्वास करता है जिनके बीच यह अपना कारोबार चलाता है। बैंक ऑफ़ इंडिया का यह विश्वास है कि वह समाज जिसने वर्षों में उसे इतने विशाल आकार में प्रगति करने में सहायता की है वह प्रतिफल के रूप में कुछ न कुछ प्राप्त करने का अधिकारी है।

बैंक दृढ़तापूर्वक यह विश्वास करता है कि सीएसआर गतिविधि वह महत्वपूर्ण साधन है जो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है और कारोबारी संस्था की प्रतिष्ठा में सुधार करता है। सामाजिक कल्याण और सामाजिक विकास के लिए विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर बैंक ऑफ़ इंडिया ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बैंक मुख्यत: स्वच्छता अभियान, ग्रामीण विकास, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, महिला और बाल विकास के क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।

बैंक द्वारा पिछले कुछ वर्षों में देश के हर एक क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियों में खुलकर योगदान दिया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 में नये प्रावधान द्वारा अधिनियम के अंतर्गत गठित कंपनियों के लिए सीएसआर के तहत व्यय को अधिदेशित कर दिया गया है। यद्यपि बैंक इस वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है फिर भी एक जिम्मेदार कॉरपोरेट निकाय होने के नाते बैंक द्वारा सुयोग्य ध्येय हेतु सीएसआर गतिविधियों में योगदान किया जा रहा है।

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक निम्नलिखित तीन वर्गों के अंतर्गत सीएसआर लीडरशिप अवार्ड विजेता रहा :

1. सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट सामाजिक कार्यप्रणाली
2. दिव्यागों के लिए रोज़गार को बढ़ावा देना
3. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सहयोग

बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न सीएसआर परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं जिनकी कुल लागत रु. 2.18 करोड़ है :-

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक द्वारा निम्नलिखित सीएसआर परियोजनाओं में सहयोग किया गया है:

- स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत योगदान दिया गया जिससे विभिन्न सामाजिक स्तरों के लगभग 50 लाख लोगों को लाभ पँहुचा।
- कार्बनलाइट गैस, ईंधन बचत उपकरण आदि के द्वारा गरीब/वंचित बच्चों के कल्याण का कार्य करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी पहल की गई।
- गरीबों/वंचितों को स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्ग के लगभग 30 लाख लोगों को लाभ पंहुचाया गया।
- कैंसर रोगियों को सहायता प्रदान की गई।
- दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार कर तथा उनकी आय सृजन की क्षमता को सुनिश्चित कर उनको सहयोग प्रदान करना।
- विद्यालयों को लैपटॉप, कम्प्यूटर्स, वाटर कूलर्स प्रदान कर सहयोग करके भिन्न-भिन्न संख्या में कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को लाभ पहुचाया गया।
- दूरस्थ और अभ्यंतर गांवों में सौर प्रकाश (Solar lights) के रूप में सहायोग दिया गया जिससे 3 से 4 लाख गरीब ग्रामीणों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचा।
- गरीब मरीजों और वंचित बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यता की पूर्ती हेतु एम्बुलेंस, टेम्पो ट्रैवलर के रूप में सहायता कर लगभग 70-80 हजार गरीब मरीजों को लाभ पंहुचाया गया।
- ईंधन संसाधनों की ऊर्जा की बचत हेतु कदम उठाये गये।
- प्राकृतिक संसाधनों की बचत के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता हेतु पहल की गई।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Bank of India, a premier financial institution of the country believes in continuous dedication towards the socio-economic development of communities in which it operates. Bank of India believes that the society which has helped the Bank to grow to such an enormous size over the years, deserves to get back something in return for its development.

The Bank strongly believes that CSR activity is an important instrument that provides competitive advantage and improves reputation of the business concern. BOI has created its individual brand image in the field of Corporate Social Responsibility (CSR) by taking various social initiatives for social welfare and community development. The Bank is engaged in CSR activities mostly in the area of Swachhta Abhiyan, Rural Development, Education, Community Welfare, Women and Children.

The Bank has generously contributed to CSR activities over the last few years throughout the nook and corner of the country. A new provision in Companies Act 2013 has mandated expenditure under CSR for the Companies formed under the Act. Even though Bank does not come under this category, as a responsible corporate citizen, the Bank has been participating in CSR activities for worthy causes.

During the year 2017-18 Bank won CSR leadership Awards under the following three categories:

1. Best Corporate Social Practices
2. Promoting Employment for physically challenged
3. Support and improvement in quality of Education

Bank of India has approved various CSR projects during the year 2017-18 aggregating Rs.2.18 crores.

During the year 2017-18 Bank has assisted CSR projects as under:

- Participation under Swachh Bharat Abhiyaan benefitting around 50 lakh people of various strata of society.
- Initiative to protect Environment by way of Carbon Lite Gas fuel conservation equipment's etc. taking care of welfare of poor under privileged children.
- Extending health care to poor /under privileged benefitting around 30 lakh poor patients across various strata of society.
- Assistance to Cancer Patients.
- Extending assistance to differently abled persons by uplifting their economic and social status and ensuring their income generation capacity.
- Assistance by way of providing Laptops, computers, water coolers to schools for poor children benefitting students from standard 1 to standard 10th of varied population size.
- Assistance by way of solar lights in remote and interior villages benefitting around 3-4 lakh poor villagers and their families.
- Extending assistance by way of Ambulance, tempo traveler for health care needs of poor patients and underprivileged children benefitting around 70-80 thousand poor patients.
- Initiatives under Energy Conservation of fuel resources.
- Initiatives for fuel efficiency under conservation of natural resources.

कार्पोरेट शासन प्रणाली

शासन प्रणाली कूट पर बैंक का दर्शन :

बैंक की कार्पोरेट शासन प्रणाली का दर्शन शेयरधारक मूल्य में वृद्धि करते हुए अपने कारोबार संचालन में नैतिक परिपाटी के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता पर संरचित है। बोर्ड, कार्यपालकों तथा अन्य पदाधिकारियों का पारस्परिक संबंध इस तरह गठित है कि उनकी विशिष्ट भूमिकाएं स्पष्टतया चिन्हित हो जाती हैं तथा कार्पोरेट कार्यनिष्पादन में सुधार आता है। बैंक उच्च प्रकटन मानकों तथा पारदर्शिता के अनुसरण में भी प्रतिबद्ध है। सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के अनुसरण में बैंक ने कारोबार के प्रत्येक पक्ष की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

बोर्ड के निदेशक :

समय-समय पर यथा संशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत बैंक का गठन किया गया है। सामान्य पर्यवेक्षण, बैंक के कारोबार तथा कामकाज का प्रबंधन तथा निदेशन, निदेशक मंडल के पास है जिसकी अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष (चेयरमैन) महोदय करते हैं। अगस्त 2015 से, बैंक में एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपलब्ध हैं।

समीक्षाधीन वर्ष (2017-18) के दौरान बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य थे :

श्री जी. पद्मनाभन	अध्यक्ष
श्री दीनबंधु मोहापात्रा(05.05.2017 से)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
श्री मेलविन ओ. रेगो (05.05.2017 तक)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
श्री एन दामोदरन	कार्यपालक निदेशक
श्री ए के दास	कार्यपालक निदेशक
श्री सी. जी. चैतन्य (09.10.2017 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री आर. ए. शंकर नारायणन (31.08.2017 तक)	कार्यपालक निदेशक
श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्रीमती आर. सेबास्टियन	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
श्रीमती वेनी थापर	सनदी लेखाकार
श्री डी. सरकार (25.10.2017 से)	शेयरधारक निदेशक
श्री डी. हरीश (25.10.2017 से)	शेयरधारक निदेशक
श्री नीरज भाटिया (24.10.2017 तक)	शेयरधारक निदेशक
श्री संजीव कुमार अरोड़ा (24.10.2017 तक)	शेयरधारक निदेशक

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर शेष सभी निदेशकगण बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। केंद्रीय सरकार से भिन्न बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियमन-2015 (सेबी-एलओडीआर) के विनियम 16 (बी) के अनुरूप स्वतंत्र निदेशक हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पहचान कार्यक्रम का ब्योरा हमारी वेबसाइट अर्थात् www.bankofindia.co.in में उपलब्ध है।

हमारा कोई भी निदेशक दूसरे किसी निदेशक का रिश्तेदार नहीं है।

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक में कार्यग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री दीनबंधु मोहापात्रा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

श्री दीनबंधु मोहापात्रा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और विधि विषय में उन्हें डिग्री प्राप्त है। उन्होंने वर्ष 1984 में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ इंडिया में कार्य आरंभ किया। उन्होंने 05.05.2017 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है ।

CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy on code of Governance :

The Bank's corporate governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance shareholders' value. The interrelation between the Board, the executives and other functionaries is so configured as to have distinctly demarcated roles and improved corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various committees of the Board to monitor every aspect of business.

Board of Directors :

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended from time to time. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman. Since August 2015, the Bank has a Non-Executive Chairman and a full time Managing Director & Chief Executive Officer.

During the year under review (2017-18) the Composition of the Board was as under:-

Shri G. Padmanabhan	Chairman
Shri Dinabandhu Mohapatra (from 05.05.2017)	Managing Director & CEO
Shri Melwyn O. Rego (Upto 05.05.2017)	Managing Director & CEO
Shri N Damodharan	Executive Director
Shri A K Das	Executive Director
Shri C. G. Chaitanya (from 09.10.2017)	Executive Director
Shri R. A. Sankara Narayanan (upto 31.08.2017)	Executive Director
Shri Girish Chandra Murmu	Govt. Nominee Director
Ms. R. Sebastian	RBI Nominee Director
Ms. Veni Thapar	Chartered Accountant
Shri D. Sarkar (from 25.10.2017)	Shareholder Director
Shri D. Harish (from 25.10.2017)	Shareholder Director
Shri Neeraj Bhatia (upto 24.10.2017)	Shareholder Director
Shri Sanjiv Kumar Arora (upto 24.10.2017)	Shareholder Director

All directors, other than the Managing Director & CEO and the Executive Directors, are non-executive Directors on the Board. The Directors representing shareholders of the Bank other than the Central Government are independent directors within the meaning of Regulation 16 (b) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations- 2015 (SEBI-LODR).

Details of familiarization programmes imparted to independent directors are available on our website i.e. www.bankofindia.co.in.

None of the Directors is a relative of other Director.

Brief Profile of the Directors who joined the Bank during the year - 2017-18

Shri Dinabandhu Mohapatra, Managing Director & CEO:

Shri Dinabandhu Mohapatra, a post-graduate in Economics and holding a degree in Law, joined Bank of India as a Direct Recruit Officer in the year 1984. He has taken charge as Managing Director & CEO of the Bank on 05.05.2017.

व्यापक ज्ञान होने के साथ-साथ उन्हें बहु-आयामी बैंकिंग का चौतीस वर्षों का अनुभव है जिसमें ट्रेज़री परिचालन, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, कॉर्पोरेट ऋण, विपणन, वसूली, मानव संसाधन शामिल है। इस दौरान वे बैंक ऑफ इंडिया के हाँग-काँग और सिंगापुर केन्द्रों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी रहे।

वे 23 जनवरी 2016 को कार्यपालक निदेशक के रूप में केनरा बैंक से जुड़े, जहाँ उन्होने अंतरराष्ट्रीय परिचालन, ओवरसीज क्रेडिट, कार्यनीतिक योजना व विकास, रिटेल संसाधन, विपणन और विक्रय आदि का कार्यभार संभाला। वे केनरा बैंक की समनुषंगी कंपनियों - चॉइस (CHOICe), कैनबैंक फ़ैक्टर्स व कैनबैंक कम्प्यूटर सर्विसेस लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी रहे।

श्री सी.जी चैतन्य, कार्यपालक निदेशक

श्री चितापल्ली गायत्री चैतन्य, कृषि में परास्नातक और सीएआईआईबी (CAIIB) हैं, उन्होंने जून 1985 में परिवीक्षाधीन कृषि अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ इंडिया में कार्य आरंभ किया।

उन्होंने बैंक के साथ अपने 32 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कई कार्यभार को संभाला हैं। बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में अपनी पदोन्नति से पूर्व वे बैंक ऑफ इंडिया सिंगापुर केंद्र में शामिल सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और म्यांमार के मुख्य निदेशक थे। उन्होंने पूरे भारत में विविध शाखाओं में प्रबंधकीय पद को संभाला है, इस तरह से उन्होने सम्पूर्ण बैंकिंग/प्रशासनिक ज्ञान प्राप्त किया। श्री चैतन्य ने न्यूयार्क शाखा के उपाध्यक्ष के रूप में तथा विविध पदों पर व्यापक विदेशी अनुभव प्राप्त किया हैं। टीम लीडर के रूप में वे न्यूयार्क में मिडास से मिडास प्लस से प्रवसन प्रणाली के सफल क्रियान्वयन में सहायक थे। उन्होने गहन ऋण ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया है, और साथ ही आईटी में भी अच्छा अनुभव प्राप्त है।

श्री चैतन्य एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होने बैंक ऑफ इंडिया में समूहन कक्ष को अलग विभाग के रूप में शुरू किया । उन्हें तकनीकी मूल्यांकन विभाग के साथ वित्त परियोजनों में भी व्यापक अनुभव प्राप्त हैं, और इस तरह से विनिर्माण क्षेत्र और इंफ्रास्टील , सड़क, ऊर्जा में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है ।

उनकी बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रुप में पदोन्नति 09.10.2017 को हुई।

श्री डी. सरकार, शेयर धारक निदेशक

श्री देवव्रत सरकार, उम्र 64 वर्ष सनदी लेखाकार, वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं और एक प्रमाणित बैंकर हैं। उन्होने अपना कार्यकाल बैंक ऑफ बड़ौदा में शुरू किया और इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले महाप्रबंधक के पद तक पहुंचे और बाद में उन्हें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे कई कॉर्पोरेट के साथ जुड़े रहे और उनके पास बैंकिंग और वित्त में विविध अनुभव है।

वे 25.10.2017 से 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्ति किए गए हैं।

श्री डी. हरीश, शेयर धारक निदेशक

श्री डी. हरीश उम्र 56 वर्ष के हैं, वे वाणिज्य स्नातक हैं। वह व्यक्तिगत प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक भी हैं। वे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के एचआर के उपाध्यक्ष थे। उनके पास ग्लोबल व्यापार विषय पर प्रबंधन बदलाव में अच्छा अनुभव हैं, यूनीलीवर यूके में ग्लोबल प्रॉजेक्ट मैनेजर - एन्टरप्राइस कल्चर के रूप में (1999-2001) कार्य किया । वर्तमान में वह लीडर शिप कोच और संगठन सलाहकार (2008 से अब तक) हैं।

वह 25.10.2017 से 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक के शेयर धारक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

He carries with him vast knowledge and multi-dimensional banking experience including Treasury Operations, International Banking, Priority Sector Lending, Corporate Lending, Marketing, Recovery, Human Resources, spanning over thirty four years, including his stint as Chief Executive Officer of Hong Kong and Singapore Centres of Bank of India.

He joined Canara Bank as Executive Director on January 23, 2016 where he was overseeing International Operations, Overseas Credit, Strategic Planning & Development, Retail Resources, Marketing and Selling, etc. He was also a Director on the Board of Canara Bank's Subsidiaries - CHOICe, Canbank Factors & Canbank Computer Services Limited.

Shri C. G. Chaitanya, Executive Director:

Shri Chintapalli Gayatri Chaitanya, a postgraduate in agriculture and CAIIB, joined Bank of India as a Probationary Agricultural Officer in June, 1985.

He has handled several assignments during his 32 years career with the Bank. Prior to his elevation as Executive Director of Bank of India, he was Chief Executive of Bank of India Singapore Centre covering Singapore, Cambodia, Vietnam, Indonesia & Myanmar. He has handled Managerial position in various branches across India, thus acquiring all round banking / administrative knowledge. Shri Chaitanya has got wide overseas experience in various capacities including as a Vice President of New York Branch. As a team leader he was instrumental in successful implementation of migration systems from Midas to Midas Plus in New York. He has got in-depth credit knowledge and experience and also got very good experience in IT.

Shri Chaitanya is a key person, who started the Syndication cell as a separate department in Bank of India. He has got wide experience in Project Finance with Technical Appraisal Department and thus gained vast experience in Power, Road, Steel, Infra and Manufacturing sectors.

He has been elevated as Executive Director of Bank of India with effect from 09.10.2017.

Shri D. Sarkar, Shareholders Director:

Shri Debabrata Sarkar, aged 64 years is a Post Graduate in Commerce, Chartered Accountant and is a certified banker. He started his career in Bank of Baroda and rose to the level of General Manager before being appointed as an Executive Director of Allahabad Bank and later as the Chairman and Managing Director of Union Bank of India. Post retirement, he has been associated with many corporates and has varied experience in Banking and Finance.

He is elected as Shareholder Director of the Bank for a term of 3 years w.e.f. 25.10.2017.

Shri D. Harish, Shareholders Director:

Shri D. Harish, aged 56 year, is a Commerce Graduate. He also holds a Post Graduate Diploma in Personnel Management & Industrial Relations. He was the Vice President – HR of Hindustan Lever Ltd. He has rich experience in Change Management at a global business context having worked in Unilever UK as a Global Project Manager – Enterprise Culture (1999-2001) and having worked as the Vice President-HR Services (2007-2008). Presently, he is the Leadership Coach & Organisation Consultant (from 2008 – till date).

He is elected as Shareholder Director of the Bank for a term of 3 years w.e.f. 25.10.2017.

निदेशकों के अन्य विवरण (31.03.2018 तक)

OTHER PARTICULARS OF DIRECTORS (As on 31.03.2018)

क्र सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of Directors	श्रेणी (अध्यक्ष / कार्यपालक / गैरकार्यपालक / स्वतंत्र / नामिती) Category (Chair- person/ Executive / Non-Executive/ independent/ Nominee)	बैंक के ईक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समितियों के सदस्य Member of Board Committees* सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
1	श्री जी. पद्मनाभन Shri G. Padmanabhan	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष Non-Executive Chairman	–	14.08.2015	बैंकिंग Banking	सदस्य, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट समिति, सदस्य विनियमन, एनएसईआईएल Member, Independent Oversight Committee Member Regulations, NSEIL	–	–
2	श्री दीनबंधु मोहापात्रा Shri Dinabandhu Mohapatra	कार्यपालक Executive	1200	05.05.2017	बैंकिंग Banking	एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया Export Import Bank of India	1	–
3	श्री एन दामोदरन Shri N Damodharan	कार्यपालक Executive	–	16.02.2017	बैंकिंग Banking	1. बी ओ आई मर्चेन्ट बैंकर्स लि. 2. द न्यू इंडिया एशुरेंस को. लि. 3. बी ओ आई न्युजीलैंड लि. 4. पी टी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके 1. BOI Merchant Bankers Ltd 2. The New India Assurance Co. Ltd. 3. BOI (Newzealand) Ltd. 4. PT Bank of India Indonesia TBK	3	–
4	श्री ए के दास Shri A K Das	कार्यपालक Executive	–	17.02.2017	बैंकिंग Banking	1. जनरल इन्शुरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया 2. बीओआई शेयर होल्डिंग लि. 3. स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विस प्राइवेट लि. 4. बी ओ आई बोत्सवाना लि. 1. General Insurance Corporation of India 2. BOI Shareholding Ltd. 3. Swift India Domestic Services Pvt. Ltd. 4. BOI (Botswana) Ltd.	4	–
5	श्री सी.जी चैतन्य Shri C. G. Chaitanya	कार्यपालक Executive	–	09.10.2017	बैंकिंग Banking	शून्य None	1	–
6	श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू Shri Girish Chandra Murmu	नामिती Nominee	–	14.06.2016	प्रशासन Administration	भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	1	–
7	श्रीमती आर. सेबास्टियन Ms R Sebastian	नामिती Nominee	–	26.04.2016	बैंकिंग Banking	शून्य None	1	–
8	श्रीमती वेनी थापर Ms Veni Thapar	गैर कार्यपालक Non Executive	–	21.06.2016	लेखा Accounting	शून्य None	–	1
9	श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	स्वतंत्र Independent	–	25.10.2017	लेखा Accounting	1. विस्तारा आईटीसीएल(इंडिया) लि. 2 सनको गोल्ड लि. 3. एसेट रीकन्स्ट्रक्शन को (आई) लि. 4. हिंदुजा लीलैंड फ़ाइनेंस लि. 5. एलआईसी हाउसिंग फ़ाइनेंस लि. 6. आईएल एंड एफ़एस इंजी एंड कोन को लि. 7. लर्निंग कर्व एडुटेक सोल्युशन(पी)लि. 8. इनसेपशन एंडवाजर(पी) लि. 9. ईज़ी होम फाइनेंस लि. 1. Vistara ITCL (India) Ltd. 2. Sanco Gold Ltd. 3. Asset Reconstruction Co (I) Ltd. 4. Hinduja Leyland Finance Ltd. 5. LIC Housing Finance Ltd. 6. IL&FS Engg. & Con.Co. Ltd. 7. Learning Curve Edutech Solution (P) Ltd. 8. Inception Advisors (P) Ltd. 9. Easy Home Finance Ltd.	2	4
10	श्री डी. हरीश Shri D. Harish	स्वतंत्र Independent	–	25.10.2017	मानव संसाधन Human Resources	शून्य None	1	–

* सेबी एलओडीआर विनियमन 2015 की अनुसूची V के खण्ड सी के अनुपालन में, बैंक ने केवल लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक संबंध समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया है।

* In compliance of Clause C of Schedule V of SEBI LODR Regulations 2015, the Bank has considered the Chairmanship/ Membership of the Audit Committee and the Stakeholders' Relationship committee only.

बोर्ड की बैठकों का आयोजन :

वित्त-वर्ष 2018 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की कुल 18 बैठकें आयोजित की गई:

Conduct of Board Meetings :

During the FY 2018, 18 Board Meetings were held on the following dates:

18.04.2017	27.04.2017	22.05.2017	08.06.2017	25.07.2017	09.08.2017
12.09.2017	30.10.2017	10.11.2017	19.12.2017	21.12.2017	29.12.2017
20.01.2018	30.01.2018	12.02.2018	15.02.2018	27.02.2018	20.03.2018

वित्त-वर्ष 2018 में बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings in FY 2018 are as follows:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Recorded	अवधि (से - तक) Period (From - To)
श्री जी. पद्मनाभन	Shri G. Padmanabhan	18	18	01.04.2017 to 31.03.2018
श्री डी. मोहापात्रा	Shri D. Mohapatra	16	16	05.05.2017 to 31.03.2018
श्री मेल्विन ओ. रेगो	Shri Melwyn O. Rego	2	2	01.04.2017 to 05.05.2017
श्री एन दामोदरन	Shri N Damodharan	18	18	01.04.2017 to 31.03.2018
श्री ए के दास	Shri A K Das	18	16	01.04.2017 to 31.03.2018
श्री सी.जी चैतन्य	Shri C. G. Chaitanya	11	11	09.10.2017 to 31.03.2018
श्री आर.ए. शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	6	6	01.04.2017 to 31.08.2017
श्री गिरीश चन्द्र मुर्मु	Shri Girish Chandra Murmu	18	6	01.04.2017 to 31.03.2018
श्रीमती आर. सेबास्टियन	Ms R Sebastian	18	8	01.04.2017 to 31.03.2018
श्री हरविंदर सिंह	Shri Harvinder Singh	2	2	01.04.2017 to 30.04.2017
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	7	7	01.04.2017 to 24.10.2017
श्री संजीव कुमार अरोड़ा	Shri Sanjiv Kumar Arora	7	7	01.04.2017 to 24.10.2017
श्रीमती वेनी थापर	Ms Veni Thapar	18	18	01.04.2017 to 31.03.2018
श्री डी. सरकार	Shri D. Sarkar	11	10	25.10.2017 to 31.03.2018
श्री डी. हरीश	Shri D. Harish	11	10	25.10.2017 to 31.03.2018

बोर्ड समितियां

कॉर्पोरेट शासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यनीतिक महत्व वाले विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड समितियां निम्नानुसार हैं :-

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति
2. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति
3. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
4. शेयर धारक संबंध समिति
5. शेयर अंतरण समिति
6. जोखिम प्रबंधन हेतु निदेशकों की समिति
7. ग्राहक सेवाओं हेतु निदेशकों की समिति
8. निदेशकों की पारिश्रमिक समिति
9. निदेशकों की नामांकन समिति
10. कारोबार समीक्षा समिति
11. निवेश अनुमोदन समिति
12. बडे मूल्य की धोखाधडियों की निगरानी हेतु समिति
13. आईटी कार्यनीति समिति
14. निदेशकों की पदोन्नति समिति
15. एचआर पर बोर्ड की संचालन समिति
16. इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति

Board Committees

The Board of Directors of the Bank has constituted various committees of directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India Guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Board Committees are as under:

1. Management Committee of the Board
2. Credit Approval Committee of the Board
3. Audit Committee of the Board
4. Stakeholders' Relationship Committee
5. Share Transfer Committee
6. Committee of Directors for Risk Management
7. Committee of Directors for Customer Services
8. Remuneration Committee of Directors
9. Nomination Committee of Directors
10. Business Review Committee
11. Investment Approval Committee
12. Committee for Monitoring on Large Value Frauds
13. IT Strategy Committee
14. Directors Promotion Committee
15. Steering Committee of the Board on HR
16. Review Committee for Wilful Defaulters

17. उच्च मूल्य एनपीए और हानि परिसंपत्तियों की निगरानी समिति
18. बोर्ड की स्वतंत्र निदेशकों की समिति
19. अनुशासनिक कार्यवाही समिति
20. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
21. डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति

बोर्ड की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है. प्रबंधन समिति वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टे खाते लिखने संबंधी प्रस्तावों, वाद/अपील दायर करने आदि के संबंध में बोर्ड को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। दिनांक 31.03.2018 तक इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, 3 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक और 2 अन्य निदेशकों सहित 7 सदस्य शामिल हैं।

वित्तीय-वर्ष 2018 के दौरान बोर्ड प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 23 बैठकें हुई :

17. Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets
18. Independent Directors' Committee of the Board
19. Disciplinary Proceeding Committee
20. Corporate Social Responsibility Committee
21. Digital Payment Promotion Committee

Management Committee of the Board :

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme, 1970. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals, etc. As on 31.03.2018, it comprised of 7 members consisting of the Managing Director and CEO, 3 Executive Directors, RBI Nominee Director and 2 other Directors.

The Management Committee of the Board met 23 times during the FY 2018 on the following dates:

17.04.2017	28.04.2017	05.05.2017	19.05.2017	09.06.2017	22.06.2017
29.06.2017	25.07.2017	08.08.2017	22.08.2017	11.09.2017	21.09.2017
28.09.2017	30.10.2017	15.11.2017	30.11.2017	15.12.2017	29.12.2017
18.01.2018	01.02.2018	06.03.2018	20.03.2018	28.03.2018	

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति की रिपोर्ट निम्नानुसार है:

Attendance record of the members in the above meetings is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	अवधि (से - तक) Period (From - To)
श्री डी. मोहापात्रा	Shri D. Mohapatra	20	20	05.05.2017 to 31.03.2018
श्री मेल्विन ओ. रेगो	Shri Melwyn O. Rego	3	3	01.04.2017 to 05.05.2017
श्री एन दामोदरन	Shri N Damodharan	23	22	01.04.2017 to 31.03.2018
श्री ए के दास	Shri A K Das	23	20	01.04.2017 to 31.03.2018
श्री सी.जी चैतन्य	Shri C. G. Chaitanya	10	10	09.10.2017 to 31.03.2018
श्री आर.ए. शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	10	10	01.04.2017 to 31.08.2017
श्रीमती आर. सेबास्टियन	Ms R Sebastian	23	15	01.04.2017 to 31.03.2018
श्री हरविंदर सिंह	Shri Harvinder Singh	2	2	01.04.2017 to 30.04.2017
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	12	12	01.04.2017 to 28.04.2017 12.05.2017 to 24.10.2017
श्री संजीव कुमार अरोड़ा	Shri Sanjiv Kumar Arora	12	12	01.04.2017 to 11.05.2017 05.06.2017 to 24.10.2017
श्री डी. सरकार	Shri D. Sarkar	10	8	25.10.2017 to 31.03.2018
श्री डी. हरीश	Shri D. Harish	10	10	25.10.2017 to 31.03.2018

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति:

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नयी दिल्ली की संसूचना संदर्भ सं.13/1/2006-बीओ.1 दिनांकित 31 जनवरी, 2012, द्वारा जारी निदेशों के अनुसार बैंक ने बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया है। यह ऋण अनुमोदन समिति हमारे बैंक के मामले में रु.400 करोड़ तक के किसी एकल ऋण प्रस्ताव के बारे में बोर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करेगी और ऐसी सीमाओं से अधिक एक्सपोज़र के मामलों पर प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, वित्त के प्रभारी महाप्रबंधक और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी महाप्रबंधक और संबंधित ऋण के प्रभारी महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक की प्रबंध निदेशक एवं

Credit Approval Committee of the Board:

In terms of the directions of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their communication reference No.13/1/2006-BO.1 dated 31st January 2012, the Bank has constituted the Credit Approval Committee of the Board. The Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto Rs. 400 Crore in case of our Bank and in case of exposure exceeding such limits shall be considered by the Management Committee.

The members of the committee are the Managing Director & CEO, the Executive Directors, The General Manager in-charge of Finance and the General Manager in-charge of Risk Management and the General Manager in charge of Credit

सीईओ करते हैं। वित्तीय-वर्ष 2018 के दौरान बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 18 बैठकें हुई:

concerned. The committee meetings are being chaired by the Managing Director & CEO of the Bank. Credit Approval Committee of the Board met 18 times during the FY 2018 on the following dates::

12.04.2017	02.05.2017	12.05.2017	02.06.2017	21.06.2017	30.06.2017
27.07.2017	23.08.2017	22.09.2017	28.09.2017	26.10.2017	22.11.2017
29.11.2017	14.12.2017	27.12.2017	24.01.2018	09.03.2018	27.03.2018

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

Attendance record of the members in the above meetings is shown below

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	अवधि (से - तक) Period (From - To)
श्री डी. मोहापात्रा	Shri D. Mohapatra	16	16	05.05.2017 to 31.03.2018
श्री मेल्विन ओ. रेगो	Shri Melwyn O. Rego	2	2	01.04.2017 to 05.05.2017
श्री एन. दामोदरन	Shri N Damodharan	18	17	01.04.2017 to 31.03.2018
श्री ए. के. दास	Shri A K Das	18	16	01.04.2017 to 31.03.2018
श्री सी. जी. चैतन्य	Shri C. G. Chaitanya	8	8	09.10.2017 to 31.03.2018
श्री आर. ए. शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	8	6	01.04.2017 to 31.08.2017

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति :

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। यह एसीबी दिशानिर्देश देती है तथा बैंक के संपूर्ण लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन का निरीक्षण भी करती है।

लेखा परीक्षा समिति में 5 सदस्य हैं, अर्थात निरीक्षण और लेखा परीक्षा के प्रभारी कार्यपालक निदेशक, सरकार नामिती निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक और 2 अन्य निदेशक। वर्तमान में श्रीमति वेनी थापर, सनदी लेखाकर निदेशक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षा हैं। वित्तीय-वर्ष 2018 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को लेखा परीक्षा समिति की 11 बैठकें हुई :

Audit Committee of the Board :

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

The Audit Committee comprises of 5 members viz. Executive Director in charge of Inspection & Audit, Government Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and 2 other directors. Ms. Veni Thapar, Chartered Accountant Director is the present Chairperson of the Audit Committee of the Board. During the FY 2018, the Audit Committee met 11 times on the following dates:

28.04.2017	22.05.2017	09.06.2017	09.08.2017	22.09.2017	10.11.2017
24.11.2017	15.12.2017	22.12.2017	12.02.2018	27.02.2018	

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

The attendance record of the members in the above meetings is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	अवधि Period (From - To)
श्रीमती वेनी थापर	Ms Veni Thapar	11	11	01.04.2017 to 31.03.2018
श्री एन. दामोदरन	Shri N. Damodharan	11	11	01.04.2017 to 31.03.2018
श्री ए. के. दास	Shri A K Das	11	10	01.04.2017 to 31.03.2018
श्री सी.जी. चैतन्य	Shri C. G. Chaitanya	6	5	09.10.2017 t0 31.03.2018
श्री आर. ए. शंकर नारयणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	4	3	01.04.2017 to 31.08.2017
श्री गिरीश चन्द्र मुर्मु	Shri Girish Chandra Murmu	11	3	01.04.2017 to 31.03.2018
श्रीमती आर. सेबास्टियन	Ms R Sebastian	11	8	01.04.2017 to 31.03.2018

बोर्ड के निदेशकों के समक्ष स्वीकार किए जाने हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही परिणामों और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई।

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board prior to the placing before the Board of Directors for approval.

स्टेक होल्डर संबंध समिति

सेबी-एलओडीआर विनियमन 2015 के विनियम 20 के प्रावधान के अनुरूप कॉर्पोरेट शासन पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने इत्यादि के संबंध में शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु स्टेकहोल्डर संबंध समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान निवेशकों से अब तक प्राप्त सभी शिकायतों/सदंर्भों का उत्तर दिया गया/निपटाया गया। संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद प्राय:सात दिनों के अंदर निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई की जाती हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशकगण और दो स्वतंत्र शेयरधारक निदेशक हैं। श्री डी. सरकार, शेयरधारक निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री राजीव भाटिया, कंपनी सचिव, इस उद्देश्य के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को 25 शिकायतें प्राप्त हुई। इन सभी शिकायतों का निवारण किया गया है और यथा 31.03.2018 को एससीओआरईएस (SCORES) में कोई शिकायत लंबित नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई:

Stakeholders Relationship Committee :

In compliance of Regulation 20 of SEBI-LODR Regulations – 2015, Stakeholders' Relationship Committee, has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Balance Sheet, non-receipt of dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied / redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Executive Directors and Two Independent Directors. It is headed by Shri D. Sarkar, Shareholder Director of the Bank.

Shri Rajeev Bhatia, Company Secretary, is the Compliance Officer of the Bank for this purpose.

During the year 2017-18, Bank has received 25 Complaints. All of these have been resolved and there are no pending complaints at SCORES as on 31.03.2018.

The Committee met 4 times during the FY 2018 on the following dates:

09.06.2017	06.09.2017	30.11.2017	27.02.2018

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित है:

The attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	अवधि (से - तक) Period (From - To)
श्री डी.सरकार	Shri D. Sarkar	2	2	25.10.2017 to 31.03.2018
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	2	2	01.04.2017 to 24.10.2017
श्री एन दामोदरन	Shri N Damodharan	4	4	01.04.2017 to 31.03.2018
श्री ए. के दास	Shri A K Das	4	3	01.04.2017 to 31.03.2018
श्री सी.जी चैतन्य	Shri C. G. Chaitanya	2	2	09.10.2017 to 31.03.2018
श्री आर.ए. शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	1	1	01.04.2017 to 31.08.2017
श्री संजीव कुमार अरोड़ा	Shri Sanjiv Kumar Arora	2	2	01.04.2017 to 24.10.2017
श्री डी. हरीश	Shri D. Harish	2	2	25.10.2017 to 31.03.2018

शेयर अंतरण समिति

इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुईं :

Share Transfer Committee

It comprises of Managing Director & CEO, Executive Directors and two other Directors. The Committee met 4 times during the FY 2018 on the following dates:

28.04.2017	08.08.2017	15.11.2017	01.02.2018

जोखिम प्रबंधन के लिए निदेशकों की समिति

इस समिति का गठन बैंक द्वारा लिए गए समस्त जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुई :

Committee of Directors for Risk Management

This committee was formed to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. It comprises of Chairman, Managing Director & CEO, Executives Directors and three other directors. The committee met 4 times during the FY 2018 on the following dates:

27.04.2017	25.07.2017	30.11.2017	20.01.2018

ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप सितंबर 2004 में ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति का गठन किया गया था। समिति का कार्य बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता में अनवरत रूप से सुधार लाना है और ग्राहक सेवा हेतु गठित संचालन समिति (प्रधान कार्यालय में) के प्रदर्शन की समीक्षा करना है। इसमें प्रबंध निदेशक व सीईओ, तीन कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

Committee of Directors for Customer Service

As per the RBI guidelines, the Customer Service Committee of the Board was formed in September 2004. The functions of the committee are to bring about improvement in the quality of customer service provided by the Bank on an ongoing basis and to review the performance of the Standing Committee on Customer Service (at the head office). It comprises of Managing Director & CEO, three Executive Directors, GOI Nominee

और तीन अन्य निदेशक शामिल होते हैं। वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुई:

Director and three other directors. The committee met 4 times during the FY 2018 on the following dates:

09.06.2017	07.09.2017	15.12.2017	20.03.2018

निदेशकों की नामांकन समिति

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के चयन के लिए व्यक्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखे गए 'फिट एंड प्रोपर' मानदंड को पूरा करना होगा। नामांकन समिति में अध्यक्ष, सरकार द्वारा नामित निदेशक और 2 अन्य गैर कार्यपालक निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान समिति ने शेयरधारक निदेशकों की ('फिट एंड प्रोपर') स्थिति का पता लगाने के लिए 2 बैठकें 08.06.2017 और 03.10.2017 को की गई।

Nomination Committee of Directors

Under the provisions of Section 9 (3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Reserve Bank of India has laid down `Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalised Banks. The Nomination Committee consists of Chairman, Govt. Nominee Director and 2 other Non-Executive Directors. During the FY 2018 the committee met on 2 times on 08.06.2017 and 03.10.2017 to ascertain the `Fit & Proper' status of Shareholders Directors.

कारोबार समीक्षा समिति

नियामक कैलेण्डर मदों की आवधिक समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर इसकी बैठकें हुई।

Business Review Committee

The Committee was formed to review the regulatory calendar items periodically. This committee consist of the Chairman, Managing Director & CEO, Executive Directors and two other Directors. During the FY 2018, it met on following dates:

27.04.2017	08.06.2017	25.07.2017	12.09.2017
30.10.2017	19.12.2017	27.02.2018	

निवेश अनुमोदन समिति

निवेश संबंधित निर्णय लेने के लिए निवेश अनुमोदन समिति का गठन किया गया। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ , कार्यपालक निदेशकगण, महाप्रबंधक जोखिम प्रबंधन और महाप्रबंधक वित्त शामिल हैं।। वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर इसकी बैठकें हुई।

Investment Approval Committee

The Investment Approval Committee was formed to take investment decisions. It consists of the Managing Director & CEO, Executive Directors, General Manager – Risk Management and General Manager – Finance. During the FY 2018 it met on the following dates:

16.05.2017	21.06.2017	07.07.2017	01.08.2017	09.08.2017	22.09.2017
04.10.2017	11.10.2017	16.11.2017	28.11.2017	05.12.2017	07.12.2017
11.01.2018	19.01.2018	27.03.2018			

बड़े मूल्य की धोखाधडियों की निगरानी हेतु समिति

बड़े मूल्य की धोखाधडियों की निगरानी हेतु समिति का गठन किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और तीन अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर इसकी बैठकें हुई।

Monitoring of Large Value Frauds Committee:

The Committee was formed to monitor large value frauds. This committee consist of the Chairman, Managing Director & CEO, Executive Directors and three other Directors. During the FY 2018, it met on following dates:

08.06.2017	12.09.2017	30.11.2017	06.03.2018

आई.टी. कार्यनीति समिति

आई.टी. कार्यनीतियों पर निर्णय लेने के लिए तथा आई.टी. परियोजनाओं के क्षेत्र में हुए विकास की निगरानी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में यह समिति गठित की गई। इसमें अध्यक्ष, एमडी व सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, तथा दो अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। इसकी तिमाही अंतराल में बैठक होती है। वित्तीय-वर्ष 2018 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई -

IT Strategy Committee

The committee was formed in compliance of guidelines issued by Reserve Bank of India to take decision on IT Strategies and to monitor the development in the area of IT Projects. IT Strategy Committee consists of Chairman, MD and CEO, Executive Directors, and two other Non-Executive Directors. It meets on quarterly interval. During the FY 2018 it met on the following dates:

08.06.2017	12.09.2017	19.12.2017	06.03.2018

निदेशकों की पदोन्नति समिति

इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और आरबीआई नामिती निदेशक शामिल होते हैं । वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान समिति की 15.03.2018 को बैठक हुई-

Directors Promotion Committee

The Members of this committee are the Chairman, Managing Director & CEO and RBI Nominee Director. During the year FY 2018 it met on 15.03.2018.

एचआर पर बोर्ड की संचालन समिति

समिति एचआर से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए गठित की गई। इस समिति के सदस्य, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशक,

Steering Committee of the Board on HR

The Committee was formed to consider the HR related matters. The Members of this committee are Chairman, Managing

सरकार द्वारा नामित निदेशक और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय-वर्ष 2018 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई।

Director & CEO, Executive Directors, Govt. Nominee Director and two other directors. During the FY 2018 it met on the following dates:

08.06.2017	12.09.2017	19.12.2017	12.02.2018	06.03.2018

अत्यधिक मूल्य वाले एनपीए और हानि आस्तियां की निगरानी हेतु समिति

समिति वसूली की निगरानी और उच्च 30 एनपीए की समीक्षा के लिए गठित की गई। इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और महाप्रबंधक-वसूली विभाग के रूप में संयोजक शामिल हैं । वित्तीय-वर्ष 2018 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई -

Committee for Monitoring High value NPAs and Loss Assets

The Committee was formed to monitor recovery & review of top 30 NPAs. This committee consist of the Chairman, Managing Director & CEO, Executive Directors, Govt. Nominee Director and General Manager – Recovery Department as convener. During the FY 2018, it met on following dates:

08.06.2017	12.09.2017	30.10.2017	30.11.2017	19.12.2017
20.01.2018	27.02.2018	20.03.2018		

बोर्ड की अनुशासनिक कार्यवाही समिति:

इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक और सीईओ , सरकार द्वारा नामित निदेशक, आरबीआई नामित निदेशक और दो अन्य गैर कार्यपालक निदेशक है। वित्तीय-वर्ष 2018 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई -

Disciplinary Proceedings Committee of the Board

The Members of this committee are Managing Director & CEO, Govt. Nominee Director, RBI Nominee Director and two other Non-Executive Directors. During the FY 2018 it met on the following dates:

28.04.2017	22.09.2017	15.12.2017	06.03.2018

इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति :

इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक और सीईओ और दो अन्य गैर कार्यपालक निदेशक हैं। वित्तीय-वर्ष 2018 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई -

Review Committee for Wilful Defaulters

The Members of this committee are Managing Director & CEO and two other non-Executive Directors. During the FY 2018 it met on the following dates:

29.06.2017	21.09.2017	29.12.2017	20.03.2018

बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की समिति:

दो शेयर धारक निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। स्वतंत्र निदेशक' समिति की बैठक 06.09.2017 को ही हुई।

Independent Directors' Committee of the Board

The two Shareholder Directors are the members of this committee. The Independent Directors' Committee of the Board met on 06.09.2017.

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

इस समिति के अध्यक्ष हमारे प्रबंध निदेशक व सीईओ है। तीन कार्यपालक निदेशक और तीन गैर -कार्यपालक निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई -

Corporate Social Responsibility Committee

The MD & CEO is the Chairman of the Committee. Three Executive Directors and three non-executive directors are members of this committee. The Committee met on following dates:

09.06.2017	16.10.2017	20.03.2018

डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन समिति :

बैंक के अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष हैं। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और तीन कार्यपालक निदेशक तथा दो गैर कार्यपालक निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की बैठक 20.01.2018 को हुई।

Digital Payment Promotion Committee:

The chairman of the bank is the Chairman of the Committee. Managing Director & CEO and three Executive Directors and two non-executive directors are members of this committee The Committee met on 20.01.2018.

विगत वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

श्री जी पद्मनाभन, अध्यक्ष, श्री दीनबंधु मोहापात्रा, एमडी व सीईओ, श्री आर.ए. शंकर नारायणन, श्री एन. दामोदरन, श्री ए. के. दास, श्रीमती वेनी थापर, श्री एस. के. अरोड़ा और श्री नीरज भाटिया दिनांक 11.07.2017 को हुई बैंक की पिछली अर्थात इक्कीसवीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

Attendance of the Directors at the last Annual General Meeting

Shri G Padmanabhan, Chairman, Shri Dinabandhu Mohapatra, MD & CEO, Shri R. A. Sankara Narayanan, Shri N. Damodharan, Shri A. K. Das, Smt. Veni Thapar, Shri S K Arora and Shri Neeraj Bhatia attended the last Annual General Meeting i.e. Twenty First Annual General Meeting of the Bank held on 11.07.2017.

शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

शेयर अंतरण, लाभांश/ ब्याज का भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी कार्यकलापों पर कार्रवाई हमारे पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायत/

Share Transfers and Redressal of Shareholders`/Investors` Grievances

Share Transfers, Dividend / Interest Payments and all other investor related activities are attended to and processed at the

कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्नलिखित पते पर संपर्क करने का अनुरोध है :

इक्विटी शेयर और डिबेंचर/बॉन्ड के लिए
बिगशेयर सर्विसेस प्रा.लि
ईकाई : बैंक ऑफ इंडिया,
प्रथम तल, भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग, वसंत ओसिस के सामने, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400059, फोन -022-6263 8200, फैक्स -022-6263 8299
ई मेल : investor@bigshareonline.com

उपर्युक्त के अलावा, निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक के शेयर विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं:

स्टार हाउस, 8 वीं मंजिल, पूर्वी खण्ड, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051,
फोन 022-66684444, फैक्स- 022-66684491,
ई-मेल: headoffice.share@bankofindia.co.in

office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgement of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders and investors are requested to contact:

For Equity Shares and Debentures/ Bonds:
Bigshare Services Pvt. Ltd.,
Unit: Bank of India,
1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Marol, Andheri (East) , Mumbai-400059, Phone: 022–6263 8200,
Fax: 022 – 6263 8299 Email: investor@bigshareonline.com

Apart from the above, investors may also contact the Bank at its Investor Relations Department at:

Star House, 8th Floor, East Wing, C-5, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051,
Phone: 022 – 6668 4444, Fax: 022 - 6668 4491,
E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in

आम सभा की बैठकें :

General Body Meetings

	बैठक का स्वरूप	Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	विशेष संकल्प Special Resolution
1	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	20.02.2018 पूर्वाह्न 10.30 बजे 20.02.2018 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	भारत सरकार को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। Issue of Shares to Government of India on preferential basis
2	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	12.10.2017 पूर्वाह्न 10.15 बजे 12.10.2017 10.15 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	बैंक के शेयरधारकों में से दो शेयरधारक निदेशकों का चुनाव। Election of two Shareholder directors amongst the shareholders of the Bank
3	इक्कीसवीं वार्षिक आम बैठक	Twenty First Annual General Meeting	11.07.2017 पूर्वाह्न 10.30 बजे 11.07.2017 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	कुछ नहीं Nil
4	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	04.05.2017 पूर्वाह्न 10.30 बजे 04.05.2017 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	1. भारत सरकार को अधिमानी आधार पर नये शेयर जारी करना। 2. नई पूंजी और टियर-1/ टियर-2 बॉण्ड्स जारी करने हेतु अनुमोदन। 1. Issue of Shares to Government of India on preferential basis 2. Approval to issue fresh capital and Tier-I / Tier-II Bonds.
5	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	30.03.2017 पूर्वाह्न 10.30 बजे 30.03.2017 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। Issue of Shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis
6	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	30.08.2016 पूर्वाह्न 10.30 बजे 30.08.2016 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	भारत सरकार को अधिमानी आधार पर नये शेयर जारी करना। Issue of Shares to Government of India on preferential basis
7	बीसवीं वार्षिक आम बैठक	Twentieth Annual General Meeting	14.07.2016 अपराहन 3.00 बजे 14.07.2016 3.00 P.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	कुछ नहीं Nil

8	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	29.04.2016 पूर्वाह्न 10.15 बजे 29.04.2016 10.15 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	1. भारत सरकार को अधिमानी आधार पर नये शेयर जारी करना। 2. भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। 1. Issue of Fresh Shares to Government of India on Preference basis 2. Issue of Shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis
9	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	29.03.2016 पूर्वाह्न 10.30 बजे 29.03.2016 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	1. प्राधिकृत पूंजी में बढ़ोतरी। 2. नए शेयर और टियर-1/ टियर-2 बॉण्ड्स/ अधिमानी शेयर जारी करना। 3. भारतीय साधारण बीमा निगम को शेयर जारी करना। 1. Increase in Authorised Capital 2. Issue of Fresh Shares and Tier-1 and Tier-2 Bonds/ Preference Shares 3. Issue of Shares to General Insurance Corporation of India
10	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	21.12.2015 पूर्वाह्न 10.30 बजे 21.12.2015 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। Issue of Shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis
11	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	28.09.2015 पूर्वाह्न 10.30 बजे 28.09.2015 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	भारत सरकार को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। Issue of Shares to Government of India on preferential basis
12.	उन्नीसवीं वार्षिक आम बैठक	Nineteenth Annual General Meeting	20.07.2015 पूर्वाह्न 11.00 बजे 20.07.2015 11.00 A.M	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	नए शेयर और टियर-1/ टियर-2 बॉण्ड्स/ अधिमानी शेयर जारी करना। Issue of Fresh Shares and Tier-1 and Tier-2 Bonds/ Preference Shares

प्रकटन:

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 , बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत बैंक शासित है। सेबी ने यह स्पष्ट किया है कि विनियम 15(2) के अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाएं जो कंपनियां नहीं किंतु कार्पोरेट निकाय हैं या कारपोरेट शासन प्रणाली के प्रावधानों के अन्य संविधियों के विनियम के अधीन है, जैसा कि कुछ विनियमों के तहत स्पष्ट किया गया है यह उस सीमा तक लागू होगा जहां उनके संबन्धित प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा संबंधित संविधि का उल्लंघन न हो रहा हो।

i) **निदेशकों का पारिश्रमिक:**

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक, अन्य निदेशकों को बैठक शुल्क, जो कि निम्नलिखित है, के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता:

बोर्ड बैठकों के लिए : ₹ 20,000/- प्रति बैठक

समिति बैठकों के लिए : ₹ 10,000/- प्रति बैठक

ii) **महत्वपूर्ण संव्यवहारों और आर्थिक संबंधों का प्रकटन**

बैंक कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण भौतिक संव्यवहार इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों आदि से नहीं किया है जिसका बैंक के हितों से कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास हो सकता हो। बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशक के बीच वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुए हैं।

Disclosures :

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. SEBI has clarified under Regulation 15 (2) that for listed entities which are not companies, but body corporates, or are subject to regulations under other statues the provisions of Corporate Governance, as specified under certain regulations shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

i) **Remuneration of Directors :**

The remuneration of the Managing Director & CEO and Executive Directors is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the other directors except sitting fees which is as under:

For Board Meeting : ₹ 20,000/- per meeting

For Committee Meeting : ₹ 10,000/- per meeting

ii) **Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship**

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-a-vis the bank during the year.

बैंकिंग में यह सुस्थापित प्रथा है कि निदेशक, बोर्ड और बोर्ड की उप समितियों की उन चर्चाओं में भाग नहीं लेते जिनमें उनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता हो।

iii) **सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि की आगम राशियाँ**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पूंजी को बढ़ाने के लिए बैंक ने निम्न इक्विटी शेयर और टियर-I बॉन्ड जारी किए हैं :-

आवंटन की तारीख	विवरण (इनवेस्टर)	शेयरों/बॉन्डों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉन्ड मूल्य	राशि (₹ करोड़ में)
14.06.2017	भारतीय जीवन बीमा निगम	1,75,00,000	126.81	221.92
04.08.2017	भारत सरकार	11,23,51,134	133.51	1,500.00
27.03.2018	भारत सरकार	55,84,32,131	165.32	9,232.00
	कुल	68,82,83,265		10,953.92
02.11.2017	8.79% अतिरिक्त टियर I बॉन्ड (सीरीज V)		10,00,000	500.00

पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सशक्त करने के लिए तथा बैंक की लंबी अवधि के स्त्रोंतो को विकसित करने के लिए टियर I पूंजी संवर्धित करने के प्राथमिक उद्देश्य से निधि बढ़ाई गई तथा इस उद्देश्य हेतु उसका उपयोग किया गया।

iv. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक पर पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

v. सेबी एलओडीआर विनियमन-2015 के विनियम 40 (9) के अनुसार अंतरण करने, प्रेषण, उप विभाजन, समेकन, नवीनीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर इक्विटी शेयर्स के विनिमय के संबंध में जानकारी के साथ-साथ व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्रत्येक छ: माह में एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाता है। ये प्रमाण पत्र जारी किए जाने के 30 दिनों के भीतर बीएसई और एनएसई के वेब-पोर्टल, जहां शेयर सूचीबद्ध हैं, पर लोड किए जाते हैं।

vi. सेबी के परिपत्र सं. डी एवं सीसी/एफआईटीटीसी/सीआइआर-16 दिनांक 31 दिसंबर, 2002 की शर्तों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ कुल प्रविष्ट इक्विटी शेयर पूंजी के समाधान एवं बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल जारी/प्रदत्त इक्विटी पूंजी सहित प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन के साथ-साथ अभ्यासी कंपनी सचिव की फर्म के द्वारा तिमाही आधार पर एक कैपिटल रिपोर्ट का समाधान (reconciliation) किया जाता है। इस संबंध में जारी प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं एवं बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाते हैं जहां बैंक ऑफ़ इंडिया के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं।

vii. वर्तमान में बैंक का कोई विशेष अनुषंगी नहीं है।

viii. **स्वतंत्र निदेशकों की बैठक** - स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक 06.09.2017 को आयोजित की गयी।

ix. **गैर-कार्यपालक निदेशकों का प्रशिक्षण:-** वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के कारोबारी मॉडल तथा उद्योग की प्रकृति से परिचय कराने के लिए निदेशकों को निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रदान किया गया -

क्र. सं.	तारीख	निदेशकों के नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम
1	21.07.2017 से लेकर 22.07.2017	श्री संजीव कुमार अरोड़ा	आईडीआरबीटी, हैदराबाद	बैंक बोर्ड पर निदेशकों के लिए बैंकिंग प्रौद्योगिकी पर संगोष्ठी
2	02.02.2018	श्री डी. सरकार	सीएएफ़आरएएल, मुंबई	बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बोर्डों पर गैर-कार्यकारी निदेशक

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed

iii) **Proceeds From Public issues, Right issues, Preferential issues etc.**

During the year under review, the Bank has raised the following capital by issue of Equity Shares and Additional Tier I Bonds:

Date of Allotment	Particulars (Investors)	Number of Shares/ Bonds	Price per Share/bond	Amount (₹ In Crore)
14.06.2017	Life Insurance Corporation of India	1,75,00,000	126.81	221.92
04.08.2017	Government of India	11,23,51,134	133.51	1,500.00
27.03.2018	Government of India	55,84,32,131	165.32	9,232.00
	Total	68,82,83,265		10,953.92
02.11.2017	8.79% Additional Tier I Bonds (Series V)		10,00,000	500.00

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier-I Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long- term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

iv. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the year under review.

v. As required under regulation 40(9) of the SEBI LODR Regulations-2015, a certificate is obtained every six months from a practising Company Secretary, with regard to, inter alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgement. The certificates are uploaded on the web portals of BSE and NSE, where the equity shares are listed, within 30 days of issuance.

vi. In terms of SEBI's circular No.D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of Capital Audit is conducted on a quarterly basis by a firm of practising company secretaries, for the purpose of, inter alia, reconciliation of the total admitted equity share capital with the depositaries and in the physical form with the total issued/paid up equity capital of Bank of India. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of Bank of India are listed.

vii. At present the Bank does not have any material subsidiary.

viii. **Independent Directors Meeting:** The separate meeting of Independent Directors was held on 06.09.2017.

ix. **Training of Non-Executive Directors**: During the year 2017-18 the Bank has provided the following training to Directors to familiarize them with the nature of industry and business mode of the Bank:

Sr. No.	Date	Name of Directors	Name of Institute	Name of Course
1	21.07.2017 to 22.07.2017	Shri S. K. Arora	IDRBT, Hyderabad	Seminar on Banking Technology for Directors on Bank Board
2	02.02.2018	Shri D. Sarkar	CAFRAL, Mumbai	Non-Executive Directors on the Boards of Banks and Financial Institutions

x. बैंक के वेबसाइट - http://www.bankofindia.co.in/english/codeconduct.aspx पर निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता प्रदर्शित की गई है ।

xi. सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पर्दाफाश करनेवाली (व्हिसल ब्लोअर) नीति बनाई गई है। इसे बैंक के बेवसाइट http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx पर प्रदर्शित किया गया है।

xii. संबंधित नीति का लेनदेन:- संबंधित पक्ष लेनदेन को लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट की जाती है। संबंधित पक्ष के लेनदेन पर बैंक की नीति को बैंक के वेबसाइट http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx पर पोस्ट किया गया है। संबंधित पक्ष के लेनदेन का विस्तृत वर्णन एएस-18 के अंतर्गत है।

xiii. पारिश्रमिक नीति - प्रबंध निदेशक व सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अन्य स्टाफ सदस्यों के वेतन का निर्धारण भारतीय बैंक संघ के साथ त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार होता है।

xiv. लाभांश वितरण नीति - लाभांश वितरण नीति बैंक की वेबसाईट: http://www.bankofindia.co.in/pdf/DDP.Pdf पर उपलब्ध है।

संचार के साधन :

तिमाही तथा अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम (अलेखापरीक्षित किंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अध्यधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम इकॉनोमिक टाइम्स/बिज़नेस स्टैंडर्ड/बिज़नेस लाइन में अंग्रेजी में, नवशक्ति/आपला महानगर/मुंबई लक्षद्वीप में मराठी (क्षेत्रीय भाषा) में तथा बिज़नस स्टण्डर्ड/नवभारत टाइम्स/नवभारत में हिन्दी में प्रकाशित हुए। परिणाम को बैंक के वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया है। संस्थागत निवेशकों को की गई प्रस्तुतियां भी बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

जैसा कि सेबी द्वारा अपेक्षित है तथा सूचीबद्ध करारनामे के अनुसार, बैंक ऑफ़ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज के अपने वेब पोर्टलों पर ऑनलाइन वित्तीय तथा अन्य सूचनाएं फ़ाइल करता है।

वित्तीय कलेंडर : 1 अप्रैल, 2018 से

बैंक ऑफ़ इंडिया के वार्षिक लेखापरीक्षित खातों पर चर्चा हेतु बोर्ड की बैठक	28.05.2018
22वीं वार्षिक आम-बैठक का दिनांक, समय, स्थल	13 जुलाई, 2018 10:30 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडोटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई-400 051
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	15 जून 2018
बही बंद करने की तिथि	09.07.2018 से 12.07.2018
परोक्षी फार्म प्राप्ति की अंतिम तिथि	09.07.2018
प्रथम तीन तिमाहियों के अलेखापरीक्षित परिणाम पर विचार करने हेतु बोर्ड की बैठक	संबंधित तिमाही के 45 दिनों के भीतर।

x. Code of Conduct for Directors and Senior Management is posted on Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/codeconduct.aspx

xi. Whistle Blower Policy in terms of CVC guidelines has been formulated. The same is posted Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx

xii. Related Policy transaction – The Related party transactions are reported to Audit Committee. The Bank's policy on Related Party transaction is posted Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx. The details of related party transactions are as detailed under AS-18.

xiii. Remuneration Policy - The remuneration of the Managing Director & CEO, Executive Directors is fixed by the Government of India. Salary of the other staff members is as per the tripartite agreement of the IBA.

xiv. Divident Distribution Policy - The Divident Distribution Policy is available on Bank website: http:// www.bankofindia.co.in/pdf/DDP.Pdf

Means of Communication :

The quarterly and half-yearly financial results (unaudited but subject to limited review by the Statutory Auditors) and audited Annual results were published in the Economic Times/Business Standard/ Business Line in English, Navshakti/ Apla Mahanagar/ Mumbai Lakshdeep in Marathi (Regional language) and Business Standard/ Navbharat Times/Navbharat in Hindi. The results were also displayed on the Bank's website at www.bankofindia.co.in. The presentations made to institutional investors are also available on Bank's website.

As required by SEBI and in the Listing Regulations, Bank of India, files its financial and other information online on their web portals of the stock exchange.

Financial Calendar: From 1st April, 2018 :

Board Meeting for considering Annual Audited Accounts of Bank of India	28.05.2018
Date, Time, Venue of 22nd AGM	13th July, 2018 At 10.30 A.M. Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla-Complex, Mumbai - 40 0051
Posting of Annual Report	By 15th June, 2018
Book Closure dates	09.07.2018 to 12.07.2018
Last Date for receipt of proxy forms	09.07.2018
Board Meeting for considering Un-audited result for first 3 quarters	Within 45 days of the relevant quarter.

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण

बैंक के शेयरों का मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लि., नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया है। स्टॉक स्क्रिप कोड निम्नानुसार है:

दि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई)	532149/BANKINDIA
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. (एनएसई)	BANKINDIA EQ
आईएसआईएन क्रमांक	INE084A01016

उक्त दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर वचनपत्रों/डिबेंचर्स के रूप में अपरिवर्तनीय बॉंड (टियर I एवं II पूंजी) जारी किये हैं। तत्संबंधित ब्योरा निम्नानुसार है:

बैंक ऑफ़ इंडिया बॉंड - टियर I एवं टियर II पूंजी स्थिति यथा 31.03.2018

Listing on Stock Exchanges

The shares of the Bank are listed on The BSE Ltd. and The National Stock Exchange of India Limited. The stock scrip codes are as follows:

The BSE Ltd. (BSE)	532149/ BANKINDIA
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	BANKINDIA EQ
ISIN Number	INE084A01016

Annual listing fee for 2018-19 has been paid to both of the stock exchanges.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes / Debentures (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof are as under:

BANK OF INDIA BOND – TIER I and TIER II CAPITAL POSITION AS ON 31.03.2018.

क्र.सं. Sr.No	निर्गम का विवरण	PARTICULARS OF THE ISSUE	कुल मूल्य (₹ करोड़ में) TOTAL VALUE (₹ in Crores)	आईएसआईएन नं. ISIN NO.
1	*11.00% अतिरिक्त टियर I श्रृंखला I	*11.00% Additional Tier I Series I	2500.00	INE084A08052
2	*11.50% अतिरिक्त टियर I श्रृंखला II	*11.50% Additional Tier I Series II	1000.00	INE084A08078
3	*11.50% अतिरिक्त टियर I श्रृंखला III	*11.50% Additional Tier I Series III	500.00	INE084A08086
4	*9.95% अतिरिक्त टियर I श्रृंखला IV	* 9.95% Additional Tier I Series IV	1000.00	INE084A08102
5	*8.79% अतिरिक्त टियर I श्रृंखला V	* 8.79% Additional Tier I Series V	500.00	INE084A08128
6	8.90% आईपीडीआई बॉन्ड -श्रृंखला IV	8.90% IPDI Bonds-Series IV	400.00	INE084A09167
7	9.00% आईपीडीआई बॉन्ड -श्रृंखला V	9.00% IPDI Bonds-Series V	325.00	INE084A09191
8	9.05% आईपीडीआई बॉन्ड -श्रृंखला VI	9.05% IPDI Bonds-Series VI	300.00	INE084A09225
9	11.15% अपर टियर II श्रृंखला–II	11.15% Upper Tier II Series–II	500.00	INE084A09159
10	8.45% अपर टियर II श्रृंखला –III	8.45% Upper Tier II Series –III	500.00	INE084A09175
11	8.50% अपर टियर II श्रृंखला –IV	8.50% Upper Tier II Series –IV	500.00	INE084A09183
12	8.54% अपर टियर II श्रृंखला –V	8.54% Upper Tier II Series –V	1000.00	INE084A09209
13	8.48% अपर टियर II श्रृंखला –VI	8.48% Upper Tier II Series –VI	1000.00	INE084A09217
14	9.80% टियर II श्रृंखला X	9.80% Tier II Series X	1000.00	INE084A08037
15	9.80% टियर II श्रृंखला XI	9.80% Tier II Series XI	500.00	INE084A08045
16	8.52% टियर II श्रृंखला XII	8.52% Tier II Series XII	3000.00	INE084A08060
17	8.57% टियर II श्रृंखला XIII	8.57% Tier II Series XIII	1500.00	INE084A08094
18	8.00% टियर II श्रृंखला XIV	8.00% Tier-II Series XIV	1000.00	INE084A08110
	कुल	**TOTAL**	**17,025.00**	

* नियामक कॉल विकल्प के द्वारा इन बॉन्डस को 21-04-2018 को रिडीम किया गया।

इन सभी बॉन्डस का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया है तथा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2018-19 का वार्षिक शुल्क अदा किया है।

*Exercised Regulatory Call Option and Redeemed these bonds on 21.04.2018.

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee for 2018-2019 to the Stock Exchange.

ऋण श्रेणी निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) / Credit Ratings (Outlooks)

क्र.सं. Sr. No.	जारीकर्ता रेटिंग Issuer Rating	कॉर्पोरेट रेटिंग (लंबी / छोटी) Corporate Rating (Long/ Short)	कॉर्पोरेट प्रशासन रेटिंग Corporate Governance Rating	बैंक सावधि जमा Bank Fixed Deposit	अतिरिक्त टियर I बॉन्ड * Additional Tier I Bonds *	आईपीडीआई बॉन्ड IPDI Bonds	टियर II बॉन्ड Tier II Bonds	जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposit
1	मूडीज इन्वेस्टर सर्विस Moody's Investor Service	Baa3/ P3 (स्थिर) (Stable)	-	-	-	-	-	-
2	स्टैंडर्ड एण्ड पूअर (एस एंड पी) Standard & Poor (S&P)	BB+/ B (स्थिर) (Stable)	-	-	-	-	-	-
3	फिच रेटिंग्स Fitch Ratings	BBB-/ F3 (स्थिर) (Stable)	-	-	-	-	-	-
4	क्रिसिल लिमिटेड CRISIL Limited	-	-	-	A+ (नकारात्मक) (Negative)	AA+ (स्थिर) (Stable)	AA+ (स्थिर) (Stable)	A1+
5	सीएआरई CARE	-	-	-	-	AA- (स्थिर) (Stable)	AA- (स्थिर) (Stable)	-
6	आईसीआरए ICRA	-	CGR-2	MAA+ (नकारात्मक) (Negative)	-	-	-	-
7	ब्रिकवर्क रेटिंग Brickwork Ratings	-	-	-	A+ (स्थिर) (Stable)	AA (स्थिर) (Stable)	AA (स्थिर) (Stable)	-
8	इंडिया रेटिंग India Rating	AA+ (स्थिर) (Stable)	-	-	A+ (स्थिर) (Stable)	-	AA+ (स्थिर) (Stable)	-

* नियामक कॉल विकल्प चुना तथा 21.04.2018 को इन बॉन्ड को रिडीम किया गया।

* Exercised Regulatory Call Option and Redeemed these bonds on 21.04.2018.

शेयरों का अमूर्तीकरण:

बैंक के शेयरों का लेन-देन अनिवार्य रूप से केवल अमूर्त (डीमैट) रूप में किया जाता है। बैंक ने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए दोनों निक्षेपागारों यथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडील) एवं केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (भारत) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है।

यथा 31/03/2018 को शेयरधारकों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अमूर्त रूप से धारित शेयरों का ब्योरा निम्नानुसार है :

Dematerialisation of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31/03/2018 are as under:

		शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों का % Shareholders in %	शेयरो की संख्या No. of shares	शेयरधारिता का % Shareholders in %
सीडीएसएल	CDSL	105553	39.20	261926118	15.03
एनएसडीएल	NSDL	64349	23.90	907579651	52.07
मूर्त	Physical	99383	36.90	*573472600	32.90
कुल	Total	269285	100.00	1742978369	100.00

* इसमें दिनांक 27.03.2018 को भारत सरकार को आबंटित 558432131 इक्विटी शेयर शामिल हैं जो यथा 31.03.2018 को अमूर्तिकरण हेतु लंबित थे और अब इनका अमूर्तिकरण किया जा चुका है।

* includes 558432131 equity shares allotted to Government of India on 27.03.2018 and pending for dematerialisation as on 31.03.2018, since dematerialised.

शेयरधारिता का पैटर्न यथा 31.03.2018 / Shareholding Pattern as on 31.03.2018

शेयरधारकों का प्रवर्ग	Category of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या Number of Shareholders	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding	लॉक इन के तहत शेयर Shares under Lock- in	लॉक इन के तहत शेयरों का % % of Shares under Lock-in
केन्द्रीय सरकार (प्रवर्तक)	Central Government (Promoters)	2	1448298073	83.09	1448298073	100.00
म्यूचुअल फंड/यूटीआई	Mutual Funds / UTI	19	22988709	1.32	-	-
वित्तीय संस्थाएं/बैंक	Financial Institutions / Banks	34	14816130	0.85	-	-
बीमा कंपनियां	Insurance Companies	35	159980548	9.18	17500000	10.94
कार्पोरेट निकाय	Bodies Corporate	1885	12910972	0.74	-	-
विदेशी धारिता	Foreign Holding	2195	29094126	1.67	-	-
एकल व्यक्ति	Individuals	265115	54889811	3.15	-	-
कुल	**Total**	**269285**	**1742978369**	**100.00**	**1465798073**	**84.09**

एकल व्यक्तियों (जन सामान्य) की शेयरधारिता जिनके पास कुल शेयरों की संख्या का 1% से अधिक है :। / Shareholding of persons (Public) holding more than 1% of the total number of shares

शेयरधारक का नाम	Name of the Shareholder	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding
भारतीय जीवन बीमा निगम	Life Insurance Corporation of India	152781603	8.76

शेयरधारिता का संवितरण यथा दिनांक 31 मार्च, 2018 :- / Distribution of Shareholdings as on 31st March, 2018

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	No of Equity Shares held	फोलियों Folio		शेयर Shares	
		संख्या Nos.	प्रतिशत % age	संख्या Nos.	प्रतिशत % age
500 तक	Upto 500	254605	94.55	31137403	2.63
501 से 1000 तक	501 to 1000	8980	3.33	6757982	0.57
1001 से 5000 तक	1001 to 5000	4723	1.75	9869293	0.83
5001 से 10000 तक	5001 to 10000	476	0.18	3420620	0.29
10001 एवं इससे अधिक	10001 & above	501	0.19	1133360940	95.68
कुल	**Total**	**269285**	**100.00**	**1184546238**	**100.00**

शेयर मूल्य/मात्रा : / Share Price/Volume

एनएसई में मासिक रूप से उच्च एवं निम्न भाव (कोटेशन) एवं शेयरों के लेन-देन की मात्रा निम्नानुसार है:-

The monthly high and low quotation and the volume of Shares traded on NSE are as under:

अवधि	Period	अधिकतम ₹ Highest ₹	न्यूनतम ₹ Lowest ₹	शेयरों के लेन-देन की मात्रा Volume of Share Traded
अप्रैल, 2017	April, 2017	189.55	138.50	110965314
मई, 2017	May, 2017	197.20	139.20	187283137
जून, 2017	June, 2017	148.00	127.55	90901798
जुलाई, 2017	July, 2017	167.45	136.20	91389316
अगस्त, 2017	August, 2017	167.60	137.30	124926471
सितंबर, 2017	September, 2017	157.80	136.55	49976125
अक्टूबर, 2017	October, 2017	200.80	131.00	108080935
नवम्बर, 2017	November, 2017	216.80	191.70	116149000
दिसम्बर, 2017	December, 2017	198.00	168.10	61492481
जनवरी, 2018	January, 2018	183.25	155.00	93733377
फ़रवरी, 2018	February, 2018	158.95	112.10	141851552
मार्च, 2018	March, 2018	116.80	91.35	313199977
31.03.2018 को अंतिम मूल्य	Closing Price as on 31.03.2018			₹ 103.55 (एनएसई) (NSE)
बाज़ार पूंजीकरण	Market Capitalisation			₹ 18048.54 करोड़ Crore

व्यापक आधारित सूचियों की तुलना में कार्यनिष्पादन
Performance in comparison to Broad Based Indices

एनएसई में बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मूल्य
Bank of India Share Price on NSE

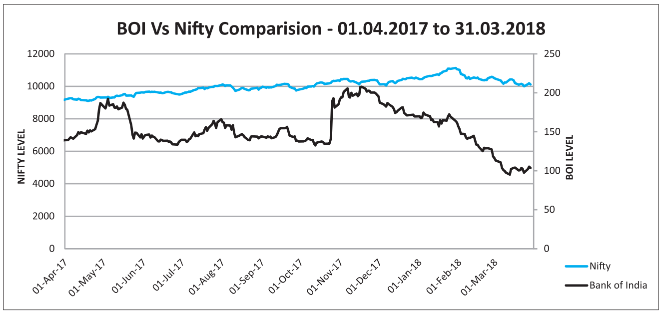

बीएसई में बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मूल्य
Bank of India Share Prise on BSE

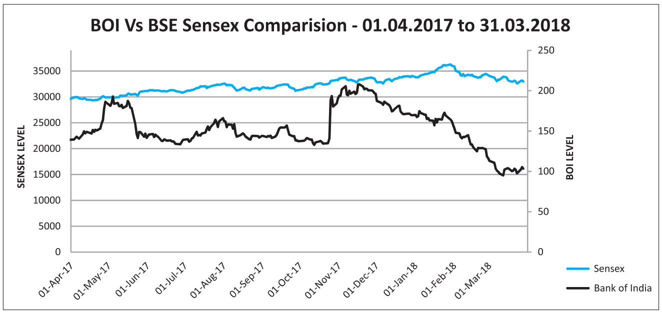

कार्पोरेट शासन के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्स्चेंज के साथ सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट शासन प्रणाली के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन में कारोबारी कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

अनिवार्य/ गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन

बैंक ने सेबी सूचीकरण करार-2015 की अनुसूची II के भाग-ई की निम्नलिखित विवेकपूर्ण अपेक्षाओं (Discretionary Requirement) का अनुपालन किया है।

Certificate of compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the practising company secretary, regarding compliance of mandatory stipulations of corporate governance in terms of the listing agreement with the Stock Exchange is attached.

Compliance of Mandatory / Non Mandatory Requirements

The Bank has complied with the following Discretionary Requirement as mentioned under Part –E of Schedule II of SEBI Listing Regulations- 2015:

क्र. सं. Sr. No.	गैर अनिवार्य अपेक्षाएं Non Mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of implementation
1	**बोर्ड** - एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए हकदार। **The Board –** A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expenses .	अध्यक्ष का पद गैर-कार्यपालक का है और बैंक में उनका पृथक कार्यालय है। The Chairman's Position is a Non- Executive and he is having a separate office in the Bank.
2	**शेयरधारकों का अधिकार-** विगत छः महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को भेजी जा सकती है। **Shareholder's Rights-** A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six- months, may be sent to shareholders.	तिमाही/वर्ष में आज तक/वार्षिक वित्तीय विवरण एवं प्रमुख विशेषताएं एनएसई और बीएसई को भेजी जाती है और अखबारों में प्रकाशित की जाती है तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। अत: शेयरधारकों को सूचना व्यक्तिश: नहीं भेजी जाती है। The quarterly/year to date/ Annual Financial Results are sent to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website including highlights. As such, information to Shareholders is not sent individually.
3	**लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आशोधित राय (एस)** - सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखा परीक्षा मत वाली वित्तीय विवरण की व्यवस्था का चयन कर सकती है। **Modified Opinion (s) in Audit Report** –The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण असंशोधित लेखा-परीक्षा मत के साथ हैं। The Bank's Annual Financial Statements are with unmodified audit opinion.
4	**अध्यक्ष एवं सीईओ के पृथक पद** - सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। **Separate Posts of Chairperson and Chief Executive Officer.** The listed entity may appoint Separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief executive officer	बैंक के पास यह पद है। The Bank is having this position.

आर. एस. पडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली पर प्रमाणपत्र

सदस्यगण
बैंक ऑफ इंडिया
स्टार हाउस,सी-5,जी ब्लॉक
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व)
मुंबई-400 051

हमने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड (स्टॉक एक्स्चेंज) के साथ हुए सूचीकरण करार के तहत कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों, जिनका उल्लेख सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17-27, 46 एवं अनुसूची V के प्रावधानों में किया गया है, के अनुपालन के प्रमाणीकरण के प्रयोजन से बैंक ऑफ इंडिया (''दि बैंक/कंपनी'') के सभी संगत अभिलेखों की जांच की है।

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली तथा उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह प्रमाणपत्र न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक की दक्षता या प्रभावशीलता के संचालन से संबन्धित है।

हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने ऊपर उल्लेख किए गए सेबी (एलओडीआर) 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों को पूरा किया है।

कृते आर. एस. पडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड एस2007एमएच094000)

हस्ता./-

राजश्री पडिया
एफसीएस: 6804
सीपी: 7488

स्थान: मुंबई
दिनांक: 02.05.2018

R.S. Padia & Associates
Company Secretaries

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

The Members
Bank of India
Star House, C-5, 'G' Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai 400 051

We have examined all relevant records of Bank of India ("the Bank/Company") for the purpose of certifying compliances of conditions of Corporate Governance under the Regulation 17 to 27, 46 and Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 entered into with National Stock Exchange of India Ltd and BSE Limited (Stock Exchanges) for the Financial Year ended 31st March, 2018.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliances of conditions of Corporate governance. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above mentioned SEBI (LODR) 2015.

For R.S. Padia & Associates
Company Secretaries
(ICSI Unique Code S2007MH094000)

Sd/-

Rajshree Padia
FCS:6804
CP: 7488

Place: Mumbai
Date: 02.05.2018

सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल
बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई
महोदय,

विषय : वर्ष 2017-18 सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची II के भाग बी के साथ पढ़ें विनियम 17 (8) के अनुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि :-

क. हमने वर्ष 2017-18 हेतु वित्तीय वितरण और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में कोई तात्विक रूप से गलत विवरण नहीं है या इनमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ा गया है या इसमें कोई ऐसे कथन नहीं हैं तो भ्रम की स्थिति पैदा करती हों।

ii. ये सभी विवरण मिलाकर बैंक की गतिविधियों का सही और उचित स्थिति दर्शाती है और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

ख हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है जो धोखाध्ड़ी पूर्ण हो, अवैध हो अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियम की स्थापना एवं रखरखाव की जिम्मेदारी और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक के आंतरिक नियंत्रण सिस्टम की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना स्वीकार करते हैं और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन अथवा डिजाइन में कमियों का प्रकटन, यदि कोई हो, लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष किया है जिसके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को सुधारने के प्रयोजन से हमने कदम उठाए हैं या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है।

घ हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समितियों को यह सूचित किया है:-

i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका प्रकटन वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में किया गया है।

iii. ऐसी किसी बड़ी धोखाधड़ी की हमें जानकारी मिली हो और जिसमें प्रबंधन अथवा वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला कोई कर्मचारी शामिल हो।

कृते बैंक ऑफ इंडिया

ह/	ह/
(के. वी. राघवेन्द्र)	**(दीनबंधु मोहापात्रा)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
स्थान : मुंबई	दिनांक 28.05.2018

CEO / CFO CERTIFICATION

Board of Directors,
Bank of India,
Mumbai
Dear Sir,

Re: CEO/CFO Certification for the year 2017-18

Pursuant to Regulation 17 (8) read with Part B, Schedule II of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a. We have reviewed financial statement and the cash flow statement for the year 2017-18 and that to the best of our knowledge and belief:

i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Bank of India

Sd/-	**Sd/-**
(K. V. Raghavendra)	**(Dinabandhu Mohapatra)**
Chief Financial Officer	Managing Director & CEO
Place: Mumbai	Date: 28.05.2018

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचरण संहिता निर्धारित की है, जिसका सार बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। निदेशक और कोर प्रबंधन ने 31 मार्च 2018 की समाप्ति के लिए आचारसंहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/	ह/
(के. वी. राघवेन्द्र)	**(दीनबंधु मोहापात्रा)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान: मुंबई
दिनांक: 28.05.2018

DECLARATION BY CEO

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the directors and Core Management of the Bank, the text of which is posted on the Bank's website. The Directors and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31st March, 2018.

Sd/-	**Sd/-**
(K. V. Raghavendra)	**(Dinabandhu Mohapatra)**
Chief Financial Officer	Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 28.05.2018

बैंक ऑफ़ इंडिया

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2018

एवं

लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु

BANK OF INDIA

BALANCE SHEET

As at 31st March, 2018

&

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

For the Year Ended 31st March, 2018

तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2018
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2018

(000' छोड़े गए हैं Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	यथा As at 31-03-2018 ₹	यथा As at 31-03-2017 ₹
I. पूँजी एवं देयताएं	CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी	Capital	1	17,437,175	10,554,342
आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	337,969,278	297,097,234
आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन रकम	Share Application Money, pending allotment		-	17,219,175
जमाराशियां	Deposits	3	5,208,543,783	5,400,320,078
उधार	Borrowings	4	435,887,753	394,056,651
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities and provisions	5	95,910,271	143,845,186
कुल	**TOTAL**		**6,095,748,260**	**6,263,092,666**
II. आस्तियां	ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	313,478,449	273,476,621
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	Balances with Banks and money at call and short notice	7	645,346,643	685,402,911
निवेश	Investments	8	1,371,111,122	1,278,268,631
अग्रिम	Advances	9	3,413,801,866	3,664,816,671
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	82,652,874	84,618,581
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	269,357,306	276,509,251
कुल	**TOTAL**		**6,095,748,260**	**6,263,092,666**
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	3,426,539,857	3,597,794,264
वसूली के लिए बिल	Bills for collection		321,026,665	316,218,745

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग है।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'ए' के अनुसार तुलन-पत्र तैयार किया गया है।
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form `A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

जी. पद्मनाभन
G. Padmanabhan
अध्यक्ष
Chairman

दीनबंधु मोहापात्रा
Dinabandhu Mohapatra
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO

एन. दामोदरन
N. Damodharan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

ए. के. दास
A.K. Das
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

सी.जी. चैतन्य
C.G. Chaitanya
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

के.वी. राघवेन्द्र
K.V. Raghavendra
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

गिरीश चंद्र मुर्मू
Girish Chandra Murmu

आर सेबास्टियन
R Sebastian

वेनी थापर
Veni Thapar

डी सरकार
D Sarkar

डी हरीश
D Harish

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते मेसर्स. जी.डी.आपटे एण्ड कं.
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515W) (FRN 100515W)

सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 121546 M. No. 121546

कृते एनबीएस एण्ड कं.
For NBS. & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)

प्रदीप शेट्टी Pradeep Shetty
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 046940 M. No. 046940

कृते बंसी जैन एण्ड एसोशिएटस
For Banshi Jain & Associates.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)

पराग जैन Parag Jain
भागीदार Partner
सदस्यता सं 078548 M. No. 078548

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 28 मई, 2018 / Date : 28th May 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2018 ₹	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2017 ₹
I. आय	INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	380,714,089	392,908,523
अन्य आय	Other income	14	57,337,571	67,723,304
कुल	TOTAL		438,051,660	460,631,827
II. व्यय	EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	275,650,707	274,647,356
परिचालनगत व्यय	Operating expenses	16	91,011,698	88,657,966
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies		131,826,306	112,909,653
कुल	TOTAL		498,488,711	476,214,975
III. लाभ	PROFIT			
अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/(Loss) for the period		(60,437,051)	(15,583,148)
घटाएं : असाधारण मद	Less: Extra ordinary item		0.00	0.00
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ / (हानि)	Add: Profit/(Loss) brought forward		(85,568,434)	(62,486,813)
कुल	TOTAL		(146,005,485)	(78,069,961)
IV. विनियोजन	APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		0	0
निवेश घट-बढ आरक्षिति से अंतरण	Transfer from Investment Fluctuation Reserve		0	0
राजस्व आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		0	0
पूंजी आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		3,617,600	7,498,473
राजस्व और अन्य आरक्षितियों से अंतरण	Transfer from Revenue and other Reserves		0	0
लाभ और हानि खाते में शेष	Balance in Profit and Loss Account		(149,623,085)	(85,568,434)
कुल	TOTAL		(146,005,485)	(78,069,961)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	Significant accounting policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes to Accounts	18		
प्रति शेयर आय (तनुकृत) (₹)	Earnings Per Share (Basic & Diluted) (₹)		(52.55)	(15.72)

ऊपर बताई गई अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न अंग है।
The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'बी' के अनुसार लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।
The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form `B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

जी. पद्मनाभन **G Padmanabhan** अध्यक्ष Chairman	दीनबंधु मोहापात्रा **Dinabandhu Mohapatra** प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO	एन. दामोदरन **N. Damodharan** कार्यपालक निदेशक Executive Director	ए. के. दास **A.K. Das** कार्यपालक निदेशक Executive Director	सी.जी. चैतन्य **C.G. Chaitanya** कार्यपालक निदेशक Executive Director	के.वी. राघवेन्द्र **K.V. Raghavendra** मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

गिरीश चंद्र मुर्मू Girish Chandra Murmu	आर सेबास्टियन R Sebastian	वेनी थापर Veni Thapar	डी सरकार D Sarkar	डी हरीश D Harish

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते मेसर्स. जी.डी.आपटे एण्ड कं. For G D Apte & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 100515W) (FRN 100515W)	कृते एनबीएस एण्ड कं. For NBS. & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)	कृते बंसी जैन एण्ड एसोशिएटस For Banshi Jain & Associates. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)
सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe भागीदार Partner सदस्यता सं. 121546 M. No. 121546	प्रदीप शेट्टी Pradeep Shetty भागीदार Partner सदस्यता सं. 046940 M. No. 046940	पराग जैन Parag Jain भागीदार Partner सदस्यता सं 078548 M. No. 078548

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 28 मई, 2018 / Date : 28th May 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2018

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

	विवरण		Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2018 ₹	वर्षान्त Year ended 31-03-2017 ₹
क.	**परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**	A.	**Cash Flow from Operating Activities:**		
	करपूर्व निवल लाभ		**Net Profit before taxes**	(86,334,904)	(23,725,264)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		**Adjustments for:**		
	निवेशों पर परिशोधन/मूल्यह्रास		Amortisation / Depreciation on Investments	18,428,209	5,647,508
	संयुक्त उद्यमों में निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ		Profit on sale / Redemption of investments in Joint venture	-	(5,008,400)
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on Fixed Assets	5,199,840	(124,661)
	अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)		Profit on sale of Fixed Assets	(526,745)	6,119
	एनपीए के लिए प्रावधान		Provision for NPA	150,953,169	116,720,045
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	(6,712,492)	1,540,634
	अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Other Assets	(1,202,909)	(383,233)
	गौण बांड्स/आईपीडीआई, अप्पर टियर II बांड्स पर ब्याज हेतु भुगतान / प्रावधान		Payment / Provision for Interest on Subordinated Bonds, IPDI, Upper Tier II Bonds	10,433,533	9,665,405
	प्राप्त लाभांश		Dividend received	(120,914)	(339,350)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		**Adjustments for:**		
	जमाराशियों में बढ /(घट)		Increase /(Decrease) in Deposits	(191,776,295)	270,274,860
	उधार में बढ /(घट)		Increase /(Decrease) in Borrowings	48,899,690	(141,340,641)
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घट)		Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(35,951,203)	3,853,060
	निवेशों में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Investments	(108,680,378)	(95,629,745)
	अग्रिमों में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Advances	100,061,635	(189,647,124)
	अन्य आस्तियों में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Other Assets	48,081,488	(37,860,787)
	प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी		Direct Taxes (Paid)/Refund	(14,982,056)	11,575,801
	परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**(64,230,332)**	**(74,775,773)**
ख.	**निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह:**	B.	**Cash Flow from Investing Activities :**		
	अचल सम्पत्तियों की खरीद		Purchase of Fixed Assets	(3,379,945)	(5,154,983)
	अचल सम्पत्ति की बिक्री		Sale of Fixed Assets	857,982	2,257,514
	अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में अतिरिक्त निवेश		Additional investment in Subsidiaries/Joint Ventures/ Associates.	(2,590,321)	5,211,126
	प्राप्त लाभांश		Dividend received	120,914	339,350
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(4,991,370)**	**2,653,007**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधयों से नकदी प्रवाह :**	C.	**Cash Flow from Financing Activities:**		
	शेयर पूंजी		Share Capital	6,882,833	2,381,426
	शेयर प्रीमियम		Share Premium	102,656,342	24,035,053
	शेयर आवेदन		Share Application Money	(17,219,175)	4,182,695
	आईपीडीआई, गौण बांड, अप्पर टियर II बांड (निवल)		IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	(7,068,588)	24,565,851
	लाभांश भुगतान (अन्तरिम और अंतिम)		Dividend (Interim & Final) paid	-	-
	आईपीडीआई, गौण बांड अपर टियर II बांड पर ब्याज भुगतान		Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(16,084,150)	(15,575,721)
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**69,167,262**	**39,589,304**
	नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क) + (ख) + (ग)		**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**(54,440)**	**(32,533,462)**
	वर्ष के आरंभ में नकद और नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year**	**958,879,532**	**991,412,994**
	वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**958,825,092**	**958,879,532**

विवरण	Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2018 ₹	वर्षान्त Year ended 31-03-2017 ₹
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्यों का समाधान	**Reconciliation of Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष (अनुसूची 6)	Cash and balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	313,478,449	273,476,621
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (अनुसूची 7)	Balances with Banks and money at call and short notice (Schedule 7)	645,346,643	685,402,911
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**958,825,092**	**958,879,532**

नकदी में नकदी प्रवाह विवरणी के अनुसार नकद एव नकद समतुल्य जिसमें हाथ में नकदी, एटीएम में, आरबीआई एवं अन्य बैंकों में शेष (जमाराशियां सहित) और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि जिसे तुरंत परिवर्तित किया जा सके, शामिल है।

Cash and cash equivalent as per cash flow statement comprises of cash in hand, in ATM, balances in current account with RBI and other Banks (including deposits) and money at call and short notice which can be readily convertible into cash.

जी. पद्मनाभन	दीनबंधु मोहापात्रा	एन. दामोदरन	ए. के. दास	सी.जी. चैतन्य	के.वी. राघवेन्द्र
G. Padmanabhan	**Dinabandhu Mohapatra**	**N. Damodharan**	**A.K. Das**	**C.G. Chaitanya**	**K.V. Raghavendra**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

गिरीश चंद्र मुर्मु	आर सेबास्टियन	वेनी थापर	डी सरकार	डी हरीश
Girish Chandra Murmu	R Sebastian	Veni Thapar	D Sarkar	D Harish

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते मेसर्स. जी.डी.आपटे एण्ड कं.	कृते एनबीएस एण्ड कं.	कृते बंसी जैन एण्ड एसोशिएटस
For G D Apte & Co.	For NBS. & Co.	For Banshi Jain & Associates.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515W) (FRN 100515W)	(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)	(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)
सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe	प्रदीप शेट्टी Pradeep Shetty	पराग जैन Parag Jain
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
सदस्यता सं. 121546 M. No. 121546	सदस्यता सं. 046940 M. No. 046940	सदस्यता सं 078548 M. No. 078548

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 28 मई, 2018 / Date : 28th May 2018

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2018 ₹	As at यथा 31-03-2017 ₹
अनुसूची - 1 : पूँजी	**SCHEDULE- 1 : CAPITAL**		
प्राधिकृत	**AUTHORISED**		
प्रत्येक ₹ 10 के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 300,00,00,000)	300,00,00,000 (Previous year ended 300,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10 each	**30,000,000**	**30,000,000**
जारी एवं अभिदत्त	**ISSUED AND SUBSCRIBED**		
प्रत्येक ₹ 10 के 174,41,55,469 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 105,58,72,204)	174,41,55,469 Equity Shares (Previous year ended 105,58,72,204) of ₹ 10 each	17,441,555	10,558,722
कुल	**TOTAL**	**17,441,555**	**10,558,722**
प्रदत्त पूंजी	**PAID-UP CAPITAL**		
प्रत्येक ₹ 10 के 174,29,78,369 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 105,46,95,104)	174,29,78,369 Equity Shares (Previous year ended 105,46,95,104) of ₹ 10 each	17,429,784	10,546,951
जोडें: जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल	**TOTAL***	**17,437,175**	**10,554,342**
उपरोक्त में से प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णत: प्रदत्त 144,82,98,073 शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 77,75,14,808) जिनकी कीमत ₹ 1448.30 करोड़ है, (पिछले वर्ष की समाप्ति पर ₹ 777.51 करोड़) भारत सरकार द्वारा धारित है।	* Of the above, 144,82,98,073 Equity Shares (Previous year ended 77,75,14,808) of ₹ 10 each fully paid up amounting to ₹ 1448.30 crores (Previous year ended ₹ 777.51 crores) is held by Central Government;		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS**		
I. सांविधिक आरक्षितियां :	**I. Statutory Reserve:**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	70,868,842	70,868,842
वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	0	0
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**70,868,842**	**70,868,842**
II. पूँजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves:**		
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve:		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	56,867,087	60,067,630
जोडें : परिसर के पुनर्मूल्यांकन पर वर्ष के दौरान जोड़	Add: Addition during the year on Revaluation of Premises	23,680	(16,960,588)
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन	Less: Adjustments during the year	(161,746)	259,372
घटाएं : लाभ / हानि खाते को अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Less: Depreciation on revalued Fixed Assets transferred to Revenue reserve	1,560,864	(14,019,417)
(ए) का कुल	**Total of (A)**	**55,491,649**	**56,867,087**
बी) अन्य	B) Others:		
i. निवेश आरक्षितियां	i. Investment Reserves		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	18,782,638	11,284,165
वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	3,617,600	7,498,473
(i) का उप-जोड	**Sub-total of (i)**	**22,400,238**	**18,782,638**
ii. विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती	ii. Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	14,875,004	18,429,725
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान संवर्धन/समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Additions / adjustments during the year (Net)	3,468,881	(3,554,721)
(ii) का उप-जोड़	**Sub-total of (ii)**	**18,343,885**	**14,875,004**
(बी) का कुल	**Total of (B)**	**40,744,123**	**33,657,643**
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**96,235,773**	**90,524,730**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2018 ₹	As at यथा 31-03-2017 ₹
अनुसूची - 2 : आरक्षितियाँ एवं अधिशेष (जारी)	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)**		
III. शेयर प्रीमियम :	**III. Share Premium :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	112,152,824	88,117,771
जोडें: वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	102,656,342	24,035,053
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**214,809,166**	**112,152,824**
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षिति :	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	87,419,271	93,981,487
जोडें : वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	2,209,928	0
वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the year	5,650,617	6,562,216
IV(i) का उप-जोड	**Sub-total of IV(i)**	**83,978,582**	**87,419,271**
ii) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिती	ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	21,700,000	21,700,000
वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	0	0
IV (ii) का उप-जोड	**Sub-total of IV(ii)**	**21,700,000**	**21,700,000**
कुल (iv)	**TOTAL (IV)**	**105,678,582**	**109,119,271**
V. लाभ-हानि खाते में शेष :	**V. Balance in Profit and Loss Account:**	**(149,623,085)**	**(85,568,434)**
कुल (I से V)	**TOTAL (I TO V)**	**337,969,278**	**297,097,234**
अनुसूची - 3 : जमाराशियां	**SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**		
ए. I. मांग जमाराशियां :	**A. I. Demand Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	6,434,045	9,747,847
ii) अन्यों से	ii) From Others	288,988,406	273,571,908
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**295,422,451**	**283,319,755**
II. बचत बैंक जमाराशियां	**II. Savings Bank Deposits**	**1,481,198,277**	**1,438,874,024**
III. मीयादी जमाराशियां :	**III. Term Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	454,862,600	561,928,970
ii) अन्यों से	ii) From Others	2,977,060,455	3,116,197,329
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**3,431,923,055**	**3,678,126,299**
कुल ए (I to III)	**TOTAL A (I to III)**	**5,208,543,783**	**5,400,320,078**
ब. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां	B. i) Deposits of branches in India	4,212,113,302	4,234,574,129
ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमाराशियां	ii) Deposits of branches outside India	996,430,481	1,165,745,949
कुल (बी)	**TOTAL (B)**	**5,208,543,783**	**5,400,320,078**
अनुसूची - 4 : उधार	**SCHEDULE - 4 : BORROWINGS**		
I. भारत में उधार:	**I. Borrowings in India:**		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक	i. Reserve Bank of India	133,580,000	0
ii. अन्य बैंक	ii. Other Banks		
ए. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	5,428,000	6,802,000
बी. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	50,000	640,000
सी. अन्य	c. Others	0	0
कुल (ii)	**Total (ii)**	**5,478,000**	**7,442,000**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2018 ₹	As at यथा 31-03-2017 ₹
III) अन्य संस्थाएं और एजेन्सियां	**III) Other Institutions and Agencies**		
ए . टियर I पूंजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	59,822,000	59,998,000
बी. टियर II पूंजी	b. Tier II Capital	104,950,000	104,360,000
सी. अन्य	c. Others	6,515,053	52,523,479
कुल **(iii)**	**Total (iii)**	**171,287,053**	**216,881,479**
कुल (I)	**Total (I)**	**310,345,053**	**224,323,479**
II. भारत के बाहर उधार	**II. Borrowings outside India:**		
ए. टियर I पूंजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	0	5,518,588
बी. अपर टियर II पूंजी	b. Upper Tier II Capital	0	0
सी. अन्य	c. Others	125,542,700	164,214,584
कुल **(II)**	**Total (II)**	**125,542,700**	**169,733,172**
कुल **(I & II)**	**Total (I & II)**	**435,887,753**	**394,056,651**
उपर्युक्त में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	**Secured borrowings included in above**	**0**	**0**

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I. देय बिल	I. Bills Payable	13,783,047	14,400,067
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	-	-
III. उपचित ब्याज	III. Interest Accrued	21,584,304	23,999,593
IV. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax Liabilities	1,837	943
V. अन्य (प्रावधान सहित)	V. Others (Including Provisions)	60,541,084	105,444,583
कुल	**TOTAL**	**95,910,272**	**143,845,186**

अनुसूची-6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष राशि	**SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I. हाथ में नकदी	**I. Cash in hand**	**25,807,047**	**20,123,805**
(विदेशी मुद्रा और सोने सहित)	(including foreign currency notes & Gold)		
II. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास शेषराशि :*	**II. Balances with Reserve Bank of India : ***		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	287,671,402	253,352,816
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	0	0
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**287,671,402**	**253,352,816**
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**313,478,449**	**273,476,621**
***भारत के बाहर के केंद्रीय बैंकों के पास शेषराशि को मिलाकर**	* Including balances with Central Banks outside India		

अनुसूची - 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
I. भारत में :	**I. In India :**		
i) बैंकों में शेषराशि	i) Balances with Banks		
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	1,470,164	1,488,987
बी) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	55,072,875	17,833,750
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	ii) Money at call and short notice		
ए) बैंकों में	a) With Banks	0	0
बी) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	60,000,000	195,000,000
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**116,543,039**	**214,322,737**
II. भारत के बाहर :	**II. Outside India :**		
i) चालू खातों मे	i) In Current Accounts	4,713,460	2,721,113

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2018 ₹	As at यथा 31-03-2017 ₹
ii) अन्य जमाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	302,958,284	300,649,871
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	iii) Money at call and short notice	221,131,860	167,709,190
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**528,803,604**	**471,080,174**
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**645,346,643**	**685,402,911**
अनुसूची - 8 : निवेश	**SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS**		
I. भारत में निवेश :	**I. Investments in India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	1,183,704,530	1,114,459,951
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	-	-
iii) शेयर	iii) Shares	15,466,662	16,109,750
iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड्स	iv) Debentures and Bonds	80,521,525	62,684,513
v) अनुषंगियां एवं सहायक कंपनियां	v) Subsidiaries and Associates	4,650,063	4,606,305
vi) अन्य (वाणिज्यिक दस्तावेज, म्युचुअल फंड के यूनिट, पास थ्रू सर्टिफिकेट, प्रतिभूति रसीदें, जोखिम फंड, इत्यादि)	vi) Others (Commercial Papers, Units of Mutual Funds, Pass Through Certificates, Security Receipts, Venture Fund etc.)	27,679,330	29,705,547
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**1,312,022,110**	**1,227,566,066**
सकल	Gross	1,347,022,279	1,237,560,617
घटाएं: मूल्यह्रास एवं परिशोधन	Less: Depreciation and Amortisation	35,000,169	9,994,551
निवल	**Net**	**1,312,022,110**	**1,227,566,066**
II. भारत के बाहर निवेश:	**II. Investments outside India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	24,570,821	19,637,781
ii) विदेश में अनुषंगियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों में	ii) In Subsidiaries and/or joint ventures abroad	9,760,843	7,214,280
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर एवं बॉण्ड)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	24,757,348	23,850,504
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**59,089,012**	**50,702,565**
सकल	Gross	59,329,100	51,989,081
घटाएं: मूल्यह्रास एवं परिशोधन	Less: Depreciation and Amortisation	240,088	1,286,516
निवल	**Net**	**59,089,012**	**50,702,565**
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**1,371,111,122**	**1,278,268,631**
अनुसूची - 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
ए. i) खरीदे गए और बट्टाकृत बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	450,851,629	547,765,571
ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाने योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,417,280,666	1,477,784,328
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	1,545,669,571	1,639,266,772
कुल (ए)	**TOTAL (A)**	**3,413,801,866**	**3,664,816,671**
बी. अग्रिमों का विवरण :	**B. Particulars of Advances :**		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के निमित्त अग्रिमों सहित)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	2,332,397,555	2,350,641,211
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर किया गया	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	413,412,715	628,398,739
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	667,991,596	685,776,721
कुल (बी)	**TOTAL (B)**	**3,413,801,866**	**3,664,816,671**
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण :	**C. Sectoral Classification of Advances :**		
I. भारत में अग्रिम	**I. Advances in India**		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	1,015,893,551	954,638,291
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	474,814,830	307,667,025

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2018 ₹	As at यथा 31-03-2017 ₹
iii) बैंक	iii) Banks	450,652	23,105,999
iv) अन्य	iv) Others	1,166,334,900	1,339,713,485
कुल (सी-I)	**Total (C-I)**	**2,657,493,933**	**2,625,124,800**
II. भारत के बाहर अग्रिम :	**II Advances outside India :**		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	355,314,730	434,310,124
II) अन्य से देय	II) Due from others		
ए) खरीदे गए और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	12,812,291	19,566,147
बी) समूहित ऋण	b) Syndicated Loans	159,707,915	218,109,206
सी) अन्य	c) Others	228,472,997	367,706,394
कुल **(सी-II)**	**TOTAL (C-II)**	**756,307,933**	**1,039,691,871**
कुल **(सी - I, सी - II)**	**TOTAL (C - I, C - II)**	**3,413,801,866**	**3,664,816,671**

अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS**		
I. परिसर :	**I. PREMISES :**		
लागत पर प्रारंभिक शेष	Opening Balance, at cost	16,196,958	15,514,991
वर्ष के दौरान जोड / समायोजन	Additions /Adjustments during the period	912,580	794,277
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the period	266	112,310
उप-जोड	**Sub-total**	**17,109,272**	**16,196,958**
पुनर्मूल्यांकन के कारण अब तक संवर्धन	Addition to date on account of revaluation	59,052,451	58,836,015
घटाएं: यथा तिथि मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन की वजह से ₹ 3560803 सहित - विगत वर्षांत ₹ 1968928)	Less : Depreciation to date (including ₹ 3560803 on account of revaluation - Previous year end ₹ 1968928)	7,029,155	5,019,663
कुल -(I)	**TOTAL (I)**	**69,132,568**	**70,013,310**
II. अन्य अचल आस्तियां :	**II. OTHER FIXED ASSETS :**		
(फर्नीचर एवं फिक्स्चर सहित)	**(including Furniture and Fixtures)**		
लागत पर प्रारंभिक शेष	Opening Balance at cost	30,147,886	28,336,143
वर्ष के दौरान जोड / समायोजन	Additions / Adjustments during the year	2,852,204	4,300,647
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the year	274,404	2,488,904
उप-जोड	**Sub-total**	**32,725,686**	**30,147,886**
घटाएं: तिथि पर मूल्यहास	Less: Depreciation to date	20,785,937	17,508,010
जोड **(II)**	**TOTAL (II)**	**11,939,749**	**12,639,876**
III. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	**III. CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**1,580,557**	**1,965,395**
जोड (I से III)	**TOTAL (I to III)**	**82,652,874**	**84,618,581**

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**		
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	I. Inter Office Adjustment (Net)	10,036,968	31,090,634
II. उपचित ब्याज	II. Interest Accrued	28,716,089	27,144,694
III. अग्रिम में अदा किया गया कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	III. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net)	12,776,333	9,445,680
IV. लेखन सामग्री एवं स्टैम्प	IV. Stationery and Stamps	60,400	49,863
V. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	V. Deferred Tax Assets (Net)	91,654,656	54,055,712
VI. अन्य	VI. Others	126,112,860	154,722,668
कुल	**TOTAL**	**269,357,306**	**276,509,251**

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	13,938,129	11,278,319
II. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	II. Liability for partly paid Investments	233,461	382,408

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

				As at यथा 31-03-2018 ₹	As at यथा 31-03-2017 ₹
III. अतिदेय वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts			2,717,618,610	2,825,162,618
IV. घटकों की और से दी गई गारंटी:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :				
ए. भारत में	a. In India			220,560,690	207,526,315
बी. भारत के बाहर	b. Outside India			182,145,295	210,644,429
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएं	V. Acceptances, endorsements and other obligations			200,749,961	195,064,751
VI. उपरोक्त III में सूचीबद्ध के अलावा व्युत्पन्नी संविदाएं	VI. Derivative contracts other than listed at III above			83,298,574	141,706,565
VII. अन्य मदें जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable			7,995,137	6,028,859
कुल	**TOTAL**			**3,426,539,857**	**3,597,794,264**

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

				As at यथा 31-03-2018 ₹	As at यथा 31-03-2017 ₹
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills			252,952,988	271,878,607
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments			91,535,458	90,599,174
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि पर ब्याज और अन्य अंतर-बैंक निधियां	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds			27,317,015	20,122,123
IV. अन्य	IV. Others			8,908,628	10,308,619
कुल	**TOTAL**			**380,714,089**	**392,908,523**

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

				As at यथा 31-03-2018 ₹	As at यथा 31-03-2017 ₹
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	I. Commission, exchange and brokerage			13,330,827	13,236,251
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ	II. Profit on sale of Investments	14,459,795	32,988,215		
घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि	Less : Loss on sale of Investments	80,012	2,325	14,379,783	32,985,890
III. जमीन, बिल्डिंग और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ	III. Profit on sale of land, buildings and other assets	529,919	0		
घटाएं:जमीन, बिल्डिंग और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि	Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	3,174	0	526,745	0
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ	IV. Profit on exchange transactions	14,445,856	12,035,295		
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि	Less: Loss on Exchange Transactions	432,645	262,994	14,013,211	11,772,301
V. अनुषंगी/कंपनी और/अथवा संयुक्त उद्यमों के लाभांश इत्यादि से अर्जित आय	V. Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries / cos.and/or JVs			120,915	339,350
VI. विविध आय	VI. Miscellaneous Income			14,966,090	9,389,513
कुल	**TOTAL**			**57,337,571**	**67,723,304**

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

				As at यथा 31-03-2018 ₹	As at यथा 31-03-2017 ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits			243,249,349	244,273,374
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings			22,087,454	20,069,686
III. अन्य:	III. Others			10,313,904	10,304,296
कुल	**TOTAL**			**275,650,707**	**274,647,356**

अनुसूची - 16 : परिचालन खर्चे
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

				As at यथा 31-03-2018 ₹	As at यथा 31-03-2017 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उसके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees			49,032,666	53,966,154
II. किराया, कर एवं लाइटिंग	II. Rent, Taxes and Lighting			6,698,504	6,580,776
III. प्रिंटिंग एवं लेखन सामाग्री	III. Printing and Stationery			764,087	800,405
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity			242,120	450,024
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	V. Depreciation on Bank's property	5,199,840	(14,153,379)		

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

				As at यथा 31-03-2018 ₹	As at यथा 31-03-2017 ₹
घटाएं: पूनर्मूल्यांकन आरक्षिती से समायोजित मूल्यहास (लेखांकन नीति मे परिवर्तन के लिए नेट ऑफ समायोजन) घटाएं : विनिमय अंतर का समायोजन	Less : Depreciation adjusted from revaluation reserve(net off adjustment for change in accounting policy)	0	(14,019,417)		
	Less : Adjustment of Exchange Difference	0	(9,301)		
				5,199,840	(124,661)
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्चे	VI. Directors' fees, allowances and expenses			3,603	4,337
VII. लेखा-परीक्षकों का शुल्क और खर्चे (शाखा के लेखा-परीक्षकों के शुल्क एवं भत्ते सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (Including branch Auditors' fees & expenses)			694,033	896,330
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges			333,330	305,025
IX. डाक-खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन, इत्यादि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.			1,066,543	1,196,391
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance			649,971	645,734
XI. बीमा	XI. Insurance			5,167,133	4,248,179
XII. अन्य खर्चे	XII. Other Expenditure			21,159,868	19,689,272
कुल	**TOTAL**			**91,011,698**	**88,657,966**

अनुसूची - 17:
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1) तैयार करने का आधार:

वर्तमान के ध्यातव्य सिद्धान्त तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व के लागत के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है जो वस्तुत: 'सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों' (जीएएपी) के सभी पक्षों का पालन करते हैं। इसके साथ-साथ ये लागू विधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर. बी.आई.) द्वारा निर्धारित विनियामक नियमों, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेशों, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाओं को भी शामिल करते हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है, यदि इन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

2) आकलन का आधार:

प्रबंधन के लिए वित्तीय विवरणी की तैयारी के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किये गये आकलन उचित तथा तार्किक हैं। तथापि वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्य में उल्लिखित किया जाता है।

3. राजस्व पहचान

क. आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है, यदि अन्यथा न उल्लिखित हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय निर्धारित की जाती है।

ख. अनर्जक आस्तियों पर ब्याज को छोड़कर आय का निर्धारण समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ग. बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी करने पर कमीशन का निर्धारण बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।

घ. अन्य सभी कमीशन एवं विनिमय, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों की उगाही होने पर आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।

ड. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अतिरिक्त) जिसे उसके अंकित मूल्य पर प्राप्त छूट के बाद खरीदा गया था, उस पर निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जाती है:-

   i. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर केवल बिक्री/मोचन के समय ही इसका निर्धारण किया जाता है।

   ii. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों में स्थिर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर इसका लेखांकन किया जाता है।

घ. निवेशों की बिक्री में हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री के मामले में करों तथा सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण करने हेतु आवश्यक राशि छोड़कर, इसके बराबर की राशि "आरक्षित पूँजी खाते" में विनियोजित की जाती है।

SCHEDULE 17:
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1) BASIS OF PREPARATION:

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

2) USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3) REVENUE RECOGNITION:

a. Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/expenditure is recognised as per local laws/ standards of host country.

b. Interest income is recognised on time proportion basis except interest on non-performing assets.

c. Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is recognised over the tenure of BG/LC.

d. All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

e. Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

   i. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

   ii. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

f. Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. As per RBI Guidelines, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount, net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves, is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

छ. जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तब लाभांश को आय के रूप पहचाना जाता है।

ज. निर्धारण आदेश जारी होने के वर्ष में आयकर वापसी पर ब्याज, आय के रूप में पहचाना जाता है।

झ. एन.पी.ए. खातों से वसूली के मामलों में सर्वप्रथम अप्राप्त ब्याज/उधारकर्ताओं के खाते से नामे आय के मद में विनियोजन किया जाता है, उसके बाद व्यय/जेब से किये गये खर्चे, तत्पश्चात् मूलधन का बकाया तथा अंत में अप्रभारित ब्याज के मद में विनियोजन किया जाता है।

4) अग्रिम:

(क) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार में अग्रिमों को ''उत्पादक'' और ''अनुत्पादक अग्रिमों'' (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को आगे अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) घरेलू शाखाओं के संबंध में एनपीए से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित दर पर किया जाता है :

g. Dividend is recognised when the right to receive the dividend is established.

h. Interest on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

i. The recoveries made from NPA accounts are appropriated first towards unrealised interest/income debited to borrowers accounts, expenditure/out of pocket expenses incurred, then principal dues and lastly towards uncharged interest.

4) ADVANCES:

a. Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

b. NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

c. In respect of domestic branches, NPA Provisions are made at the rates given as under

एनपीए का श्रेणी	Category of NPAs	% of net outstanding advance
अवमानक आस्ति*	Sub Standard:*	
क) एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती है	a) Exposures, which are unsecured ab initio	25%
ख) अन्य	b) Others	15%
संदिग्ध :	Doubtful:	
क) जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में ही रहा)	a) Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- एक वर्ष तक	- Upto one year	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- One year to three years	40%
- तीन वर्ष से अधिक	- More than three years	100%
ख) गैर जमानती हिस्सा	b) Unsecured portion	100%
हानि	Loss	100%

* बकाया अग्रिम पर

(घ) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान संबंधित विदेशी देश में लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हो, उसके अनुसार होगी।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियो, अप्राप्य ब्याज, ईसीजीसी दावा का निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाएं जाते हैं।

(च) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुर्ननिर्धारित/पुन:संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित पुन:संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।

(छ) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया घटाव (-) प्रावधान) से नीचे है तो कमी को आरबीआई के समय-समय पर जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो जिस वर्ष राशि

* On the outstanding advance

d. In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

e. Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims settled, etc. are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

f. In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

g. In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account as per the extant RBI guidelines issued from time to time. If the sale is at a price higher than the NBV, the excess provision on sale of NPAs

प्राप्त होती है उस वर्ष में एनपीए की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते से वापस किया जा सकता है। परंतु अतिरिक्त प्रावधान तब ही वापस किया जाता है जब प्राप्त नकद (केवल आरंभ में विचारित या एसआर /पीटीसी रिडेंपशन के द्वारा) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से ज्यादा हो। परंतु कोई भी अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य(एनबीवी) प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआरएस/पीटीसी का रीडेम्पशन) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक सीमित होगा।

(ज) मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबन्धित विदेशी देशों में लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार होगी।

(झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधिकृत देशी एक्सपोज़र(प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) का श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

5) अस्थायी प्रावधान

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित की जाने वाली अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

6) डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट :

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड पॉइंट का प्रावधान एक्चवेरीयल आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

7) निवेश :

क. सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार को निपटान तारीख पर मान्यता दी जाती है और अन्य सभी निवेशों को कारोबार की तारीख पर मान्यता दी जाती है।

ख. निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता तक धारित', 'कारोबार के लिए धारित' और 'बिक्री हेतु धारित' श्रेणियों में किया गया है। भारत में किए गए निवेशों के प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई दिशानिर्देशों और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार छह वर्गों के तहत वर्गीकृत किया जाता है जैसे क) सरकारी प्रतिभूतियाँ ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां ग) शेयर, घ) डिबेंचर और बॉंड, ड) अनुषंगियों और सहायक कंपनियों में निवेश और च) अन्य । भारत के बाहर निवेशों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित), विदेश में अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम और अन्य निवेश।

(क) वर्गीकरण का आधार

निवेश का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है।

may be reversed to profit and loss account in the year the amounts is received. However, any excess provision is reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

h. Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent..

i. Provision for net funded country exposures (Direct/ Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

5) FLOATING PROVISION

The bank has framed a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes.

6) DEBIT/CREDIT CARDS REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to the debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

7) INVESTMENTS:

a. Transactions in Government Securities are recognised on Settlement Date and all other Investments are recognised on trade date.

b. Investments are categorised under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure of investments in India, these are classified, in accordance with RBI guidelines & Banking Regulation Act 1949, under six classification viz. a.) Government Securities, b.) Other Approved Securities, c.) Shares, d.) Debentures and Bonds, e.) Investment in Subsidiaries and Associates and f.) Others. In respect of investments outside India, these are classified, in accordance with RBI guidelines, under three categories viz. Government Securities (including local authorities), Subsidiaries/Joint Ventures abroad and Other Investments..

A. Basis of categorisation

Categorisation of an investment is done at the time of its acquisition.

i) **परिपक्वता तक धारित**

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

ii) **कारोबार के लिए धारित**

इसमें ऐसे निवेश है जिन्हें अल्प मियादी मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जन किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इसका कारोबार किया जाता है

iii) **बिक्री के लिए उपलब्ध**

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण ''परिपक्वता तक धारित'' अथवा 'कारोबार के लिए धारित' रूप में नहीं किया हैं, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

ख) **निवेश का अधिग्रहण लागत**

i) इक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि लागत में शामिल है।

ii) ब्रोकरेज, कमीशन, डेब्ट निवेश पर भुगतान/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता है।

iii) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

iv) निवेश की लागत भारित औसत लागत पद्धति द्वारा निर्धारित की जाती है।

ग) **मूल्यांकन का तरीका**

भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में रखे गये निवेशों को संबंधित देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्य अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य इन दोनों में जो भी कम हो उसके अनुसार किया जाता है।

ट्रेज़री बिल और वाणिज्यिक पत्रों (सी.पी.) को कैरिंग कॉस्ट पर मूल्यांकित किया जाता है।

i) **परिपक्वता तक धारित :**

1 इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन के निवल, यदि कोई हो, पर लिया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, को सतत अर्जन पद्धति का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन आय में 'निवेश पर ब्याज' शीर्ष के तहत समायोजित की जाती है।

2. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश पूर्व के लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के जिन्हें कैरिंग कॉस्ट

i) **Held to Maturity**

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

ii) **Held for Trading**

These comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

iii) **Available for Sale**

These comprise investments which do not fall under "Held to Maturity" or "Held for Trading" classification.

B. **Acquisition Cost of Investment:**

i) Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as expense/income and is excluded from cost/ sale consideration.

iii) Brokerage and Commission received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

iv) Cost of investments is determined at weighted average cost method.

C. **Method of valuation**

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and all others discounted instruments are valued at carrying cost (ie book value).

i) **Held to Maturity**

1 Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period of maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

2 Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional

पर (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी को छोड़कर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग ह्रास (diminutions) के लिए प्रावधान किया जाता है।"।

ii) **कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध :**

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों का मूल्यांकन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान पर बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

2. ''कारोबार के लिए धारित'' और ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' श्रेणियों में कोट किए गए निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार दर/भाव, भारतीय प्राथमिक डीलर संघ (पीडीएआई) /निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव्ज संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है

सरकारी/प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी रु. 1
अधिमान्य शेयर्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू बॉण्ड्स/कारपोरेट बॉण्ड	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्युचुअल फंड के यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ)	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो रु.1 प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर

घ) **विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण:**

ए) **एचटीएम से एएफएस/एचएफटी**

i. यदि किसी डिस्काउंट पर मूलत: प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे अधिग्रहण कीमत/बही मूल्य पर अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

ii. यदि किसी प्रीमियम पर प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे एमोर्टाइज्ड लागत पर

Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.

ii) **Held for Trading / Available for Sale**

1 Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

2. For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)/ Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	at break up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Re.1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU/Corporate Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the Fund in respect of each scheme
Venture Capital Funds (VCF)	declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at Re. 1/- per VCF.
Security Receipts	at NAV as declared by Securitisation Companies

D. **Transfer of Securities between Categories**

A) **HTM to AFS/HFT –**

i) If the security was originally placed under the HTM category at a discount it is transferred at the acquisition price / book value. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

ii) If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it is

एएफएस/एचएफटी श्रेणी में अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

ख) एएसएस/एचएफटीसे एचटीएम में अंतरण - बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो की कम हो उस पर एएफएस, एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण किया जाता है। यदि अंतरण के समय बाजारमूल्य बही मूल्य से ज्यादा होता है तो बढ़ोत्तरी को नजर अंदाज किया जाता है। यदि बही मूल्य से बाजार मूल्य कम होता है तो वैसी प्रतिभूति के लिए किये गये मूल्यह्रास के प्रावधान को समायोजित किया जाता है एवं बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम किया जाता है तथा प्रतिभूति को बाजारमूल्य पर अंतरित किया जाता है।

ग) एएफएस से एचएफटी तथा इसके विपरीत - एएफएस से एचएफटी श्रेणी या इसके विपरीत प्रतिभूति अंतरित करने के मामले में अंतरण की तारीख पर प्रतिभूतियों का पुन: मूल्यांकन नहीं किया जाता है तथा रखे गये संकलित मूल्यह्रास का प्रावधान, यदि कुछ हो तो एचएफटी प्रतिभूतियां या इसके विपरीत, जैसा मामला हो इनके विरूद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में अंतरित किया जाता है।

ङ) अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:

i. निवेशों को अर्जक और अनर्जक में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित होता है।

ii. अनर्जक निवेशों के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

iii. परिपक्व एनपीआई को अनुसूची 11 में "अन्य आस्तियों" के अंतर्गत दिखाया गया है।

च) रेपो/रिवर्स रेपो

रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्श्विक उधार और उधार लेने के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में प्रतिभूतियों का अंतरण किया जाता है और ऐसी प्रतिभूतियां रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होती हैं। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन जैसा भी मामला हो ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। रेपो खाते में शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

छ) आस्तियों के विरूद्ध प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश

परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बी.पी.बी.सी. 9/21.04.048/2016-17 दिनांक 01 सितंबर 2016 के द्वारा जारी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार क ने 01 अप्रैल 2017 से प्रतिभूतीकरण के अंतर्गत एसआर के संबंध में मूल्यांकन पद्धति में संशोधन किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बैंक के द्वारा बेचे गये दबावग्रस्त आस्तियों के विरूद्ध एसआर की मात्रा प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत जारी

transferred to the AFS / HFT category at the amortised cost. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

B) AFS/HFT TO HTM- Transfer of scrips from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

C) AFS TO HFT AND VICE-VERSA - In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held are transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa

E. Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof

i) Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

ii.) In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

iii.) Matured NPIs are shown under 'Other Assets' Schedule11.

F. Repo / Reverse Repo

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

G. Investment in Security Receipts (SRs) backed by assets:-

In terms of RBI guidelines issued vide circular no DBR.No.BP.BC.9/21.04.048/2016-17 dated September 01, 2016, the bank has revised valuation methodology in respect of SRs under securitization, with effect from April 01, 2017. As per the revised guidelines, if the quantum of SRs backed by stressed assets sold by the bank exceeds 50% of

बेचे गये आस्तियों के विरूद्ध एसआर के संपूर्ण पोर्टफोलियो से 50 प्रतिशत से ज्यादा होती है तो निम्नलिखित में से जो भी ज्यादा हो उसके अनुसार अवमूल्यन का प्रावधान होगा।

अ. एससी/आरसी के द्वारा घोषित किये गये निवल आस्ति मूल्य की शर्तों के अनुसार आवश्यक प्रावधानों के दर पर; तथा

आ. यह मानकर कि कल्पित रूप से ऋण बैंक की बही में जारी रहा, अंतर्निहित ऋणों पर लागू दर पर प्रावधान।

जब बैंक के द्वारा एआरसी को बेची गयी वित्तीय संपत्ति के संबंध में एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद/पास-थ्रू प्रमाणपत्र में बैंक निवेश करता है तो निम्नलिखित में से जो भी कम होगा उसके अनुसार बैंक की बही में बिक्री को पहचाना जायेगा :

- प्रतिभूति रसीद/पास-थ्रू प्रमाणपत्र का मोचन मूल्य
- वित्तीय आस्ति का एनबीवी जब तक उपर्युक्त की बिक्री या वसूली न हो जाय तब तक उपर्युक्त विधि से निर्धारित कीमत पर बैंक की बही में उपर्युक्त निवेश किया जायेगा।

8) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

वर्तमान में बैंक फॉरेक्स वायदा संविदा, ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव का कार्य देखता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला ब्याज दर डेरिवेटिव रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर बैंक द्वारा किये जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव विकल्प हैं - करन्सी स्वैप तथा करन्सी फ्यूचर। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

क) हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग से रिकार्ड किए जाते हैं।

ख) हेज़िंग डेरिवेटिव पर आय/व्यय उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

ग) फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

घ) व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार डेरिवेटिव के अलावा ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार मूल्य पर (एमटीएम) किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई हो तो उसको लाभ एवं हानि में बताया जाता है। लाभ, यदि कोई हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

ड) व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनिमय व्यापार डेरिवेटिव का विनिमय द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

च) ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से लाभ/हानियों को निरस्तीकरण तिथि में आय/व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप के निरस्तीकरण पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित कम अवधि अथवा डेजिग्नेटेड आस्तियाँ/देयताओं की बकाया अवधि से संबद्ध किया जाता है।

छ) विकल्प संविदा की परिपक्वता अवधि पर विकल्प शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है

entire portfolio of SRs backed by sold assets issued under that securitization, provision for depreciation will be higher of the following;

a. provisioning at a rate required in terms of net asset value declared by the SCs/RCs; and

b. provisioning at a rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank.

When Bank invests in the security receipts/ pass-through certificates issued by ARC in respect of the financial assets sold by the Bank to the ARC, the sale will be recognized in books of the bank at the lower of:

- the redemption value of the security receipts/ pass-through certificates, and
- the NBV of the financial asset.

The above investment will be carried in the books of the bank at the price as determined above until its sale or realization.

8) DERIVATIVE:

The Bank presently deals in Forex Forward Contracts, interest rate, and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

a. The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

b. Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

c. Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account

d. Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

e. Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

f. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

g. Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

9. अचल आस्तियां :

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त जिन्हें पुनर्मूल्यन रकम पर ही बताया जाता है, अचल आस्तियों को पूर्व के लागत के आधार पर बताया है। पुनर्मूल्यांकन से वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति जमा किया जाता गया है

ख. लागत में शामिल है खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले जगह की तैयारी संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय शामिल है। उपयोग किए जा रहे आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा जब ऐसे आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. परिसर की लागत में स्वामित्व एवं पट्टाधारी भूमि की लागत दोनों शामिल हैं।

10. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास :

क) आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति से आकलित उपयोगी जीवन के आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यह्रासित बही मूल्य पर प्रभारित किया गया है, कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटरों सॉफ्टवेयर को छोड़कर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है। कम्प्यूटरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से सीधी रेखा पद्धति से मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ख) खरीद/बिक्री के संबंध में मूल्य ह्रास को वर्ष के दौरान जितने दिनों के लिए आस्ति का प्रयोग किया गया, उसके आनुपातिक आधार पर किया जाता है। (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को छोड़कर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, जहाँ खरीदी के वर्ष में उसका पूर्ण ह्रास होता है।)

ग) आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

घ) पट्टाधारित भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम, पट्टे की अवधि में परिशोधित की जाती है।

ङ) जहाँ भूमि और भवन की लागत अलग-अलग नहीं आकलित की जा सकती है, संपूर्ण लागत पर मूल्यह्रास का प्रावधान, भवन पर लागू दर पर किया जाता है।

च) भारत के बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर आधारित होता है, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ विनियामक की आवश्यकताओं/अथवा संबंधित देशों/उद्यम में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

छ) निम्नलिखित दरों के अनुसार आस्ति पर मूल्य ह्रास किया जाता है: ।

9) FIXED ASSETS:

a. Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

b. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees, etc. incurred on the asset before it is put to use or capable of put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

c. Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold

10) DEPRECIATION ON FIXED ASSETS

a. Depreciation on assets is charged on Straight Line Method at the rates determined by the Bank on the basis of estimated useful life of respective assets except in respect of computers & computer software not forming integral part of hardware, where it is calculated on the Straight Line Method, at the rates prescribed by RBI.

b. In respect of additions/sale, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year. However, for computer software not forming integral part of hardware is fully depreciated in the year of acquisition.

c. Depreciation on the revalued portion of assets is charged to Profit & loss and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

d. Premium on leasehold properties is amortised over the period of lease.

e. Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

f. Depreciation on fixed assets outside India is provided on Straight Line Method, except at the centres where different rates/method have been prescribed by the local statutory authorities.

g. Depreciation on assets is provided at the following rates.

Sr. No.	विवरण	Particulars	मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन Estimated useful life as determined by the Bank
1.	परिसर	Premises	1.58%	60 Years
2.	अन्य अचल आस्तियां	**Other Fixed Assets:**		
a)	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	9.50%	10 Years
b)	इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Electrical Fitting & Equipments	9.50%	10 Years
c)	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	Air-conditioning plants, etc. and business machines.	6.33%	15 Years
d)	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	Motor cars, Vans & Motor cycles	11.88%	8 Years
e)	साइकल	Cycle	20.00%	5 Years
f)	कम्प्यूटर तथा कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग है।	Computers and Computer Software forming integral part of hardware.	33.33%	3 Years
g)	कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है।	Computer Software, not forming integral part of hardware.	100% in the Year of acquisition	NA

ज. 5 वर्ष से कम आकलित उपयोगी जीवन वाले आस्तियों को छोड़कर सभी आस्तिओं के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है (यथा कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा साइकल), जहाँ आस्ति की पूरी लागत उपयोगी जीवन के ऊपर परिशोधित है।

11. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखामानक (एएस)11, ''विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव'' के अनुरूप किया गया है

क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:

भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

i. विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर रिकार्ड किया जाता है जो कॉगजेन्सिस/रायटर के पृष्ठ में प्रदर्शित साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें जो पूर्व के लागत के अनुसार की जाती है उसे संव्यवहार की तारीख में विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट की जाती हैं।

iv. विदेशी मुद्रा में रखे गए आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।

v. बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामतः लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi. एफईडीएआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा,उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित की जाएगी।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान में आरंभ में रिकार्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।

viii. मुद्रा वायदा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

h. 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 Years (eg. Computers, Computer Software and Cycles), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.

11) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" read with extant RBI guidelines:

A. Translation in respect of Integral Foreign operations:

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under

i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page.

ii. Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.

iii. Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv. Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v. Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting notional profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi. Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii. Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii. Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognised in the Profit and Loss account.

ख) **समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:**

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है : :

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है।

ii) आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर एफईडीएआई द्वारा सूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर स्पष्ट किया जाता है।

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते - ''विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व'' में संचित किया जाता है।

iv) विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है

12. **कर्मचारी लाभ :**

i. **अल्पावधि कर्मचारी लाभ :**

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की अनडिस्काउन्टेड रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है। इसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

ii. **नियोजन के पश्चात लाभ :**

ए. **परिनिश्चित लाभ योजना**

ए. **उपदान (ग्रैच्युटी)**

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है। यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के बेसिक वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान विनियम में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होता है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन न्यासियों (Trustees) द्वारा किया जाता है जो तिमाही रूप में एक स्वतंत्र बाह्य ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है।

बी. **पेंशन**

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियत के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है।नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन,1995 के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान

B. **Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:**

Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i. Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii. Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.

iv. The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

12) **EMPLOYEE BENEFITS:**

A. **Short Term Employee Benefit:**

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

B. **Post Employment Benefit:**

a. **Defined Benefit Plan:-**

i.) **Gratuity:**

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or Bank of India Gratuity Fund Rules,1975, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out quarterly.

ii.) **Pension**

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of Bank of India Pension Regulations, 1995.

करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो तिमाही रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के तहत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

बी. परिनिश्चित अंशदान योजना :

क) भविष्य निधि

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ पाने का हक है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करती है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ख) पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

क. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

i) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ii) अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, आकस्मिक लाभ इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

iii) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना संबंधित देशों में विद्यमान कानून के आधार पर की जाती है।

13. प्रति शेयर अर्जन:

एएस 20 ''अर्जन प्रति शेयर'' के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की कर पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग कर गणना की जाती है।

प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर गणना की जाती है।

The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out quarterly and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

b. Defined Contribution Plan:

i.) Provident Fund:

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

ii.) Pension:

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

C. Other Long term Employee Benefit

i.) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

ii.) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, Sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

iii.) In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

13) EARNINGS PER SHARE

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

14) TAXES ON INCOME:

14. आय पर कर :

बैंक द्वारा की गयी वर्तमान कर तथा आस्थागित कर के व्यय की राशि आयकर व्यय है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22 ''आय पर करों के लिए लेखांकन'' के प्रावधानों अनुसार क्रमश: वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर कानूनों पर आधारित भुगतान किये गये करों को ध्यान में रखा जाता है।

आस्थगन कर समायोजन में वर्ष के दौरान स्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल है। वर्तमान वर्ष हेतु कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच अंतर तथा हानि को आगे ले जाने पर समय के प्रभाव पर विचार करते हुए आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को लागू या पूर्णत: लागू कर दर तथा कर कानून का प्रयोग कर आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएँ तय की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का प्रभाव लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यह्रास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

15. आस्तियों का ह्रास:

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि यदि कोई हो, तो एएस 28 "आस्तियों का ह्रास" के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

एएस 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार बैंक प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसा आय निर्धारण हो सकता है जो कभी भी वसूला न जा सके।

17. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी किया जाता है, उस वर्ष शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

Deferred Tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income

15) IMPAIRMENT OF ASSETS

"Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset."

16) PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

17) SHARE ISSUE EXPENSES

Share issue expenses are charged to the Profit and Loss Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकडे ₹ करोड़ों में हैं। कोष्ठक में दिए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

खातों के भाग स्वरूप टिप्पणियाँ :-

1. वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन के माध्यम से रू.9,232 का निवेश किया है। सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2009 के विनियम 76(1) के अनुरूप मूल बैंक ने अधिमानी आधार पर अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर के 55,84,32,131 इक्विटी शेयर का आबंटन किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

आबंटन की तारीख	शेयर धारक का नाम	इक्विटी शेयर की संख्या	प्रति शेयर प्रीमियम (रू.मे)	राशि
14.06.2017	भारतीय जीवन बीमा निगम	1,75,00,000*	126.81	221.92
04.08.2017	भारत सरकार	11,23,51,134*	133.51	1500.00
27.03.2018	भारत सरकार	55,84,32,131	165.32	9232.00
	कुल	**68,82,83,265**		**10953.92**

* मार्च 2017 के दौरान उपर्युक्त आबंटन हेतु ‘ 1,721.92 की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई और सीईटी 1 पूंजी यथा 31 मार्च, 2017 की गणना हेतु इस पर विचार किया गया।

2. अनुषंगी बही खातों का समतुलन, विदेशी शाखाओं, आंतर कार्यालय खातों, नोस्ट्रो खातों, उचंत, संदेय ड्राफ्ट, समाशोधन अन्तरों, इत्यादि के साथ शेष राशियों की पुष्टि/समाधान का कार्य सतत आधार पर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में उपरोक्त का लम्बित अंतिम समाशोधन/समायोजन का वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है ।

3. 31 मार्च 2017 को समाप्त विगत वित्तीय वर्ष में जिन लेखांकन नीतियों का पालन किया गया उन्ही के आधार पर अवधि हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम तैयार किए गए हैं सिवाय इस बात के कि 1 अप्रैल, 2017 से लागू लेखांकन मानक 10 ‘संपत्ति प्लांट एवं उपकरण (पीपीई)’ में परिवर्तन किया गया है। तदनुसार, अचल आस्तियों को पुनर्मूल्यांकित भाग पर 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु रु.156.09 के मूल्यह्रास को लाभ-हानि खाते में जमा करने के बजाय, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है। इस हद तक चालू वर्ष के परिणाम विगत वर्ष के परिणामों से तुलनीय नहीं हैं।

4. आरबीआई परिपत्र क्रं.डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.50/21.06.201/2016-17 दिनांक 2 फरवरी, 2017 के अनुसार और अपर्याप्त लाभ के परिप्रेक्ष्य में, बैंक ने राजस्व आरक्षित निधि में नामे करते हुए एटी-1, स्थायी बासेल-III अनुपालित बॉन्डों पर ब्याज का भुगतान/ब्याज हेतु प्रावधान किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु रु.565.06 का ब्याज राजस्व आरक्षित निधि में नामे किया गया है।

SCHEDULE 18:

All figures are in ₹ crore unless specifically stated Figures in brackets relate to previous year

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

1. During the year, Government of India has infused ₹ 9,232 by way of preferential allotment of equity shares. The Bank has made preferential allotment of 55,84,32,131 equity shares of ₹ 10 each, in accordance with the provisions of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009. The details are as under:

Date of Allotment	Name of the Shareholder	No. of equity shares	Issue price per share (in ₹)	Amount
14.06.2017	Life Insurance Corporation of India	1,75,00,000*	126.81	221.92
04.08.2017	Government of India	11,23,51,134*	133.51	1,500.00
27.03.2018	Government of India	55,84,32,131	165.32	9,232.00
	Total	**68,82,83,265**		**10,953.92**

* The share application money of ₹ 1,721.92 for the above allotment was received during March, 2017 and considered for computation of CET 1 capital as on March 31, 2017.

2. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Draft Payable, Clearing Difference etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/adjustment of the above, is not likely to be significant.

3. The audited financial results for the period have been arrived at on the basis of the same accounting policies as those followed in the preceding financial year ended 31st March, 2017 except to the change in Accounting Standard 10 “Property, Plant & Equipment (PPE)” applicable from April 1, 2017. Accordingly, depreciation of ₹ 156.09 for the year ended 31st March, 2018 on the revalued portion of fixed assets has been transferred from the Revaluation Reserve to the Revenue Reserve instead of crediting to the Profit & Loss Account. The results of the current year are not comparable with the previous year to this extent.

4. In terms of RBI Circular no. DBR.BP.BC No.50/21.06.201/2016-17 dated 2nd February, 2017 and in view of insufficient profits, Bank has made payment / provision of interest on AT-1 Perpetual Basel III Compliant Bonds by debiting Revenue Reserve. Accordingly, interest of ₹ 565.06 for the year ended March 31, 2018 has been debited to Revenue Reserve.

5. आरबीआई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी दी जा रही है:

5.1. पूँजी:

5. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by RBI:

5.1. Capital:

Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i)	**सामान्य इक्विटी टियर1 पूंजी अनुपात (CET1) (%)**	**Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET1) (%)**		
	बासेल-II	Basel-II	NA	NA
	बासेल -III	Basel-III	7.87%	7.17%
ii)	**टियर1 पूंजी अनुपात (%)**	**Tier I Capital ratio (%)**		
	बासेल-II	Basel-II	NA	NA
	बासेल -III	Basel-III	9.73%	8.90%
iii)	**टियर II पूंजी अनुपात (%)**	**Tier II Capital ratio (%)**		
	बासेल-II	Basel-II	NA	NA
	बासेल -III	Basel-III	3.21%	3.24%
iv)	**कुल पूंजी अनुपात (CRAR) (%)**	**Total Capital ratio (CRAR) (%)**		
	बासेल-II	Basel-II	NA	NA
	बासेल -III	Basel-III	12.94%	12.14%
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of the Government of India	83.09%	73.72%
vi)	वर्ष के दौरान प्राप्त इक्विटी पूंजी राशि	Amount of Equity Capital Raised during the year *	10,953.92	2,641.65
vii)	शेयर आवेदन की राशि जो आबंटन के लिए लंबित है*	Share application money pending for allotment	0.00	1,721.92
viii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई अतिरिक्त टियर-I पूंजी,यानी पर्पेचुअल डेट इन्स्टुमेंट्स (PDI)	Amount of Additional Tier 1 capital raised during the year i.e. PDI	500.00	2,500.00
ix)	वर्ष के दौरान जुटाई गई अतिरिक्त टियर-II पूंजी II, अर्थात डेट कैपिटल इंस्टुमेंट	Amount of Tier-II capital raised i.e. Debt Capital Instruments, during the year	0.00	2,500.00

* राशि में पिछले वर्ष में प्राप्त शेयर आवेदन राशि और वर्तमान वर्ष में आबंटित राशि शामिल है।

टियर I पूंजी में अभिवृद्धि करने हेतु प्राप्त किए गए बकाया नवोन्मेष सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)/ एटी-1 के ब्यौरे निम्नानुसार:-

वर्ष में प्राप्त	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बासेल -III)
2008-09	आईपीडीआई	400.00	160.00
2009-10	आईपीडीआई	325.00	130.00
2010-11	आईपीडीआई	300.00	120.00
2014-15	एटी-1	2,500.00	2,500.00
2016-17	एटी-1	2,500.00	2,500.00
2017-18	एटी-1	500.00	500.00
	कुल	**6,525.00**	**5,910.00**

टियर II पूंजी में अभिवृद्धि करने हेतु प्राप्त किए गए बकाया टियर III लिखतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना बासेल -III
2008-09	अपर टियर II	500.00	200.00
2009-10	अपर टियर II	2,000.00	800.00
2010-11	अपर टियर II	1,000.00	400.00
2013-14	टियर II	1,500.00	1,500.00
2015-16	टियर II	3,000.00	3,000.00
2016-17	टियर II	2,500.00	2,500.00
	कुल	10,500.00	8,400.00

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी. 13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च, 2018 के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती और आस्थगित कर पर विचार किया है।

* The amount includes share application money received in the previous year and allotted in the current year.

Details of outstanding Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)/AT-1 raised to augment Tier I capital are as under

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2008-09	IPDI	400.00	160.00
2009-10	IPDI	325.00	130.00
2010-11	IPDI	300.00	120.00
2014-15	AT-1	2,500.00	2,500.00
2016-17	AT-1	2,500.00	2,500.00
2017-18	AT-1	500.00	500.00
	Total	6,525.00	5,910.00

Details of outstanding Tier II Instruments raised to augment Tier II capital are as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2008-09	Upper Tier II	500.00	200.00
2009-10	Upper Tier II	2,000.00	800.00
2010-11	Upper Tier II	1,000.00	400.00
2013-14	Tier II	1,500.00	1,500.00
2015-16	Tier II	3,000.00	3,000.00
2016-17	Tier II	2,500.00	2,500.00
	Total	**10,500.00**	**8,400.00**

Pursuant to RBI circular No. DBR. NO.BP.13018/21.04.048/2015-16 dated 1st March 2016, the bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital Adequacy Ratio as on 31st March 2018.

5.2 निवेश

क्र. स.	विवरण	यथा 31.03.2018	यथा 31.03.2017
1	निवेश का मूल्य		
	i) निवेशों का सकल मूल्य	**1,40,635.14**	1,28,954.97
	क) भारत में	**1,34,702.23**	1,23,756.06
	ख) भारत के बाहर	**5,932.91**	5,198.91
	ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**3,524.03**	1,128.11
	क) भारत में	**3,500.02**	999.46
	ख) भारत के बाहर	**24.01**	128.65
	iii) निवेशों का निवल मूल्य	**1,37,111.11**	1,27,826.86
	क) भारत में	**1,31,202.21**	1,22,756.61
	ख) भारत के बाहर	**5,908.90**	5,070.26
2	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों की स्थिति		
	i) प्रारंभिक शेष	**1,128.11**	1,004.61
	ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान **	**3,242.70**	434.29
	iii) घटाएं : बट्टेखाते डालना/वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का राइट-बैक	859.35	313.34
	iv) जोड़ें/(घटाएं): विनिमय अंतर की वजह से समायोजन	12.57	2.55
	v) **अंतिम शेष**	3524.03	1,128.11

** जिनमें रू. 1000.15 को आगामी तीन तिमाहियों में परिशोधित किया जाएगा

* विदेशी शाखाओं में रु. 96.06 का राइट-ऑफ़ शामिल है

राशि रू. 24924.35(पिछले वर्ष रू.4,441.61) की सरकारी प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य) को मार्जिन/प्रतिभूति निपटान के पक्ष में आरबीआई, सीसीआईएल, समाशोधन गृह और विनिमयों के पास मार्जिन के रूप में रखा गया है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने बैंक ऑफ टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संघटित पूरी हिस्सेदारी बेची है और रू. 33.81 का लाभ कमाया है। बैंक ने बीएसई लिमिटेड के 0.87 लाख शेयर बेचे और रू. 0.08 का लाभ कमाया है।

इसके अलावा वर्ष के दौरान, बैंक ने संयुक्त उद्यम, बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मॅनेजर्स पीवीटी लिमिडेड और पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके, में रु. 4.38 और रू. 254.65 का निवेश किया है। तथापि, ऐसे निवेश के पश्चात इक्विटी पूंजी में बैंक की हिस्सेदारी स्थिर रही है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान एसबीआई डीएचएफआई लि. द्वारा 0.64 लाख शेयरों के बयबैक के तहत रु.2.53 का लाभ अर्जित किया। बयबैक के पश्चात यथा 31.03.2018 को निवेश घटकर रु.5.54 हो गया है।

आरबीआई ने अपने परिपत्र क्र.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 दिनांक अप्रैल 2018 द्वारा बैंकों को, 31 दिसंबर, 2017 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए एएफएस और एचएफटी वर्गों में धारित निवेशों पर मार्क टु मार्केट हानियों (मूल्यह्रास) हेतु प्रावधानों को स्प्रेड करने की अनुमति दी है। जिस तिमाही में

5.2. Investments

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
1.	Value of Investments		
	i. Gross Value of Investments	140,635.14	128,954.97
	a. In India	134,702.23	123,756.06
	b. Outside India	5,932.91	5,198.91
	ii. Provisions for Depreciation	3,524.03	1,128.11
	a. In India	3,500.02	999.46
	b. Outside India	24.01	128.65
	iii. Net Value of Investments	137,111.11	127,826.86
	a. In India	131,202.21	122,756.61
	b. Outside India	5,908.90	5,070.26
2.	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	i. Opening balance	1,128.11	1,004.61
	ii. Add: Provisions made during the year**	3,242.70	434.29
	iii. Less: Write off/reduction/ write-back of excess provision during the year*	859.35	313.34
	iv. Add/(Less): Adjustments on account of Exchange Difference	12.57	2.55
	v. **Closing Balance**	3,524.03	1,128.11

** Including ₹1,000.15 will be amortised in ensuing 3 quarters

* Including write-off of ₹ 96.06 at overseas branches

Government Securities (Face Value) amounting to ₹ 24924.35 (previous year ₹ 4,441.61) are kept as margin with RBI, CCIL, Clearing House and Exchange towards margin/security settlement.

During the year, Bank has sold entire stake held by our Bank of Tourism Finance Corporation of India Ltd and earned profit of ₹33.81. Bank has sold 0.87 lakh shares of BSE Ltd. and earned a profit of ₹ 0.08.

Further, ₹ 4.38 and ₹ 254.65 were invested in BOI Axa Investment Managers Pvt. Ltd. and PT Bank of India Indonesia TBK, respectively, subsidiaries of the Bank. However, Bank's share in the equity capital has remained constant pursuant to such additional investment.

During the year ended 31st March 2018, the Bank has earned a profit of ₹ 2.53 under buyback of 0.64 Lakh shares by SBI DFHI Ltd. Post buyback, the investment has reduced to ₹ 5.54 as on 31.03.2018.

RBI vide its circular DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018 has permitted banks to spread provisioning for mark to market losses (depreciation) on investments held in AFS and HFT categories for the quarters ended December 31, 2017 and March 31, 2018. The losses can be spread over four

हानि हुई हो, उस तिमाही से शुरू करते हुए हानियों को चार तिमाहियों में स्प्रेड किया है।

बैंक ने केवल, 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही में मूल्यह्रास-प्रावधान के संबंध में इस वितरण का लाभ उठाने का विकल्प चुना है। तदनुसार, रु.347.55 के मूल्यह्रास को 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही हेतु लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है। रु.1042.65 के शेष मूल्यह्रास को आगामी वित्तीय वर्ष की शेष तिमाहियों में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा।

quarters, commencing from the quarter in which the loss has been incurred.

Bank has opted to avail this dispensation only in respect of depreciation provision arising in quarter ended March 31, 2018. Accordingly, depreciation of ₹ 347.55 has been charged to Profit and Loss account for the quarter ended March 31, 2018. Remaining depreciation of ₹ 1,042.65 will be charged to Profit and Loss account in the subsequent quarters of ensuing financial year.

5.2.1 वर्ष के दौरान किए गए रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य पर)

5.2.1. Repo/Reverse Repo Transactions (in face value terms) undertaken during the year:

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	बकाया यथा 31 मार्च, 2018 Outstanding as on March 31, 2018
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government Securities	0.00 (0.00)	22,443.10 (20,188.87)	5,654.09 (2,412.38)	13,772.34 (4,759.60)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government Securities	0.00 (0.00)	39,692.64 (37,344.75)	15,079.12 (5,172.04)	5,787.11 (19,500.00)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) अंतर्गत किए गए सौदे शामिल है (मार्जिन को छोड़कर).

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो/रिवर्स रेपो संव्यवहारों के संबंध में कोई पेनाल्टी नहीं लगाई गई।

The above include transactions undertaken under Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI (net of margin).

No penalty was imposed by the Reserve Bank of India during FY 2017-18, in respect of repo/reverse repo transactions.

5.2.2 गैर-एसएलआर निवेश संविभाग:

i. गैर एसएलआर निवेश -जारीकर्ता

5.2.2 Non-SLR Investment Portfolio:

i. **Issuer Composition of Non SLR Investments**

Sr. No.	जारीकर्ता / Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आवंटन Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूति* आवंटन Extent of 'Below Investment Grade' Securities*	'अश्रेणीकृत' प्रतिभूति आवंटन* Extent of 'Unrated' Securities*	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियां का आवंटन* Extent of 'Un-listed' Securities*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम / PSUs	2,940.85 (2,708.60)	2,378.99 (2,154.89)	0.00 (96.91)	698.54 (691.16)	0.00 (0.00)
ii.	वित्तीय संस्थाएं / FIs	3,209.44 (1,736.84)	3,160.77 (1,371.38)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	134.20 (140.50)
iii.	बैंक / Banks	800.86 (667.38)	271.85 (247.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	162.94 (162.13)
iv.	निजी कॉर्पोरेट / Private Corporates	4,638.89 (3,003.70)	3,439.28 (1,881.45)	1,035.15 (576.57)	56.35 (179.68)	34.20 (73.04)
v.	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम** / Subsidiaries / Joint Ventures**	1,442.96 (1,183.92)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
vi.	अन्य Others	15,571.89 (9,112.80)	7,969.81 (2,230.99)	0.00 (49.20)	45.35 (172.69)	0.00 (0.00)
	उप-जोड Sub-total	**28,604.88** **(18,413.24)**	**17,220.60** **(7,885.71)**	**1,035.15** **(722.68)**	**800.24** **(1,043.53)**	**331.34** **(375.67)**
vii.	घटाएं: मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान Less: Provision held towards Depreciation	2,538.40 (1,535.96)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	कुल / Total	**26,066.48** **(16,877.28)**	**17,220.60** **(7,885.71)**	**1,035.15** **(722.68)**	**800.24** **(1,043.53)**	**331.34** **(375.67)**

* इक्विटी में निवेश, इक्विटी अभिविन्यस्त म्युचुअल फंड, जोखिम पूंजी, वर्गीकृत आस्ति समचित प्रतिभूति, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, प्रतिभूति रसीद, इत्यादि को इन श्रेणियों के तहत भिन्न नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हें वर्गीकरण/सूचीकरण दिशानिर्देशों से छूट दी गई है।

** अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहायकों में निवेश को विभिन्न श्रेणियों में पृथक नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों के तहत कवर नहीं किया गया है।

ii. अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

विवरण	2017-18	2016-17
प्रारंभिक शेष	1,066.98	759.85
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,564.15	409.01
वर्ष के दौरान कटौतियां	(44.55)	(15.88)
जोडें/(घटाएं): एक्सचेंज अंतर	8.01	(15.83)
अंतिम शेष*	2,683.69	1,168.90
धारित कुल प्रावधान	1,911.27	767.20

* विनिमय अंतर शामिल

5.2.3 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एचटीएम श्रेणी से बिक्री और अंतरण:

1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के दौरान एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरणों का कुल मूल्य यथा 31.03.2017 को एचटीएम श्रेणी में रखे गये निवेशों के बही मूल्य से 5% अधिक हो गया है (निम्नलिखित संव्यवहारों को छोड़कर)। उपर्युक्त संदर्भित 5% की उपरि सीमा में निम्नलिखित शामिल नहीं होगा:-

1. निदेशक मंडल के अनुमोदन से लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में बैंकों द्वारा एचटीएम श्रेणी को/से जिन प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण किया जाना अनुमत है।
2. पूर्व-घोषित ओएमओ बोलियों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को बिक्री।
3. भारत सरकार द्वारा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों की पुन: खरीद।
4. लेखा- वर्ष के आरंभ में अनुमति प्राप्त अंतरण के अतिरिक्त, एचटीएम के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों की उच्चतम सीमा में कमी के परिणाम स्वरूप प्रतिभूतियों की बिक्री या एएफएस/एचएफटी श्रेणी में अंतरण।

वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप (एचटीएम पोर्टफोलियो में बाजार मूल्य से बही मूल्य की अधिकता की स्थिति में जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है सहायक कंपनी बैंक ऑफ़ नाइजीरिया लि. के संबंध में किये गये रु.1.87 करोड़ के प्रावधान के अतिरिक्त) प्रकटन निम्नवत है :-

(राशि करोड़ में)

	विवरण	बही मूल्य	बाजार मूल्य	बाजार मूल्य के ऊपर बही मूल्य की अधिकता
1.	सरकारी प्रतिभूतियां	80628.16	79101.62	1526.54
2.	रीकैप बॉण्ड	6975.00	6975.00	0.00
3.	बॉण्ड व डिबेंचर्स	202.40	222.00	0.00
4.	शेयर्स	1.11	31.41	0.00
5.	अनुषंगी, संयुक्त उद्यम, सहायक कंपनियां व आरआरबी	1442.96	1441.09	1.87
6.	अन्य	115.38	141.23	0.00
	कुल	**89365.01**	**87912.35**	**1528.41**

* Investment in Equity, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets Backed Securities, Central Govt. Securities, Security Receipts, etc. are not segregated under these categories as these are exempt from rating/listing guidelines.

** Investment in Subsidiaries/Joint Ventures/Associates have not been segregated into various categories as these are not covered under relevant RBI guidelines

ii. Non-performing Non-SLR Investments:

Particulars	2017-18	2016-17
Opening balance	1,066.98	759.85
Additions during the year	1,564.15	409.01
Less : Reductions during the year	(44.55)	(15.88)
Add/(Less): Exchange difference	8.01	(15.83)
Closing balance *	2,683.69	1,168.90
Total provisions held	1,911.27	767.20

* Including Exchange Difference

5.2.3. Sale and transfers from HTM category During the financial year 2017-18:

The total value of sale and transfers of securities from HTM category during 1st April 2017 to 31st March, 2018 has exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category as on 31.03.2017 (excluding following Transactions). The 5 per cent threshold referred to above will exclude

(a) The one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year

(b) Sale to the Reserve Bank of India under pre-announced OMO auctions.

(c) Repurchase of Government Securities by Government of India from banks.

(d) Sale of securities or transfer to AFS / HFT consequent to the reduction of ceiling on SLR securities under HTM, in addition to the shifting permitted at the beginning of the accounting year.

Disclosure in terms of extant RBI guidelines (excess of book value over market value in HTM portfolio for which no provision is made, except for provision of Rs.1.87 Crore made in respect of Subsidiary Allied Bank of Nigeria Ltd.) is as follows:

(Amt. in Rs crore)

	Particulars	Book Value	Market Value	Excess of Book Value over Market Value
1.	Government Securities	80628.16	79101.62	1526.54
2.	Recap Bonds	6975.00	6975.00	0.00
3.	Bonds & Debentures	202.40	222.00	0.00
4.	Shares	1.11	31.41	0.00
5.	Subsidiaries, Joint Ventures, Associates & RRBs	1442.96	1441.09	1.87
6.	Others	115.38	141.23	0.00
	Total	**89365.01**	**87912.35**	**1528.41**

5.3 डेरिवेटिव

5.3.1 वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2018	यथा 31.03.2017
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि	12,993.80	12,400.98
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	119.42	235.28
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पार्श्विक प्रतिभूति	स्वैप के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की जरूरत नहीं थी क्योंकि काउन्टर पार्टी या तो बैंक अथवा प्रीमियर कार्पोरेट थे.	
iv)	स्वैप से आए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।	
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	159.66	11.82

5.3. Derivatives

5.3.1. Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
i)	The notional principal of swap agreements	12,993.80	12,400.98
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	119.42	235.28
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	No collaterals were required for the swaps as counterparties were either banks or premier Corporate.	
iv)	Concentration of Credit Risk arising from the swaps	There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year	
v)	The fair value of the swap book	159.66	11.82

5.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव

5.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	यथा As at 31.03.2018	यथा As at 31.03.2017
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखित वार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	0.00	0.00
(ii)	यथा 31 मार्च को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेविरेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखित वार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March(instrument-wise)	0.00	0.00
(iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि और जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हो (लिखित वार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00	0.00
(iv)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हो (लिखित वार)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00	0.00

5.3.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

बैंक तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा कारोबारी उद्देश्यों और ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करता है जैसे कि ब्याज-दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली और मुद्रा तथा परस्पर लेन देन की मुद्रा का विकल्प या व्यापार के उद्देश्य हेतु ये उत्पाद जोखिम की प्रतिरक्षा, लागत घटाने तथा ऐसे संव्यवहारों से आय बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बैंक इस प्रकार के व्यवहार में जिस प्रकार के जोखिमों का सामना करता है, वे हैं ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम आदि।

जोखिम प्रबंधन बैंक के कारोबार प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जोखिम की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, समुचित जोखिम सीमाएं निर्धारित करने और उन जोखिमों और सीमाओं की निरंतर आधार पर अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों के जरिए देख-रेख करने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और उनकी नियमित आधार पर देख-रेख तथा समीक्षा की जाती है। बैंक का संगठन जोखिम के प्रबंधन में सहायक रहा है। डेरिवेटिव परिचालन में व्यापार क्रिया कलापों के ऋण जोखिमों की पर्याप्त जानकारी है।

अध्यक्ष (Chairman) की अध्यक्षता में बैंक के निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति है।

हैज/नान-हैज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को भिन्न रूप से रिकार्ड किया जाता है। हेजिंग व्यूत्पन्नी पर आय/खर्च को उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

फोरेक्स फोरवर्ड संविदाओं को बाजार को चिन्हित किया गया है और परिणामत: लाभ और हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

5.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

i. Qualitative Disclosure

The Bank enters into derivative contracts such as interest rate derivatives, currency swaps and currency options to hedge on balance sheet assets and liabilities or to meet client requirements as well as for trading purpose as per policy approved by the Board. These products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield. In such transactions, the types of risks to which the bank is exposed to, are credit risk, market risk, operational risk etc.

Risk management is an integral part of bank's business management. Bank has risk management policies designed to identify and analyse risks, to set appropriate risk limits and to monitor these risks and limits on an on-going basis by means of reliable and up to date management information systems. The risk management policies and major control limits are approved by the Board of Directors and they are monitored and reviewed regularly. The organization of the Bank is conducive to managing risks. There is sufficient awareness of the risks and the size of exposure of the trading activities in derivative operations.

The Bank has a Risk Management Committee of Directors presided over by the Chairman.

The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately. Income/expenditure on hedging derivatives is accounted on accrual basis.

Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार व्यूत्पन्न् के अलावा ब्याज दर व्यूत्पन्न और मुद्रा व्यूत्पन्न को बाजार को चिन्हित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई, को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है। निवल लाभ, यदि कोई, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनिमय व्यापार व्युत्पन्न का विनिमय द्वारा दिए गए दर के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत:लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है ।

व्यापार स्वैप की समाप्ति पर लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/खर्च के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैन की शेष अनुबंधित कम अवधि अथवा पदनामित आस्तियों/देयताओं की बकाया अवधि से संबद्ध किया जाता है।

विकल्प संविदा के परिपक्वता काल पर विकल्प शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है ।

बैंक में वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन को आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की उचित पद्धति है इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित/या परिचालन आवश्यकतानुसार विनियामक प्राधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी जाती है। बैंक के पास निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न पहलूओं पर स्पष्ट डेरिवेटिव दिशा-निर्देश है। डेरिवेटिव लेन देन समवर्ती आंतरिक, सांविधिक और नियामक लेखा परीक्षा के शर्तो के अध्यधीन है।

संव्यवहारों के प्रतिपक्ष बैंक प्राथमिक डीलर और प्रीमियर कार्पोरेट्स ईकाइयां हैं। इनमें व्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर किया जाता है। बैंक ने ब्याज दर एवं विदेशी विनिमय डेरिवेटिव लेन-देनों के कारण उत्पन्न ऋण जोखिमों के मापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारत वर्तमान ऋण जोखिम विधि अपनाई है। वर्तमान ऋण जोखिम विधि में वर्तमान ऋण जोखिम और इन संविदाओं के संभावी आगामी ऋण जोखिम का जोड़ है।

वर्तमान ऋण एक्सपोज़र इन संविदाओं के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का जोड़ है अर्थात् जब बैंक को प्रतिपक्ष से राशि प्राप्त करनी होती है।

संभावी आगामी ऋण जोखिम का निर्धारण इन संविदाओं के कतिपत मूल राशि, चाहे संविदा का शून्य, सकारात्मक अथवा नकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य हो, के साथ निम्नानुसार संबंधित एड-ऑन तत्वों के अनुसार लिखत के शेष परिपक्वता और स्वप का गुणा करके प्राप्त किया जाएगा।

अवशिष्ट परिपक्वता	कुल अनुमानित मूल राशि पर लागू परिवर्तनकारक तत्व	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष या उससे कम	0.50%	2.00%
एक वर्ष से अधिक पांच वर्ष तक	1.00%	10.00%
पाँच वर्ष से अधिक	3.00%	15.00%

ऋण जोखिम की गणना करते समय ''बिक्रीगत विकल्पो'' को वहाँ छोड दिया जाता है जहाँ कहीं प्रीमियम / शुल्क या किसी भी रूप में आय प्राप्त / वसूली होती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार के अनुसार संविदा के वर्तमान बाजार मूल्य पर ऋण जोखिम की गणना की जाती हे। इस पर मानक श्रेणी की ऋण आस्ति पर लागू प्रावधान जरुरतें भी लागू है। वर्तमान में जोखिमवाली आस्तियों पर 0.40% प्रावधान किया जाना है। हमारे खातों में बैंक उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित प्रावधान करते हैं।

Interest rate derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit, if any, is ignored.

Exchange traded derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit & Loss account.

Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

Bank has a proper system of submitting periodical reports to Senior and Top Management and Board as well as regulatory authorities as required by RBI and/or as per operational requirements. Bank has clearly spelt derivative guidelines on various aspects approved by the Board of Directors. The derivative transactions are subject to concurrent, internal, statutory and regulatory audits.

The counter parties to the transactions are banks, primary dealers and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The Bank has adopted the Current Exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposures arising on account of interest rate and foreign exchange derivative transactions. Current exposure method is the sum of current credit exposure and potential future exposure of these contracts.

The current credit exposure is the sum of positive mark to market value of these contracts i.e. when the Bank has to receive money from the counter party.

Potential future credit exposure is determined by multiplying the notional principal amount of these contracts irrespective of whether the contract has zero, positive or negative mark to market value by the relevant add-on factors as under according to the nature and residual maturity of the instrument.

Residual Maturity	Conversion factor applied on Notional Principal Amount	
	Interest Rate Contract	Exchange Rate Contract
One year or less	0.50%	2.00%
Over one year to five years	1.00%	10.00%
Over five years	3.00%	15.00%

While computing the credit exposure, “sold options” are excluded wherever the entire premium/fee or any other form of income is received / realized.

As per the extant RBI guidelines, credit exposures computed as per the current Mark to Market value of the contracts, also attracts provisioning requirement as applicable to the loan assets in the “Standard” category, of the concerned counterparty. At present, the provision is to be maintained at 0.40% of the risk weighted assets. The Bank makes the requisite provision as aforesaid in the books.

ii. मात्रात्मक प्रकटन

ii. Quantitative Disclosures

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	मुद्रा व्युत्पन्नी Currency Derivatives		ब्याज दर व्युत्पन्नी Interest Rate Derivatives	
1	डेरिवेटिव (अनुमानित मूल राशि)	Derivatives (Notional Principal Amount)	7,717.56		12,993.80	
	क) हेजिंग हेतु	a) For hedging	6,709.71 (13,539.59)		12,993.80 (12,400.98)	
	ख) कारोबार हेतु	b) For trading	1,007.85 (3,425.12)		0.00 (0.00)	
2	मार्क्ड टु मार्केट पोजिशन्स (1)	Marked to Market Positions [1]				
	क) आस्ति (+)	a) Asset (+)	18.19 (44.15)		119.42 (233.02)	
	ख) देयता (-)	b) Liability (-)	1.08 (-4.59)		177.35 (-27.76)	
3	क्रेडिट एक्सपोजर [2]	Credit Exposure [2]	162.55 (317.26)		431.56 (343.88)	
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से होने वाला संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	a) On hedging derivatives	0.00 (0.00)		44.17 (0.57)	
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	b) On trading derivatives	1.28 (2.25)		0.00 (0.00)	
5	वर्ष के दौरान देखी गई 100*पीवी01 की अधिकतम एवं न्यूनतम	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during the year	अधि./Max	न्यू./Min	अधि./Max	न्यू./Min
	क) हेजिंग पर	a) On hedging	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	44.17 (3.44)	2.14 (0.57)
	ख) ट्रेडिंग पर	b) On trading	1.46 (2.64)	1.28 (2.25)	0.25 (0.05)	0.00 (0.00)

5.4 आस्ति गुणवत्ता
5.4.2 अनर्जक आस्तियां
ए) अनर्जक अग्रिम

5.4. Asset Quality
5.4.2. Non Performing Assets:
(a) Non performing Advances

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
(i) निवल अग्रिमों में से निवल एनपीए (%)	(i) Net NPAs to Net Advances (%)	8.28%	6.90%
(ii) एनपीए (सकल) का उतार-चढ़ाव	(ii) Movement of NPAs (Gross)		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	52,044.52	49,879.12
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	39,074.54	20,320.99
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	28,790.60	18,155.59
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	62,328.46	52,044.52
(iii) निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव	(iii) Movement of Net NPAs		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	25,305.03	27,996.40
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	7,498.43	4,875.60
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	4,596.19	7,566.97
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	28,207.27	25,305.03
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)	(iv) Movement of provision for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	24,681.76	19,994.18
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	b) Provisions made during the year	11,483.16	8,097.53
ग) बट्टे खाते में / अतिरिक्त प्रावधान को राइट बैक	c) Write-off/write-back of excess provisions	4,292.95	3,409.95
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	31,871.97	24,681.76

(ख) अनर्जक निवेश (b) Non performing Investments

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
(i) निवल निवेश पर निवल एनपीआई (%)	(i) Net NPIs to Net Investment (%)	1.39%	0.60%
(ii) एनपीआई (सकल) का उतार चढाव	(ii) Movement of NPIs (Gross)		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	1,066.99	759.85
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	1,572.16	409.01
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	44.55	101.87
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	2,594.60	1,066.99
(iii) निवल एनपीआई का उतार-चढ़ाव	(iii) Movement of Net NPIs		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	299.79	110.94
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	376.11	188.85
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	(7.44)	0.00
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	683.34	299.79
(iv) एनपीआई के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव	(iv) Movement of provision for NPIs		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	767.20	648.91
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	b) Provisions made during the year	1,196.05	220.16
ग) राइट बैक/अतिरिक्त प्रावधान को राइट बैक	c) Write-off/write-back of excess provisions	51.99	101.87
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	1,911.26	767.20

5.4.3 पुनर्गठित खातों के विवरण / Particularsof Accounts Restructured-

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान पुनर्गठन की शर्त पर ऋण आस्तियों के ब्यौरे (प्रबंधन द्वारा समेकित)

(a) Details of Loan assets subjected to restructuring during 2017-18 (As compiled by the management and relied upon by the Auditors)

(राशि करोड़ में)

	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring					अन्य Others					कुल Total				
	आस्तियों का विवरण Assets Classification		वैश्विक Global					वैश्विक Global					वैश्विक Global					वैश्विक Global				
Sr No	ब्यौरे Details		मानक Stand-ard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्तीय वर्ष के यथा 1 अप्रैल को पुनर्गठित खाते (प्रारम्भिक आंकड़े) Restructured Account As on April 1 of FY (Opening Figure)	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	7 (12)	4 (0)	50 (55)	0 (0.00)	61 (67)	11 (51)	5 (14)	82 (83)	0 (0.00)	98 (148)	27961 (33876)	7632 (7592)	875 (846)	2 (3)	36470 (42317)	27979 (33939)	7641 (7606)	1007 (984)	2 (3)	36629 (42532)
		बकाया राशि Amount Outstanding	622 (802)	465 (0)	6782 (7282)	0 (0.00)	7869 (8084)	90 (289)	15 (144)	968 (845)	0 (0)	1072 (1277)	5309 (6435)	686 (2271)	7324 (5431)	271 (227)	13591 (14364)	6021 (7526)	1166 (2415)	15073 (13558)	271 (227)	22531 (23725)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	17 (29)	7 (0)	99 (127)	0 (0.00)	123 (156)	2 (4)	0 (1)	8 (5)	0 (0)	10 (10)	111 (155)	21 (28)	131 (50)	0 (0)	262 (233)	129 (188)	28 (29)	237 (183)	0 (0)	394 (399)
2	वर्ष के दौरान ताज़ा पुनर्गठित Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	0 (1)	0 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (2)	3 (0)	0 (1)	1 (1)	0 (0)	4 (2)	2604 (11063)	22 (61)	45 (16)	0 (0)	2671 (11140)	2607 (11064)	22 (62)	46 (18)	0 (0)	2675 (11144)
		बकाया राशि Amount Outstanding	-49 (133)	-6 (0)	122 (402)	0 (0)	67 (535)	10 (6)	0 (1)	68 (19)	0 (0)	78 (26)	728 (1198)	140 (535)	2487 (202)	-10 (0)	3346 (1935)	689 (1336)	134 (536)	2678 (623)	-10 (0)	3491 (2496)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0 (0)	0 (3)	0 (13)	0 (0)	0 (16)	0 (1)	0 (1)	0 (2)	0 (0)	0 (4)	76 (172)	0 (11)	14 (57)	0 (7)	91 (247)	77 (173)	0 (14)	15 (72)	0 (7)	91 (267)
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक प्रवर्ग में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	1 (1)	-1 (2)	0 (-4)	0 (0)	0 (-1)	4 (4)	-2 (-2)	-2 (-2)	0 (0)	0 (0)	2 (8)	-1 (-4)	-2 (-4)	0 (-1)	-1 (-1)	7 (13)	-4 (-4)	-4 (-10)	0 (-1)	-1 (-2)
		बकाया राशि Amount Outstanding	25 (192)	-31 (250)	0 (-543)	0 (0.00)	-6 (-102)	34 (26)	-2 (-22)	-32 (-3)	0 (0)	0 (0)	60 (1330)	-3 (-553)	-105 (-784)	-1 (4)	-48 (-2)	119 (1548)	-36 (-325)	-136 (-1330)	-1 (4)	-54 (-104)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	1 (15)	-1 (3)	0 (-17)	0 (0)	0 (0)	0 (1)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (12)	0 (6)	-4 (-18)	0 (0)	0 (0)	5 (28)	-1 (9)	-4 '(-36)	0 (0)	0 (0)

	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring					अन्य Others					कुल Total				
	आस्तियों का विवरण Assets Classification		वैश्विक Global					वैश्विक Global					वैश्विक Global					वैश्विक Global				
Sr No	ब्यौरे Details		मानक Stand-ard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
4	ऐसे पुनर्गठित मानक अग्रिम जिनपर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार लगना बंद है और इसीलिए उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं हैं। Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	0 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (3)	0 (33)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (33)	12432 (16939)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	12432 (16939)	12432 (16975)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	12432 (16975)
		बकाया राशि Amount Outstanding	0 (130)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (130)	0 (83)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (83)	203 (1634)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	203 (1634)	203 (1847)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	203 (1847)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (3)	0 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (3)	11 (30)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	11 (30)	11 (36)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	11 (36)

Sr No	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring					अन्य Others					कुल Total				
	आस्तियों का विवरण Assets Classification		वैश्विक Global					वैश्विक Global					वैश्विक Global					वैश्विक Global				
	ब्यौरे Details		मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	-3 (-3)	0 ' 1)	3 (2)	0 (0)	0 (0)	-1 (-11)	-1 (-5)	2 (16)	0 (0)	0 (0)	-4423 (-37)	4397 (-12)	26 (49)	0 (0)	0 (0)	-4427 '(-51)	4396 '(-16)	31 (67)	0 (0)	0 (0)
		बकाया राशि Amount Outstanding	-244 (-344.28)	-171 (122.74)	409 (221.54)	0 (0.00)	-6 (0.00)	-3 (-109)	-5 (-74)	8 (184)	0 (0)	0 (0)	-2498 (-1245)	1145 (-1210)	1335 (2453)	0 (0)	-17 (-1)	-2745 (-1698)	969 (-1161)	1753 (2859)	0 (0)	-23 '(-1)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-1 (-19)	-3 (1.33)	4 (17.61)	0 (0.00)	0 (0.00)	'0 (-1)	0 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	-30 (-10)	16 (-14)	15 (24)	0 (0)	0 (0)	-31 (-30)	13 (-13)	18 (43)	0 (0)	0 (0)
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते में डालना Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	2 (1)	0 (0)	31 (3)	0 (0)	33 (4)	1 (0)	1 (3)	21 (17)	0 (0)	23 (20)	12 (10)	4 (4)	42 (32)	0 (0)	58 (46)	15 (11)	5 (07)	94 (52)	0 (0)	114 (70)
		बकाया राशि Amount Outstanding	240 (108)	29 (20)	2790 (556)	0 (0)	3058 (684)	5 (39)	5 (33)	210 (113)	0 (0)	219 (185)	265 (649)	60 (85)	1218 (308)	0 (0)	1543 (1042)	510 (796)	94 (138)	4218 (977)	0 (0)	4821 (1911)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	15 (5)	2 (0)	93 (42)	0 (0)	110 (47)	1 (0)	0 (0)	6 (1)	0 (0)	7 (1)	17 (50)	8 (10)	39 (16)	0 (0)	67 (76)	34 (55)	10 (10)	140 (58)	0 (0)	184 (123)
7	वित्तीय वर्ष के यथा 31 मार्च को पुनर्गठित खाते (लेखाबंदी आकड़ें) Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	3 (7)	3 (3)	22 (51)	0 (0)	28 (61)	16 (11)	1 (5)	62 (81)	0 (0)	79 (97)	13700 (27961)	12046 (7633)	902 (875)	2 (2)	26650 (36471)	13719 (27979)	12050 (7641)	986 (1007)	2 (2)	26757 (36629)
		बकाया राशि Amount Outstanding	114 (532)	228 (353)	4523 (6806)	0 (0)	4865 (7691)	125 (90)	3 (15)	803 (931)	0 (0)	931 (1036)	3131 (5295)	1908 (959)	9795 (7033)	260 (238)	15095 (13525)	3371 (5916)	2139 (1327)	15120 (14771)	260 (238)	20891 (22252)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	2 (17)	1 (7)	10 (99)	0 (0)	13 (123)	1 (2)	0 (0)	1 (8)	0 (0)	2 (10)	132 (111)	29 (21)	113 (58)	0 (0)	274 (190)	135 (129)	30 (28)	124 (164)	0 (0)	289 (322)

* इसमे 3 पुन:संरचित खातों में बकाया शेष शामिल है, जो यथा 31.03.2017 की बहियों में भी उपलब्ध है।

* Includes increase in O/s in 3 restructured accounts which were also there in the books as at 31.03.2017.

** इसमे पुन:संरचित खातों में प्रावधान में वृद्धि शामिल है, जो यथा 31.03.2017 की बहियों में भी उपलब्ध है।

** Includes increase in provision in restructured accounts which were also there in the books as at 31.03.2017.

5.4.3.2 2 दबावग्रस्त आस्तियों पर प्रकटन / 5.4.3.2 Disclosure on Stressed Assets

(1) वर्तमान ऋणों की लचीली पुन:संरचना पर प्रकटन / (1) Disclosure on Flexible Structuring of Existing Loans

अवधि	Period	कितने उधारकर्ताओं के लिए लचीली पुन:संरचना पर विचार किया गया No. of borrowers taken up for flexible structuring	लचीली पुन:संरचना हेतु चयनित ऋणों की राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीली पुन:संरचना हेतु चयनित ऋणों की एक्सपोज़र भारित औसत अवधि Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
			मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीली पुन:संरचना लागू करने से पूर्व Before applying flexible structuring	लचीली पुन:संरचना लागू करने से पश्चात After applying flexible structuring
विगत वित्तीय वर्ष	Previous Financial Year	9	1,071.01	65.46	6.96 Yrs	12.35 Yrs
चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2017 से मार्च 2018)	Current Financial Year (From April 2017 to March 2018)	5	585.01	247.83	13.30 Yrs	18.85 Yrs

(2) कार्यनीतिक ऋण पुन:संररचना योजना (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं) / (2) Disclosure on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

खाते जहां एसडीआर शुरू किया गया है No. of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन लंबित है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन किया गया है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
3	0.00	439.13	0.00	0.00	0.00	439.13

(3) एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं) / (3) Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

खाते जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णल ले लिया है No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन/ इक्विटी शेयरों की गिरवी लंबित है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares is pending		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन / इक्विटी शेयरों की गिरवी की गई है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares has taken place		जिन खातों में नए शेयर जारी कर या प्रमोटर की इक्विटि की बिक्री द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन प्रस्तावित है वहां रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
2	0.00	277.33	0.00	0.00	0.00	277.33	0.00	0.00

(4) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं)

(4) Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

परियोजना ऋण खाते जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है No. of project loan accounts where the Bank has decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	मानक पुनर्रचित के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard restructured	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
0	0.00	0.00	0.00

(5) दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय पुनर्रचना (एस4ए) हेतु योजना पर प्रकटन, जहां भी कार्यान्वित किया गया हो

(5) Disclosure on Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), wherever implemented

क्र.सं. No. of accounts where S4A has been applied	राशि Amount	बकाया राशि Amount Outstanding		धारित प्रावधान Provision Held
		भाग ए में In Part A	भाग बी In Part B	
मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard				
6	806.25	410.72	395.53	201.44
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA				
1	227.69	116.74	110.95	29.19

5.4.4 आस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे

5.4.4 Details of financial assets sold to Securitisation/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

क. बिक्री के ब्यौरे

A. Details of Sales:

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
(i)	खातों की संख्या	Number of accounts	15	0
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	Aggregate value (net of provision) of accounts sold to SC/RC	319.18	0.00
(iii)	कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	669.74	0.00
(iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों मे वसूल किया हुआ अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	1.74	2.10
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल आय/(हानि)	Aggregate gain/(loss) over net book value	352.30	(15.50)

ख. बैंक के द्वारा बचे गये एनपीए एसआर का बही मूल्य

B. Book Value of SRs Backed by NPAs sold by the Bank:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	पिछली 5 वर्षों के दौरान जारी एसआर SRs issued within past 5 years	5 वर्षो से अधिक परन्तु 8 वर्ष के अंदर जारी एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years ago	8 वर्षो से अधिक पूर्व जारी एसआर SRs issued more than 8 Years ago	कुल Total
(i)	एसआर का बही मूल्य जिसके मूल में अंडरलाइंग के रूप में बैंक के द्वारा बचे गये एनपीए हैं। Book value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	2,939.50	-	150.49	3090.40
	(i) के सम्बन्ध में किये गये प्रावधान Provision held against (i)	599.22	-	150.49	749.71

ग. प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य
C. Book Value of Investments in Security Receipts:

विवरण	Particulars	एनपीए के समर्थन से बैंक द्वारा अंतर्निहीत रूप में बेचा गया Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		एनपीए के समर्थन से अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एनबीएफसी द्वारा बेचा गया Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/NBFC		कुल Total	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
प्रतिभूतियों की प्राप्ति में निवेश का बही मूल्य	Book Value of investments in securities receipts	3090.40	2780.86	0.00	0.00	3090.40	2,780.86

घ. एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री के संबंध में प्रावधान पर प्रकटन :
D. Disclosure on Provision in respect of sale of NPA to SCs/RCs:

क्र.सं. S. No	राशि Amount	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Provision made during the year	यथा 31.3.2018 को 'अन्य आरक्षितियों' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान Unamortised provision debited from 'other reserves' as on 31.03.2018
NIL / शून्य			

ड. एनपीए की बिक्री से लाभ
E. Profit from sale of NPA:

क्र.सं. S. No	विवरण	Particular	2017-18	2016-17
1	एनपीए की बिक्री के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-18 में बुक किया गया लाभ	Profit booked in FY 2017-18 in respect of sale of NPA	66.93	0.00

5.4.5 खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा (अन्य बैंकों से/को)
5.4.5 Details of non-performing financial assets purchased/sold (from/to other banks)

(ए) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा :
(a) Details of non-performing financial assets purchased:

Sr. No.	विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
1 (क) (a)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	No. of accounts purchased during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(ख) (b)	कुल बकाया	Aggregate outstanding	शून्य / NIL	शून्य / NIL
2 (क) (a)	इनमें से वर्ष के दौरान कितने खातों का पुनर्गठन किया गया	Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(ख) (b)	कुल बकाया	Aggregate outstanding	शून्य / NIL	शून्य / NIL

(बी) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा:
(b) Details of non-performing financial assets sold:

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
1. बेचे गए खातों की संख्या	1. No. of accounts sold	शून्य / NIL	शून्य / NIL
2. कुल बकाया	2. Aggregate outstanding	शून्य / NIL	शून्य / NIL
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	3. Aggregate consideration received	शून्य / NIL	शून्य / NIL

5.4.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान

5.4.6 Provisions on Standard Assets

विवरण	Particulars	यथा 31.03.2018 As at 31.03.2018	यथा 31.03.2017 As at 31.03.2017
आरबीआई मानकों के अनुरूप मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provisions towards Standard Assets held as per RBI Norms	1,738.89	2,393.69

5.4.7 आस्ति वर्गीकरण में अंतर और एनपीए हेतु प्रावधानीकरण

वर्ष 2016-17 हेतु आरबीआई की जोखिम आकलन रिपोर्ट के अनुपालन में रिपोर्ट के अनुरूप अनर्जक आस्तियों को विधिवत वर्गीकृत किया गया और अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। आरबीआई परिपत्र क्र.डीबीआर.बीपी.नं 63/21.04.018/2016-17 दि. 18 अप्रैल 2017 और सेबी परिपत्र क्रं.सीआईआर/एीएफडी/सीएमडी/80/2017 दि. 18 जुलाई, 2017 के अनुरूप अपेक्षित प्रकटन निम्नानुसार हैं:-

5.4.7 Divergence in Asset Classification, and Provisioning for NPAs:

In compliance with the Risk Assessment Report (RAR) of RBI for the year 2016-17, non-performing assets as per report have been duly classified and additional provision has been made. In conformity with RBI Circular DBR.BP.BC.No.63/21.04.018/2016-17 dated 18th April, 2017 and SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/80/2017 dated July 18, 2017 the required disclosure is detailed below:-

क्र.सं. S. No	ब्योरे	Particulars	राशि Amount
1	बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए यथा 31 मार्च, 2017	Gross NPA as on 31st March, 2017 as reported by the Bank	52,045
2	आरबीआई के मूल्यांकन अनुसार सकल एनपीए यथा 31 मार्च, 2017	Gross NPA as on 31st March, 2017 as assessed by the RBI	66,102
3	सकल एनपीए में अंतर (2-1)	Divergences in Gross NPA (2-1)	14,057
4	बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए यथा 31 मार्च, 2017	Net NPA as on 31st March, 2017 as reported by the Bank	25,305
5	आरबीआई के मूल्यांकन अनुसार निवल एनपीए यथा 31 मार्च, 2017	Net NPA as on 31st March, 2017 as assessed by the RBI	35,012
6	निवल एनपीए में अंतर (5-4)	Divergences in Net NPA (5-4)	9,707
7	बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया एनपीए हेतु प्रावधान यथा 31 मार्च, 2017	Provision for NPA as on 31st March, 2017 as reported by the Bank	26,739
8	आरबीआई के मूल्यांकन अनुसार एनपीए-प्रावधान यथा 31 मार्च, 2017	Provision for NPA as on 31st March, 2017 as assessed by the RBI	31,089
9	एनपीए हेतु प्रावधान में अंतर (8-7)	Divergences in Provisioning (8-7)	4,350
10	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट किया गया कर पश्चात लाभ (पीएटी)	Reported Net Profit after tax (PAT) for the year ended 31st March, 2017	(1,558)
11	प्रावधान में अंतर की गणना करने के बाद 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु समायोजित (अनुमानित) निवल कर पश्चात लाभ (पीएटी)	Adjusted (Notional) Profits after Tax (PAT) for the year ended 31st March, 2017 after taking into account divergence in provisioning	(6,248)

भारातीय रिजर्व बैंक द्वारा पाए गए डाइवर्जेन्स की वजह से हुई उपरोक्त स्लिपेज के प्रभाव को 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के परिणामों में विधिवत् प्रदर्शित किया गया है

The Impact of the above mentioned slippages due to divergences noted by Reserve Bank of India has been duly reflected in the results for the year ended 31st March 2018.

5.5 कारोबार अनुपात / 5.5 Business Ratios

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2018 (in %)	31.03.2017 (in %)
(i)	औसत कार्यशील निधियों में ब्याज आय का प्रतिशत	Interest Income as a percentage to average Working Funds	5.73	5.99
(ii)	ञऔसत कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय का प्रतिशत	Non-interest income as a percentage to average Working Funds	0.86	1.03
(iii)	औसत कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ का प्रतिशत	Operating Profit as a percentage to average Working Funds	1.08	1.48
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	Return on Assets	(0.91)	(0.24)
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि +अग्रिम)	Business per employee(deposits plus advances including interbank deposits) (in ₹ crore)	18.29	19.40
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ	Profit per employee (in ₹ crore)	(0.123)	(0.032)

5.6 आस्ति देयता प्रबंधन / 5.6 Asset Liability Management

आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता प्रकार यथा 31 मार्च, 2018

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31st March 2018

विवरण Details	1 दिन Day 1 (01/04/2018)	2 से 7 दिन तक 2to 7 days (02/04/2018 to 07/04/2018)	8 से 14 दिन तक 8 TO 14 DAYS (08/04/2018 to 14/04/2018)	15 से 28 दिन तक 15 TO 28 DAYS (15/04/2018 to 28/04/2018)	28 दिन से अधिक 3 महीने तक Over 28 days up to 3 months (29/04/2018 to 30/06/2018)	3 महीनों से अधिक एवं 6 महीने तक Over 3 months and up to 6 months (01/07/2018 to 30/09/2018)	6 महीनों से अधिक एवं 1 वर्ष तक Over 6 months and up to 1 year. (01/10/2018 to 31/03/2019)	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्षों तक Over 1 year and upto 3 years. (01/04/2019 to 31/03/2021)	3 वर्षों से अधिक एवं 5 वर्षों तक Over 3 years and up to 5years. (01/04/2021 to 31/03/2023)	5 वर्षों से अधिक Over 5 years (After 31/03/2023)	कुल Total (1 TO 10)
जमाराशियां Deposits	15,171.04	17,126.17	18,832.98	22,592.58	59,992.22	42,778.59	35,759.26	1,05,560.84	76,085.47	1,26,955.22	5,20,854.38
	(15,649.46)	(18,097.24)	(12,947.77)	(24,163.55)	(57,588.86)	(53,467.07)	(47,753.26)	(1,06,139.49)	(75,084.85)	(1,29,140.47)	(5, 40,032.01)
अग्रिम Advances	22,070.37	8,179.18	6,629.52	11,655.22	58,473.31	37,480.98	27,533.65	58,204.07	54,442.74	56,711.13	3,41,380.18
	(25,251.95)	(6,409.97)	(9,633.49)	(14,490.17)	(70,342.10)	(39,522.07)	(34,298.84)	(39,939.42)	(29,004.87)	(97,588.80)	(3,66,481.67)
निवेश Investments	0.00	611.78	739.87	216.80	1,752.65	5,741.89	5,551.20	9,565.70	22,853.61	90,077.61	1,37,111.11
	(185.01)	(928.32)	(37.57)	(692.66)	(2,018.45)	(2,163.09)	(6,998.56)	(18,440.88)	(14,844.75)	(81,517.58)	(1,27,826.86)
उधार Borrowings	11.48	7,363.61	6,108.37	169.58	464.29	3,345.76	149.27	8,794.07	70.22	17,112.12	43,588.78
	(585.17)	(5,325.96)	(326.66)	(365.20)	(1,671.95)	(498.13)	(1,730.83)	(3,606.38)	(8,115.28)	(17,180.11)	(39,405.67)
क विदेशी मुद्रा अस्तियां (a) Foreign Currency Assets	6,266.56	3,716.90	3,063.45	24,323.59	21,802.51	29,663.47	18,931.79	11,673.94	5,952.92	14,168.03	1,39,563.15
	(6,685.55)	(8,594.05)	(5,929.30)	(22,152.06)	(26,446.09)	(16,369.74)	(25,082.63)	(17,590.45)	(10,776.37)	(12,000.07)	(1,51,626.30)
ख विदेशी मुद्रा देयताएं (b) Foreign Currency Liabilities	1,723.48	8,420.68	8,575.27	8,356.27	38,536.43	22,766.35	10,817.03	16,603.97	2,689.34	1,116.02	1,19,604.85
	(1,799.94)	(8,948.06)	(10,710.93)	(10,915.69)	(35,417.65)	(30,388.92)	(24,030.13)	(12,451.02)	(9,572.23)	(2,510.12)	(1,46,744.68)

5.7 एक्सपोज़र

5.7.1 रियल इस्टेट क्षेत्र को एक्सपोज़र: प्रबंधन द्वारा संकलित

5.7 Exposures

5.7.1 Exposure to Real Estate Sector: As compiled by the management

क्र. सं. Sr.No.	प्रवर्ग	Category	31.03.2018	31.03.2017
a)	प्रत्यक्ष एक्सपोज़र	Direct Exposure	**29,090.87**	**29,251.29**
i.	आवासीय बंधक	Residential Mortgages	24,451.29	20,725.05
	जिसमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के गृह ऋण	Out of which PS Sector housing loans	11,765.59	11,576.91
ii.	वाणिज्यिक रियल इस्टेट	Commercial Real Estate	4,584.78	6,830.51
iii.	गिरवी रखी गयी प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर में निवेश	Investments in Mortgage Backed securities (MBS) and other securitised exposures	54.80	1,695.73
	क) आवासीय ख) वाणिज्यिक रियल इस्टेट	a) Residential b) Commercial Real Estate	45.15 9.65	41.45 1,654.29
b)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	Indirect Exposure	**12,801.73**	**8,538.39**
	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसीज्) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	12,801.73	8,538.39
	रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर	**Total exposure to Real Estate Sector**	**41,892.60**	**37,789.68**

5.7.2 पूंजी बाजार हेतु एक्सपोजर

5.7.2 Exposure to Capital Market

Sr. No	प्रवर्ग	Category	31.03.2018	31.03.2017
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फण्ड में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है;	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1,058.82	1,011.06
ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों(आईपीओ/ईएसओपीएस सहित)परिवर्तनीय बॉण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम;	Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	132.10	514.78
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	5.83	174.56
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक, अर्थात जहाँ मूलभूत प्रतिभूति शेयरों/ परिवर्तनीय बाण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों के अलावा पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती हैं, किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम;	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	9.13	0.40
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्धारकों की ओर से जारी गारंटियाँ;	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	1,948.26	2,159.26

Sr. No	प्रवर्ग	Category	31.03.2018	31.03.2017
vi)	संसाधनों की वृद्धि की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बाण्डों/ डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर कंपनियों के लिए स्वीकृत ऋण;	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new Companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों के लिए पूरक ऋण;	Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix)	मार्जिन व्यवसाय हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण;	Financing to stockbrokers for margin trading;	6.70	7.01
x)	वेंचर कैपिटल में सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	356.49	396.86
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र	**Total Exposure to Capital Market**	**3,517.33**	**4,263.93**

5.7.3 जोखिम प्रवर्गवार देश का एक्सपोज़र

5.7.3 Risk Category wise Country Exposure

Sr.No.	जोखिम प्रवर्ग	Risk Category	यथा / As at 31.03.2018		यथा / As at 31.03.2017	
			एक्सपोज़र (निवल) Exposure (Net)	धारित प्रावधान Provision held	एक्सपोज़र (निवल) Exposure (Net)	धारित प्रावधान Provision held
1	नगण्य	Insignificant	59,935.55	56.79	50,184.05	63.48
2	न्यून	Low	20,732.18	8.55	25,192.10	14.00
3	साधारण	Moderate	4,191.99	0.00	4,082.67	0.00
4	उच्च	High	687.95	0.00	1,812.31	0.00
5	बहुत उच्च	Very High	861.00	0.00	3.45	0.00
6	प्रतिबंधित	Restricted	0.06	0.00	324.64	0.00
7	ऑफ क्रेडिट	Off credit	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**Total**	**86,408.71**	**65.34**	**81,599.22**	**77.48**

5.7.4 एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) जिनका बैंक द्वारा उल्लंघन किया गया, के ब्यौरे

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोज़र सीमा	स्वीकृत सीमा	बकाया यथा 31.03.2018 (31.03.2017)
1.	एकल उधारकर्ता			
	कुछ नहीं	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
2.	सामूहिक उधारकर्ता			
	कुछ नहीं	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

5.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

Sr. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2018 (31.03.2017)
1.	Single Borrower			
	None	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)
2.	Group Borrower			
	None	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)

नोट:

1. एक्सपोजर स्वीकृत सीमा या शेष राशि के रूप में माना जाता है जो भी अधिक हो।
2. प्रत्येक माह के अंत में सभी उधारकर्ता समूह पर बैंक का एक्स्पोज़र विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत थे।

5.7.5 गैर-जमानती अग्रिम :

विवरण	2017-18	2016-17
अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेन्स, प्राधिकार आदि के प्रभार पर बकाया अग्रिम की कुल राशि.	605.52	1562.91
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति का अनुमानित मूल्य	757.99	621.28

5.7.6 विविध

5.7.7 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए प्रावधान की राशि

विवरण	2017-18	2016-17
वर्तमान कर	1,170.02	1,813.70
आस्थगित कर	(3,759.81)	(2,627.91)
कुल कर व्यय	**(2,589.79)**	**(814.21)**

5.7.8 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगायी गई शास्तियों (पेनल्टीज़) का प्रकटन

विवरण	2017-18	2016-17
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत लगाई गई पेनल्टी	25.72	1.21

6. लेखांकन मानकों (एएस) के अनुसार अपेक्षित प्रकटन जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने लेखे पर टिप्पणियों के प्रकटन मदों के विषय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं:

6.0 लेखांकन मानक 5 - कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि मद नहीं हैं ।

6.1 लेखांकन मानक 9 - राजस्व मान्यता

अनुसूची 17: मुख्य लेखांकन नीतियों के लेखांकन नीति सं. 3 के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के पश्चात स्वीकार किया जाता है। तथापि उक्त आय को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है।

6.1.1 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

Note:

1. Exposure is reckoned as Sanctioned Limit or Balance Outstanding whichever is higher.
2. Exposure on all Borrower groups was within the prudential norms at the end of each month.

5.7.5 Unsecured Advances:

Particulars	2017-18	2016-17
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority, etc.	605.52	1,562.91
Estimated value of such intangible collateral securities	757.99	621.28

5.7.6 Miscellaneous:

5.7.7 Amount of Provisions made for Income-tax during the year

Particulars	2017-18	2016-17
Current Tax	1,170.02	1,813.70
Deferred Tax	(3,759.81)	(2,627.91)
Total Tax Expense	**(2,589.79)**	**(814.21)**

5.7.8 Disclosures of Penalties imposed by RBI& Other Regulators

Particulars	2017-18	2016-17
Penalty imposed under Section 46(4) of The Banking-Regulation Act, 1949 and under other regulations	25.72	1.21

6. Disclosure requirements as per Accounting Standards (AS) where RBI has issued guidelines in respect of disclosure items for Notes to Accounts:

6.0 Accounting Standard 5 - Prior Period Items: There are no material prior period items

6.1 Accounting Standard 9 – Revenue recognition

Certain items of income are recognised on realisation basis as per Accounting Policy no. 3 of Schedule 17: Significant Accounting Policies. However, the said income is not considered to be material.

6.1.1 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2017-2018		2016-2017	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान :**	**Principal actuarial assumptions used:**				
	छूट दर	Discount Rate	7.85%	7.68%	7.62%	7.45%
	आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर	Rate of Return on Plan Assets	7.96%	8.23%	8.31%	7.96%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	Salary Escalation Current	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	ह्रास दर	Attrition Rate	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	**लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका:**	**Table showing change in benefit obligation:**				
	अवधि के प्रारंभ में देयता	Liability at the beginning of the - period	1410.08	12851.13	1370.70	11076.48
	ब्याज लागत	Interest Cost	101.35	945.76	95.77	788.13
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	541.01	566.92	102.76	1238.78
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	238.07	1073.11	227.73	995.15
	दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	(59.83)	426.23	68.58	742.89
	वर्ष के अंत में देयता	**Liability at the end of the year**	**1754.54**	**13716.87**	**1410.08**	**12851.13**

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2017-2018		2016-2017	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(iii)	**प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका :**	**Table of Fair value of Plan Assets:**				
	अवधि प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the-Beginning of the period	1360.32	12321.80	1223.87	10515.60
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected return on Plan Assets	108.28	1014.08	101.70	837.04
	अंशदान	Contributions	110.03	1322.04	258.28	1663.86
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	238.07	1073.17	227.73	995.15
	प्लान एसेट्स पर बीमांकित लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(21.14)	(254.11)	4.20	300.45
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1319.42	13330.64	1360.32	12321.80
	कुल बीमांकित लाभ/(हानि) जिसकी गणना की जाए	**Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised**	**38.69**	**(680.34)**	**(64.37)**	**(442.44)**
(iv)	**प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल :**	**Actual return on Plan Assets:**				
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	108.28	1014.08	101.70	837.04
	प्लान एसेट्स पर बीमांकित लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(21.14)	(254.11)	4.20	300.45
	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	**Actual return on Plan Assets**	**87.13**	**759.97**	**105.90**	**1137.49**
(v)	**तुलन पत्र में मान्य राशि :**	**Amount recognised in the Balance Sheet:**				
	अवधि के अंत में देयता	Liability at the end of the period	1754.54	13716.87	1410.08	12851.12
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1319.42	13330.64	1360.32	12321.80
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in the Balance Sheet**	**435.13**	**386.23**	**49.76**	**529.32**
(vi)	**आय विवरण - पत्र में मान्य व्यय :**	**Expenses recognised in the Income Statement:**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	541.01	566.92	102.76	1238.78
	ब्याज लागत	Interest Cost	101.35	945.76	95.77	788.13
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	(108.28)	(1014.08)	(101.70)	(837.04)
	विगत वर्षों के मान्य व्यय	Expenses recognized relating to prior years	0.00	0.00	0.00	0.00
	संक्रमण कालीन देयता-मान्य	Recognition of Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	**(38.69)**	**680.34**	**64.37**	**442.44**
	लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	**Expense Recognised in P & L**	**169.04**	**1178.94**	**161.20**	**1632.30**
		Unamortised expenses (not charged to P&L Account)	326.34	0.00	0.00	0.00
(vii)	**तुलन पत्र समाधान :**	**Balance Sheet Reconciliation:**				
	प्रारंभिक निवल देयता (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधिकी निवल राशि)	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	49.75	529.33	146.83	560.88
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	Expenses as above	495.39	1178.94	161.20	1632.30
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(110.03)	(1322.04)	(258.28)	(1663.86)
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in Balance Sheet**	**435.11**	**386.23**	**49.75**	**529.32**
(viii)	**आस्तियों का प्रवर्ग*:**	**Category of Assets*:**				
	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	Government of India Securities	71.34	1951.31	73.46	2006.79
	इक्विटी	Equity	0.00	102.97	0.00	53.93
	कार्पोरेट बांड्स	Corporate Bonds	184.97	3809.54	240.85	3608.38
	राज्य सरकार	State Government Securities	348.10	3745.26	384.59	3438.81
	अन्य	Other	715.00	3721.56	661.42	3267.82
	कुल	**Total**	**1319.42**	**13330.63**	**1360.32**	**12321.80**
(ix)	**अनुभव समायोजन :**	**Experience Adjustment:**				
	प्लान देयता पर (लाभ)/हानि	**On Plan Liability (Gain)/Loss**	(22.79)	(66.62)	38.41	198.92
	प्लान आस्तियों पर (हानि)/लाभ	**On Plan Asset (Loss)/Gain**	(4.76)	33.27	1.71	103.05

* पेंशन फंड के लिए अपने वित्तीय लिखतों में रू. 176.76 के निवेश सहित

* including investments in own financial instruments of ₹ 176.76 for pension fund

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ* / Other long term employee benefits*

विवरण	Particulars	देयता यथा 31.03.2018 Liability as on 31.03.2018	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Provisions made during the year	देयता यथा 31.03.2017 Liability as on 31.03.2017	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Provisions made during the year
अवकाश नकदीकरण	Leave Encashment	708.41	(52.62)	761.03	135.62
छुट्टी यात्रा रियायत	Leave Travel Concession	57.70	0.04	57.66	2.42
पुनर्वास लाभ	Resettlement Benefits	7.44	0.41	7.03	0.40
माइलस्टोन अवार्ड	Milestone Awards	4.38	0.29	4.09	0.28
बीमारी छुट्टी**	Sick Leave**	3.00	0.00	3.00	(27.22)

* अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए एक्चुएरियल अनुमान ग्रेच्युटी के लिए प्रयुक्त के समान ही है।

बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, के लिए रू. 110.99 (विगत वर्ष रू. 95.43) का अंशदान दिया है ।

** बैंक ने अब तक पूरी बीमारी छुट्टी अर्थात पूरी बकाया अवकाश शेष की देयता को मान्यता प्रदान किया है। बीमारी की छुट्टी के संबंध में कर्मचारी लाभ कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नोट (एएस-15) - (2005 में संशोधित) के अनुरूप, इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसी छुट्टी लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए रु. 1030.00 (विगत वर्ष रु. 1200) और ग्रैच्युटि के लिए रु 517.19 (विगत वर्ष रु. 200) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

* The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

The bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the bank has contributed ₹ 110.99 (Previous Year ₹ 95.43) towards such fund which is a defined contribution plan.

** The bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leaves by employees.

The Bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹ 1030.00 (Previous Year ₹ 1,200) and towards Gratuity is ₹ 517.19 (Previous Year: ₹ 200).

योजना में अधिशेष/घाटा: / Surplus / Deficit in the Plan:

विवरण	Particulars	ग्रैच्युटि योजना / Gratuity Plan				
		वि.व.2017-18 FY2017-18	वि.व.2016-17 FY2016-17	वि.व.2015-16 FY2015-16	वि.व.2014-15 FY2014-15	वि.व.2013-14 FY2013-14
परिभाषित लाभ देयता	Defined benefit obligation	1,754.54	1,410.08	1,370.70	1,310.99	1,402.54
प्लान आस्तियां	Plan assets	1,319.42	1,360.32	1,223.87	1,265.18	1,316.51
अमान्य संक्रमणशील देयता	Unrecognised Transitional liability	326.34	0.00	0.00	0.00	85.79
अधिशेष / (घाटा)	Surplus/(deficit)	108.78	(49.76)	(146.83)	(45.81)	(0.24)
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	(22.79)	38.41	146.31	(7.79)	(705.56)
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	(4.76)	1.71	(6.41)	19.27	(17.27)

विवरण	Particulars	पेन्शन योजना / Pension Plan				
		वि.व.2017-18 FY2017-18	वि.व.2016-17 FY2016-17	वि.व.2015-16 FY2015-16	वि.व.2014-15 FY2014-15	वि.व.2013-14 FY2013-14
परिभाषित लाभ देयता	Defined benefit obligation	13,716.87	12,851.12	11,076.48	9,420.03	8,038.25
प्लान आस्तियां	Plan assets	13,330.64	12,321.80	10,515.60	9,041.48	7,261.19
अमान्य संक्रमणशील देयता	Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	442.42
अधिशेष / (घाटा)	Surplus/(deficit)	(386.23)	(529.32)	(560.88)	(378.55)	(334.63)
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	(66.62)	198.92	930.23	592.91	(224.22)
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	33.27	103.05	101.74	312.64	70.22

6.1 लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

6.1. Accounting Standard 17 - Segment Reporting

भाग क : कारोबार खण्ड

Part A: Business Segment

कारोबार खण्ड Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		अन्य बैंकिंग परिचालन (*)Other Banking Operations		कुल Total	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
राजस्व Revenue	14,610.29	15,558.61	15,182.93	16,585.21	13,845.17	13,628.22	0.00	0.00	43,638.39	45,772.04
गैर-अंबटित राजस्व Unallocated revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	445.96	523.88
अंतर खंड राजस्व Inter segment revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	279.18	232.74
कुल राजस्व Total Revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	43,805.17	46,063.18
परिणाम Results	2,233.86	5,429.39	(13,637.44)	(11,005.35)	3,313.80	2,983.82	0.00	0.00	(8,089.78)	(2,592.14)
गैर अंबटित व्यय Unallocated Expenses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(543.72)	219.62
परिचालन लाभ/ (हानि) Operating Profit/(Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(8,633.50)	(2,372.52)
आयकर Income Tax	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(2589.79)	(814.21)
असाधारण लाभ /हानि Extraordinary Profit/ (Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	0.00	0.00
निवल लाभ Net Profit/(Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(6,043.71)	(1,558.31)
अन्य जानकारी Other Information :										
खंड अस्तियां Segment Assets	221,716.34	223,623.79	220,336.55	287,862.67	147,961.60	98,520.14	0.00	0.00	590,014.49	610,006.60
गैर आंबटित अस्तियां Unallocated Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19,560.34	16,302.67
कुल आस्तियां Total Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	609,574.83	626,309.27
खंड देयताएं Segment Liabilities	214,023.60	216,024.15	237,554.10	277,617.66	118,298.87	95,633.08	0.00	0.00	569,876.57	589,274.89
गैर आंबटित देयताएं Unallocated Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4,157.62	4,547.30
कुल देयताएं Total Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	574,034.19	593,822.19

(*) बैंक का कोई अर्थपूर्ण ''अन्य बैंकिंग परिचालन'' नहीं है।

(*) The Bank does not have any significant "Other Banking Operations".

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	स्वदेशी / Domestic		अंतर्राष्ट्रीय / International		कुल Total	
विवरण	Particulars	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
राजस्व	Revenue	39,237.14	41,182.49	4,568.03	4,880.70	43,805.17	46,063.18
आस्तियां	Assets	489,186.90	484,305.07	120,387.93	142,004.20	609,574.83	626,309.27

The Bank has recognised Business Segments as Primary Reporting Segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard 17.

बैंक ने लेखांकन मानक (एएस) 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्राथमिक रिपोर्टिंग वाले खंडों और गौण खंड के रूप में भौगोलिक खंडों को मान्यता दी है।

प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) **कोषागार परिचालन** : खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) **थोक बैंकिंग** : : थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंग** : खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) एक्सपोजर : अधिकतम कुल एक्सपोजर ₹ 5 तक।

ii) कुल वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

लागत का विनियोजन

क) किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षत: संबंधित व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

ख) जो व्यय किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षत: संबंधित न हो उन्हें कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

6.2 लेखांकन मानक 18 संव्यवहारों से संबंधित पक्षकार : प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया

I) संबंधित पक्षकारों की सूची

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	: श्री दीनबंधु मोहापात्र (05.05.2017) श्री मेलविन ओ. रेगो (04.05.2017 तक)
कार्यपालक निदेशक गण	: श्री आर.ए.शंकरनारायण (31.08.2017 तक) श्री नीलम दामोदरन (16.02.2017 से) श्री अतनु कुमार दास (17.02.2017 से) श्री सी.जी. चैतन्य (09.10.2017 से)

(ख) अनुषंगियाँ :

(i) बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड
(ii) बीओआई एक्सा इनवेस्टमेंट मैनजर्स प्राइवेट लि.
(iii) बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज् प्राइवेट लि.
(iv) बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि.
(v) पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके
(vi) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि.
(vii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.
(viii) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगान्डा) लि.
(ix) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

Primary Segment: Business Segments

a) **Treasury Operations:** 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) **Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) **Retail Banking :** Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5.

ii) The total annual turnover is less than ₹ 50 i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

Allocation of Costs:

a) Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.

b) Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

6.2. 6.2. Accounting Standard 18 - Related Party Transactions (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):

I) List of Related Parties:

a. Key Managerial Personnel :

Managing Director & CEO	: Shri Dinabandhu Mohapatra (w.e.f. 05.05.2017) Shri Melwyn O. Rego (Up to 04.05.2017)
Executive Directors	: Shri R.A. Sankara Narayanan (Up to 31.08.2017) Shri Neelam Damodaran Shri Atanu Kumar Das Shri C. G. Chaitanya (w.e.f. 09.10.2017)

b. Subsidiaries

i. BOI Shareholding Limited
ii. BOI AXA Investment Managers Private Limited
iii. BOI AXA Trustee Services Private Limited
iv. BOI Merchant Bankers Limited
v. PT Bank of India Indonesia Tbk
vi. Bank of India (Tanzania) Limited
vii. Bank of India (New Zealand) Limited
viii. Bank of India (Uganda) Limited
ix. Bank of India (Botswana) Limited

(ग) **सहायक कंपनियां**

(क) एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड

(ख) एएसआरईसी (इंडिया) लि.

(ग) इंडो-जाम्बिया बैंक लि.

(घ) **बैंक द्वारा प्रायोजित 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

(क) आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पहले आर्यावर्त ग्रामीण बेंक के रूप में जाना जाता था)

(ख) झारखण्ड ग्रामीण बैंक

(ग) नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक

(घ) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक

(घ) **संयुक्त उद्यम**

(क) स्टार यूनियन दाई ईची लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लि.

II) क) **संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित और लेखापरीक्षकों द्वारा आश्वासित)**

c. **Associates**

i. STCI Finance Limited

ii. ASREC (India) Limited

iii. Indo Zambia Bank Limited

d. **4 Regional Rural Banks sponsored by the Bank**

i. Gramin Bank of Aryavart (Formerly known as Aryavart Kshetriya Gramin Bank)

ii. Jharkhand Gramin Bank;

iii. Narmada Jhabua Gramin Bank

iv. Vidharbha Konkan Gramin Bank

e. **Joint Venture:**

i. Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd.

II) a) **Transactions with Related Parties (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)**

विवरण/Particulars	अनुषंगियों/सहयोगी/संयुक्त उद्यम सहित With Subsidiaries / Associates/ joint Ventures		मुख्य प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधी Key Management Personnel & their relatives		कुल Total	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
वर्ष 2017-18 के दौरान संव्यवहार Transactions during the year 2017-18						
प्राप्त ब्याज Interest Received	1.27	2.03	-	-	1.27	2.03
भुगतान किया गया ब्याज Interest Paid	61.10	51.47	-	-	61.10	51.47
प्राप्त लाभांश Dividend Received	6.22	32.40	-	-	6.22	32.40
अन्य आय Other Income	89.47	77.77	-	-	89.47	77.77
सरकारी प्रतिभूति/ट्रेजरी बिल की ब्रिकी Sale of Government Securitas/ Treasury Bills	558.65	91.35	-	-	558.65	91.35
सरकारी प्रतिभूति/ट्रेजरी बिल की खरीद Purchase of Government Securitas/ Treasury Bills	638.62	1690.75	-	-	638.62	1690.75
कॉरपोरेट बॉन्ड तथा अन्य मौद्रिक बाजार लिखत की खरीद Purchase of Corporate Bonds and other money market instrument	-	-	-	-	-	-
प्राप्त की गई जमाराशि Deposit Accepted	1.02	-	-	-	1.02	-
परिपक्व जमा राशियां Matured Deposits	12.35	-	-	-	12.35	-
दिये गये ऋण Loan provided	1569.77	1395.35	-	-	1569.77	1395.35
चुकाये गये ऋण Loan Repaid	1818.21	12.46.92	-	-	1818.21	12.46.92
एनपीए की ब्रिकी Sale of NPA	-	-	-	-	-	-

विवरण/Particulars	अनुषंगियों/सहयोगी/संयुक्त उद्यम सहित With Subsidiaries / Associates/ joint Ventures		मुख्य प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधी Key Management Personnel & their relatives		कुल Total	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
किये गये निवेश Investment made	-	-	-	-	-	-
यथा 31.03.2018 को बकाया Outstanding as on 31.03.2018			-	-		
देय Payable	-	-	-	-	-	-
प्राप्त की गई जमाराशियां Deposits accepted	38.34	47.09	-	-	38.34	47.09
ऋण Borrowings	-	-	-	-	-	-
दिये गये ऋण Loan given	-	248.18	-	-	-	248.18
जमाराशियों का प्लेसमेंट Placement of Deposits	-	-	-	-	-	-
अन्य देयताएं Other liabilities	2.69	5.96	-	-	2.69	5.96
प्राप्तियां (अग्रिम) Receivable (Advances)			-	-		
निवेश Investments	313.38	309.00	-	-	313.38	309.00
गैर-निधिक प्रतिबद्धताएं Non Funded Commitment			-	-		
प्राप्त की गयी लीज/एचपी व्यवस्थां Leasing / HP arrangements availed			-	-		
दी गयी लीज/एचपी व्यवस्था Leasing / HP arrangements provided			-	-		
स्थायी आस्तियों की खरीद Purchase of fixed assets			-	-		
स्थायी आस्तियों की ब्रिकी Sale of fixed Assets			-	-		
अन्य आस्तियां Other Assets	9.50	7.14	-	-	9.50	7.14

पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगियों के साथ संव्यवहार और चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकार द्वारा नियंत्रित हैं उनके साथ संव्यवहारों का प्रकटन नहीं किया गया है क्यों कि संबंधित पार्टी प्रकटन के संबंध में आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-18 के पैरा 9 के अनुसार 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यमों' को अन्य संबद्ध पार्टियों, जो स्वयं 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' हैं, के साथ किए गए अपने संव्यवहारों का प्रकटन करने से छूट प्राप्त है। इसके अलावा लेखांकन मानक-18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक रिश्ते की प्रकृति स्वरूप संव्यवहारों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों एवं उनके रिश्तेदारों के साथ संव्यवहार शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है क्यों कि ऐसा प्रकटन गोपनीयता संबंधी बैंक के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

The transactions with wholly owned subsidiaries and regional rural banks being state controlled, have not been disclosed in view of Para 9 of AS - 18 on Related Party disclosure issued by ICAI exempting 'State Controlled Enterprises' from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also 'State Controlled Enterprises'. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship, including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed, since the disclosure would conflict with Bank's duties of confidentiality

ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिक: प्रदत्त पारिश्रमिक (₹ में)

क्र. सं.	नाम	2017-18	2016-17
1	श्री दीनबंधु मोहापात्रा	2,396,529	-
2	श्री मेलविन रेगो	452,824	2,706,033
3	श्री नीलम दामोदरन	2,283,849	264,063
4	श्री अतनु कुमार दास	2,283,722	257,623
5	श्री सी.जी. चैतन्य	1,085,733	-
6	श्री आर.ए.शंकरनारायणन	969,286	2,292,617
7	श्री बि.पी. शर्मा	-	676,538
8	श्री आर.पी. मराठे	-	908,749

6.3. लेखांकन मानक 19 - पट्टा वित्तपोषण

(i) पट्टा वित्तपोषण और इसके घटकों में बैंक के निवेश की संविदागत परिपक्वताएं जो अग्रिमों में शामिल की गई हैं का उल्लेख नीचे किया गया है:

क्र. सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
क)	सकल निवेश	0.00	0.00
ख)	प्राप्य पट्टा भुगतान		
	(i) 1 वर्ष से अधिक नहीं	0.00	0.00
	(ii) 1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	0.00	0.00
	(iii) 5 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00
ग)	अनर्जित वित्त आय	0.00	0.00
घ)	निवल निवेश (क – ग)	0.00	0.00

(ii) ₹ शून्य की पट्टा आय (पिछले वर्ष ₹ शून्य) अर्जित ब्याज के तहत शामिल की जाती है।

b) Key Management Personnel: Remuneration paid in ₹ :

Sr. No.	Name	2017-18	2016-17
1	Shri Dinabandhu Mohapatra	2,396,529	-
2	Shri Melwyn O Rego	452,824	2,706,033
3	Shri Neelam Damodharan	2,283,849	264,063
4	Shri Atanu Kumar Das	2,283,722	257,623
5	Shri C.G. Chaitanya	1,085,733	-
6	Shri R.A. Sankara Narayanan	969,286	2,292,617
7	Shri B.P. Sharma	-	676,538
8	Shri R.P.Marathe	-	908,749

6.3. Accounting Standard 19 – Lease Financing

(i) The contractual maturities of the Bank's investment in lease financing and its components, which are included in advances, are set out below:

Sr. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
a)	Gross Investments	0.00	0.00
b)	Lease payment receivables		
	(i) not later than 1 year	0.00	0.00
	(ii) later than 1 year but not later than 5 years	0.00	0.00
	(iii) later than 5 years	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00
c)	Unearned finance income	0.00	0.00
d)	Net investments [a – c]	0.00	0.00

(ii) Lease income of ₹ Nil (previous year ₹ Nil) is included under Interest Earned.

6.4 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन (₹ में)

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

6.4 Accounting Standard 20 - Earnings per Share in ₹ :

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
(क) (A)	वर्ष के लिए इक्विटी शेयाधारकों को प्राप्य निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders	(6,043.71)	(1,558.31)
(ख) (B)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (₹ करोड़ में)	Weighted Average Number of Equity shares (in crore)	115.02	99.12
(ग) (C)	*मूलभूत प्रति शेयर आय (क/ख) (₹)	*Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	(52.55)	(15.72)
(घ) (D)	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	Nominal Value per Share (₹)	₹10.00	₹10.00

* आधारभूत एवं तनुकृत ई.पी.एस. समान ही है क्योंकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है। . * Basic & Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares

6.5 लेखांकन मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

6.5 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
	आस्थगित कर आस्तियां	**Deferred Tax Assets**		
i)	संदिग्ध ऋण और अग्रिमों हेतु प्रावधान के समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards provision for doubtful debt and advances	10329.10	6939.92
ii)	अन्य प्रावधान मंदो के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards other provisions/items	76.15	162.82
iii)	विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व के कारण (FCTR)	On account of Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)	154.86	118.56
iv)	अन्य	Others	456.79	328.09
	कुल आस्थगित कर आस्तियाँ	**Total Deferred Tax Assets**	**11016.90**	**7549.39**
	आस्थगित कर देयता	**Deferred Tax Liabilities**		
i)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	On account of Depreciation on fixed assets	251.42	283.56
ii)	निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	On account of Depreciation on investment	0.00	312.34
iii)	प्रोदभूत ब्याज के कारण जो निवेश पर देय नहीं है	On account of interest accrued but not due on investments	839.99	795.29
iv)	**आय कर अधिनियम 1961 की कटौती यू/एस 36(01)** (viii) के कारणङ	On account of Deduction in respect of special reserve u/s 36(1) (viii) of the Income Tax Act 1961 *	758.28	750.99
iv)	अन्य	Others	1.92	1.73
	कुल आस्थगित कर देयताएं	**Total Deferred Tax Liabilities**	**1851.61**	**2143.91**
	निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)**	**9165.29**	**5405.48**

* ₹ 431.67 पुरांनी आरक्षितियाँ में से और लाभ में से शेष

* ₹ 431.67 out of past reserves and balance out of profit

6.6 लेखांकन मानक 27 "संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्टिंगह्व:

निवेश में ₹ 75 (विगत वर्ष ₹ 120) शामिल है जो निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई में बैंक-हित को दर्शाता है।

6.6 Accounting Standard 27 – Investments in Joint Venture

Investments include ₹ 75 (Previous year ₹ 75) representing Bank's interest in the following jointly controlled entity:

क्र.सं. Sr. No.	कंपनी का नाम Name of the Company	राशि Amount	निवास देश Country of Residence	होल्डिंग % Holding %
1	स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि., / Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.	₹ 75	भारत / India	28.96%

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

विवरण	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
देयताएं	Liabilities		
पूंजी एवं आरक्षितियां	Capital & Reserves	152.36	152.78
जमाराशियां	Deposits	-	-
उधार	Borrowings	-	-
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	2,013.07	1,796.72
कुल	Total	2,165.43	1,949.50
आस्तियां	Assets		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	Cash and Balances with Reserve Bank of India	25.80	12.01
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	Balances with Banks and Money at call and short notice	0.00	0.00
निवेश	Investments	1,993.27	1,792.28
अग्रिम	Advances	2.58	2.73

विवरण	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
अचल आस्तियां	Fixed Assets	5.67	6.51
अन्य आस्तियां	Other Assets	138.11	135.97
कुल	Total	2,165.43	1,949.50
पूंजीगत बाध्यताएं	Capital Commitments	0.00	0.00
अन्य आकस्मिक देयताएं	Other Contingent Liabilities	7.38	5.48
आय	Income		
अर्जित ब्याज	Interest Earned	6.98	3.05
अन्य आय	Other Income	23.32	18.40
कुल	Total	30.30	21.45
व्यय	Expenditure		
व्यय किया गया ब्याज	Interest Expended	0.00	0.00
परिचालन व्यय	Operating Expenses	8.32	5.57
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies	0.00	0.00
कुल	Total	8.32	5.57
लाभ / (हानि)	Profit / (Loss)	21.98	15.88

6.7 परिसंपत्ति की हानि (लेखांकन मानक 28) : ₹ शून्य

6.8 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां (लेखांकन मानक 29) :''

क. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढाव :

6.7 Impairment of Assets (Accounting Standard 28): ₹ Nil

6.8 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" (Accounting Standard 29)

A. Movement of Provisions for contingent liabilities:

विवरण	Particulars	विधिक मामले/आकस्मिकताएं Legal cases/contingencies	
		2017-18	2016-17
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	75.01	41.68
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	Provided during the year	1.94	33.33
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	Amounts used during the year	2.65	0.00
अंतिम शेष	Closing Balance	74.30	75.01
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	Timing of outflow/uncertainties	समझौते / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन Outflow on settlement / Crystallization	समझौते / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन Outflow on settlement / Crystallization

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर का समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग, जैसा भी मामला हो, पर क्रमश: निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

7. अतिरिक्त देयताएं

7.1 प्रावधान और आकस्मिकताएं

लाभ और हानि खाते में दिखाए गए 'प्रावधान औरआकस्मिकताएं'' का ब्रेक-अप निम्नानुसार है:

7. Additional Disclosures

7.1 Provisions and Contingencies

The break-up of "Provisions and Contingencies" appearing in the Profit and Loss Account is as under

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
निवेश के मूल्यह्रास पर प्रावधान	Provision for Depreciation on Investment	1,468.64	120.95
एनपीए हेतु प्रावधान	Provision towards NPA	15,095.32	11,672.00
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision towards Standard Assets	(671.25)	154.06
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	(2,589.79)	(814.21)
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	**Other Provision & Contingencies**		
पुनर्गठित खातों में त्याग हेतु प्रावधान	Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	(188.09)	(42.37)
देश जोखिम हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk	(12.14)	(12.70)
अन्य प्रावधान	Other Provisions	79.94	213.24
कुल.	**Total**	**13,182.63**	**11,290.97**

7.2 अस्थायी प्रावधान

7.2 Floating Provisions

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधान खाते में प्रारम्भिक शेष	Opening Balance in the floating provisions account	232.22	232.22
लेखाकंन वर्ष में किए गए अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधान की प्रमात्रा	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
अस्थिर प्रावधान खाते में अंतिम शेष	Closing Balance in the floating provisions account	232.22	232.22

7.3 आरक्षितियों (रिजर्वस्) से ड्रॉ डाउन

'मास्टर परिपत्र - बासेल III पूंजी विनियम-स्पष्टीकरण' पर आरबीआई परिपत्र DBR सं. BP.BC.71/21.06.201/2015-16 दिनांक 14 जनवरी, 2016 के साथ पठित 'भारत में बासेल III पूंजी विनियम के कार्यान्वयन' पर आरबीआई के परिपत्र DBOD. सं. BP.BC.38/21.06.201/2014-15 दिनांक 1 सितंबर, 2014 के अनुरूप बैंक ने अतिरिक्त टियर-I बासेल III कम्प्लायंट स्थायी बॉन्ड्स के ब्याज हेतु राजस्व आरक्षितियों से रु. 565.06 का ड्रा-डाउन किया है।

7.3 Drawdown from Reserves

In terms of RBI Circular Ref. DBOD. No. BP.BC.38/21.06.201/2014-15 dated September 1, 2014 on `Implementation of Basel III Capital Regulations in India – Amendments' read with RBI Circular Ref. DBR. No. BP.BC.71/21.06.201/2015-16 dated January 14, 2016 on `Master Circular-Basel III Capital Regulations -Clarification' Bank has made a drawdown of ₹ 565.06 from Revenue Reserve towards interest of Additional Tier-I Perpetual Basel III Compliant bonds

7.4 शिकायतों का प्रकटन

i) ग्राहकों की शिकायतें : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

7.4 Disclosure of complaints

i) Customer Complaints: As compiled by the management

क्र.सं. Sr. No	विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
(a)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	No. of complaints pending at the beginning of the year	255	219
(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	No. of complaints received during the year	35874	28582
(c)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	No. of complaints redressed during the year	35909	28546
(d)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	No. of complaints pending at the end of the year	220	255

ii) एटीएम से संबंधित शिकायतें : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

ii) ATM Complaints: As compiled by the management

क्र.सं. Sr. No	विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
(a)	वर्ष के आरंभ में लम्बित एटीएम से संबंधित शिकायतें	No. of ATMs complaints pending at beginning of the year	2285	5363
(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त एटीएम से संबंधित शिकायतें	No. of ATMs complaints received during the year	192132	212608
(c)	वर्ष के दौरान निपटाई गई एटीएम संबंधी शिकायतें	No. of ATMs complaints redressed during the year	188786	215686
(d)	वर्ष के अंत में लम्बित एटीएम से संबंधित शिकायतें	No. of ATMs complaints pending at the end of the year	5631	2285

iii) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय : / iii) Awards passed by the Banking Ombudsman:

क्र.सं. Sr. No	विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
(a)	वर्ष के प्रारंभ में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
(b)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	2	0
(c)	वर्ष के दौरान लागू किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	No. of Awards implemented during the year	0	0
(d)	वर्ष के अंत में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	No. of unimplemented Awards at the end of the year	2	0

7.5 बैंक द्वारा अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसीज्) पर प्रकटन (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने अनुषंगियों की ओर से कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किए हैं।

वर्ष 2011-2012 के दौरान, बैंक ने अपने पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. के लिए गवर्नर, बैंक ऑफ़ बोतस्वाना को वचनपत्र जारी किया है कि वित्तीय वायदे देय होने पर उन्हें पूरा किया जाएगा।

वर्ष 2010-11 के दौरान, अपने पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी बीओआई (न्यूजीलैंड) लि. के लिए न्यूजीलैंड के रॉयल बैंक के पक्ष में बैंक ने वित्तीय वायदे देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए अभिभावकीय गारंटी जारी की है।

यथा 31.03.2018 को, उपर्युक्त वायदों से कोई वित्तीय दायित्व नहीं हुआ है।

7.5 Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by bank for Subsidiaries (As compiled by the management)

During current year, the bank has not issued any letters of comfort on behalf of subsidiaries.

During the year 2011-12 the bank has issued an undertaking to the governor, Bank of Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (Botswana) Ltd. to meet its financial commitments, if they fall due.

During the year 2010-11 the bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2018, no financial obligations have arisen on the above commitments

7.6 प्रावधान कवरेज़ अनुपात (पीसीआर)

यथा 31 मार्च 2018 को बैंक के सकल अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान 65.85% है (पिछले वर्ष: 61.47%)

7.6 Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The Provisioning to Gross Non-Performing Assets of the Bank as on 31st March 2018 is 65.85% (Previous year: 61.47%).

7.7 बैंक एश्योरेंस कारोबार से प्राप्त शुल्क, पारिश्रमिक : / 7.7 Fees, remuneration received from Bancassurance business:

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
जीवन बीमा पॉलिसी	Life Insurance Policies	75.79	70.13
गैर-जीवन बीमा पॉलिसी	Non-Life Insurance Policies	28.15	21.31
स्वास्थ्य बीमा कारोबार	Health Insurance Business	2.48	0.46
कुल	**Total**	**106.42**	**91.90**

7.8 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोज़र तथा एनपीए का संकेंद्रण / 7.8 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

7.8.1 जमाराशिओं का संकेंद्रन – / 7.8.1 Concentration of Deposits –

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां	Total Deposits of twenty largest depositors	22,668	34,101
बैंक की कुल जमाराशियाँ में से बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियां का प्रतिशत	Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	4.35%	6.31%

7.8.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण – / 7.8.2 Concentration of Advances –

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	Total Advances to twenty largest borrowers	54,226	51,195
बैंक के कुल अग्रिमों में सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	12.43%	11.25%

7.8.3 एक्सपोज़र का संकेंद्रण – / 7.8.3 Concentration of Exposures –

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	71,086	66,718
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	12.32%	11.41%

7.8.4 एनपीए संकेंद्रण – / 7.8.4 Concentration of NPAs –

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
चार शीर्ष एनपीए खातों का कुल एक्सपोज़र	Total Exposure to top four NPA accounts	7,985	7,591

7.9 क्षेत्रवार एनपीए (प्रुडेन्शियल /तकनीकी राईट ऑफ को शामिल करते हुए) (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित) / 7.9 Sector-wise Advances (Including Prudential/Technical write off) (As compiled by management)

क्र. सं. Sr. No	क्षेत्र	Sector	2017-18			2016-17		
			बकाया सकल अग्रिम O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector	बकाया सकल अग्रिम O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector
A	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	Priority sector						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	Agriculture & allied activities	44140.19	6256.40	14.17	42053.07	4276.10	10.17
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में पात्र उद्योगों को अग्रिम	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	33798.55	7026.97	20.79	30372.94	6454.19	21.25
3	सेवाएं	Services	19667.73	2812.67	14.30	17055.87	2216.95	13.00
4	व्यक्तिगत ऋण	Personal loans	9254.61	396.80	4.29	8693.77	531.19	6.11
	उप योग (क)	**Sub-total (A)**	**106861.08**	**16492.84**	**15.43**	**98175.65**	**13478.44**	**13.73**
B	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	Non Priority Sector						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधिया	Agriculture & allied activities	2600.06	298.74	11.49	3943.81	678.40	17.20
2	उद्योग	Industry	117566.64	45091.65	38.35	121936.89	33069.47	27.12
3	सेवाएं	Services	51731.03	7406.45	14.32	38059.22	4628.95	12.16
4	व्यक्तिगत ऋण	Personal loans	21609.36	1182.10	5.47	18186.52	2302.89	12.66
	उप योग (ख)	**Sub-total (B)**	**193507.09**	**53978.94**	**27.90**	**182126.43**	**40679.71**	**22.34**
	योग (क+ख)	**Total (A+B)**	**300368.17**	**70471.78**	**23.46**	**280302.08**	**54158.15**	**19.32**

7..9.1 प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) : / 7.9.1 Disclosure of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs):

वर्ष के दौरान खरीदे गए / Purchased during the year	वर्ष के दौरान बेचे गए / Sold During the Year
शून्य / NIL	शून्य / NIL

7.10 एनपीए का उतार-चढ़ाव / 7.10 Movement of NPAs

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
सकल एनपीए यथा 01.04.2017 को (प्रारंभिक शेष)	Gross NPAs as on 01.04.2017 (Opening Balance)	52044.52	49879.13
वर्ष के दौरान (नए एनपीए) परिवर्धन	Additions (Fresh NPAs) during the year	25580.50	16721.12
उप-जोड़ (ए)	Sub-total(A)	**77625.02**	**66600.25**
घटाएं :-	Less:		
(i) अपग्रेडेशन	(i) Up gradations	2212.43	3875.50
(ii) वसूलियाँ (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	(ii) Recoveries-excluding recoveries made from upgraded accounts	4039.33	3449.68
(iii) तकनीकी प्रुडेंशियल राईट ऑफ	(iii) Technical/Prudential Write Offs	6591.50	6220.25
(iv) बट्टे खाते लिखाई, उक्त (iii) के अंतर्गत छोडकर	(iv) Write offs other those under (iii) above	2453.30	1010.30
उप-जोड़ (बी)	Sub-total (B)	**15296.56**	**14555.73**
सकल एनपीए यथा 31.03.2018 (अंतिम शेष) (ए-बी)	Gross NPAs as on 31.03.2018 (Closing Balance) (A-B)	**62328.46**	**52044.52**

7.11 तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों का मूवमेंट / 7.11 Movement of Technical/Prudential written-off accounts

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों में प्रारंभिक शेष	Opening Balance of Technical/prudential written-off accounts	13640.98	7419.73
जोडें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते लिखाई	Add: Technical/prudential written-offs during the year	8148.16	6795.51
उप-जोड(ए)	Sub-total(A)	21789.14	14215.24
घटाएं :- पूर्व में तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों में वर्ष के दौरान की गई वसूली (बी)	Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year(B)	1519.99	574.26
अंतिम शेष (ए-बी)	Closing Balance (A-B)	20269.15	13640.98

7.12 विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व / 7.12 Overseas Assets, NPAs and Revenue

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	2017-18	2016-17
1	कुल आस्तियां / Total Assets	120387.93	1,42,004.41
2	कुल एनपीए / Total NPAs	11264.12	9,596.00
3	कुल राजस्व / Total Revenue	4568.37	4,880.70

7.13 ऑफ बैलेन्स शीट प्रायोजित एसपीवी / 7.13 Off-Balance Sheet SPVs sponsored

स्पॉन्सर किए गए एसपीवी का नाम / Name of the sponsored SPV	
स्वदेशी / Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य Nil	शून्य Nil

7.14 प्रतिभूतिकरण से सम्बद्ध प्रकटन : / 7.14 Disclosure relating to Securitisation

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) फ्लोट नहीं किया है।

The Bank has not floated any Special purpose Vehicle (SPV) during the Financial Year 2016-17.

7.15 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स : / 7.15 Credit Default Swaps

बैंक ने कोई क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप नहीं किया है।

The bank has not dealt with any Credit Default Swap.

7.15.1 इंट्रा-ग्रूप एक्स्पोज़र (प्रबंधन द्वारा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा समर्थित)

7.15.1 Intra-Group Exposures (As compiled by the management and relied upon by the Auditors)

Sr. No.	विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
A	इन्ट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	Total amount of intra group exposures	4640.52	2487.83
B	टॉप 20 इन्ट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	Total amount of top 20 intra group exposure	4640.52	2487.83
C	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र की तुलना में इन्ट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का प्रतिशत	Percentage of intra group exposures to total exposure of the bank on borrowers/ customers	0.57%	0.28%
D	इन्ट्रा ग्रुप एक्सपोज़रों पर सीमाओं के उल्लंघन के ब्यौरे और उनपर विनियामक की कार्रवाई, यदि कोई हो.	Details of breach of limits on intra group exposures and regulatory action thereon, if any.	निरंक Nil	निरंक Nil

7.16 जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड (डीईएएफ) को अंतरण

7.16 Transfers to Depositors Education and Awareness Fund (DEAF)

विवरण	Particulars	FY 2017-18	FY 2016-17
डीईएएफ में अंतरित प्रारंभिक शेष राशि	Opening balance of amounts transferred to DEAF	292.26	113.72
जोडें : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशि	Add : Amounts transferred to DEAF during year	261.90	178.54
घटाएं :दावों के तहत डीईएएफ द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति	Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	14.92	0.00
डीईएएफ में अंतरित राशि का अंतिम शेष	Closing balance of amounts transferred to DEAF	539.24	292.26

7.17 अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

7.17 Unhedged Foreign Currency Exposure : As compiled by the management

क्र.सं. Sr. No	विवरण	Particulars	FY 2017-18	FY 2016-17
A	प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	Opening balance provisions account	57.75	73.58
B	लेखा वर्ष में किए गए प्रावधानों की मात्रा	The quantum of provisions made in the accounting year	3.64	17.80
C	लेखा वर्ष के दौरान रिवर्स की गई राशि	Amount Reverse during the accounting year	27.32	33.63
D	प्रावधान खाते में अंतिम शेष	Closing balance in the provisions account	34.07	57.75

'अनहैज़ करेंसी एक्सपोज़र' वाली संस्थाओं पर एक्सपोज़र हेतु पूंजी एवं प्रावधानीकरण आवश्यकता पर बैंक के पास बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित नीति है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरणों पर आधारित है।

यथा 31.03.2018, उपलब्ध डाटा और उधारकर्ताओं से नीति के अनुरूप प्राप्त घोषणा के आधार पर, बैंक ने कुल रु 34.07 (विगत वर्ष 57.75) के प्रावधान का सृजन किया है। इस एक्सपोज़र पर अतिरिक्त आरडब्ल्यू रु.926.37 (विगत वर्ष रु. 1082.37) है। इसकी तुलनामें, अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता रु. 100.74 (विगत वर्ष रु. 110.94) है।

The bank has duly approved policies by the Board on Capital and Provisioning Requirement for exposures to entities with unhedged foreign currency exposure which is based on RBI circulars.

As on 31.03.2018, based on available data and declaration from the borrowers, wherever received in accordance with the policy, the Bank has created total provision of ₹ 34.07 (Previous Year ₹ 57.75). The additional RWA on this exposure is ₹ 926.37 (Previous Year ₹ 1082.37). As against this, additional minimum capital requirement is ₹ 100.74 (Previous Year ₹ 110.94).

8. चलनिधि कवरेज अनुपात : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित मात्रात्मक प्रकटन

8. Liquidity Coverage Ratio: As compiled by the management Quantitative Disclosure

	राशि ₹ करोड़ों में Amount in ₹ Crore	यथा As on 31.03.2018*		यथा As on 31.03.2017 *	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)[1] Total Unweighted Value (average) @	कुल भारित मूल्य (औसत)[2] Total Weighted Value (average) @	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)[1] Total Unweighted Value (average) #	कुल भारित मूल्य (औसत)[2] Total Weighted Value (average) #
	उच्च् स्तरीय परिसंपत्ति आस्तियाँ / HIGH QUALITY LIQUID ASSETS				
1	कुल उच्च् स्तरीय आस्तियां (एचक्यूएलए) / Total High Quality Assets(HQLA)		97,491.02		77,783.93
	नकदी प्रवाह / CASH OUTFLOW				
2	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों की, जिसमें से Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	375,378.63	37,414.07	351,071.93	34,764.04
(i)	स्थिर जमाराशियां / Stable deposits	7,308.20	397.53	7,720.11	386.01
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां / Less stable deposits	368,070.43	37,016.54	343,351.83	34,378.03
3	अरक्षित थोक निधियां, जिसमें से : / Unsecured wholesale funding of which:	63,934.97	31,693.12	72,365.90	37,109.25
(i)	परिचालनगत जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार) / Operational deposits (all counterparties)	2,128.17	421.13	2,300.65	268.37
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) / Non -operational deposits (all counterparties)	54,011.28	23,433.08	61,719.07	28,494.70
(iii)	अरक्षित ऋण / unsecured debts	7,795.53	7,838.92	8,346.18	8,346.18
4	जमानती थोक निधियन / Secured wholesale funding				0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से / Additional requirements, of which	23,064.97	7,171.68	33,409.61	7,561.19
(i)	ब्युत्पन्न एक्सपोज़र से संबंधित बहिर्गमन / Outflows related to derivative exposures and other collateral requirement	4,014.83	4,209.29	3,881.24	3,976.12
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्गमन Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधाएं / Credit and liquidity facilities	19,050.14	2,962.39	29,528.37	3,585.07
6	अन्य संविदागत निधियन दायित्व / Other contractual funding obligations	12,203.89	11,717.81	11,341.72	10,395.83
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व / Other contingent funding obligations	50,948.12	2,252.64	47,472.48	1,497.15
8	कुल नकदी बहिर्गमन / TOTAL CASH OUTFLOWS		90,249.32		91,327.46
	नकदी आगमन / CASH INFLOW				
9	जमानती उधार (उदा:रिवर्स रेपो) / Secured lending(e.g. reverse repos)	18,785.28	11,032.89	13,416.11	7,795.18
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से आगमन / Inflows from fully performing exposures	7,596.24	4,879.10	10,655.21	7,723.54
11	अन्य नकदी आगमन / Other cash inflows	18,911.44	18,210.45	20,813.42	18,920.83
12	कुल नकदी आगमन / TOTAL CASH INFLOWS	45,292.95	34,122.44	29,491.21	21,106.23
			कुल समायोजित मूल्य 3 Total Adjusted Value 3		कुल समायोजित मूल्य 3 Total Adjusted Value 3
21	कुल एचक्यूएलए TOTAL HQLA		97,491.02		77,783.93
22	कुल निवल नकदी बहिर्गमन TOTAL NET CASH OUTFLOWS		56,126.87		70,221.23
23	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) / LIQUIDITY COVERAGE RATIO(%)		173.70		110.77

* समेकित आधार पर (घरेलू एवं विदेशी अनुषंगियां शामिल)

@ दि.31 मार्च 2018 तक के डाटा हेतु विगत 4 तिमाहियों में दैनिक अवलोकनों का साधारण औसत लेकर(अर्थात वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु औसत) यथा 31.03.2018 के प्रकटन किए गए हैं। यह आरबीआई

Note-

** On consolidated basis (including domestic and foreign subsidiaries)*

@ Disclosure as on 31.03.2018 has been done by taking simple

दिशानिर्देश संदर्भ सं. डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दि. 31 मार्च 2015 के अनुरूप हैं।

प्रकटन यथा 31.03.2017, दि.31 मार्च 2016 तक के डाटा हेतु विगत तिमाहियों में मासिक अवलोकनों का साधारण औसत लेकर(अर्थात 90 दिनों की अवधि का औसत) किया गया है। 31 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही हेतु साधारण औसत का परिकलन, विगत तिमाही में दैनिक अवलोकनों पर किया गया है। यह आरबीआई दिशानिर्देश संदर्भ सं. डीबीआर.नं.बीपी. बीसी.80/21.06.201/2014-15 दि. 31 मार्च 2015 के अनुरूप हैं।

एलसीआर के संबंध में गुणात्मक प्रकटन

1 जनवरी, 2015 से बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है।

एलसीआर का मानक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) को यथोचित स्तर पर अनुरक्षित करता है अत्यधिक चलनिधि दबाव परिदृश्य के अन्तर्गत 30 कलेंडर दिन सीमा के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचक्यूएलए को नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। गंभीर चलनिधि दबाव परिदृश्य में चलनिधि आस्तियों के स्टॉक की सहायता से बैंक कम से कम अगले 30 कैलंडर दिवस गुज़ार सके।

$$\text{एलसीआर}_{\text{र}} = \frac{\text{उच्च कोटि की चलनिधि आस्तियां}}{\text{अगले 30 कलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी बहिर्गमन}}$$

यहाँ ,

- एचक्यूएलए लेवल 1 तथा लेवल 2 आस्तियां सम्मिलित हैं, दूसरे शब्दों में यह नकदी हैं या नकदी मदों के करीब हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर बाज़ार में आसानी से उपयोग किया जा सकता है/भुनाया जा सकता है।
- भारिबैं/बासेल द्वारा परिभाषा के अनुसार दबाव की स्थिति के अन्तर्गत कुल बहिर्गमन पर कुल अंतर्वाह का निवल नकदी बहिर्गमन अधिक रहता है। निवल नकदी बहिर्गमन के परिकलन के लिए, अंतर्वाह को पूर्व परिभाषित हेयरकट के साथ माना जाता है तथा बहिर्गमन को पूर्व परिभाषित रन-ऑफ़ फैक्टर पर माना जाता है।
- यदि दबावग्रस्त निधियों का अंतर्वाह दबावग्रस्त निधियों के बहिर्गमन से अधिक है, तो कुल निधियों के बहिर्गमन का 25% एलसीआर के परिकलन के लिए कुल शुद्ध नकद निधियों के बहिर्गमन के रूप में लिया जाएगा।
- प्रभावी तिथि 01.01.2015 से, अविरत आधार पर 60% एलसीआर को बनाए रखना बैंकों के लिए आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष 10% की बढ़ती वृद्धि के साथ दिनांक 01.01.2019 तक यह 100% तक पहुंच जाएगा।

वर्णन	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

एलसीआर का मुख्य संचालक : एलसीआर के मुख्य संचालक, उच्च गुणवत्ता की चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) और खुदरा ग्राहकों से उच्च निधियन स्त्रोत की वजह से न्यून निवल नकदी हैं। एचक्यूएलए के पर्याप्त स्टॉक ने एलसीआर बनाए रखने में बैंक की सहायक की है।

एचक्यूएलए की संरचना : उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) की संरचना में प्रमुखतया नकदी शेष, अतिरिक्त एसएलआर, अतिरिक्त सीआरआर तथा एफएएलएलसीआर (चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करना) होता है। आज की तिथि तक एचक्यूएलए संरचना का प्रकटन निम्नलिखित है ।

*average of daily observations over previous 4 quarters (i.e. average for the FY 2017-18) for data till March 31, 2018. This is as per RBI guidelines ref. no. DBR.No.BP.*BC.80 /21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015.

Disclosure as on 31.03.2017 has been done by taking simple averages of monthly observations over previous quarter (i.e. average over a period of 90 days) for data till quarter ended December 31, 2016. For the quarter ended March 31, 2017 the simple average is calculated on daily observations over the previous quarter. This is as per RBI guidelines ref. no. DBR.No.BP.BC.80 /21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015.

Qualitative disclosures with regard to LCR

W.e.f. 1st January 2015, the Bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) as directed by Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. At a minimum, the stock of liquid assets should enable the bank to survive until next 30 calendar days under a severe liquidity stress scenario.

$$\text{LCR} = \frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$$

Here,

- HQLA comprises of level 1 and level 2 assets, in other words these are cash or near to cash items which can be easily used / discounted in the market in case of need.
- Net cash outflows are excess of total inflows over total outflows under stressed situation as defined by Basel / RBI. While arriving at the net cash outflow, the inflows are taken with pre-defined hair-cuts and the outflows are taken at pre-defined run-off factors.
- In case stressed inflows are more than the stressed outflows, 25% of total outflows shall be taken as total net cash outflows to arrive at the LCR.
- With effect from 01.01.2015, Banks are required to maintain minimum 60% LCR on an ongoing basis. The same shall reach 100% as on 01.01.2019 with incremental increase of 10% each year:

	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

Main Drivers of LCR: The main drivers of the LCR are adequacy of High Quality Liquid Assets (HQLA) and lower net cash outflow on account of higher funding sources from retail customers. Sufficient stock of HQLA helped the Bank to maintain adequate LCR.

Composition of HQLA: The composition of High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of cash balances, excess SLR, excess CRR and FALLCR (Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio). The composition of HQLA as on date of disclosure is given below:

हाथ में नकदी	3%
अतिरिक्त सीआरआर शेष	3%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूति	36%
एफएएलएलसीआर (एमएसएफ के लिए अनुमत वर्तमान में एनडीटीएल का 7 प्रतिशत तक) सहित एमएसएफ के अन्तर्गत भारिबैं द्वारा अनुमत अनुसार न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता की अधिकता में सरकारी प्रतिभूतियां	9%
बासेल के मानक दृष्टिकोण के अन्तर्गत 0%, जोखिम के विदेशी सार्वभौम द्वारा जारी या गारंटीकृत प्रतिभूतियां	5%
चलनिधि कवरेज अनुपात हेतु चलनिधि सुविधा	41%
लेवल 2 अस्तियां	3%

निधियन स्रोत का संकेन्द्रीकरण: बैंक का अधिकांश निधियन स्रोत खुदरा ग्राहकों से है अतएव बहिर्गमन दबाव तुलनात्मक ढंग से कम है। तथापि, मीयादी जमाराशियों के लिए किसी अप्रतिदेय विकल्प के अभाव में भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार बहिर्गमन अनुभाग के अन्तर्गत लगभग सभी जमाराशियों को बैंक ने शामिल किया है। बैंक का, किसी महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार से अत्यधिक निधि प्राप्त नहीं है। महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार से तात्पर्य है एकल प्रतिपक्षकार या सम्बद्ध प्रतिपक्षकारों का समूह जिनकी बैंक की कुल देयताओं में हिस्सेदारी 1% से अधिक है।

व्युत्पन्नी एक्सपोज़र तथा संभाव्य संपार्श्विक कॉल: डेरिवेटिव कारोबार में बैंक का बहुत कम एक्सपोज़र है जो उल्लेखनीय नहीं है।

एलसीआर में मुद्रा असंतुलन : आर बी आई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक महत्वपूर्ण मुद्रा वह है जिसमें उस मुद्रा में कुल मूल्यवर्गित देयताएं बैंक की कुल देयताएं का 5 प्रतिशत या अधिक हो। हमारे मामले में यूएसडी एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्रा है। अतएव बैंक, एलसीआर का परिकलन यूएसडी मुद्रा में भी करता है।

चलनिधि प्रबंधन के संकेन्द्रीकरण के स्तर का वर्णन तथा समूह की इकाईयों में पारस्परिक क्रिया : उद्यम स्तर पर बैंक का चलनिधि प्रबंधन, बोर्ड स्तरीय कार्य है तथा बोर्ड की एक अलग उप-समिति (आर.कॉम) इसपर निगाह रखती है। एएलसीओ द्वारा नियमित अंतराल पर चलनिधि प्रबंधन की नियमित निगरानी की जाती है। बैंक की संपूर्ण चलनिधि प्रबंधन प्रक्रिया, बैंक की एएलएम नीति से शासित होती है।

घरेलू परिचालनों के लिए चलनिधि प्रबंधन के केन्द्रीय कार्य है जो प्रधान कार्यालय स्तर पर प्रबंधित किया जाता है। निगरानी तथा नियंत्रण के लिए तथा स्थानीय विनियामक का अनुपालन भी प्रत्येक केन्द्र के क्षेत्राधिकार अनुसार विदेशी चलनिधि प्रबंधन किया जाता है। बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग विदेशी चलनिधि स्थिति पर निगरानी रखता है तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर केन्द्रीय रूप से सम्पूर्ण चलनिधि निगरानी की जाती है।

एलसीआर परिकलन में अन्य अंतर्वाह और बहिर्गमन जिन्हें एलसीआर के आम टेम्पलेट द्वारा कैप्चर नहीं किया जाता है परन्तु अपने चलनिधि प्रोफाइल के लिए संस्था इसे उपयुक्त समझती है : हमारे ध्यान में ऐसी कोई मद नहीं है।

9. अन्य नोट

ए) आयकर

(i) आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है जिसके अंतर्गत रू 653.42 (विगत वर्ष रु. 555.42) की विवादित आय कर/ ब्याज कर देयताएं सम्मिलित हैं जिनके

Cash in hand	3%
Excess CRR balance	3%
Government securities in excess of minimum SLR Requirement	36%
Government securities within the mandatory SLR Requirement, to the extent allowed by RBI under MSF including FALLCR (presently to the extent of 7 percent of NDTL as allowed for MSF)	9%
Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk weight under Basel II standardized approach and other securities adjustments on account of Repo/Reverse Repo transactions	5%
Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio	41%
Level 2 Assets	3%

Concentration of funding sources: Majority of Bank's funding sources are from retail customers (about 60%) therefore the stressed outflows are comparatively lower. However, in absence of any non-callable option for term deposits, the Bank has considered almost all deposits under outflow section as per RBI guidelines. Bank also does not have funding concentration from any significant counterparty. A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counter parties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

Derivative Exposures and potential collateral calls: Bank has very little exposure in derivative business which is not very significant.

Currency mismatch in the LCR: In terms of RBI guidelines, a significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. In our case, USD is the only significant currency. Therefore, Bank also calculates LCR in USD currency.

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:

The liquidity management of the Bank at enterprise level is a Board level function and a separate sub-committee of the Board (R.Com.) keeps close watch on that. The periodical monitoring of the liquidity management is being monitored by the ALCO on regular intervals. The entire liquidity management process of the Bank is being governed by ALM Policy of the Bank.

The liquidity management for domestic operations is the central function, being managed at Head Office level. The overseas liquidity management is being handled at each centre, jurisdiction wise to keep close monitoring and control and also to comply with the local regulatory requirements as well. International Division of the Bank keeps watch on the overseas liquidity position and the overall liquidity monitoring is done at Head Office level centrally.

Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile: No such items as per our notice.

9. Other Notes

a) Income Tax:

(i) (i) Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 653.42 (previous

लिए ऐसे विवादों पर विगत आकलनों के संदर्भ में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। कथित विवादों को के विरुद्ध भुगतान/समायोजनों को अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

(ii) लागू कर-विधियों के प्रावधानों और कतिपय विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर उचित विचार किये जाने के बाद वर्ष के लिए आयकर के प्रावधान का परिकलन किया गया है।

year ₹ 555.42) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/ adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

(ii) Provision for income tax for the year is arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial decisions on certain disputed issues.

बी) वर्ष 2017-18 के लिए रिवार्ड पॉईंट का मूवमेंट :

b) Movement of Reward Points for 2017-18:

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	डेबिट कार्ड पर रिवार्ड पॉईंट Reward points on Debit Card	डेबिट कार्ड पर रिवार्ड पॉईंट Reward points on Credit Card	कुल Total
1	प्रारंभिक शेष Opening Balance	1389590266 (842322651)	59043930 (37993551)	1448634196 (880316202)
2	जोडें: ग्राहकों द्वारा वर्ष के दौरान अर्जित किए गए रिवार्ड पॉइन्ट्स Add: Reward points accrued during the Year by Customers	1328898249 (922770873)	211830022 (28883840)	1540728271 (951654713)
3	घटाएं: रिवार्ड पॉईंट ग्राहकों द्वारा लाभ उठाया गया Less: Reward Points availed by customers	324187381 (203600151)	49008959 (7833461)	373196340 (211433612)
4	घटाएं: रिवार्ड पॉइंट की समय सीमा समाप्त (विव 2017-18) Less: Reward Points Expired (FY 2017-18)	228131410 (171903107)	0 (0)	228131410 (171903107)
5	अंतिम शेष Closing Balance	2166169724 (1389590266)	221864993 (59043930)	2388034717 (1448634196)

सी) धोखाधड़ियों के संबंध में प्रकटन :

c) Disclosure regarding frauds:

वित्तीय वर्ष Financial Year	धोखाधडी की संख्या Number of frauds	सम्मिलित राशि Amount involved	संभावित हानि Probable Loss	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की मात्रा Quantum of Provision made during the year	अन्य आरक्षित से नामे की गयी असंशोधित प्रावधान की मात्रा Quantum of unamortized provision debited from other reserve
2017-18	170	2619.07	2579.02 +00.10** 2579.12	2579.02 +00.10* 2579.12	NIL

* एमओसी के अनुसार धोखाधडी हेतु अतिरिक्त प्रावधान

* Additional provision for the fraud as per MOC.

डी) बैंकने 1 नवंबर 2017 से बैंक वेतन संशोधन के बकाया राशि के लिए रु. 100 का अंतरिम प्रावधान किया है।

ई) आरबीआई संचार डीबीआर सं. बीपी.8756 / 21.04.048 / 2017-18 2 अप्रैल, 2018 के संदर्भ में, एनसीएलटी खातों के संबंध में प्रावधान आवश्यकताओं को यथा दिनांक 31 मार्च 2018 के जमानती हिस्से के 50% से घटाकर 40% कर दिया गया है । बैंक ने एनसीएलटी सूची I के तहत रु 4,048 की राशि के 2 खातों में छूट का लाभ उठाया है।

d) Bank has made ad-hoc provision of ₹ 100 towards arrears of wages due for revision w.e.f 1st November 2017.

e) In terms of RBI communication DBR No. BP.8756/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018, provisioning requirements in respect of NCLT accounts is reduced from 50% of secured portion to 40% of secured portion as at March 31, 2018. Bank has availed the relaxation in respect of 2 accounts amounting to ₹ 4,048 under NCLT List I.

एफ) इस अवधि के दौरान बैंक को 25 निवेशकों की शिकायतें मिली हैं (तिमाही के दौरान 10 शिकायतें) जिनका निपटान किया गया है। अवधि / तिमाही की शुरुआत या अंत में निवेशकों की कोई भी शिकायत लंबित नहीं है।

जी) आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक ने एचटीएम से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों को स्थानांतरित कर दिया है। स्थानांतरित प्रतिभूतियों का बही मूल्य रु 16,047.48 था।

एच) "परिपक्ता तक धारित" वर्ग के तहत निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ की राशि रु. 556.08 (विगत वर्ष रु. 1146.70) को लाभ-हानि खाते में ले जाया गया है और तत्पश्चात रु. 361.76 (विगत वर्ष रु. 749.85) की राशि को, कर की राशि शामिल न करते हुए, पूंजी आरक्षिति में समायोजित किया गया है और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 17 के तहत उसे सांवधिक आरक्षिति को अंतरित किया गया है।

आई) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने मूल्यह्रास नीति को रिटन डाउन वैल्यू मेथड (डब्लूडीवी) से बदलकर स्ट्रेट लाइन मेथड (एसएलएम) कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप रु 313.17 की अतिरिक्त मूल्यह्रास राशि वापस ली गई और पी एंड एल खाते में जमा कर दी गई है। तदनुसार, इस हद तक वर्तमान वर्ष मूल्यह्रास / पी एंड एल की तुलना विगत वर्ष के साथ नहीं की जा सकती।

जे) वर्ष के दौरान, बैंक ने रु. 655 के बासेल-II मानकों का अनुपालन करने वाले, आईपीडीआई बॉन्ड (श्रृंखला I, II और III) को रिडीम किया है और बेसल ध्ध्ध मानकों का अनुपालन करने वाले अतिरिक्त टायर I बॉन्ड (सीरीज वी) जारी करके रु. 500 का निवेश प्राप्त किया है। 21 अप्रैल, 2018 को बैंक ने नियामक कॉल विकल्प का उपयोग किया है और अतिरिक्त टायर -1 बॉण्ड की राशि स्वरूप रु 5,500 (श्रृंखला 1 से 5) का मोचन किया है।

के) भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 अप्रैल, 2018 के पत्र सं. डीबीआर संख्या.बीपी. बीसी.9730 / 21.04.018 / 2017-18 द्वारा बैंकों को 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही से चार तिमाहियों में ग्रैच्युइटी सीमा में वृद्धि के फलस्वरूप होने वाली अतिरिक्त देयता को स्प्रेड करने का विकल्प दिया है। बैंक ने इस विकल्प को चुना है और मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के दौरान रु.108.78 चार्ज किया है और आगामी वित्तीय वर्ष में बाद की तिमाहियों के लिए रु.326.34 की राशि को स्थगित कर दिया है।

एल) पिछली अवधि के आंकड़ो को, जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुन: समूहित/पुन:व्यवस्थित किया गया है।

f) The Bank has received 25 investor complaints during the period (10 complaints during the quarter) which have been disposed-of. There are no pending investor complaints at the beginning or end of the period/quarter.

g) In accordance with RBI guidelines, Bank has shifted securities from HTM to AFS category during the year. The book value of securities shifted was ₹ 16,047.48.

h) Profit on sale of Investments held under "Held to Maturity" category amounting to ₹ 556.08 (previous year ₹ 1146.70) has been taken to the Profit & Loss Account and thereafter an amount ₹ 361.76 (previous year ₹ 749.85) has been appropriated to the Capital Reserve, net of taxes and transfer to Statutory Reserve under section 17 of the Banking Regulation Act, 1949.

i) During the year ended March 31, 2017, the Bank had changed the depreciation policy from Written Down Value Method (WDV) to Straight Line Method (SLM) resulting in excess depreciation amounting to ₹ 313.17 been written back and credited to P&L account. Accordingly, current year depreciation/P&L are not comparable with the previous year to this extent.

j) During the year, Bank has redeemed Basel-II compliant, IPDI Bonds (Series I, II & III) worth ₹ 655 and raised ₹ 500 by issuing Basel III Complaint Additional Tier I Bonds (Series V). On April 21, 2018 Bank has exercised the regulatory call option and has redeemed Additional Tier-1 Bond amounting ₹ 5,500 (Series 1 to 5).

k) RBI vide communication DBR.No.BP. BC.9730/21.04.018/2017-18 dated April 27, 2018 has given the option to Banks to spread additional liability on account of enhancement in gratuity limits over four quarters commencing with quarter ended March 31, 2018. The Bank has exercised the option and has charged ₹108.78 during the quarter ended March, 2018 and deferred ₹ 326.34 to subsequent quarters of the ensuing financial year.

l) Figures of the previous period have been regrouped / rearranged, wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति / बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट :-

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) के यथा 31 मार्च, 2018 की वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है जिसके साथ यथा 31 मार्च, 2018 का तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता, उस समय समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना संलग्न थे। इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में निम्नलिखित की विवरणियाँ शामिल हैं :-

   ए) हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय , 20 शाखाएं और ट्रेज़री शाखा ;

   बी) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2735 घरेलू शाखाएं , और

   सी) स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 29 विदेशी शाखाएं

   बैंक ने हमारे द्वारा लेखा परीक्षित एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है।

   तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते में उन 2371 घरेलू शाखाओं की विवरणियों का भी समावेश है, जो लेखा परीक्षा के अध्यधीन नहीं हैं । ये गैर-लेखा परीक्षित शाखाएं 5.31% अग्रिम, 16.49% जमाराशियां,4.47% ब्याज आय और 15.65% ब्याज व्यय का योगदान करती हैं ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी -

2. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 , बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों , भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों सहित मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सत्य और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करता है । इन जिम्मेदारियों में धोखाधड़ी या गलती के कारण तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त वित्तीय विवरणियों की तैयारी हेतु संगत आंतरिक नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन सिस्टम की तैयारी, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी :-

3. हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर आधारित हमारी लेखा परीक्षा पर अपनी राय व्यक्त करें। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानकों के अनुरूप हमने अपना लेखा परीक्षा कार्य किया है। इन मानकों की यह अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा की योजना इस तरह बनाएं एवं उसका क्रियान्वयन इस तरह करें कि हम इस संबंध में इस बात का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरण तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं।

4. किसी लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणियों की राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं जिसमें वित्तीय विवरणियों में, धोखाधड़ी या गलती की वजह से, तात्विक अशुद्ध कथनों के जोखिमों का

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The President of India / The Members of the Bank of India

Report on the Standalone Financial Statements:

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of Bank of India ('the Bank') as at March 31, 2018, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2018, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these standalone financial statements are the returns of:

   a. The Head office, 20 branches and Treasury Branch audited by us;

   b. 2,735 domestic branches audited by other auditors; and

   c. 29 foreign branches audited by local auditors.

   The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

   Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2,371 domestic branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 5.31% of advances, 16.49% of deposits, 4.47% of interest income and 15.65% of interest expenses.

Management's Responsibility for the Standalone financial statements:

2. The Bank's Management is responsible for the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the requirement of Reserve Bank of India, provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, recognised accounting practices including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal controls and risk management systems relevant to the preparation of the standalone financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility:

3. Our responsibility is to express an opinion on these standalone financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the standalone financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including

आकलन शामिल है। इन जोखिम आकलनों को करने में , इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने हेतु बैंक की तैयारी एवं वित्तीय विवरणियों की न्याय संगत प्रस्तुति हेतु संगत आंतरिक नियंत्रणों पर लेखा परीक्षक विचार करता है न कि बैंक की आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए। किसी लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

5. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं ।

अभिमत

6. हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं बैंक की बहियों में दर्शाए गए के अनुसार :

   ए) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और उस पर टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र आवश्यक विवरणों वाला पूर्ण और उचित तुलन-पत्र है और सही तरीके से तैयार किया गया है ताकि यथा 31 मार्च, 2017 को बैंक की गतिविधियों का भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत हो;

   बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और उस पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि खाता, खाते द्वारा कवर किए गए वर्ष के लिए, सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप लाभ का सही तुलन दर्शाता है; और

   सी) नकदी प्रवाह विवरण, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही व उचित दृश्य प्रस्तुत करता है।

इस मामले का प्रभाव -

7. हमारी राय पर शर्त रखे बिना, हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

   ए) अतिरिक्त टियर I स्थायी बेसिल III मानकों का अनुपालन करने वाले बॉण्ड्स पर ब्याज के भुगतान के लिए राजस्व आरक्षित निधि से आहरण से संबंधित अनुसूची 18 वित्तीय विवरण का नोट सं.4

   बी) 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के लिए एएफएस एवं एचएफटी में संघटित (held) निवेश पर बाजार हानि को चिह्नित करने के प्रावधानीकरण को स्प्रेड करने हेतु बैंकों को अनुमति देने की आरबीआई की व्यवस्था से संबंधित अनुसूची 18 की वित्तीय विवरणी नोट सं. 5.2

   सी) उपदान (gratuity) सीमाओं में अभिवृद्धि की वजह से अतिरिक्त देयता को स्प्रेड करने हेतु बैंकों को अनुमति देने की आरबीआई की व्यवस्था से संबंधित अनुसूची 18 की वित्तीय विवरणी का नोट सं. 9.K

the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the standalone financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the standalone financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion:

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   a. the Balance Sheet, read with significant accounting policies and notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2018 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

   b. the Profit and Loss Account, read with significant accounting policies and notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

   c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter:

7. Without qualifying our opinion, we draw attention to:

   a. Note No. 4 of Schedule 18 to the financial statements regarding withdrawal from Revenue Reserve for payment of interest on Additional Tier I Perpetual Basel III Compliant Bonds.

   b. Note No. 5.2 of Schedule 18 to the financial statements regarding RBI dispensation permitting banks to spread provisioning to Mark to Market losses on investment held in AFS and HFT for the quarter ended 31st March 2018.

   c. Note No. 9.k of Schedule 18 to the financial statements regarding RBI dispensation permitting banks to spread additional liability on account of enhancement in gratuity limits.

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट :-

8. स्टैंडअलोन तुलनपत्र और लाभ और हानि खाता, क्रमश: बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'ए' एवं 'बी' में तैयार किए गए हैं।

9. उक्त पैरा 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं

अंतरण) अधिनियम, 1970 की आवश्यकताओं के अनुसार एवं इसमें अपेक्षित प्रकटन सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी) बैंक के लेन-देन जो हमारी जानकारी में आए हैं वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं; और

सी) बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पायी गयी हैं।

10. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

ए) इस रिपेर्ट में उल्लिखित स्टैंडअलोन तुलनपत्र और स्टैंडअलोन लाभ-हानि खाता, बही खातों और विवरणियों से मेल खाते हैं।

बी) बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किए गए शाखा/ कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें प्रेषित की गयी है एवं इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से कार्रवाई की गयी है।

सी) हमारी राय में, स्टैंडअलोन तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

8. The Standalone Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

   b. The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank; and

   c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. We further report that.

   a. The standalone Balance Sheet and standalone Profit & Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and returns.

   b. The reports on the accounts of the branch/offices audited by the branch auditors of the bank under Section 29 of the Banking Regulation Act 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.

   c. In our opinion, the standalone Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते जी.डी.आपटे एण्ड कं.
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515W) (FRN 100515W)

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
सदस्यता सं.121546 M. No. 121546

कृते एनबीएस एण्ड कं.
For NBS. & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)

प्रदीप शेट्टी
Pradeep Shetty
भागीदार Partner
सदस्यता सं.046940 M. No. 046940

कृते बंशी एण्ड एसोसिएट्स
For Banshi Jain & Associates.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)

पराग जैन
Parag Jain
भागीदार Partner
सदस्यता क्र.078548 M. No. 078548

स्थान Place : मुंबई Mumbai
दिनांक Date : 28 मई, 2018 May 28, 2018

यह पृष्ठ खाली छोड़ा गया है
THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK

बैंक ऑफ़ इंडिया

समेकित वित्तीय विवरण

यथा 31 मार्च, 2018

BANK OF INDIA

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As at 31st March, 2018

समेकित तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2018
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2018

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	यथा As at 31-03-2018 ₹	यथा As at 31-03-2017 ₹
I. पूँजी एवं देयताएं	I. CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी	Capital	1	17,437,175	10,554,342
आरक्षिती एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	350,127,640	308,519,085
शेयर आवेदन रकम	Share Application Money		0	17,219,175
अल्पसंख्यक हित	Minorities Interest	2A	1,591,471	809,809
जमाराशियां	Deposits	3	5,229,969,037	5,423,521,148
उधार	Borrowings	4	435,982,553	394,914,169
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities and provisions	5	116,735,522	164,721,781
कुल	TOTAL		6,151,843,398	6,320,259,509
II. आस्तियां	II. ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	315,751,890	275,444,352
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	Balances with Banks and money at call and short notice	7	644,490,435	689,202,737
निवेश	Investments	8	1,403,210,710	1,307,512,629
अग्रिम	Advances	9	3,432,889,205	3,683,287,647
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	83,498,563	85,457,781
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	272,002,595	279,354,363
कुल	TOTAL		6,151,843,398	6,320,259,509
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	3,427,636,769	3,599,474,225
वसूली के लिए बिल	Bills for collection		321,051,500	316,252,174
लेखे संबंधी महत्वपूर्ण	Significant Accounting Policies	17		
लेखांकन नीति नोट	Notes to Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तूलन-पत्र का अभिन्न अंग है
The schedules referred to above form and integral part of the Balance Sheet.
तुलन-पत्र, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'ए' के अनुसार तैयार किया गया है।
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

जी. पद्मनाभन	**दीनबंधु मोहापात्रा**	**एन. दामोदरन**	**ए. के. दास**	**सी.जी. चैतन्य**	**के.वी. राघवेन्द्र**
G. Padmanabhan	**Dinabandhu Mohapatra**	**N. Damodharan**	**A.K. Das**	**C.G. Chaitanya**	**K.V. Raghavendra**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

गिरीश चंद्र मुर्मू	आर सेबास्टियन	वेनी थापर	डी सरकार	डी हरीश
Girish Chandra Murmu	R Sebastian	Veni Thapar	D Sarkar	D Harish

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते मेसर्स. जी.डी.आपटे एण्ड कं.	कृते एनबीएस एण्ड कं.	कृते बंसी जैन एण्ड एसोशिएटस
For G D Apte & Co.	For NBS. & Co.	For Banshi Jain & Associates.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515W) (FRN 100515W)	(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)	(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)
सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe	प्रदीप शेट्टी Pradeep Shetty	पराग जैन Parag Jain
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
सदस्यता सं. 121546 M. No. 121546	सदस्यता सं. 046940 M. No. 046940	सदस्यता सं 078548 M. No. 078548

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 28 मई, 2018 / Date : 28th May 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

	विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2018 ₹	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2017 ₹
I.	आय	INCOME			
	अर्जित आय	Interest earned	13	383,127,982	395,852,334
	अन्य आय	Other income	14	58,458,900	68,194,503
	कुल	TOTAL		441,586,882	464,046,837
II.	व्यय	EXPENDITURE			
	व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	276,788,305	276,057,473
	परिचालगत व्यय	Operating expenses	16	92,651,886	89,749,548
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies	18[8(b)]	132,875,461	114,177,255
	कुल	TOTAL		502,315,652	479,984,276
	सहयोगि कंपनियों में अर्जन/(हानि) का हिस्सा	Share of earnings/(loss) in Associates	16A	911,615	1,022,263
	अल्पसंख्यको के हित की कटौती के पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities' interest		(59,817,155)	(14,915,176)
	घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित	Less: Minorities' Interest		(204,040)	(214,246)
	वर्ष के लिए समूह के संबंधित समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year attributable to the group		(59,613,115)	(14,700,930)
	जोडें: समूह के लिए आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)	Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		(85,852,891)	(63,653,488)
	कुल	TOTAL		(145,466,006)	(78,354,418)
III.	विनियोग	APPROPRIATIONS			
	सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		60,887	-
	निवेश घट-बढ़ आरक्षितियों को अंतरण	Transfer from Investment Fluctuation Reserve		-	-
	राजस्व आरक्षिति को / (से) अंतरण	Transfer to/ (from) Revenue Reserve		-	-
	पूँजी आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		3,617,600	7,498,473
	विशेष आरक्षिति (से)/को अंतरण - करेंसी स्वैप	Transfer (from) / to Special Reserve - Currency Swap		-	-
	अंतरिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Interim Dividend (including dividend tax)		-	-
	अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		-	-
	लाभांश कर - अनुषंगियों के लिए	Dividend Tax - for Subsidiary		-	-
	आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		-	-
	समेकित तुलन-पत्र में आगे लाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance Sheet		(149,144,493)	(85,852,891)
	कुल	TOTAL		(145,466,006)	(78,354,418)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नितियां	**Significant accounting policies**	17		
	लेखे पर नोट	**Notes to Accounts**	18		
	प्रति शेयर अर्जन (₹)	Earnings Per Share (₹)		-51.83	-14.83

ऊपर बताई गई अनुसूचियां लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।
The schedules referred to above form and integral part of the Profit and Loss Account.
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'बी' के अनुसार लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।
The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

जी. पद्मनाभन	दीनबंधु मोहापात्रा	एन. दामोदरन	ए. के. दास	सी.जी. चैतन्य	के.वी.राघवेन्द्र
G. Padmanabhan	**Dinabandhu Mohapatra**	**N. Damodharan**	**A.K. Das**	**C.G. Chaitanya**	**K.V. Raghavendra**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

गिरीश चंद्र मुर्मू	आर सेबास्टियन	वेनी थापर	डी सरकार	डी हरीश
Girish Chandra Murmu	R Sebastian	Veni Thapar	D Sarkar	D Harish

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते मेसर्स. जी.डी.आपटे एण्ड कं.	कृते एनबीएस एण्ड कं.	कृते बंसी जैन एण्ड एसोशिएटस
For G D Apte & Co.	For NBS. & Co.	For Banshi Jain & Associates.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515W) (FRN 100515W)	(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)	(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)
सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe	प्रदीप शेट्टी Pradeep Shetty	पराग जैन Parag Jain
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
सदस्यता सं. 121546 M. No. 121546	सदस्यता सं. 046940 M. No. 046940	सदस्यता सं 078548 M. No. 078548

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 28 मई, 2018 / Date : 28th May 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2018

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

विवरण		Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2018 ₹	वर्षान्त Year ended 31-03-2017 ₹
क. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:	A.	**Cash Flow from Operating Activities:**		
कर के पहले निवल लाभ		**Net Profit before taxes**	**(85,483,085)**	**(22,885,038)**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
निवेशों पर परिशोधन/ मूल्यह्रास		Amortisation / Depreciation on Investments	18,428,209	5,647,508
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on Fixed Assets	5,216,765	(72,330)
आस्तियों की बिक्री पर लाभ		Profit on sale of Assets	(528,326)	(955)
एनपीए के लिए प्रावधान		Provision for NPA	151,971,856	118,020,514
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	(6,711,789)	1,546,878
अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Other Assets	(1,201,026)	(380,354)
गौण बांड्स/आईपीडीआई, अपर टियर II, बांड्स पर ब्याज के लिए भुगतान/प्रावधान		Interest on Subordinated Bonds, IPDI. Upper Tier II Bonds	10,433,533	9,665,405
प्राप्त लाभांश		Dividend received	(74,829)	(339,350)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
जमाराशियों में बढ़/(घट)		Increase / (Decrease) in Deposits	(193,552,110)	266,296,348
उधार में बढ़/(घट)		Increase / (Decrease) in Borrowings	48,136,972	(140,684,400)
अन्य देयताओ और प्रावधानों में बढ़/(घट)		Increase / (Decrease)in Other Liabilities and Provisions	(38,779,474)	(3,484,081)
निवेश में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Investments	(113,214,675)	(85,928,787)
अग्रिमों में (बढ़)/घट		(Increase)/ Decrease in Advances	98,426,587	(188,289,253)
अन्य आस्तियों में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Other Assets	48,662,777	(36,888,746)
प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी		Direct Taxes (Paid)/Refund	(15,391,360)	11,535,862
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)		**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**(73,659,975)**	**(66,240,782)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	B.	**Cash Flow from Investing Activities :**		
अचल सम्पत्ति की खरीद		Purchase of Fixed Assets	(3,435,390)	(5,149,718)
अचल सम्पत्ति की बिक्री		Sale of Fixed Assets	891,594	2,292,231
प्राप्त लाभांश		Dividend received	74,829	339,350
सहायक कंपनियो समेकन का प्रभाव		Impact of consolidation of subsidiaries	(911,615)	(1,022,263)
अल्पसंख्यक हित		Minority Interest	781,662	(170,153)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)		**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(2,598,920)**	**(3,710,555)**
ग. वित्तपोषण गतिविधयों से नकदी प्रवाह:	C.	**Cash Flow from Financing Activities:**		
शेयर पूंजी		Share Capital	6,882,833	2,381,426
शेयर प्रीमियम		Share Premium	105,343,211	23,996,977
शेयर आवेदन रकम		Share Application Money	(17,219,175)	4,182,695
आईपीडीआई, गौण बांड, अपर टियर II बांड (निवल)		IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	(7,068,588)	24,565,850
लाभांश प्रदत्त		Dividend paid	-	–
आईपीडीआई, गौण बांड, अपर टियर II बांड पर ब्याज भुगतान		Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(16,084,150)	(15,575,705)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**71,854,131**	**39,551,244**
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (ए)+(बी)+(सी)		**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**(4,404,764)**	**(30,400,093)**
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year**	**964,647,089**	**995,047,182**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**960,242,325**	**964,647,089**

विवरण	Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2018 ₹	वर्षान्त Year ended 31-03-2017 ₹
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्यों का समाधान	**Reconciliation of Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष (अनुसूची 6)	Cash and balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	315,751,890	275,444,352
बैंको में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (अनुसूची 7)	Balances with Banks and money at call and short notice (Schedule 7)	644,490,435	689,202,737
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**960,242,325**	**964,647,089**

नकदी एवं नक़दी समतुल्य के अनुसार नकद प्रवाह विवरण में आरबीआई और अन्य बैंक(जमाराशियों सहित) के चालू खातों में शेष,एटीएम में एवं हाथ में नक़दी और मांग पर एवं अल्प सूचना पर जिसको आसानी से नक़द में बदला जा सकता है , को शामिल किया जाता है।

Cash and cash equivalent as per cash flow statement comprises of cash in hand, in ATM, balances in current account with RBI and other Banks (including deposits) and money at call and short notice which can be readily convertible into cash.

जी. पद्मनाभन G. Padmanabhan अध्यक्ष Chairman	दीनबंधु मोहापात्रा Dinabandhu Mohapatra प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO	एन. दामोदरन N. Damodharan कार्यपालक निदेशक Executive Director	ए. के. दास A.K. Das कार्यपालक निदेशक Executive Director	सी.जी.चैतन्य C.G. Chaitanya कार्यपालक निदेशक Executive Director	के.वी.राघवेन्द्र K.V. Raghavendra मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

गिरीश चंद्र मुर्मू Girish Chandra Murmu	आर सेबास्टियन R Sebastian	वेनी थापर Veni Thapar	डी सरकार D Sarkar	डी हरीश D Harish

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते मेसर्स. जी.डी.आपटे एण्ड कं. For G D Apte & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 100515W) (FRN 100515W) सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe भागीदार Partner सदस्यता सं. 121546 M. No. 121546	कृते एनबीएस एण्ड कं. For NBS. & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 110100W) (FRN 110100W) प्रदीप शेट्टी Pradeep Shetty भागीदार Partner सदस्यता सं. 046940 M. No. 046940 स्थान : मुंबई / Place : Mumbai दिनांक : 28 मई, 2018 / Date : 28th May 2018	कृते बंसी जैन एण्ड एसोशिएटस For Banshi Jain & Associates. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 100990W) (FRN 100990W) पराग जैन Parag Jain भागीदार Partner सदस्यता सं 078548 M. No. 078548

समेकित तुलन पुत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2018 ₹	पर यथा As at 31-03-2017 ₹
अनुसूचि - 1 : पूँजी	**SCHEDULE- 1 : CAPITAL**		
प्राधिकृत	**AUTHORISED**		
300,00,00,000 (पिछले वर्ष 300,00,00,000) ₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	300,00,00,000 (Previous year 300,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10 each	**30,000,000**	**30,000,000**
जारी एवं अभिदत्त	**ISSUED AND SUBSCRIBED**		
पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 174,41,55,469 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 105,58,72,204)	174,41,55,469 Equity Shares (Previous year ended 105,58,72,204) of ₹10 each	17,441,555	10,558,722
कुल	**TOTAL**	**17,441,555**	**10,558,722**
प्रदत्त पूँजी	**PAID-UP CAPITAL**		
पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 174,29,78,369 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 105,46,95,104)	174,29,78,369 Equity Shares (Previous year ended 105,46,95,104) of ₹10 each fully paid-up.	17,429,784	10,546,951
जोडें : जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7391	7,391
कुल	**TOTAL***	**17,437,175**	**10,554,342**
* उपर्युक्त में से 144,82,98,073 के पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 77,75,14,808) प्रत्येक ₹10 के ₹1448.30 करोड़ (पिछले वर्ष की समाप्ति पर ₹ 777.51 करोड़) केन्द्र सरकार द्वारा धारित हैं।	* Of the above, 144,82,98,073 Equity Shares (Previous year ended 77,75,14,808) of ₹10 each fully paid up amounting to ₹1448.30 crores (Previous year ended ₹777.51 crores) is held by Central Government;		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS**		
I. कानूनी आरक्षितियां :	**I. Statutory Reserve :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	71,019,233	70,868,842
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	57,887	150,391
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**71,077,120**	**71,019,233**
II. पूँजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves :**		
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve:		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	57,437,804	60,067,630
जोड: परिसर के पुनर्मूल्यांकन पर वर्ष के दौरान जोड़े गए	Add : Additions during the year on revaluation of premises	23,680	(16,389,870)
घटाएं : संपत्ति का पुनर्मुल्यांकन	Less: Revaluation of Property	(146,734)	259372
घटाएं : पुनर्मूल्यांकन की वजह से मूल्यह्रास/समायोजन	Less: Depreciation / adjustments on account of revaluation	1,560,864	(14,019,417)
(ए) का कुल	**Total of (A)**	**56,047,354**	**57,437,804**
बी) अन्य	B) Others:		
i) पूंजी मोचन आरक्षिति	i) Capital Redemption Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	5,000	0
जोड़ें/घटाएं: परिवर्धन/कटौतियां	Add /Less: Additions/deductions	0	5,000
(i) का उप-जोड	Sub-total of (i)	**5,000**	**5,000**
ii) ''परिपक्वता तक धारित'' निवेशों को बिक्री पर लाभ	ii) Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	18,782,638	11,284,165
जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	3,617,599	7,498,473
(ii) का उप-जोड	Sub-total of (ii)	**22,400,237**	**18,782,638**
iii) समेकन पर पूजी आरक्षिति	iii) Capital Reserve on Consolidation		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	268,264	294,736
जोडें : वर्ष के दौरान समायोजन	Add: Adjustment during the year	0	(26,472)
(iii) का उप-जोड	Sub-total of (iii)	**268,264**	**268,264**
iv) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति	iv) Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	14,002,486	17,498,968
जोडें/ (घटाएं) :वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Adjustments during the year (Net)	3,363,029	(3,496,483)
(iv) का उप-जोड	Sub-total of (iv)	**17,365,515**	**14,002,485**
v) विशेष आरक्षिति - मुद्रा स्वैप	v) Special Reserve - Currency Swaps		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	0	0
जोडें/(घटाएं): वर्ष के दौरान कटौतियां	Add/(Less):Deductions during the year	0	0
(v) का उप-जोड	Sub-total of (v)	**0**	**0**
जोड (बी)	**Total of (B)**	**40,039,016**	**33,058,387**
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**96,086,370**	**90,496,191**

समेकित तुलन पुत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2018 ₹	पर यथा As at 31-03-2017 ₹
अनुसूची - 2 : अरक्षितियां एवं अधिशेष (जारी)	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)**		
III. शेयर प्रिमियम :	**III. Share Premium :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	115,262,466	88,933,771
वर्ष के दौरान परिवर्धन (इक्विटी का अधिमानी निर्गम)	Additions during the year (Preferential Issue of Equity)	105,343,211	26,328,696
जोडें : विलोपित जब्त शेयर	Add: On forfeited shares annulled	0	0
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**220,605,677**	**115,262,467**
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षिति:	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	95,894,085	105,252,611
जोडें: प्रतिलेखित कर हेतु अतिरिक्त प्रावधान	Add: Excess Provision for dividend written back	0	0
जोडें/ (घटाएं): समायोजन	Add / (Less): Adjustments	(6,091,117)	(9,358,526)
(i) का जोड	Total of (i)	**89,802,968**	**95,894,085**
ii) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	21,700,000	21,700,000
जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	0	0
(ii) का कुल	Total of (ii)	**21,700,000**	**21,700,000**
जोड (IV)	**TOTAL (IV)**	**111,502,968**	**117,594,085**
V. समेकित लाभ-हानि खाते में शेष	**V. Balance in Consolidated Profit and Loss Account**	**(149,144,495)**	**(85,852,891)**
जोड (I से V)	**TOTAL (I TO V)**	**350,127,640**	**308,519,085**
अनुसूची - 2ए : अल्पसंख्यक हित	**SCHEDULE - 2A : MINORITIES INTEREST**		
उस तारीख को अल्पसंख्यक हित जब मूल कंपनी - सहायक कंपनी संबंध अस्तित्व में आए परवर्ती वृद्धि/(कमी)	Minority interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	471,356	471,356
परवर्ती वृद्धि/(कमी	Subsequent increase / (decrease)	1,120,115	338,453
तुलन-पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित	Minority interest on the date of Balance Sheet	**1,591,471**	**809,809**
अनुसूची - 3 : जमाराशियां	**SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**		
ए. I. मांग जमाराशियां :	**A. I. Demand Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	6,486,096	9,778,004
ii) अन्य से	ii) From Others	289,030,059	275,762,910
जोड (I)	**TOTAL (I)**	**295,516,155**	**285,540,914**
II. वचत बैंक जमाराशियां	**II. Savings Bank Deposits**	**1,482,756,278**	**1,440,573,363**
III. मीयादी जमाराशियां :	**III. Term Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	457,872,520	564,136,821
ii) अन्य से	ii) From Others	2,993,824,084	3,133,270,050
जोड (III)	**TOTAL (III)**	**3,451,696,604**	**3,697,406,871**
जोड ए (I to III)	**TOTAL A (I to III)**	**5,229,969,037**	**5,423,521,148**
बी. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां	B) i) Deposits of branches in India	4,211,636,585	4,234,162,252
ii) भारत के बाहर को शाखाओं की जमाराशियां	ii) Deposits of branches outside India	1,018,332,452	1,189,358,896
जोड (बी)	**TOTAL (B)**	**5,229,969,037**	**5,423,521,148**
अनुसूची - 4 : उधार	**SCHEDULE - 4 : BORROWINGS**		
I. भारत में उधार:	**I. Borrowings in India:**		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i. Reserve Bank of India	133,580,000	0
ii) अन्य बैंक	ii. Other Banks		
क. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	5,428,000	6,802,000
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	50,000	640,000
घ. अन्य	c. Others	0	0
जोड (ii)	**Total (ii)**	**5,478,000**	**7,442,000**

समेकित तुलन पुत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2018 ₹	पर यथा As at 31-03-2017 ₹
अनुसूची - 4 : उधार (जारी)	**SCHEDULE - 4 : BORROWINGS (contd.)**		
iii) **अन्य संस्थाएं और एजेन्सियां**	III) **Other Institutions and Agencies**		
क. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	59,822,000	59,998,000
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	104,950,000	104,360,000
घ. अन्य	c. Others	6,515,053	52,523,479
जोड (iii)	**Total (iii)**	**171,287,053**	**216,881,479**
जोड (I)	**Total (I)**	**310,345,053**	**224,323,479**
II. भारत के बाहर से उधार	**II. Borrowings outside India**		
क. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	0	5,518,588
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	0	0
घ. अन्य	c. Others	125,637,500	165,072,102
जोड (II)	**Total (II)**	**125,637,500**	**170,590,690**
जोड (I एवं II)	**Total (I & II)**	**435,982,553**	**394,914,169**
ऊपर सम्मिलित प्रतिभूति उधार	Secured borrowings included in above	0	**0**
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I. देय बिल	I. Bills Payable	13,796,839	14,432,960
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	0	0
III. उपार्जित ब्याज	III. Interest Accrued	21,656,386	24,090,422
VI. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax liability	1,837	943
VII. अन्य	V. Others	81,280,460	126,197,455
जोड	**TOTAL**	**116,735,522**	**164,721,781**
अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	**SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I. हाथ में नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित)	I. **Cash in hand** (including foreign currency notes & Gold)	25,939,533	20,284,473
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष:	**II. Balances with Reserve Bank of India : ***		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	289,638,803	255,131,987
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	173,554	27,892
जोड (II)	TOTAL (II)	**289,812,357**	**255,159,879**
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**315,751,890**	**275,444,352**
*** भारत के वाहर केन्द्रीय बैंकों में शेष सहित**	* Including balances with Central Banks outside India		
अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
I. भारत में :	**I. In India :**		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with Banks		
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	1,472,942	1,457,091
ख) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	55,053,384	17,778,491
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	ii) Money at call and short notice		
क) बैंकों में	a) With Banks	0	0
ख) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	60,000,000	195,000,000
जोड (I)	**TOTAL (I)**	**116,526,326**	**214,235,582**
II. भारत के बाहर :	**II. Outside India :**		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	3,000,802	4,050,008
ii) अन्य जमाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	303,024,104	301,328,009
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	iii) Money at call and short notice	221,939,203	169,589,139
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**527,964,109**	**474,967,155**
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**644,490,435**	**689,202,737**

समेकित तुलन पुत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2018 ₹	पर यथा As at 31-03-2017 ₹
अनुसूची - 8 : निवेश	**SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS**		
I. भारत में निवेश:	**I. Investments in India :**		
i) सरकारी प्रतिभूति	i) Government Securities	1,192,639,845	1,121,413,414
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	977,558	987,503
iii) शेयर	iii) Shares	19,714,736	20,952,272
iv) डिबेंचर एवं बंधपत्र	iv) Debentures and Bonds	82,506,265	66,093,979
v) सहायक कंपनियों में निवेश	v) Investment in Associates	14,493,542	13,665,247
vi) अन्य	vi) Others	32,028,922	31,956,366
जोड (I)	**TOTAL (I)**	**1,342,360,868**	**1,255,068,782**
II. भारत के बाहर निवेश:	**II. Investments outside India :**		
i) सरकारी प्रतिभूति (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	31,432,691	25,237,495
ii) डिबेंचर एवं बंधपत्र	ii) Debentures & Bonds	-	0
iii) सहायक कंपनियों में निवेश	iii) Investment in Associates	1,300,328	1,217,007
iv) अन्य	iv) Others	28,116,823	25,989,346
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**60,849,842**	**52,443,847**
TOTAL (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**1,403,210,710**	**1,307,512,629**
III. भारत में निवेश :	**III. Investments in India :**		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	1,377,361,036	1,265,063,333
ii) मूल्यह्रास हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	35,000,168	9,994,551
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	**1,342,360,868**	**1,255,068,782**
IV भारत के बाहर निवेश:	**IV. Investments outside India :**		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	61,089,930	57,823,863
ii) मूल्यह्रास हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	240,088	5,380,016
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	**60,849,842**	**52,443,847**
TOTAL (III & IV)	**TOTAL (III & IV)**	**1,403,210,710**	**1,307,512,629**
अनुसूची - 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
ए. i) खरीदे गए बिल और बट्टाकृत बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	450,852,778	547,777,803
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,429,043,350	1,490,005,570
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	1,552,993,077	1,645,504,274
कुल (ए)	**TOTAL (A)**	**3,432,889,205**	**3,683,287,647**
बी. अग्रिम का विवरण	**B. Particulars of Advances :**		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के निमित्त अग्रिम शामिल है)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	2,351,484,894	2,369,112,188
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	413,412,715	628,398,738
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	667,991,596	685,776,721
जोड (बी)	**TOTAL (B)**	**3,432,889,205**	**3,683,287,647**
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण	**C. Sectoral Classification of Advances :**		
I. भारत में अग्रिम	**I. Advances in India**		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	1,015,893,551	954,638,291
घटाएं : अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (निवल)	Less: Inter-Bank Participation Certificates (Net)	0	0
निवल	Net	1,015,893,551	954,638,291
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	474,814,830	307,667,025
iii) बैंक	iii) Banks	450,652	23,105,999
iv) अन्य	iv) Others	1,166,360,744	1,339,740,852
कुल (i,ii,iii,iv)	Total (i,ii,iii,iv)	**2,657,519,777**	**2,625,152,168**
जोडे/ (घटाए): अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (निवल)	Add / (Less) : Inter-Bank Participation Certificates (Net)	**0**	0
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**2,657,519,777**	**2,625,152,168**
II. भारत के बाहर अग्रिम	**II Advances outside India :**		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	355,314,731	434,310,123
II) अन्यों से देय	II) Due from others		
क) खरीदे गए बिल और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	12,812,292	19,566,146
ख) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	159,707,915	218,109,206
ग) अन्य	c) Others	247,534,490	386,150,004
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**775,369,428**	**1,058,135,479**
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**3,432,889,205**	**3,683,287,647**

समेकित तुलन पुत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2018 ₹	पर यथा As at 31-03-2017 ₹
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS**		
I. परिसर :	**I. PREMISES :**		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	16,984,278	16,336,193
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions /Adjustments during the year	894,490	778,808
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	343	130,724
उप-जोड	Sub-total	17,878,425	16,984,278
पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक जोड	Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	59,052,451	58,836,015
घटाएं : इस तारीख को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन के कारण ₹ 3560803 सहित - पिछले वर्ष में ₹ 1968928)	Less : Depreciation to date (including ₹ 3560803 on account of revaluation - Previous year ₹ 1968928)	7,118,037	5,086,632
जोड (I)	**TOTAL (I)**	69,812,839	70,733,660
II. अन्य अचल आस्तियां	**II. OTHER FIXED ASSETS :**		
(फर्निचर एवं फिक्स्चर सम्मिलित है)	(including Furniture and Fixtures)		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	30,731,446	29,103,374
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions /Adjustments during the year	2,925,425	4,315,420
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	289,823	2,687,347
उप-जोड	Sub-total	33,367,048	30,731,447
घटाएं: इस तारीख को मूल्यह्रास	Less: Depreciation to date	21,263,421	17,973,948
जोड (II)	TOTAL (II)	**12,103,627**	**12,757,499**
III. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	**III. CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**1,582,097**	**1,966,622**
जोड (I से III)	**TOTAL (I to III)**	**83,498,563**	**85,457,781**
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	I. Inter Office Adjustment (Net)	10,036,968	31,090,635
II. उपचित ब्याज	II. Interest Accrued	29,289,228	27,550,967
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटे गए कर (निवल)	III. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net)	12,798,231	9,455,292
IV. लेखन सामग्री और स्टैम्प	IV. Stationery and Stamps	60,961	50,564
V. आस्थगित कर आस्तियां	V. Deferred Tax Assets	92,140,211	54,172,137
VI. अन्य	VI. Others	127,676,996	157,034,767
जोड	**TOTAL**	**272,002,595**	**279,354,363**
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**		
I. बैंक के विरुद्ध दावें जिन्हे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	13,938,129	11,278,319
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	II. Liability for partly paid Investments	233,461	382,408
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	2,717,635,524	2,825,216,536
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
क) भारत में	a. In India	220,574,203	207,526,315
ख) भारत के बाहर	b. Outside India	182,559,970	211,397,760
V. स्वीकार, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	V. Acceptances, endorsements and other obligations	201,313,441	195,568,900
VI. ब्याज दर स्वैप	VI. Interest Rate Swaps	83,298,574	141,706,565
VII. अन्य मदे जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	8,083,467	6,397,422
जोड	**TOTAL**	**3,427,636,769**	**3,599,474,225**

समेकित लाभ एवं हानि खाता की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2018 ₹	समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2017 ₹
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश	**SCHEDULE - 13 : INTEREST AND DIVIDENDS EARNED**		
I. अग्रिमों/बिल पर ब्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	254,519,042	273,927,664
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	92,007,866	91,316,053
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	27,692,497	20,299,324
IV. अन्य	IV. Others	8,908,577	10,309,292
जोड	**TOTAL**	**383,127,982**	**395,852,334**
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	13,469,161	13,377,399
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	II. Profit on sale of Investments	14,423,736	33,036,993
घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि	Less : Loss on sale of investment.	0	0
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	III. Profit on sale of land, buildings and other assets	528,326	955
घटाएं : अचल आस्तियों के विक्रय पर नुकसान	Less : Loss on sale of fixed assets	0	0
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ - निवल	IV. Profit on exchange transactions - net	14,069,730	11,824,838
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर नुकसान	Less : Loss on exchange transaction	0	0
V. अनुषंगियों/कंपनियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V. Income Earned by way of dividend etc. on subsidiaries/companies and /or/ joint ventures	74,829	339,350
VI. विविध आय	VI. Miscellaneous Income	15,893,118	9,614,968
जोड	**TOTAL**	**58,458,900**	**68,194,503**
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**		
I. जमाओं पर ब्याज	I. Interest on Deposits	244,348,419	245,658,907
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक बैंक उधारों ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	22,113,102	20,094,273
III. गौण ऋणों, आईआरएस इत्यादि पर ब्याज	III. Interest on Subordinated Debts, IRS etc.	10,326,784	10,304,294
जोड	**TOTAL**	**276,788,305**	**276,057,473**
अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	49,631,725	54,490,587
II. किराया, कर एवं बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting	6,896,170	6,793,080
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery	772,922	809,669
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	262,039	451,789
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन आरक्षितियों पर निवल मूल्यह्रास)	V. Depreciation on Bank's property (Net of Depreciation on Revaluation Reserve)	5,216,765	(72,330)
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	41,076	33,419
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय)	VII. Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors' Fees & Expenses)	724,030	910,164
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	474,679	378,443
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	1,129,377	1,282,398
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance	668,718	663,949
XI. बीमा	XI. Insurance	5,185,313	4,264,060
XII. अन्य खर्च	XII. Other Expenditure	21,649,072	19,744,320
जोड	**TOTAL**	**92,651,886**	**89,749,548**
अनुसूची - 16 A : सहयोगी कंपनी में उपार्जन/ हानि का अंश	**SCHEDULE - 16 A : SHARE OF EARNINGS / LOSSES IN ASSOCIATES**		
I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	I. Regional Rural Banks (RRBs)	491,015	482,346
II. अन्य	II. Others	420,600	539,917
जोड	**TOTAL**	**911,615**	**1,022,263**

कार्यसूची 17 :

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (समेकित वित्तीय विवरणियां)

1. लेखांकन परिपाटी :

वर्तमान के ध्यातव्य सिद्धान्त तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व के लागत के आधार पर संलग्न समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है जो वस्तुत: 'सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों' (जीएएपी) के सभी पक्षों का पालन करते हैं। इसके साथ-साथ ये लागू विधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित विनियामक नियमों, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण(आईआरडीएआई), कंपनी अधिनियम 2013, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेशों, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाओं को भी शामिल करते हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है, यदि इन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

प्रबंधन के लिए वित्तीय विवरणी की तैयारी के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किये गये आकलन उचित तथा तार्किक हैं। तथापि वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्य में उल्लिखित किया जाता है।

2. समेकन का आधार

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किये गये है:-

ए) बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) एवं उसकी अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियाँ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीआई) द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक (एएस) 21 के अनुसार तैयार किये गये हैं। ऐसा पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया जाता है तथा इसमें आस्ति, देयताएं, आय तथा आंतर समूह संव्यवहार हटाकर व्यय, शेष राशि, उगाही रहित लाभ/हानि को जोड़ा जाता है तथा एकरूप लेखांकन का पालन करने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण प्रकृति का आवश्यक समायोजन किया जाता है।

बी) अनुषंगियों में मूल बैंक के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में मूल बैंक के शेयर को गुडविल/आरक्षित पूँजी के रूप में मान्यता दी जाती है। निर्धारित होने के तुरंत बाद यदि कुछ गुडविल हो तो उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

सी) समेकित वित्तीय विवरणी में अल्प संख्यक हित अनुषंगियों की निवल इक्विटी में अल्प संख्यक शेयरधारकों के शेयर के रूप में है।

डी) सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)23 "समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक कम्पनियों में निवेश का लेखांकन" के अनुसार इक्विटी पद्धति से किया जाता है।

ई) संयुक्त उद्यमों में निवेशों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)27 "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार "आनुपातिक आधार" पर की जाती है।

SCHEDULE 17:

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Consolidated Financial Statements)

1) ACCOUNTING CONVENTION:

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Companies Act 2013, Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevailing in India. In respect of foreign offices/ branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

2) BASIS OF CONSOLIDATION:

Consolidated financial statements of the group have been prepared on the basis of:

a) The financial statements of Bank of India (the Parent bank) and its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/loss and making necessary adjustments of material nature wherever required to conform to uniform accounting.

b) The difference between cost to the parent bank of its investment in the subsidiaries and Parent bank's share in the equity of the subsidiaries is recognised as goodwill/ capital reserve. Goodwill, if any, is written off immediately on its recognition.

c) Minority interest in the Consolidated Financial Statement consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.

d) Accounting for Investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by ICAI.

e) Accounting for Investments in Joint Venture are consolidated on "Proportionate basis" as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by ICAI.

3. आय की निर्धारण:

3.1 बैंकिंग निकाय

क. आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है, यदि अन्यथा न उल्लिखित हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय निर्धारित की जाती है।

ख. अनर्जक आस्तियों पर ब्याज को छोड़कर आय का निर्धारण समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ग. बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी करने पर कमीशन का निर्धारण बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।

घ. अन्य सभी कमीशन एवं विनिमय, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों की उगाही होने पर आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।

ड़. ''परिपक्वता तक धारित"श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अतिरिक्त) जिसे उसके अंकित मूल्य पर प्राप्त छूट के बाद खरीदा गया था, उस पर निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जाती है:-

i. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर केवल बिक्री/मोचन के समय ही इसका निर्धारण किया जाता है।

ii. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों में स्थिर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर इसका लेखांकन किया जाता है।

घ. निवेशों की बिक्री में हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री के मामले में करों तथा सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण करने हेतु आवश्यक राशि छोड़कर, इसके बराबर की राशि "आरक्षित पूँजी खाते" में विनियोजित की जाती है।

च. जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तब लाभांश को आय के रूप पहचाना जाता है।

ज. निर्धारण आदेश जारी होने के वर्ष में आयकर वापसी पर ब्याज, आय के रूप में पहचाना जाता है।

झ. एन.पी.ए. खातों से वसूली के मामलों में सर्वप्रथम अप्राप्त ब्याज/उधारकर्ताओं के खाते से नामे आय के मद में विनियोजन किया जाता है, उसके बाद व्यय/जेब से किये गये खर्चे, तत्पश्चात् मूलधन का बकाया तथा अंत में अप्रभारित ब्याज के मद में विनियोजन किया जाता है।

3.2 गैर बैंकिंग निकाय :

बीमा

क) प्रीमियम आय :

प्राप्य होने पर गैर-सम्बद्ध व्यवसाय के लिए राइडर प्रीमियम सहित प्रीमियम आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। सहायक इकाइयों के सृजित होने पर सम्बद्ध व्यवसाय के लिए प्रीमियम निर्धारित किया जाता है। सेवाकर काटकर प्रीमियम निर्धारित किया जाता है। व्यपगत पॉलिसी पर प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है, जब वैसी पॉलिसियाँ पुन: आरंभ की जाती हैं।

टॉप-अप प्रीमियम को एक प्रीमियम माना जाता है तथा सहायक इकाइयाँ सृजित करने पर उन्हें एक प्रीमियम माना जाता है।

ख) पॉलिसी के विरुद्ध ऋणों पर ब्याज उपचय के आधार पर पहचाना जाता है।

3) REVENUE RECOGNITION:

3.1 Banking entities:

(a) Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/ Expenditure is recognised as per local laws/ standards of host country.

(b) Interest income is recognised on time proportion basis except interest on Non-performing Assets.

(c) Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is recognised over the tenure of BG/LC.

(d) All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

(e) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

i. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

ii. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

(f) Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. As per RBI guidelines, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount, net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves, is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

(g) Dividend is recognised when the right to receive the dividend is established.

(h) Interest on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

(i) The recoveries made from NPA accounts are appropriated first towards unrealised interest/income debited to borrowers accounts, expenditure/out of pocket expenses incurred, then principal dues and lastly towards uncharged interest.

3.2 Non Banking entities:

Insurance

a) Premium Income:

Premium including rider premium for non-linked business is recognised as income when due. Premium for linked business is recognised when the associates units are created. Premium is recognised net of taxes as applicable. Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Top up premium is considered as single premium and recognised as income when associated units are created.

b) Interest on loans against policies is recognized for on accrual basis.

ग) निवेश पर ब्याज आय उपचय के आधार पर पहचाना जाता है।

घ) **परिशोधित आय/लागत**

असम्बद्ध निवेशों से संबंधित कर्ज प्रतिभूति/निश्चित आय प्रतिभूति के संबंध में अधिग्रहण पर प्रीमियम या डिस्काउन्ट, जैसा भी मामला हो, परिपक्वता/धारित की अवधि पर सीधी रेखा आधार पर परिशोधित की जाती है और ब्याज आय के निमित्त समायोजित की जाती है।

ड.) **लाभांश**

उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश आय पूर्व-लाभांश तारीख को पहचाना जाता है तथा गैर-उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश आय तब पहचाना जाता है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित जाता है।

च) **सम्बद्ध निधियों से आय**

पॉलिसी की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सम्बद्ध निधियों से निधि प्रबंधन शुल्क, पॉलिसी प्रशासनिक शुल्क, मॉर्टैलिटी शुल्क आदि सहित सम्बद्ध निधियों से आय तथा जब वसूली जाती है तब निर्धारित की जाती है।

छ) **सम्बद्ध कारोबार हेतु ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि)**

व्यय को छोड़कर बिक्री तथा बही लागत का अंतर सम्बद्ध व्यवसाय के लिए कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। इसे बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर परिकलित किया जाता है।

ज) **असम्बद्ध कारोबार हेतु ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि)**

व्यय को छोड़कर बिक्री तथा परिशोधन लागत का अंतर असम्बद्ध व्यवसाय के लिए कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। इसे बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर परिकलित किया जाता है।

झ) **इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)/ अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड (एटी 1) की बिक्री पर लाभ/हानि**

व्यय को हटाकर बिक्री तथा बिक्री के दिन भारित औसत आधार पर निर्धारित बही लागत का अंतर, इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड इकाइयों/ईटीएफ/अतिरिक्त टियर 1 परपेचुअल बॉन्ड की बिक्री पर लाभ/(हानि) है। (म्यूचुअल फंड, ईटीएफ की बिक्री पर गणना नवीनतम उपलब्ध एनएवी पर होगी।)

असम्बद्ध व्यवसाय के मामले में "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" के अंतर्गत पूर्व में निर्धारित उचित मूल्य में जमा हुए परिवर्तन लाभ/(हानि) में शामिल हैं।

परन्तु जहाँ अंतिम संग्रहणीयता में उचित संभाव्यता की कमी हो, वहाँ आय का निर्धारण स्थगित रखा जाता है।

ञ) **सम्बद्ध कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ/(हानि)**

सम्बद्ध कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ और हानि संबंधित निधि के राजस्व खाते में निर्धारित किये जाते हैं।

c) Interest income on investments is recognized on accrual basis.

d) **Amortised Income/Cost:**

Premium or discount on acquisition, as the case may be, in respect of debt securities/fixed income securities, pertaining to non-linked investments is amortized on straight line basis over the period of maturity/holding and adjusted against interest income.

e) **Dividend**

Dividend income for quoted shares is recognised on ex-dividend date, for non-quoted shares dividend income is recognised when the right to receive dividend is established.

f) **Income from linked funds:**

Income from linked funds which includes fund management charges, policy administrative charges, mortality charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policy and recognised when recovered.

g) **Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Linked Business:**

Realized gain/(loss) on debt securities for linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the book cost, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale.

h) **Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Non-Linked Business**

Realized gain/(loss) on debt securities for other than linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

i) **Profit/ (Loss) on sale of Equity Shares/ Mutual Fund/ Exchange Traded Funds (ETFs)/ Additional Tier 1 Bonds (AT 1)**

Profit/ (Loss) on sale of equity shares/ mutual fund units/ ETFs/ Additional Tier 1 Perpetual Bonds is the difference between the sale consideration net of expenses & the book cost computed on weighted average basis as on the date of sale (mutual fund, ETFs sale considerations would be based on the latest available NAV).

In respect of non linked business the Profit/(Loss) includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under “Fair Value Change Account”.

However, revenue recognition is postponed where ultimate collectability lacks reasonable certainty.

j) **Unrealized Gain/ (Loss) for Linked Business:**

Unrealized gains and losses for Linked Business are recognized in the respective fund’s revenue account.

ट) **उधार पर प्रतिभूति लेने और देने से आय**

उधार पर प्रतिभूति लेने और देने (एसएलबी) की व्यवस्था के अंतर्गत इक्विटी शेयर को देने पर प्राप्त फीस को उस अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है तथा इसे ब्याज आय के साथ जोड़ा जाता है।

ठ) **पुनर्बीमा प्रीमियम**

पुनर्बीमा करने वाले के साथ प्रासंगिक समझौतों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय दिये गये पुनर्बीमा प्रीमियम को लेखांकित किया जाता है। पुनर्बीमा पर दिये गये प्रीमियम के विरुद्ध पुनर्बीमा पर दिये गये लाभ कमीशन को घटा दिया जाता है।

3.3 **गैर बैंकिंग गतिविधियाँ - म्यूचुअल फंड और ट्रस्टी सेवाएं**

परिचालनों से राजस्व ::

निवेश प्रबंधन करार के अनुसार उपचय आधार पर म्यूचुअल फंड योजना से प्रबंधन फीस का लेखांकन किया जाता है तथा जैसा की बीओआई एक्सा म्यूचुअल फण्ड की योजना के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है कि यह निवल आस्ति मूल्य के ऊपर आश्रित है।

कंपनी और म्यूचुअल फण्ड के बीच ट्रस्ट डीड के अनुरूप उपचित आधार पर ट्रस्टी शुल्क का लेखांकन किया जाता है। जैसाकि बीओआई एक्सा म्यूचुअल फण्ड की योजनाओं के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है कि ट्रस्टी फीस निवल आस्ति मूल्य के ऊपर आश्रित है।

अन्य आय : व्यापार की तारीख को निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ/हानि खाते में अंकित किया जाता है और एकल प्रतिभूति हेतु भारित औसत आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है।

4. **गैर बैंकिंग गतिविधियां -बीमा : अन्य नीतियां**

क) **भुगतान किये गये लाभ**

भुगतान किए गए लाभ में पॉलिसी लाभ तथा दावा निपटान लागत, यदि कुछ हो तो, शामिल है।

सूचना की प्राप्ति पर, मृत्यु, राइडर तथा अभ्यर्पण दावे लेखाकृत किये जाते हैं। सम्बद्ध व्यवसाय के अंतर्गत सरेन्डर में व्ययगत पॉलिसियों पर भुगतान योग्य राशि भी शामिल है जो लॉक इन अवधि की समाप्ति पर लेखांकित की जाती है। लॉक इन अवधि के समाप्ति के बाद पॉलिसी को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। सकल प्रभार पर सरेंडर और समाप्ति को लेखाकृत किया जाता है।

देय होने पर उत्तरजीविता, परिपक्वता तथा वार्षिक लाभ के दावे लेखांकित होते हैं।

जिस अवधि में संबंधित दावों का निपटान किया जाता है, उसी में पुनर्बीमा वसूलियों का लेखांकन किया जाता है।

न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष विवादित अनिराकृत एवं अन्य मामले आकस्तिक देयताओं के अंतर्गत प्रदर्शित किये जाते हैं।

ख) **अधिग्रहण लागत**

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो मुख्य रूप से बीमा संविदा के अधिग्रहण से संबंधित होता है तथा जिस अवधि में इसका खर्च किया जाता है उसी अवधि में रखा जाता है।

k) **Income from Security Lending and Borrowing:**

Fees received on lending of equity shares under Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism is amortized on a straight-line basis over the period of lending and clubbed with the interest income.

l) **Reinsurance Premium:**

Reinsurance Premium ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

3.3 **Non-Banking Activities – Mutual Fund and Trustee Services**

Revenue from Operations:

Management fees from the scheme of mutual fund are accounted on an accrual basis in accordance with the investment management agreement and are dependent on the net asset value as recorded by the schemes of BOI AXA Mutual fund.

Trustee fees are accounted on accrual basis in accordance with trust deed between the Company and the Mutual Fund. Trustee fees are dependent upon the net asset value as recorded by the schemes of BOI AXA Mutual Fund.

Other Income: Profit or loss on sale of investment is recognised in the Profit & Loss Account on the trade date and determined on weighted average basis for individual security.

4) **NON BANKING ENTITIES –**

Insurance : Other Policies

a) **Benefits paid**

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider, surrender & withdrawal claims are accounted for on receipt of intimation. Under linked Business, surrender also includes amount payable on lapsed policies which are accounted for on expiry of lock in period. Surrenders and terminations are accounted at gross of charges.

Survival, maturity and annuity benefit claims are accounted for when due.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as that of the related claims.

Repudiated and other claims disputed before judicial authorities are shown under contingent liability.

b) **Acquisition Costs**

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

प्रथम वर्ष में भुगतान किय गये कमीशन के लिए, भविष्य में वापसी, यदि कुछ हो तो, उसी वर्ष में लेखांकित की जाती है, जिस वर्ष में वह प्राप्त की गयी थी।

ग) जीवन बीमाओं के लिए देयता :

वर्तमान पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए मूल्यांकन कवायद की जाती है। सलाभ नीतियों के लिए पॉलिसीधारकों की यथोचित अपेक्षाओं (पीआरई) पर भी विचार होता है। भविष्य की विभिन्न परिस्थितियों में सभी पॉलिसीधारकों को लाभ देने के लिए पर्याप्त आरक्षितियाँ होनी चाहिए। प्रतिकूल विचलन के लिए मार्जिन (एमएडी) का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी संभावित विपरीत परिस्थितियों में भी पॉलिसीधारक के हित की रक्षा सुनिश्चित की जाय।

लागू पॉलिसियों के लिए बीमांकित देयता प्रीमियम पद्धति से तथा समूह व्यवसाय (क्रेडिट लाइफ व्यवसाय तथा रिवर्स बंधक ऋण सक्षम वार्षिकी को छोड़कर जहां सकल प्रीमियम पद्धति का प्रयोग होता है) के मामले में अनर्जित प्रीमियम रिवर्स पद्धति से बीमांकित देयता परिगणित होती है। सम्बद्ध देयताओं में यूनिट देयता तथा गैर-यूनिट देयता शामिल है। यूनिट देयता पॉलिसी का निधि मूल्य प्रदर्शित करती है तथा गैर-यूनिट देयता बीमा दावा व्यय आदि के लिए है। मूल्यांकन के लिए शासित मुख्य दिशा-निर्देश हैं - बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीए अधिनियम 1999, आईआरडीए (बीमांकिक रिपोर्ट एवं जीवन बीमा व्यवसाय के लिए सारांश) विनियम, 2016, आईआरडीएआई जीवन बीमा व्यवसाय के लिए (आस्तियां, देयताएं तथा शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम 2016, भारतीय बीमांकिक संगठन द्वारा जारी बीमांकिक व्यवसाय मानक तथा मार्गदर्शन नोट्स एवं आईआरडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र।

घ) ऋण

बही मूल्य (चुकौतियों को हटाकर) तथा पूँजीगत ब्याज का समायोजन कर पॉलिसी के बदले ऋण का मूल्यांकन किया जाता है तथा यह किसी भी कमी के अधीन है।

ड.) भविष्य में विनियोजन के लिए निधि

भविष्य में विनियोजनों के लिए शेष राशि ऐसी निधि को प्रदर्शित करती है जो तुलन पत्र तारीख को पॉलिसीधारकों या शेयरधारकों को आबंटित नहीं की गयी है। निधि में अंतरण तथा निधि से अंतरण अधिकता या व्यय से कम आय तथा कंपनी के पॉलिसीधारक की निधि से प्रत्येक लेखांकन अवधि में निकलने वाले विनियोजन को प्रदर्शित करता है। सहभागिता करने वाली पॉलिसियों के संबंध में पॉलिसीधारक को कोई भी आबंटन आवश्यक अनुपात में शेयरधारक को भी अंतरण आवश्यक करेगा।

गैर-सहभागिता वाले समूह वार्षिकी उत्पादों के संबंध में, प्रतिफल की अधिकता, फाइल तथा प्रयोग में परिभाषित, यदि हो, तो उसे वर्ष के दौरान अंतरिम वित्तीय अवधि में भविष्य के विनियोजन के लिए निधि माना जाता है तथा उक्त को वर्ष के अंत में फाइल में निर्दिष्ट अनुपात में पॉलिसीधारक तथा शेयरधारक के मध्य बाँटा जायेगा।

Claw back in future, if any, for the first year commission paid, is accounted for in the year in which it is recovered.

c) Liability for life policies:

The valuation exercise is done to protect the interests of the existing policyholders. For With Profit policies the reasonable expectations of policyholders (PRE) are also considered. The reserves should be adequate to provide for all the policyholders benefits in various future scenarios. Adequate use of Margin for Adverse Deviation (MAD) is made to ensure that policyholders' benefits are protected even in some plausible adverse scenarios.

Actuarial liability for in force policies and for those in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined using the gross premium method and in case of group business (except for Credit Life Business and Reverse Mortgage Loan Enabled Annuity where gross premium method is used), the actuarial liabilities have been calculated on the basis of Unearned Premium Reserve method. Linked liabilities comprise unit liability representing the fund value of policies and non-unit liability for meeting insurance claims, expenses etc. The main governing guidelines considered for valuation are the Insurance Act 1938, the IRDA Act 1999, IRDAI (Actuarial Report & Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016, IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations 2016, Actuarial Practice Standards and Guidance notes issued by Institute of Actuaries of India, Circulars issued by IRDAI from time to time.

d) Loans:

Loans against policies are valued at the aggregate of book values (net of repayments) plus capitalized interest and are subject to impairment if any.

e) Funds for Future Appropriation

The balance in the funds for future appropriations account represents funds, the allocation of which, either to policyholders or to shareholders has not been determined at the Balance Sheet date. Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the Company's policyholders' funds. In respect of participating policies, any allocation to the policyholders would also give rise to transfer to the shareholders in the required proportion.

In respect of the Non-participating Group Annuity products, the excess returns, if any as defined in file and use, is considered as funds for future appropriation in the interim financial periods during the year and the same would be distributed between policyholders and shareholders in the proportion prescribed in file and use at the year end.

च) बंद पॉलिसी निधि :

बंद पॉलिसी निधि का अर्थ है पृथक् निधि जिसे निम्नलिखित कारणों से अलग रखा गया है

i) अनुबंधित प्रीमियम का भुगतान न करना।

ii) पॉलिसी के बंद करने के विषय में पॉलिसीधारक से कंपनी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर।

बंद की गयी पॉलिसियों के लिए निधि का भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बंद की गयी सम्बद्ध बीमा पॉलिसी के साथ व्यवहार) विनियम 2010 तथा उसके बाद जारी परिपत्रों के अनुसार लेखांकन किया जाता है।

5. अग्रिम:

(क) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार में अग्रिमों को "उत्पादक" और "अनर्जक अग्रिमों" (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को आगे अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) घरेलू शाखाओं के संबंध में एनपीए से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित दर पर किया जाता है :

f) Discontinued Policies fund

Discontinued policy fund means the segregated fund that is set aside on account of:

i) Non-payment of contracted premium

ii) Upon the receipt of the information by the Company from the policyholder about the discontinuance of the policy.

Fund for discontinued policies is accounted in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Treatment of Discontinued Linked Insurance Policies) Regulations 2010 and circulars issued thereafter.

5) ADVANCES:

(a) Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

(b) NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

(c) In respect of domestic branches, Provisions is made at the rates given as under:

एनपीए की श्रेणी	Category of NPAs	निवल बकाया अग्रिम का % / % of net outstanding advance
अवमानक आस्ति: *	Sub Standard:*	
क) एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती है	a) Exposures, which are unsecured ab initio	25%
ख) अन्य	b) Others	15%
संदिग्ध	Doubtful:	
क) जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में ही रहा)	a) Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- एक वर्ष तक	- Upto one year	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- One year to three years	40%
- तीन वर्ष से अधिक	- More than three years	100%
ख) गैर जमानती हिस्सा	b) Unsecured portion	100%
हानि	Loss	100%

* बकाया अग्रिम पर

(घ) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान संबंधित विदेशी देश में लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हो, उसके अनुसार होगी।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियो, अप्राप्य ब्याज, इसीजीसी दावा का निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाएं जाते हैं।

(च) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्निधारित/ पुन:संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।

(छ) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया घटाव (-) प्रावधान) से नीचे है तो

*On the outstanding advance

(d) In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

(e) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims settled, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

(f) In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

(g) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision

कमी को आरबीआई के समय-समय पर जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है उस वर्ष में एनपीए की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते से वापस किया जा सकता है। परंतु अतिरिक्त प्रावधान तब ही वापस किया जाता है जब प्राप्त नकद (केवल आरंभ में विचारित या एसआर /पीटीसी रिडेंपशन के द्वारा) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से ज्यादा हो। परंतु कोई भी अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य(एनबीवी) प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआरएस/पीटीसी का रीडेम्पशन) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक सीमित होगा।

(ज) मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबन्धित विदेशी देशों में लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार होगी।

(झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधिक देशी एक्सपोज़र के लिए श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

6. अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित की जाने वाली अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

7. डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट :

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड पॉइंट का प्रावधान एक्चवेरीयल आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

8. निवेश :

क. सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार को निपटान तारीख पर मान्यता दी जाती है और अन्य सभी निवेशों को कारोबार की तारीख पर मान्यता दी जाती है।

ख. निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता तक धारित', 'कारोबार के लिए धारित' और 'बिक्री हेतु धारित' श्रेणियों में किया गया है। भारत में किए गए निवेशों के प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई दिशानिर्देशों और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार छह वर्गों के तहत वर्गीकृत किया जाता है जैसे क) सरकारी प्रतिभूतियाँ ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां ग) शेयर, घ) डिबेंचर और बॉंड, ड़) अनुषंगियों और सहायक कंपनियों में निवेश और च) अन्य । भारत के बाहर निवेशों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित), विदेश में अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम और अन्य निवेश।

held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account as per the extant RBI guidelines issued from time to time. If the sale is at a price higher than the NBV, the excess provision on sale of NPAs may be reversed to profit and loss account in the year the amounts is received. However, any excess provision is reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset

(h) Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

(i) Provision for net funded country exposures (Direct/ Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

6) FLOATING PROVISION:

The bank has framed a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes.

7) DEBIT/CREDIT CARD REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

8) INVESTMENTS:

i.) Transactions in Government Securities are recognised on Settlement Date and all other Investments are recognised on trade date.

ii.) Investments are categorised under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure of investments in India, these are classified, in accordance with RBI guidelines & Banking Regulation Act 1949, under six classification viz. a.) Government Securities, b.) Other Approved Securities, c.) Shares, d.) Debentures and Bonds, e.) Investment in Subsidiaries and Associates and f.) Others. In respect of investments outside India, these are classified, in accordance with RBI guidelines, under three categories viz. Government Securities (including local authorities), Subsidiaries/Joint Ventures abroad and Other Investments.

क) वर्गीकरण का आधार

निवेश का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है।

i. परिपक्वता तक धारित

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

ii. कारोबार के लिए धारित

इसमें ऐसे निवेश है जिन्हें अल्प मीयादी मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जन किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इसका कारोबार किया जाता है।

iii. बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण "परिपक्वता तक धारित" अथवा 'कारोबार के लिए धारित' रूप में नहीं किया हैं, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

ख) निवेश का अधिग्रहण लागत

i. इक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि लागत में शामिल है।

ii. ब्रोकरेज, कमीशन, डेब्ट निवेश पर भुगतान/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता है।

iii. निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

iv. निवेश की लागत भारित औसत लागत पद्धति द्वारा निर्धारित की जाती है।

ग) मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में रखे गये निवेशों को संबंधित देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्य अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य इन दोनों में जो भी कम हो उसके अनुसार किया जाता है।

ट्रेज़री बिल और वाणिज्यिक पत्रों (सी.पी.) को कैरिंग कॉस्ट पर मूल्यांकित किया जाता है।

i) परिपक्वता तक धारित:

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन के निवल, यदि कोई हो, पर लिया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, को सतत अर्जन पद्धति का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन आय में 'निवेश पर ब्याज' शीर्ष के तहत समायोजित की जाती है।

(a) Basis of categorisation

Categorisation of an investment is done at the time of its acquisition.

i) Held to Maturity

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

ii) Held for Trading

These comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

iii) Available for Sale

These comprise investments which do not fall under in "Held to Maturity" or "Held for Trading" classification.

(b) Acquisition Cost of Investment

i) Brokerage, commission, securities transaction tax etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as income/expense and is excluded from cost/ sale consideration.

iii) Brokerage and Commission received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

iv) Cost of investments is determined at weighted average cost method.

(c) Method of valuation

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and all others discounted instruments are valued at carrying cost (i.e. book value)

i) Held to Maturity

a) Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period to maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

b) Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical

2. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश पूर्व के लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के जिन्हें कैरिंग कॉस्ट पर (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी को छोड़कर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है।।

ii) कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध :

क. इस श्रेणी के तहत निवेशों का मूल्यांकन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान पर बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

ख. ''कारोबार के लिए धारित" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणियों में कोट किए गए निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार दर/भाव, भारतीय प्राथमिक डीलर संघ (पीडीएआई) /निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव्ज संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है-

सरकारी/प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी ₹ 1
अधिमान्य शेयर्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू/कॉरपोरेट बॉन्ड	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड के यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ)	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो ₹ 1 प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर

घ) प्रवर्गों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतर:

ए) एचटीएम से एएफएस/एचएफटी -

i. यदि किसी डिस्काउंट पर मूलत: प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे अधिग्रहण कीमत/बही मूल्य पर अंतरित किया जाता है।

cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.

ii) Held for Trading / Available for Sale

a) Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

b) For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) / Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	at break-up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Re.1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU/ Corporate Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the Fund in respect of each scheme
Venture Capital Funds (VCF)	declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at Re. 1/- per VCF.
Security Receipts	at NAV as declared by Securitisation Companies

(d) Transfer of Securities between Categories

1) HTM to AFS/HFT –

i) If the security was originally placed under the HTM category at a discount it is transferred at the acquisition price / book value. After transfer, these

अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

ii. यदि किसी प्रीमियम पर प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे एमोर्टाइज्ड लागत पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी में अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

ख) एएसएस/एचएफटीसे एचटीएम में अंतरण -

बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो की कम हो उस पर एएफएस, एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण किया जाता है। यदि अंतरण के समय बाजारमूल्य बही मूल्य से ज्यादा होता है तो बढ़ोतरी को नजर अंदाज किया जाता है। यदि बही मूल्य से बाजार मूल्य कम होता है तो वैसी प्रतिभूति के लिए किये गये मूल्यह्रास के प्रावधान को समायोजित किया जाता है एवं बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम किया जाता है तथा प्रतिभूति को बाजारमूल्य पर अंतरित किया जाता है।

ग) एएफएस से एचएफटी तथा इसके विपरीत -

एएफएस से एचएफटी श्रेणी या इसके विपरीत प्रतिभूति अंतरित करने के मामले में अंतरण की तारीख पर प्रतिभूतियों का पुन: मूल्यांकन नहीं किया जाता है तथा रखे गये संकलित मूल्यह्रास का प्रावधान, यदि कुछ हो तो एचएफटी प्रतिभूतियां या इसके विपरीत, जैसा मामला हो इनके विरुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में अंतरित किया जाता है।

ङ) अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:

i. निवेशों को निष्पादित और गैर-निष्पादित में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित होता है।

ii. गैर-निष्पादित निवेशों के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

iii. परिपक्व एनपीआई को अनुसूची 11 में "अन्य आस्तियों" के अंतर्गत दिखाया गया है।

च) रेपो/रिवर्स रेपो:

रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्श्विक उधार और उधार लेने के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में प्रतिभूतियों का अंतरण किया जाता है और ऐसी प्रतिभूतियां रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होती हैं। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन जैसा भी मामला हो ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। रेपो खाते में शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

ii) If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it is transferred to the AFS / HFT category at the amortised cost. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

2) AFS/HFT TO HTM-

Transfer of scrips from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

3) AFS TO HFT AND VICE-VERSA –

In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held are transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa

(e) Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof

i.) Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

ii.) In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

iii.) Matured NPIs are shown under 'Other Assets' Schedule11.

(f) Repo / Reverse Repo

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

छ) **आस्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश**

परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बी.पी.बी.सी. 9/21.04.048/2016-17 दिनांक 01 सितंबर 2016 के द्वारा जारी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 01 अप्रैल 2017 से प्रतिभूतीकरण के अंतर्गत एसआर के संबंध में मूल्यांकन पद्धति में संशोधन किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बैंक के द्वारा बेचे गये दबावग्रस्त आस्तियों के विरुद्ध एसआर की मात्रा प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत जारी बेचे गये आस्तियों के विरुद्ध एसआर के संपूर्ण पोर्टफोलियो से 50 प्रतिशत से ज्यादा होती है तो निम्नलिखित में से जो भी ज्यादा हो उसके अनुसार अवमूल्यन का प्रावधान होगा।

अ. एससी/आरसी के द्वारा घोषित किये गये निवल आस्ति मूल्य की शर्तों के अनुसार आवश्यक प्रावधानों के दर पर; तथा

आ. यह मानकर कि कल्पित रूप से ऋण बैंक की बही में जारी रहा, अंतर्निहित ऋणों पर लागू दर पर प्रावधान।

1 अप्रैल 2018 से उपर्युक्त 50% की ऊपरी सीमा कम होकर 10 प्रतिशत हो जायेगी।

जब बैंक के द्वारा एआरसी को बेची गयी वित्तीय संपत्ति के संबंध में एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद/पास-थ्रू प्रमाणपत्र में बैंक निवेश करता है तो निम्नलिखित में से जो भी कम होगा उसके अनुसार बैंक की बही में बिक्री को पहचाना जायेगा :

- प्रतिभूति रसीद/पास-थ्रू प्रमाणपत्र का मोचन मूल्य
- वित्तीय आस्ति का एनबीवी

जब तक उपर्युक्त की बिक्री या वसूली न हो जाय तब तक उपर्युक्त विधि से निर्धारित कीमत पर बैंक की बही में उपर्युक्त निवेश किया जायेगा।

8) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

वर्तमान में बैंक फॉरेक्स वायदा संविदा, ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव का कार्य देखता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला ब्याज दर डेरिवेटिव रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर बैंक द्वारा किये जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव विकल्प हैं - करन्सी स्वैप तथा करन्सी फ्यूचर। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

क) हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग से रिकार्ड किए जाते हैं।

ख) हेज़िग डेरिवेटिव पर आय/व्यय उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

ग) फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

घ) व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार डेरिवेटिव के अलावा ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार मूल्य पर (एमटीएम) किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई हो तो उसको लाभ एवं हानि में बताया जाता है। लाभ, यदि कोई हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

ङ) व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनिमय व्यापार डेरिवेटिव का विनिमय द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

(g) **Investment in security receipts (SRs) backed by assets:-**

In terms of RBI guidelines issued vide circular no DBR.No.BP.BC.9/21.04.048/2016-17 dated September 01, 2016, the bank has revised valuation methodology in respect of SRs under securitization, with effect from April 01, 2017. As per the revised guidelines, if the quantum of SRs backed by stressed assets sold by the bank exceeds 50% of entire portfolio of SRs backed by sold assets issued under that securitization, provision for depreciation will be higher of the following;

a) provisioning at a rate required in terms of net asset value declared by the SCs/RCs; and

b) Provisioning at a rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank.

With effect from April 1, 2018, the above threshold of 50 percent will stand reduced to 10 percent.

When Bank invests in the security receipts/ pass-through certificates issued by ARC in respect of the financial assets sold by the Bank to the ARC, the sale will be recognized in books of the bank at the lower of:

- the redemption value of the security receipts/ pass-through certificates, and
- the NBV of the financial asset.

The above investment will be carried in the books of the bank at the price as determined above until its sale or realization.

9) DERIVATIVE

The Bank presently deals Forex Forward Contracts in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(a) The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

(b) Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(c) Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(d) Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any , are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

(e) Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

च) ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से लाभ/हानियों को निरस्तीकरण तिथि में आय/व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप के निरस्तीकरण पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित कम अवधि अथवा डेजिग्नेटेड आस्तियाँ/देयताओं की बकाया अवधि से संबद्ध किया जाता है।

छ) विकल्प संविदा की परिपक्वता अवधि पर विकल्प शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

10. अचल आस्तियां:

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त जिन्हें पुनर्मूल्यन रकम पर ही बताया जाता है, अचल आस्तियों को पूर्व के लागत के आधार पर बताया है। पुनर्मूल्यांकन से वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति जमा किया जाता गया है।

ख. लागत में शामिल है खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले जगह की तैयारी संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय शामिल है। उपयोग किए जा रहे आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा जब ऐसे आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. परिसर की लागत में स्वामित्व एवं पट्टाधारी भूमि की लागत दोनों शामिल हैं।

11. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास :

क. आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति से आकलित उपयोगी जीवन के आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यह्रासित बही मूल्य पर प्रभारित किया गया है, कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटरों सॉफ्टवेयर को छोड़कर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है। कम्प्यूटरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से सीधी रेखा पद्धति से मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ख. खरीद/बिक्री के संबंध में मूल्य ह्रास को वर्ष के दौरान जितने दिनों के लिए आस्ति का प्रयोग किया गया, उसके आनुपातिक आधार पर किया जाता है। (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को छोड़कर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, जहाँ खरीदी के वर्ष में उसका पूर्ण ह्रास होता है।)

ग. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

घ. पट्टाधारित भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम, पट्टे की अवधि में परिशोधित की जाती है।

ड़. जहाँ भूमि और भवन की लागत अलग-अलग नहीं आकलित की जा सकती है, संपूर्ण लागत पर मूल्यह्रास का प्रावधान, भवन पर लागू दर पर किया जाता है।

च. भारत के बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर आधारित होता है, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ विनियामक की आवश्यकताओं/अथवा संबंधित देशों/उद्यम में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

(f) Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(g) Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

10) FIXED ASSETS:

(a) Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

(b) Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees etc. incurred on the asset before it is put to use or capable of put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

(c) Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

11) DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:

a) Depreciation on assets is charged on the Straight Line Method at the rates determined by the Bank on the basis of estimated useful life of respective assets except in respect of computers & computer software not forming integral part of hardware, where it is calculated on the Straight Line Method, at the rates prescribed by RBI.

b) In respect of additions/sale, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year. However, for computer software not forming integral part of hardware is fully depreciated in the year of acquisition.

c) Depreciation on the revalued portion of assets is charged to Profit & loss and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

d) Premium on leasehold properties is amortised over the period of lease.

e) Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

f) Depreciation on fixed assets outside India is provided based on Straight Line Method, except at the centres where the rates/Methods have been prescribed by the local statutory authorities.

छ. निम्नलिखित दरों के अनुसार आस्ति पर मूल्य ह्रास किया जाता है:

क्र.सं.	विवरण	मूल्यह्रास की दर	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन
1.	परिसर	1.58%	60 वर्ष
2.	**अन्य अचल आस्तियां:**		
क)	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	9.50%	10 वर्ष
ख)	इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	9.50%	10 वर्ष
ग)	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	6.33%	15 वर्ष
घ)	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	11.88%	8 वर्ष
ङ)	साइकिल	20.00%	5 वर्ष
च)	कम्प्यूटर तथा कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग है।	33.33%	3 वर्ष
छ)	कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है।	खरीदी के वर्ष में 100.00	–

ज. 5 वर्ष से कम आकलित उपयोगी जीवन वाले आस्तियों को छोड़कर सभी आस्तिओं के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है (यथा कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा साइकल), जहाँ आस्ति की पूरी लागत उपयोगी जीवन के ऊपर परिशोधित है।

12. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखामानक (एएस)11, ''विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव'' के अनुरूप किया गया है:

क) <u>**समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:**</u> भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

i. विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर रिकार्ड किया जाता है जो कॉगजेन्सिस/रायटर के पृष्ठ में प्रदर्शित साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें जो पूर्व के लागत के अनुसार की जाती है उसे संव्यवहार की तारीख में विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट की जाती हैं।

iv. विदेशी मुद्रा में रखे गए आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।

g) Depreciation on assets is provided at the following rates:

Sr. No.	Particulars	Rate of Depreciation	Estimated useful life as determined by the Bank
1.	Premises	1.58%	60 Years
2.	**Other Fixed Assets:-**		
a.	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipment's	9.50%	10 Years
b.	Electrical Fitting and Equipment's	9.50%	10 Years
c.	Air-conditioning plants, etc. and business machines.	6.33%	15 Years
d.	Motor cars, Vans & Motor cycles	11.88%	8 Years
e.	Cycle	20.00%	5 Years
f.	Computers and Computer Software forming integral part of hardware.	33.33%	3 Years
g.	Computer Software, not forming integral part of hardware	100% in the year of acquisition	-

h) 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 Years (eg. Computers, Computer Software and Cycles), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.

12) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" read with extant RBI guidelines:

a) <u>**Translation in respect of Integral Foreign operations:**</u> Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page.

ii) Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.

iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v. बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi. एफईडीएआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा,उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित की जाएगी।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान में आरंभ में रिकार्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।

viii. मुद्रा वादा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

ख) **समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:** विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

i. आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है।

ii. आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर एफईडीएआई द्वारा सूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर स्पष्ट किया जाता है।

iii. सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते - ‘’विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व’’ में संचित किया जाता है।

iv. विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

13. कर्मचारी लाभ :

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की अनडिस्काउन्टेड रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है। इसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

v) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi) Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii) Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii) Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognised in the Profit and Loss account.

b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations: Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account ‘Foreign Currency Translation Reserve’ till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.

iv) The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

13) EMPLOYEE BENEFITS:

i. Short Term Employee Benefit:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

ख. नियोजन के पश्चात लाभ :

क. परिनिश्चित लाभ योजना:-

i) उपदान (ग्रैच्युटी)

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है। यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के बेसिक वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान विनियम में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होता है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन ट्रस्टी द्वारा किया जाता है जो तिमाही रूप में एक स्वतंत्र बाह्य ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है।

ii) पेंशन

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियत के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है।नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन,1995 के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो तिमाही रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के तहत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

ख. परिनिश्चित अंशदान योजना :

i) भविष्य निधि:

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ पाने का हक है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करती है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ii. Post Employment Benefit:

A. Defined Benefit Plan

a) Gratuity

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or Bank of India Gratuity Fund Rules, 1975, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out quarterly.

b) Pension

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of BOI (Employees) Pension regulations, 1995. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out quarterly and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

B. Defined Contribution Plan:

a. Provident Fund

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

ख. पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

क. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

i) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ii) अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, आकस्मिक लाभ इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

iii) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना संबंधित देशों में विद्यमान कानून के आधार पर की जाती है।

14. प्रति शेयर अर्जन :

क) एएस 20 ''अर्जन प्रति शेयर'' के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की कर पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग कर गणना की जाती है।

ख) प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर गणना की जाती है।

15. आय पर कर :

क) बैंक द्वारा की गयी वर्तमान कर तथा आस्थागित कर के व्यय की राशि आयकर व्यय है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22 "आय पर कर के लिए लेखांकन" के प्रावधानों अनुसार क्रमश: वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर कानूनों पर आधारित भुगतान किये गये करों को ध्यान में रखा जाता है।

b. Pension

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

c. Other Long term Employee Benefit:

i.) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

ii.) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, sick leave, etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

iii.) In respect of overseas branches, offices and subsidiaries, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

14) EARNINGS PER SHARE:

a) Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

b) Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

15) TAXES ON INCOME:

a) Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

ख) आस्थगन कर समायोजन में वर्ष के दौरान स्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल है। वर्तमान वर्ष हेतु कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच अंतर तथा हानि को आगे ले जाने पर समय के प्रभाव पर विचार करते हुए आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को लागू या पूर्णत: लागू कर दर तथा कर कानून का प्रयोग कर आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएँ तय की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का प्रभाव लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

ग) प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यह्रास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

16. आस्तियों का ह्रास

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि यदि कोई हो, तो एएस 28 "आस्तियों का ह्रास" के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

एएस 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार बैंक प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसा आय निर्धारण हो सकता है जो कभी भी वसूला न जा सके।

18. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी किया जाता है, उस वर्ष शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

b) Deferred Tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

c) Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

16) IMPAIRMENT OF ASSETS:

"Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on revalued assets is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset."

17) PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

18) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to the Profit and Loss Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आँकडे ₹ करोड़ों में हैं।

कोष्ठक में दिए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणपत्रों के भाग रूप नोट्स

1. अनुषंगियों (सब्सिडीरिज) के विवरण निम्नानुसार हैं जिनके वित्तीय विवरणपत्र बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ समेकित हैं :

	अनुषंगियों का नाम	निगमन (इन्कॉर्पोरेशन) देश	यथा 31.03.2018 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2017 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्वदेशी अनुषंगियां :				
क)	बीओआई शेयरहोल्डिंग लि.	भारत	**100%**	100%
ख)	बीओआई अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि.	भारत	**51%**	51%
ग)	बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज़ प्रा.लि	भारत	**51%**	51%
घ)	बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.	भारत	**100%**	100%
विदेशी अनुषंगियां:				
क)	पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	इंडोनेशिया	**76%**	76%
ख)	बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लिमिटेड	तंजानियां	**100%**	100%
ग)	बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैन्ड) लिमिटेड	न्यूजीलैन्ड	**100%**	100%
घ)	बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड	युगांडा	**100%**	100%
ङ)	बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लिमिटेड	बोत्स्वाना	**100%**	100%

2. समेकित विवरण पत्रों में विचार की गयी सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमियों के विवरण इस प्रकार है:

(i) **सहयोगी कंपनियां:**

	सहयोगियों के नाम	शामिल देश	यथा 31.03.2018 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2017 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
क.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
i)	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	भारत	**35%**	35%
ii)	नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक	भारत	**35%**	35%
iii)	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	भारत	**35%**	35%
iv)	आर्यवर्त ग्रामीण बैंक	भारत	**35%**	35%
ख.	इंडो जाम्बिया बैंक लि.	जाम्बिया	**20%**	20%
ग.	एसटीसीआई फैयनांस लिमिटेड	भारत	**29.96%**	29.96%
घ.	एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	**26.02%**	26.02%

SCHEDULE 18

All figures are in ₹ Crore unless specifically stated.

Figures in Brackets relate to previous year

NOTES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. Particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of Bank of India (the Parent Bank) are as under:

	Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2018	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2017
Domestic Subsidiaries:				
a)	BOI Shareholding Ltd.	India	100%	100%
b)	BOI AXA Investment Managers Pvt Ltd.	India	51%	51%
c)	BOI AXA Trustee Services Pvt Ltd.	India	51%	51%
d)	BOI Merchant Bankers Ltd	India	100%	100%
Overseas Subsidiaries:				
a)	PT Bank of India Indonesia Tbk	Indonesia	76%	76%
b)	Bank of India (Tanzania) Ltd.	Tanzania	100%	100%
c)	Bank of India (New Zealand) Ltd.	New Zealand	100%	100%
d)	Bank of India (Uganda) Ltd.	Uganda	100%	100%
e)	Bank of India (Botswana) Ltd.	Botswana	100%	100%

2. Particulars of associates and joint venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

(i) Associates:

	Names of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2018	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2017
a)	Regional Rural Banks -			
i)	Jharkhand Gramin Bank	India	35%	35%
ii)	Narmada Jhabua Gramin Bank	India	35%	35%
iii)	Vidharba Konkan Gramin Bank	India	35%	35%
iv)	Gramin Bank of Aryavart	India	35%	35%
b)	Indo Zambia Bank Limited	Zambia	20%	20%
c)	STCI Finance Ltd.	India	29.96%	29.96%
d)	ASREC (India) Ltd.	India	26.02%	26.02%

(ii) संयुक्त उद्यम:

संयुक्त उद्यमों के नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2018 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2017 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	28.96%	28.96%

3. इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमियों एवं सहयोगियों के विवरणपत्र जो समेकन में इस्तेमाल किए जाते हैं मूल बैंक की यथा रिपोर्टिंग तारीख अर्थात 31 मार्च, 2018 तक बनाए गए हैं, सिवाय एक सहायक कंपनी - इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईज़ेडबीएल) के। आईज़ेडबीएल के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर, 2017 तक तैयार किए गए थे और 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के लिए कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार रिपोर्ट नहीं किए गए थे।

4. स्वदेशी अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमियों / सहयोगियों के मामले में, मूल बैंक और अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमियों / सहयोगियों द्वारा अपनायी गयी भिन्न-भिन्न लेखांकन पॉलिसियों के कारण उत्पन्न लेखागत समायोजन अनुषंगियों / संयुक्त उद्यम / सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर किए गए है।

5. समेकित वित्तीय विवरण पत्र निम्न के आधार पर तैयार किए गए हैं :

i) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके के यथा 31.03.2018 के वित्तीय विवरण पत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

ii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.03.2018 के विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. के यथा 31.03.2018 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. के यथा 31.03.2018 के विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

v) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. के यथा 31.03.2018 के विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

vi) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि., बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि., बीओआई एक्सा इंवेस्टमेंट मैनेजर प्रा.लि., बीओआई ट्रस्टी सर्विसीज़ प्रा.लि., स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरंस कंपनी लि., एसटीसीआई फाइनैंस लि. एवं झारखंड ग्रामीण बैंक के 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए और इंडो झांबिया बैंक लि., के 31.12.2017 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।

(ii) Joint Venture:

Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2018	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2017
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited	India	28.96%	28.96%

3. The financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent Bank i.e. 31st March 2018 except for an associate Indo Zambia Bank Limited (IZBL). IZBL's financial statements were prepared up to 31st December 2017 and reported no significant transaction for the quarter ended 31st March 2018.

4. In case of Domestic subsidiaries/joint venture/associates, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by Parent Bank and subsidiaries/joint venture/associates have been carried out on the basis of data provided by subsidiaries/joint venture/associates.

5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of :

(i) Financial statements of PT Bank of India Indonesia Tbk as on 31.03.2018 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(ii) Financial statements of Bank of India (Tanzania) Ltd. as on 31.03.2018 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(iii) Financial statements of Bank of India (New Zealand) Ltd. as on 31.03.2018 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(iv) Financial statements of Bank of India (Uganda) Ltd. as on 31.03.2018 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(v) Financial statements of Bank of India (Botswana) Ltd. as on 31.03.2018 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(vi) Audited financial statements of BOI Shareholding Ltd., BOI Merchant Bankers Ltd., BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd., BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd., Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., STCI Finance Ltd. & Jharkhand Gramin Bank for the financial year ended 31.03.2018 and Indo Zambia Bank Ltd. for the twelve months ended 31.12.2017.

(vii) Unaudited financial statements of ASREC (India) Ltd., Narmada Jhabua Gramin Bank, Vidharbha

vii) एएसआरईसी (इंडिया) लि., नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उनके प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।

6. वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन द्वारा मूल बैंक में रु. 9,232 का निवेश किया है। मूल बैंक ने सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक रु.10/- प्रति शेयर के 55,84,32,131 इक्विटी शेयरों का अधिमनी आबंटन किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

आबंटन की तारीख	शेयर धारक का नाम	इक्विटी शेयर की संख्या	प्रति शेयर शेयरमूल्य (₹ मे)	राशि
14.06.2017	भारतीय जीवन बीमा निगम	1,75,00,000*	126.81	221.92
04.08.2017	भारत सरकार	11,23,51,134*	133.51	1500.00
27.03.2018	भारत सरकार	55,84,32,131	165.32	9232.00
	कुल	68,82,83,265		10953.92

* मार्च 2017 के दौरान उपर्युक्त आबंटन हेतु रु. 1,721.92 की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई और सीईटी 1 पूंजी यथा 31 मार्च, 2017 की गणना हेतु इस पर विचार किया गया।

7. मूल बैंक के संबंध में, अनुषंगी बही खातों का समतुलन, विदेशी शाखाओं, आंतर कार्यालय खातों, नोस्ट्रो खातों, उचंत, संदेय ड्राफ्ट, समाशोधन अन्तरों, इत्यादि के साथ शेष राशियों की पुष्टि/समाधान का कार्य सतत आधार पर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में उपरोक्त का लम्बित अंतिम समाशोधन/ समायोजन का वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है ।

8. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणपत्र के बारे में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है:

ए) पूँजी:

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (CET1) (%)		
	बासेल-II	NA	NA
	बासेल -III	8.52%	7.71%
ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)		
	बासेल -II	NA	NA
	बासेल -III	10.36%	9.42%
iii)	टियर II पूंजी अनुपात (%)		
	बासेल -II	NA	NA
	बासेल -III	3.18%	3.20%
iv)	कुल पूंजी अनुपात (CRAR) (%)		
	बासेल -II	NA	NA
	बासेल -III	13.54%	12.62%
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	83.09%	73.72%

Konkan Gramin Bank and Gramin Bank of Aryavart for the financial year ended 31.03.2018 certified by their management.

6. During the year, Government of India has infused ₹ 9,232 in the parent bank by way of preferential allotment of equity shares. The Parent Bank has made preferential allotment of 55,84,32,131 equity shares of ₹10 each, in accordance with the provisions of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009. The details are as under:

Date of Allotment	Name of the Shareholder	No. of equity shares	Issue Price per share (in)	Amount
14.06.2017	Life Insurance Corporation of India	1,75,00,000*	126.81	221.92
04.08.2017	Government of India	11,23,51,134*	133.51	1500.00
27.03.2018	Government of India	55,84,32,131	165.32	9232.00
	Total	**68,82,83,265**		**10953.92**

* The share application money of ₹ 1,721.92 Crore for the above allotment was received during March 2017 and considered for computation of CET 1 capital as on March 31, 2017.

7. In respect of the Parent Bank Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Draft Payable, Clearing Difference etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/adjustment of the above, is not likely to be significant.

8. The following information is disclosed in respect of consolidated financial statements in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India:

a) Capital:

	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (CET1)(%)		
	Basel - II	NA	NA
	Basel - III	8.52%	7.71%
ii)	Tier I Capital ratio (%)		
	Basel - II	NA	NA
	Basel - III	10.36%	9.42%
iii)	Tier II Capital ratio (%)		
	Basel - II	NA	NA
	Basel - III	3.18%	3.20%
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)		
	Basel - II	NA	NA
	Basel - III	13.54%	12.62%
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	83.09%	73.72%

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
vi)	वर्ष के दौरान प्राप्त इक्विटी पूंजी राशि*	10953.92	2641.65
vii)	शेयर आवेदन राशि आबंटन के लिए लंबित	0.00	1721.92
viii)	वर्ष के दौरान टियर-I पूंजी के रूप में प्राप्त राशि अर्थात AT- 1	500.00	2500.00
ix)	वर्ष के दौरान प्राप्त टियर-II राशि अर्थात डेट कैपिटल इंस्ट्रुमेंट	0.00	2500.00

* इस राशि में पिछले वर्ष प्राप्त एवं वर्तमान वर्ष में आबंटित शेयर आवेदन राशि शामिल है।

टियर I पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया नवोन्मेष सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)/ AT – 1 के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बासेल III)
2008-09	आईपीडीआई	400.00	160.00
2009-10	आईपीडीआई	325.00	130.00
2010-11	आईपीडीआई	300.00	120.00
2014-15	एटी-1	2500.00	2500.00
2016-17	एटी-1	2500.00	2500.00
2017-18	एटी-1	500.00	500.00
	कुल	**6525.00**	**5910.00**

टियर II पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया टियर II लिखतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना
2008-09	अपर टियर II	500.00	200.00
2009-10	अपर टियर II	2000.00	800.00
2010-11	अपर टियर II	1000.00	400.00
2013-14	टियर II	1500.00	1500.00
2015-16	टियर II	3000.00	3000.00
2016-17	टियर II	2500.00	2500.00
	कुल	**10500.00**	**8400.00**

* भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी. 13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च, 2018 के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती और आस्थगित कर पर विचार किया है।

	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
vi)	Amount of Equity Capital raised during the year*	10953.92	2641.65
vii)	Share application money pending for allotment	0.00	1721.92
viii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised ; i.e. AT-1	500.00	2500.00
ix)	Amount of Tier-II capital raised; i.e. Debt Capital Instruments	0.00	2500.00

* The amount includes share application money received in the previous year and allotted in the current year.

Details of outstanding Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)/AT-1 bonds raised to augment Tier I capital are as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2008-09	IPDI	400.00	160.00
2009-10	IPDI	325.00	130.00
2010-11	IPDI	300.00	120.00
2014-15	AT-1	2500.00	2500.00
2016-17	AT-1	2500.00	2500.00
2017-18	AT-1	500.00	500.00
	Total	**6525.00**	**5910.00**

Details of outstanding Tier II Instruments raised to augment Tier II capital are as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2008-09	Upper Tier II	500.00	200.00
2009-10	Upper Tier II	2000.00	800.00
2010-11	Upper Tier II	1000.00	400.00
2013-14	Tier II	1500.00	1500.00
2015-16	Tier II	3000.00	3000.00
2016-17	Tier II	2500.00	2500.00
	Total	**10500.00**	**8400.00**

Pursuant to RBI circular No. DBR. NO.BP.13018/21.04.048/2015-16 dated 1st March 2016, the parent bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital Adequacy Ratio as on 31st March 2018.

बी) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

मदें	2017-18	2016-17
एनपीए के लिए प्रावधान	15197.19	11802.05
निवेशों के मूल्य में ह्रास	1468.64	120.95
कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	(2587.00)	(818.41)
मानक आस्तियों पर प्रावधान	(671.18)	154.69
अन्य प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों सहित)	(120.10)	158.44
कुल	**13287.55**	**11417.73**

सी) फ्लोटिंग प्रावधान (काउन्टर साइक्लिकल प्रावधानीकरण बफर) - (मूल बैंक)

विवरण	2017-18	2016-17
प्रारम्भिक शेष	232.22	232.22
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
अंतिम शेष	232.22	232.22

डी) आय कर - (मूल बैंक)

I) मूल बैंक के संबंध में आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए बैंक के विभिन्न दावों में रु. 653.44 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 555.42करोड़) की विवादित आय कर/ब्याज कर देयता शामिल है जिसके लिए ऐसे विवादों पर विगत निर्धारणों के लिए विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। ऐसे विवादित देयों के विभिन्न भुगतान/समायोजन अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के तहत शामिल हैं।

II) कतिपय मसलों पर संगत न्यायिक निर्णयों और लागू कर कानूनों के प्रावधानों पर समुचित विचार करने के पश्चात वर्ष के लिए आयकर हेतु प्रावधान का परिकलन किया गया है।

ई) अनुषंगियों के संबंध में मूल बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित और लेखापरीक्षकों द्वारा आश्वासित)

चालू वर्ष के दौरान,मूल बैंक ने अनुषंगियों की ओर से किसी भी प्रकार का चुकौती, आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है।

वर्ष 2011-12 के दौरान, मूल बैंक ने अपनी पूर्णत: स्वामित्व वाली अनुषंगी, बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. के बारे में, उसकी वित्तीय वचनबद्धताओं, यदि कोई देय होती हैं, को पूरा करने के लिए गवर्नर , बैंक ऑफ़ बोत्स्वाना को एक वचनबंध जारी किया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान मूल बैंक ने, रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के पक्ष में, उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बीओआई (न्यूज़ीलैंड) के लिए उसके वित्तीय दायित्वों, यदि वे देय होते हैं, को पूरा करने के लिए पैरेन्टल गारन्टी जारी की है।

यथा 31.03.2018 को उक्त वचनबद्धताओं पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं आया है।

(b) Provisions and Contingencies:

Items	2017-18	2016-17
Provision for NPA	15197.19	11802.05
Depreciation in Value of Investments	1468.64	120.95
Provision for Taxation (including deferred tax)	(2587.00)	(818.41)
Provision on Standard Assets	(671.18)	154.69
Other Provisions (including floating provisions)	(120.10)	158.44
Total	**13287.55**	**11417.73**

(c) Floating Provisions (Countercyclical Provisioning Buffer) - (Parent Bank)

Particulars	2017-18	2016-17
Opening Balance	232.22	232.22
Additions during the year	0.00	0.00
Reductions during the year	0.00	0.00
Closing Balance	232.22	232.22

(d) Income-Tax - (Parent Bank)

I. Claims against the Bank not acknowledged as debt appearing under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 653.44 (previous year ₹ 555.42) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

II. Provision for income tax for the year is arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial precedents on certain issues.

e) Letter of comfort issued by the Parent Bank in respect of subsidiaries (As compiled by Management and relied upon by the Auditors):

During current year, the Parent bank has not issued any letter of comforts on behalf of Subsidiaries.

During the year 2011-2012, the Parent Bank issued an undertaking to the Governor, Bank of Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (Botswana) Ltd. to meet its financial commitments if they fall due.

During the year 2010-11, the Parent Bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2018 no financial obligations have arisen on the above commitments.

9. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) के अनुरूप किए गए प्रकटन.
Disclosures in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):

ए) लेखांकन मानक 15 - 'कर्मचारी लाभ '

A) Accounting Standard 15 – "Employee Benefits"

Sr. No.	विवरण	Particular	2017-2018 ग्रेच्युटी Gratuity	2017-2018 पेंशन Pension	2016-2017 ग्रेच्युटी Gratuity	2016-2017 पेंशन Pension
(i)	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान :**	**Principal actuarial assumptions used :**				
	वर्तमान छूट दर	Discount Rate	7.85%	7.68%	7.62%	7.45%
	आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर	Rate of Return on Plan Assets	7.96%	8.23%	8.31%	7.96%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	संघर्षण दर	Attrition Rate Current	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	**लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका**	**Table showing change in benefit obligation :**				
	अवधि के प्रारंभ में देयता	Liability at the beginning of the period	1410.08	12851.13	1370.70	11076.48
	ब्याज लागत	Interest Cost	101.35	945.76	95.77	788.13
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	541.01	566.92	102.76	1238.78
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	238.07	1073.11	227.73	995.15
	दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	(59.83)	426.23	68.58	742.89
	वर्ष के अंत में देयता	**Liability at the end of the year**	**1754.54**	**13716.87**	**1410.08**	**12851.12**
(iii)	**प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका:**	**Table of Fair value of Plan Assets :**				
	अवधि प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	1360.32	12321.80	1223.87	10515.60
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected return on Plan Assets	108.28	1014.08	101.70	837.04
	अंशदान	Contributions	110.03	1322.04	258.28	1663.86
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	238.07	1073.17	227.73	995.15
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(21.14)	(254.11)	4.20	300.45
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट् का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1319.42	13330.64	1360.32	12321.80
	मानने योग्य कुल बीमांकिक लाभ/(हानि)	**Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised**	**38.69**	**(680.34)**	**(64.37)**	**(442.44)**
(iv)	**प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल**	**Actual return on Plan Assets**				
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	108.28	1014.08	101.70	837.04
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(21.14)	(254.11)	4.20	300.45
	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	**Actual return on Plan Assets**	**87.13**	**759.97**	**105.90**	**1137.49**
(v)	**तुलन पत्र में मान्य राशि**	**Amount recognised in the Balance Sheet :**				
	अवधि के अंत में देयता वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Liability at the end of the period	1754.54	13716.87	1410.08	12851.12
	अंतर अमान्य परिवर्तन देयता	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1319.42	13330.64	1360.32	12321.80
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in the Balance Sheet**	**435.13**	**386.23**	**49.76**	**529.32**
(vi)	**आय विवरण-पत्र में मान्य व्यय :**	**Expenses recognised in the Income Statement :**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	541.01	566.92	102.76	1238.78
	ब्याज लागत	Interest Cost	101.35	945.76	95.77	788.13
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	(108.28)	(1014.08)	(101.70)	(837.04)
	विगत वर्षों के मान्य व्यय	Expenses recognized relating to prior years	0.00	0.00	0.00	0.00
	मान्य परिवर्तन देयता	Recognition of Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	(38.69)	680.34	64.37	442.44
	लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	**Expense Recognised in P & L**	**169.04**	**1178.94**	**161.20**	**1632.30**
	अपरिशोधित व्यय (लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित नहीं)	**Unamortised expenses (not charged to P&L Account)**	**326.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(vii)	**तुलन पत्र समाधान :**	**Balance Sheet Reconciliation :**				
	प्रारंभिक निवल देयता (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि)	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	49.75	529.33	146.83	560.88
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	Expenses as above	495.39	1178.94	161.20	1632.30
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(110.03)	(1322.04)	(258.28)	(1663.86)
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in Balance Sheet**	**435.11**	**386.23**	**49.75**	**529.32**
(viii)	**आस्तियों का प्रवर्ग *:**	**Category of Assets* :**				
	भारत सरकार की आस्तियां (प्रतिभूतियां)	Government of India Assets (Securities)	71.34	1951.31	73.46	2006.79
	इक्विटी	Equity	0.00	102.97	0.00	53.93
	कार्पोरेट बांड्स	Corporate Bonds	184.97	3809.54	240.85	3608.38
	राज्य सरकार (प्रतिभूतियां)	State Government (Securities)	348.10	3745.26	384.59	3438.81
	अन्य	Other	715.00	3721.56	661.42	3267.82
	कुल	**Total**	**1319.42**	**13330.63**	**1360.32**	**12321.80**
(ix)	**अनुभव समायोजन**	**Experience Adjustment :**				
	प्लान देयता पर (लाभ)/हानि	**On Plan Liability (Gain)/Loss**	(22.79)	(66.62)	38.41	198.92
	प्लान एसेट पर (हानि)/लाभ	**On Plan Asset (Loss)/Gain**	(4.76)	33.27	1.71	103.05

पेंशन निधि के लिए स्वयं के वित्तीय लिखतों में रु. 176.76 का निवेश शामिल। including investments in own financial instruments of ₹ 176.76 for pension fund

i. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ* :

विवरण	31.03.2018 की देयता	वर्ष में किया गया प्रावधान	31.03.2017 की देयता	वर्ष में किया गया प्रावधान
अवकाश नकदीकरण	708.41	(52.62)	761.03	135.62
अवकाश यात्रा छूट	57.70	0.04	57.66	2.42
पुनर्वास लाभ	7.44	0.41	7.03	0.40
माइलस्टोन अवार्ड	4.38	0.29	4.09	0.28
चिकित्सा अवकाश**	3.00	0.00	3.00	(27.22)

* अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए बीमांकिक अनुमान ग्रेज्यूटी के लिए प्रयुक्त के समान ही है।

मूल बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि के जो एक परिनिश्चित अंशदान योजना है, के लिए रू. 110.99 (विगत वर्ष रू. 95.43 करोड़) का अंशदान दिया है।

** बैंक ने अब तक पूरी बीमारी छुट्टी अर्थात पूरी बकाया अवकाश शेष की देयता को मान्यता प्रदान किया है। बीमारी की छुट्टी के संबंध में कर्मचारी लाभ कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नोट (एएस-15) -(2005 में संशोधित) के अनुरूप, इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसी छुट्टी लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए रु. 1030.00 (विगत वर्ष रु. 1,200और ग्रैच्युटि के लिए रु 517.19 (विगत वर्ष रु. 200) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

ii. योजना में अधिशेष/घाटा:

विवरण	ग्रैच्युटि योजना				
	वि.व. 2017-18	वि.व. 2016-17	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15	वि.व. 2013-14
परिभाषित लाभ देयता	1,754.54	1,410.08	1,370.70	1,310.99	1,402.54
प्लान आस्तियां	1,319.42	1,360.32	1,223.87	1,265.18	1,316.51
अमान्य संक्रमणशील देयता	326.34	0.00	0.00	0.00	85.79
अधिशेष / (घाटा)	108.78	(49.76)	(146.83)	(45.81)	(0.24)
प्लान देयता (लाभ)/ हानि पर अनुभव समायोजन	(22.79)	38.41	146.31	(7.79)	(705.56)
प्लान आस्ति (लाभ)/ हानि पर अनुभव समायोजन	(4.76)	1.71	(6.41)	19.27	(17.27)

विवरण	पेन्शन योजना				
	वि.व. 2017-18	वि.व. 2016-17	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15	वि.व. 2013-14
परिभाषित लाभ देयता	13,716.87	12,851.12	11,076.48	9,420.03	8,038.25
प्लान आस्तियां	13,330.64	12,321.80	10,515.60	9,041.48	7,261.19
अमान्य संक्रमणशील देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	442.42

i. Other long term employee benefits*

Particulars	Liability as on 31.03.2018	Provisions made during the year	Liability as on 31.03.2017	Provisions made during the year
Leave Encashment	708.41	(52.62)	761.03	135.62
Leave Travel Concession	57.70	0.04	57.66	2.42
Resettlement Benefits	7.44	0.41	7.03	0.40
Milestone Awards	4.38	0.29	4.09	0.28
Sick Leave**	3.00	0.00	3.00	(27.22)

* The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

The bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/ Defined contribution scheme as an expense. During the year, the bank has contributed ₹ 110.99 (Previous Year ₹ 95.43) towards such fund which is a defined contribution plan.

** The bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leaves by employees.

The Bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹ 1030.00 (Previous Year ₹ 1,200) and towards Gratuity is ₹ 517.19 (Previous Year: ₹ 200).

ii. Surplus/ Deficit in the Plan

Particulars	Gratuity Plan				
	FY 2017-18	FY 2016-17	FY 2015-16	FY 2014-15	FY 2013-14
Defined benefit obligation	1,754.54	1,410.08	1,370.70	1,310.99	1,402.54
Plan assets	1,319.42	1,360.32	1,223.87	1,265.18	1,316.51
Unrecognised Transitional liability	326.34	0.00	0.00	0.00	85.79
Surplus/(deficit)	108.78	(49.76)	(146.83)	(45.81)	(0.24)
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	(22.79)	38.41	146.31	(7.79)	(705.56)
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	(4.76)	1.71	(6.41)	19.27	(17.27)

Particulars	Pension Plan				
	FY 2017-18	FY 2016-17	FY 2015-16	FY 2014-15	FY 2013-14
Defined benefit obligation	13,716.87	12,851.12	11,076.48	9,420.03	8,038.25
Plan assets	13,330.64	12,321.80	10,515.60	9,041.48	7,261.19
Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	442.42

विवरण	पेन्शन योजना				
	वि.व. 2017-18	वि.व. 2016-17	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15	वि.व. 2013-14
अधिशेष / (घाटा)	(386.23)	(529.32)	(560.88)	(378.55)	(334.63)
प्लान देयता (लाभ)/ हानि पर अनुभव समायोजन	(66.62)	198.92	930.23	592.91	(224.22)
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	33.27	103.05	101.74	312.64	70.22

Particulars	Pension Plan				
	FY 2017-18	FY 2016-17	FY 2015-16	FY 2014-15	FY 2013-14
Surplus/(deficit)	(386.23)	(529.32)	(560.88)	(378.55)	(334.63)
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	(66.62)	198.92	930.23	592.91	(224.22)
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/ Gain	33.27	103.05	101.74	312.64	70.22

(बी) लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्टिंग

भाग क: कारोबार खण्ड

(B) AS-17 "Segment Reporting"

Part A: Business Segment

कारोबार खण्ड	Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		कुल Total	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
राजस्व	Revenue	14605.68	15558.61	15182.93	16585.21	14101.72	13945.00	43890.33	46088.83
गैर-आबंटित राजस्व	Unallocated Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	547.54	548.59
अंतर खंड राजस्व	Inter Segment Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	279.18	232.74
कुल राजस्व	Total Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44158.69	46404.68
परिणाम	Results	2320.42	5531.62	(13637.44)	(11005.35)	3279.25	2948.30	(8037.77)	(2525.43)
गैर-आबंटित व्यय	Unallocated Income net of Expenses	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	(510.54)	236.92
परिचालन लाभ	Operating profit	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	(8548.31)	(2288.51)
आयकर	Income Tax	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	(2587.00)	(818.41)
असाधारण लाभ/हानि	Extraordinary profit/loss	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0.00	0.00
निवल लाभ	Net Profit	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	(5961.31)	(1470.10)
अन्य जानकारी :	**Other Information:**								
खंड आस्तियां	Segment Assets	222935.47	224751.76	220336.55	287862.67	150277.07	101284.41	593549.08	613898.84
गैरआबंटित आस्तियां	Unallocated Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21635.26	18127.11
कुल आस्तियां	Total Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	615184.34	632025.95
खंड देयताएं	Segment Liabilities	214023.60	216024.15	237554.10	277617.66	120683.30	98420.71	572261.01	592062.52
गैर आबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6166.86	6334.17
कुल देयताएं	Total Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	578427.87	598396.69

नोट : गैर बैंकिंग अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों से संबंधित सूचना को अनाबंटित खंड के अंतर्गत शामिल किया गया है।

Note: Information in respect of Non-Banking subsidiaries/joint venture has been included under unallocated segment.

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	स्वदेशी / Domestic		अंतर्राष्ट्रीय / International		कुल / Total	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
राजस्व	Revenue	39327.90	41201.73	4830.79	5202.95	44158.69	46404.68
आस्तियां	Assets	492398.50	487183.37	122785.85	144842.58	615184.35	632025.95

बीओआई समूह ने (एएस)-17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप कारोबारी खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को गौण खंड के रूप में मान्यता दी है।

The BOI group has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with AS-17.

I. प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) **कोषागार परिचालन:** खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) **थोक बैंकिंग:** थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंग:** खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) एक्सपोजर : अधिकतम कुल एक्सपोजर रु.5 करोड़ तक।

ii) कुल वार्षिक टर्नओवर रु.50 करोड़ से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

घ) **अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण:**

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

ङ) **लागत का विनियोजन :**

– विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

– विशेष खण्ड को सीधे न प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

II. गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

(सी) लेखांकन मानक 18 "संव्यवहारों संबंधित पक्षकार संव्यवहार"

(1) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	:	श्री दीनबंधु मोहापात्रा (05.05.2017 से) श्री मेलविन ओ. रेगो (04.05.2017 तक)
कार्यपालक निदेशकगण	:	श्री आर.ए.शंकरनारायण (31.08.2017 तक) श्री नीलम दामोदरन श्री अतनु कुमार दास श्री सी. जी. चैतन्य (09.10.2017 से) श्री बी.पी. शर्मा (31.07.2016 तक) श्री आर.पी.मराठे (26.09.2016 तक)

I. Primary Segment: Business Segments

a) **Treasury Operations:** 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) **Wholesale Banking**: Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) **Retail Banking**: Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) **Exposure** – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5 Crore

ii) The total annual turnover is less than ₹ 50 crore i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

d) **Pricing of Inter-Segmental transfers**

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

e) **Allocation of Costs**

- Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment

- Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees / business managed

II. Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

(C) AS-18 "Related Party Transactions":

I. List of Related Parties:

a. Key Managerial Personnel :

Managing Director & CEO	:	Shri Dinabandhu Mohapatra (w.e.f. 05.05.2017) Shri Melwyn O. Rego (Up to 04.05.2017)
Executive Directors	:	Shri R.A.Sankara Narayanan (Up to 31.08.2017) Shri Neelam Damodharan Shri Atanu Kumar Das Shri C. G. Chaitanya (w.e.f. 09.10.2017) Shri B.P. Sharma (upto 31.07.2016) Shri R.P. Marathe (upto 26.09.2016)

ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिक: प्रदत्त पारिश्रमिक

b) KEY MANEGEMENT PERSONNEL: REMUNERATION PAID

(₹ में) / (in ₹)

पदनाम	Name	2017-18	2016-17
श्री दीनबंधु मोहापात्रा	Shri Dinabandhu Mohapatra	2,396,529	-
श्री मेलविन ओ. रेगो	Shri Melwyn O Rego	452,824	2,706,033
श्री नीलम दामोदरन	Shri Neelam Damodharan	2,283,849	264,063
श्री अतनु कुमार दास	Shri Atanu Kumar Das	2,283,722	257,623
श्री सी. जी. चैतन्य	Shri C.G. Chaitanya	1,085,733	-
श्री आर.ए.शंकरनारायणन	Shri R.A. Sankara Narayanan	969,286	2,292,617
श्री बी. पी. शर्मा	Shri B.P. Sharma	-	676,538
श्री आर.पी.मराठे	Shri R.P.Marathe	-	908,749

लेखांकन मानक-18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक रिश्ते की प्रकृति स्वरूप संव्यवहारों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों एवं उनके रिश्तेदारों के साथ संव्यवहार शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है क्यों कि ऐसा प्रकटन गोपनीयता संबंधी बैंक के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship, including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed, since the disclosure would conflict with Bank's duties of confidentiality.

(डी) लेखांकन मानक 19 - पट्टा वित्तपोषण (मूल बैंक)

(i) पट्टा वित्तपोषण और इसके घटकों में बैंक के निवेश की संविदागत परिपक्वताएं जो अग्रिमों में शामिल की गई हैं का उल्लेख नीचे किया गया है:

(D) AS19 "Lease Financing" (Parent Bank)

(i) The contractual maturities of the Parent Bank's investment in lease financing and its components, which are included in advances, are set out below:

विवरण	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
सकल निवेश	Gross Investments	0.00	0.00
प्राप्य पट्टा भुगतान	Lease payment receivables		
(i) 1 वर्ष से अधिक नहीं	(i) not later than 1 year	0.00	0.00
(ii) 1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	(ii) later than 1 year but not later than 5 years	0.00	0.00
(iii) 5 वर्ष से अधिक	(iii) later than 5 years	0.00	0.00
कुल	**TOTAL**	**0.00**	**0.00**
अनर्जित वित्त आय	Unearned finance income	0.00	0.00
निवल निवेश	**Net investments**	**0.00**	**0.00**

(ii) **रू. शून्य की पट्टा आय (पिछले वर्ष रू. शून्य) अर्जित ब्याज के तहत शामिल की जाती है।**

(ii) Lease income of ₹ Nil (previous year ₹ Nil) is included under Interest Earned.

(ई) लेखांकन मानक 20 - "प्रति शेयर अर्जन" रुपयों में

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

(E) AS20 "Earnings per Share" In ₹:

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) (₹ करोड़) (ए)	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in crore) (A)	(5961.31)	(1470.09)
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (₹ करोड़)(बी)	Weighted Average Number of Equity shares (crore) (B)	115.02	99.12
मूलभूत एवं तनुकृत आय (ए/बी) (रु.) (₹)	*Basic & Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	(51.83)	(14.83)
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	Nominal Value per Equity Share (₹)	10.00	10.00

ङ आधारभूत एवं तनुकृत ई.पी.एस. समान ही है क्योंकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है। .

*Basic and Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares

(एफ) लेखांकन मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

(F) AS-22 "Accounting for Taxes on Income":

The Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

विवरण	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
आस्थागित कर आस्तियां	**Deferred Tax Assets**		
प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards provisions	10376.48	6949.74
अन्य	Others	688.17	610.58
कुल आस्थगित कर आस्तियां	**Total Deferred Tax Assets**	**11064.64**	**7560.32**
आस्थगित कर देयता	**Deferred Tax Liabilities**		
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	On account of depreciation on fixed assets	250.60	283.20
निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	On account of depreciation on investment	0.00	312.34
प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण	On account of interest accrued but not due	839.99	795.29
अन्य	Others	760.20	752.37
कुल आस्थगित कर देयताएं	**Total Deferred Tax Liabilities**	**1850.79**	**2143.20**
निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)**	**9213.85**	**5417.12**

(जी) लेखांकन मानक 27 ''संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्टिंग'':

निवेश में शामिल हैं रू.75 (पिछल वर्ष रू. 75) निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित ईकाई में बैंक की ब्याज का प्रतिनिधित्व :-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि	निवास देश	होल्डिंग %
1	स्टार यूनियन दाई इची जीवन बीमा कंपनी लि.,	₹ 75	भारत	28.96%

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
देयताएं		
पूंजी एवं आरक्षितियां	152.36	152.78
जमाराशियां	-	-
उधार	-	-
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	2,013.07	1,796.72
कुल	**2,165.43**	**2769.80**
आस्तियां		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	25.80	12.01
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	0.00	19.00
निवेश	1,993.27	1,792.28
अग्रिम	2.58	2.73
अचल आस्तियां	5.67	6.51
अन्य आस्तियां	138.11	135.97
कुल	**2,165.43**	**1,949.50**

(G) AS-27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures":

Investments include ₹ 75 (Previous year ₹ 75) representing Parent Bank's interest in the following jointly controlled entity:

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of Residence	Holding %
1	Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.(*)	₹ 75	India	28.96%

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Liabilities		
Capital & Reserves	152.36	152.78
Deposits	-	-
Borrowings	-	-
Other Liabilities & Provisions	2,013.07	1,796.72
Total	**2,165.43**	**2769.80**
Assets		
Cash and Balances with Reserve Bank of India	25.80	12.01
Balances with Banks and Money at call and short notice	0.00	19.00
Investments	1,993.27	1,792.28
Advances	2.58	2.73
Fixed Assets	5.67	6.51
Other Assets	138.11	135.97
Total	**2,165.43**	**1,949.50**

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
पूंजीगत बाध्यताएं	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं	7.38	5.48
आय		
अर्जित ब्याज	6.98	3.05
अन्य आय	23.32	18.40
कुल	**30.30**	**21.45**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0.00	0.00
परिचालन व्यय	8.32	5.57
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	0.00	0.00
कुल	**8.32**	**5.57**
लाभ / (हानि)	**21.98**	**15.88**

(एच) लेखांकन मानक 29 : ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' (मूल बैंक) :

क. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढ़ाव

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएं	
	2017-18	2016-17
प्रारंभिक शेष	75.01	41.68
वर्ष के दौरान प्रावधान	1.94	33.33
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	2.65	0.00
अंतिम शेष	74.30	75.01
बहिर्गमन का समय/ अनिश्चितताएं	समझौते / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर क्रमश: निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

10) अन्य नोट

10.1 आरबीआई परिपत्र क्रं.डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.50/21.06.201/2016-17 दिनांक 2 फरवरी, 2017 के अनुसार और अपर्याप्त लाभ के परिप्रेक्ष्य में, बैंक ने राजस्व आरक्षित निधि में नामे करते हुए एटी-1, स्थायी बासेल-III अनुपालित बॉन्डों पर ब्याज का भुगतान/ब्याज हेतु प्रावधान किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु रु.565.06 का ब्याज राजस्व आरक्षित निधि में नामें किया गया है।

10.2 आरबीआई ने अपने परिपत्र क्र.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 दिनांक अप्रैल 2018 द्वारा बैंकों को, 31 दिसंबर, 2017 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए एएफएस और एचएफटी वर्गों में धारित निवेशों पर मार्क टु मार्केट हानियों (मूल्यह्रास) हेतु प्रावधानों को स्प्रेड करने

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Capital Commitments	0.00	0.00
Other Contingent Liabilities	7.38	5.48
Income		
Interest Earned	6.98	3.05
Other Income	23.32	18.40
Total	**30.30**	**21.45**
Expenditure		
Interest Expended	0.00	0.00
Operating Expenses	8.32	5.57
Provisions & Contingencies	0.00	0.00
Total	**8.32**	**5.57**
Profit / (Loss)	**21.98**	**15.88**

(H) AS-29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets": (Parent Bank)

A. Movement of Provisions for contingent liabilities

Particulars	Legal cases/contingencies	
	2017-18	2016-17
Opening Balance	75.01	41.68
Provided during the year	1.94	33.33
Amounts used during the year	2.65	0.00
Closing Balance	74.30	75.01
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement / Crystallization	

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

10. Other Notes

10.1 In terms of RBI Circular no. DBR.BP.BC. No.50/21.06.201/2016-17 dated 2nd February, 2017 and in view of insufficient profits, the parent Bank has made payment / provision of interest on AT-1 Perpetual Basel III Compliant Bonds by debiting Revenue Reserve. Accordingly, interest of ₹ 565.06 for the year ended March 31, 2018 has been debited to Revenue Reserve.

10.2 RBI vide its circular DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018 has permitted banks to spread provisioning for mark to market losses (depreciation) on investments held in AFS and HFT categories for the quarters ended December 31, 2017 and March 31, 2018. The losses can be spread over four quarters, commencing from the quarter in which the loss has been incurred.

की अनुमति दी है। जिस तिमाही में हानि हुई हो, उस तिमाही से शुरू करते हुए हानियों को चार तिमाहियों में स्प्रेड किया है।

बैंक ने केवल, 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही में मूल्यह्रास-प्रावधान के संबंध में इस वितरण का लाभ उठाने का विकल्प चुना है। तदनुसार, रु.347.55 के मूल्यह्रास को 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही हेतु लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है। रु.1042.65 के शेष मूल्यह्रास को आगामी वित्तीय वर्ष की शेष तिमाहियों में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा।

10.3 भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 अप्रैल, 2018 के पत्र सं. डीबीआर संख्या.बीपी. बीसी.9730 / 21.04.018 / 2017-18 द्वारा बैंकों को 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही से चार तिमाहियों में ग्रैच्युटी सीमा में वृद्धि के फलस्वरूप होने वाली अतिरिक्त देयता को स्प्रेड करने का विकल्प दिया है। बैंक ने इस विकल्प को चुना है और मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के दौरान रु.108.78 चार्ज किया है और आगामी वित्तीय वर्ष में बाद की तिमाहियों के लिए रु.326.34 की राशि को स्थगित कर दिया है।

10.4 मूल बैंक और अनुषंगियों के पृथक वित्तीय विवरणों में जिन अतिरिक्त जानकारियों का प्रकटन किया गया है, उनका समेकित वित्तीय विवरणों के सही और न्यायोचित दृष्टिकोण पर कोई प्रभाव नहीं है तथा कम महत्व की मदों से संबंधित जानकारी का प्रकटन समेकित वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।

10.5 पिछली अवधि के आंकड़ो को, जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुन: समूहित/पुन:व्यवस्थित किया गया है।

The Parent Bank has opted to avail this dispensation only in respect of depreciation provision arising in quarter ended March 31, 2018. Accordingly, depreciation of ₹ 347.55 has been charged to Profit and Loss account for the quarter ended March 31, 2018. Remaining depreciation of ₹ 1042.65 will be charged to Profit and Loss account in the subsequent quarters of ensuing financial year.

10.3 RBI vide communication DBR.No.BP. BC.9730/21.04.018/2017-18 dated April 27, 2018 has given the option to Banks to spread additional liability on account of enhancement in gratuity limits over four quarters commencing with quarter ended March 31, 2018. The Parent Bank has exercised the option and has charged ₹ 108.78 during the quarter ended March, 2018 and deferred ₹ 326.34 to subsequent quarters of the ensuing financial year.

10.4 Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent bank and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements.

10.5 Previous Year's figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.

.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल
समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया (पैरेंट बैंक) और इसके उपक्रमों, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों जिसे आगे 'बीओआई समूह' कहा गया है, के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की मिली-जुली लेखा परीक्षा कर ली है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2018 तक का समेकित तुलन-पत्र, लाभ व हानि का समेकित विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ-साथ तत्कालीन समय में समाप्त हुए वर्ष का समेकित नकदी-प्रवाह विवरण और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित पर आधारित हैं-

   क) हमारे द्वारा लेखा परीक्षित मूल (पैरेंट) बैंक के वित्तीय विवरण;

   ख) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित चार स्वदेशी उपक्रमों, एक स्वदेशी संयुक्त उद्यम, दो स्वदेशी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण, और

   ग) 31 दिसम्बर 2017 को समाप्त वर्ष के लिए एक विदेशी सहायक कंपनी का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।

   घ) प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए पांच विदेशी उपक्रमों के वित्तीय विवरण, जिनकी समीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा विशेष रूप से समेकन के उद्देश्य से की गई है, और

   ड) चार स्वदेशी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गई है

समेकित विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है, जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बीओआई ग्रुप की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं; इसमें समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल हैं, जो सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि से हुए हों।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन करें और यह कि वित्तीय विवरण पत्र तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हों, इस हेतु तर्कसंगत निश्चितता प्राप्त करने के लिए योजना बनायें और उसका निष्पादन करें ।

4. लेखा परीक्षा में, समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरणों के बारे में लेखापरीक्षा-साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य निष्पादन की प्रक्रियाएं शामिल होती है। चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरण के तात्विक अशुद्ध कथनों के मूल्यांकन का जोखिम शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए हों। उन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखा परीक्षक बीओआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो उन परस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। लेखा परीक्षा में, उपयोग की गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता के मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गये लेखा अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है।

5. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गये लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी लेखा राय को आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं।

INDEPENDENT AUDITORS REPORT

To
The Board of Directors of Bank of India
Report on the Consolidated Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Bank of India ("the Parent Bank") and its subsidiaries, associates and joint ventures collectively hereinafter referred to as "BOI Group" and the consolidated financial statements comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2018, the Consolidated Statement of Profit and Loss and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended together with a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The consolidated financial statements are based on –

   a) Financial statements of the Parent Bank audited by us;

   b) Financial statements of four domestic subsidiaries, one domestic joint venture, two domestic associates audited by other auditors; and

   c) Audited Financial Statements of one overseas associate for the year ended on 31st December 2017.

   d) Financial statements of five overseas subsidiaries prepared by the Management and reviewed by other auditors specifically for consolidation purpose; and

   e) Unaudited financial statements of four domestic associates

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of BOI Group in accordance with accounting principles generally accepted in India; this includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the BOI Group's preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

अभिमत

6. हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गये स्पष्टीकरणों और उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों के विचार के आधार पर, जैसे कि नीचे नोट किया गया है, समेकित वित्तीय विवरण भारत में समान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं;

   क) 31 मार्च, 2018 तक बीओआई समूह के कार्यों की स्थिति के संबंध में, समेकित तुलन-पत्र के मामले में;

   ख) उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष की हानि के समेकित लाभ और हानि विवरण के मामले में; और

   ग) उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में।

इस मामले का प्रभाव -

7. हमारी राय में कोई शर्त सन्निविष्ट किए बिना, हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

   क) अतिरिक्त टियर I बेमीयादी बेसिल III अनुपालक बोण्ड्स पर ब्याज के भुगतान हेतु राजस्व आरक्षिति से आहरण के संबंध में वित्तीय विवरणों का नोट सं.10.1

   ख) वित्तीय विवरणी का नोट सं.10.2, 31 मार्च 2018 को समाप्त तिमाही के लिए एएफएस एवं एचएफटी में संघटित (held) निवेश पर बाजार हानि को चिन्हित करने के प्रावधानीकरण को स्प्रेड करने हेतु बैंकों को अनुमति देने की आरबीआई की व्यवस्था से संबंधित है।

   ग) वित्तीय विवरणी का नोट नं.10.3, उपदान (gratuity) सीमाओं में अभिवृद्धि की वजह से अतिरिक्त देयता को स्प्रेड करने हेतु बैंकों को अनुमति देने की आरबीआई की व्यवस्था से संबंधित है।

अन्य मामले

8. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में समाविष्ट निम्नलिखित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है।

   क) ऐसी अनुषंगियां जिनके वित्तीय विवरण, ₹ 3738.46 करोड़ की कुल आस्तियां, ₹ 340.99 करोड़ का कुल राजस्व और ₹ 61.51 करोड़ का निवल नकद बाह्य प्रवाह दर्शाते हों,

   ख) ऐसे संयुक्त उद्यम जिनका वित्तीय विवरण ₹ 7338.90 करोड़ की कुल आस्तियां, ₹ 2318.83 करोड़ का कुल राजस्व और ₹ 175.40 करोड़ का निवल नकद बाहय प्रवाह दर्शाते हैं।

   ग) सहायक कंपनियां, जिनकी मूल बैंक के निवल लाभ में उनकी हिस्सेदारी ₹ 91.16 करोड़ हैं।

इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई हैं और तिमाही वित्तीय परिणामों और वर्ष के अब तक के परिणामों पर अन्तरिम वित्तीय विवरणों की सीमा तक हमारी राय केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है। इस मामले में हमारी राय साक्षेप (क्वालिफाइड) नहीं है।

9. हमने चार सहायक कंपनियों के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों का भी सहारा लिया है, जैसा कि हमें मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके आधार पर ₹ 48.17 करोड़ के लाभ के हिस्से का समेकन में विचार किया गया है।

10. उपर्युक्त पैराग्राफ 7, 8 और 9 में बताये गये मामलों के संबंध में हमारी राय बिना किसी शर्त के है।

Opinion

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;

   a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the BOI Group as at 31st March 2018;

   b) in the case of the Consolidated Statement of Profit and Loss, of the loss for the year ended on that date; and

   c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. Without qualifying our opinion, we draw attention to:

   a. Note No. 10.1 to the financial statements regarding withdrawal from Revenue Reserve for payment of interest on Additional Tier I Perpetual Basel III Compliant Bonds.

   b. Note No 10.2 to the financial statements regarding RBI dispensation permitting banks to spread provisioning to Mark to Market losses on investment held in AFS and HFT for the quarter ended 31st March 2018.

   c. Note No 10. 3 to the financial statements regarding RBI dispensation permitting banks to spread additional liability on account of enhancement in gratuity limits.

Other Matters

8. We have not audited the following financial statements incorporated in the consolidated financial statements:

   a. subsidiaries whose financial statements reflect total assets of ₹ 3738.46 Crore, total revenues of ₹ 340.99 Crores and net cash outflows of ₹ 61.51 Crore,

   b. joint venture whose financial statements reflect total assets of ₹7338.90 Crore, total revenues of ₹2318.83 Crore and net cash outflows of ₹175.40 Crore,

   c. Associates reflecting share of net profit of the Parent Bank of ₹ 91.16 Crores

   These financial statements have been audited/reviewed by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the quarterly financial results and the year to date results, to the extent they have been derived from such interim financial statements is based solely on the report of such other auditors. Our opinion is not qualified in the respect of this matter.

9. We have also relied on the un-audited financial statements of Four associates as made available to us by the management of the Parent Bank based on which share of profit of ₹48.17 Crore have been considered in consolidation.

10. Our opinion is not qualified in respect of the matters stated in para 7, 8 and 9 above

कृते मेसर्स. जी.डी.आपटे एण्ड कं. For G D Apte & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 100515W) (FRN 100515W)	कृते एनबीएस एण्ड कं. For NBS. & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)	कृते बंसी जैन एण्ड एसोसिएट्स For Banshi Jain & Associates. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)
सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe भागीदार Partner सदस्यता सं. 121546 M. No. 121546	प्रदीप शेट्टी Pradeep Shetty भागीदार Partner सदस्यता सं. 046940 M. No. 046940	पराग जैन Parag Jain भागीदार Partner सदस्यता सं 078548 M. No. 078548

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 28 मई, 2018 / Date : 28nd May 2018

बासेल III (स्तंभ3)- प्रकटन(समेकित)मार्च 2018

तालिका डीएफ 1

अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर यह संरचना लागू होती है

बैंक ऑफ इंडिया

i. गुणात्मक प्रकटन

क. ऐसे समूह संस्थाओं की सूची जो समेकन में शामिल है

संस्था का नाम/निगमीकरण का देश	क्या इकाई/ संस्था लेखा समेकन के दायरे में शामिल है (हां/ नहीं)	समेकन की विधि समझाएं	क्या इकाई समेकन के नियामक दायरे के तहत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की विधि समझाएं	समेकन की विधि में अंतर के कारण दें	समेकन के केवल एक दायरे के अंतर्गत समेकित है तो कारण दें
बैंक ऑफ इंडिया न्यूजीलैंड लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ इंडिया (तनजानिया) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई शेयर होल्डिंग लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेन्ट मैनेजर्स प्रा.लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई मर्चट बैंकर्स लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
स्टार यूनियन दाई-ईची लाईफ इंश्योरेंन्स कं. लि.	हाँ	संयुक्त उद्यम	नहीं	संयुक्त उद्यम	लागू नहीं	लागू नहीं
एसटीसीआई फायनान्स लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडो-जांबिया बैंक लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी झारखंड ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं

ख) लेखांकन तथा नियामक समेकन गुंजाइश दोनों के तहत समेकन में शामिल न किए जाने वाले समूह संस्थाओं की सूची-

ऐसी कोई भी समूह संस्था नहीं है जिसके लिए लेखांकन समेकन गुंजाइश और नियामक समेकन गुंजाइश, दोनों के तहत समेकन हेतु विचार न किया गया हो।

(ii) मात्रात्मक प्रकटन:

(ग) ऐसी समूह संस्थाओं की सूची जो समेकन में शामिल है

संस्था का नाम/निगमीकरण का देश	संस्था की मुख्य गतिविधि	कुल बैलंस शीट इक्विटी व रिजर्व	कुल बैलेंस शीट आस्तियां
बैंक ऑफ इंडिया न्यूजीलैंड लि.	बैंकिंग	2556.60	4829.94
बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि.	बैंकिंग	640.32	2367.40
बैंक ऑफ इंडिया (तनजानिया) लि.	बैंकिंग	1059.25	3431.52
बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.	बैंकिंग	227.19	914.57
पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	बैंकिंग	5410.55	21124.31
बीओआई शेयर होल्डिंग लि.	स्टॉक एक्सचेंज का समाशोधन व निपटान	283.27	304.86
बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेन्ट मैनेजर्स प्रा.लि.	आस्ति प्रबंधन	596.40	733.30
बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. लि.	ट्रस्टीशिप सेवाएं	1.44	1.82
बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि.	मर्चेंट बैंकिंग	134.23	134.93
स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	जीवन बीमा	5261.19	73389.00
एसटीसीआई फायनान्स लि.	एनबीएफसी-एनडीएसआई	15543.00	115625.06
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	आस्ति वसूली कंपनी	1420.02	1882.67
इंडो जांबिया बैंक लि.	बैंकिंग	5200.41	24200.67
आरआरबी विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	1777.73	44312.22
आरआरबी आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	15716.40	187084.07
आरआरबी झारखंड ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	1549.12	37342.52
आरआरबी नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	6290.91	84417.22

घ. सभी अनुषंगियों में पूंजीगत कमी की कुल राशि जिसे विनियामक समेकन, अर्थात गुंजाइश में शामिल नहीं किया गया जिनकी कटौती की जाती है:

अनुषंगियों में कोई कमी नहीं है।

ङ बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हित की समग्र राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य) जिन्हें जोखिम आधार पर मापा जाता है:

बीमा कंपनियों के नाम/निगमीकरण का देश	संस्था की प्रमुख गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (रू. मिलियन)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का % /मतदान अधिकार का अनुपात	कटौती पद्धति का उपयोग करने बनाम जोखिम भारिता पद्धति का उपयोग करने से नियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव (रू. मिलियन में)
स्टार युनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	जीवन बीमा	73389.01	28.96	1875.00 (जोखिम भार 250 %)

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या नियामक पूंजी के अंतरण के संबंध में कोई प्रतिबंध या बाधाएं जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिशासित है।

नहीं।

तालिका डीएफ - 2
पूंजी पर्याप्तता

i. गुणात्मक प्रकटन

क. वर्तमान तथा भावी कार्य-कलापों के समर्थन में अपनी पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन के लिए बैंक के दृष्टिकोण की संक्षेप में विवेचना।

1. बैंक ऑफ इंडिया

बैंक समय-समय पर अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं का नियमित मूल्यांकन करता है। भविष्य में कारोबार वृद्धि, पूंजीगत आवश्यकताएं, नीति दिशा-निर्देश, मेक्रो आर्थिक परिदृश्य एवं जोखिम क्षमता, आदि का ध्यान रखने हेतु पूंजीगत योजना की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। सभी जोखिमों से व्यापक रूप से निपटने हेतु बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) विकसित की है।

2. पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

बैंक इंडोनेशिया के विनियमन के अनुरूप विदेशी मुद्रा व्यापार चलाने के लिए, बैंक की टियर-1 पूंजी कम-से-कम आईडीआर-1 ट्रिलियन होना चाहिए।

3. बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि. (अनुषंगी):

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु बैंक ऑफ तंजानिया (बीओटी) और बैंक ऑफ युगांडा (बीओयू) द्वारा कार्यान्वित अनुसार, बासेल समिति द्वारा विकसित दिशानिर्देशों पर आधारित तकनीक का प्रयोग करते हुए, बैंक प्रबंधन द्वारा पूंजी पर्याप्तता तथा नियामक पूंजी के प्रयोग की नियमित निगरानी की जाती है। आवश्यक सूचना तिमाही आधार पर बीओटी और बीओयू स्थानीय विनियामक के पास प्रस्तुत है। आई एफ आर एस - 9 जनवरी 1, 2018 से लागू हो गया है।

बैंक की नियामक पूंजी, जो इसके प्रबंधन द्वारा प्रबंधित है, वह दो टियर में विभाजित है:

टियर 1 पूंजी : - शेयर पूंजी तथा प्रतिधारित आय टियर-1 पूंजी की गणना में पूर्वदत्त व्यय आस्थगित प्रभार, सांविधिक आरक्षितियां एवं सामान्य प्रावधान काट लिए जाते हैं।

टियर 2 पूंजी : -अर्हक गौण ऋण पूंजी, समेकित क्षतिभत्ता तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ

जोखिम भारित आस्तियों को चार जोखिम भारों के अनुक्रम द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जोखिम-भार का वर्गीकरण, किसी पात्र संपार्श्विक या गारंटी की गणना करते हुए, आस्ति की प्रकृति, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और प्रत्येक आस्ति एवं प्रतिपक्ष से जुडे जोखिम के आधार पर किया जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया, संभावित हानियों की अधिक आकस्मिक प्रकृति को परिलक्षित करते हुए कुछ आशोधनों के साथ, ऑफ-बैलेन्स शीट एक्सपोजर के लिए भी की जाती है।

4. बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी):

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड (आरबीएनजेड) के दिशानिर्देशों पर आधारित नियोजित तकनीक पर पूंजी पर्याप्तता तथा नियामक पूंजी के प्रयोग की निगरानी प्रतिदिन बैंक के प्रबंधन द्वारा की जाती है। आवश्यक सूचना का प्रकटन तिमाही आधार पर सामान्य प्रकटन विवरण द्वारा किया जाता है। बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रबंधित नियामक पूंजी में केवल टियर 1 पूंजी शामिल है।

टियर 1 पूंजी : शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियाँ।

जोखिम भारित आस्तियों को पाँच जोखिम भारों के अनुक्रम द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जोखिम-भार का वर्गीकरण, किसी पात्र संपार्श्विक या गारंटी की गणना करते हुए, आस्ति की प्रकृति, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और प्रत्येक आस्ति एवं प्रतिपक्ष से जुडे जोखिम के आधार पर किया जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया, ऑफ-बैलेन्स शीट एक्सपोजर के लिए भी की जाती है।

5. बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

बैंक की नियामक पूंजी, जो इसके प्रबंधन द्वारा प्रबंधित है, वह दो टियर में विभाजित है :

टियर 1 पूंजी : शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियां (अनुषंगी के लिए अब हानि)। टियर I पूंजी की गणना के लिए पूर्वदत्त व्यय एवं आस्थगित प्रभारोंको घटा दिया जाता है।

टियर 2 पूंजी : अर्हक गौण ऋण पूंजी, समेकित क्षतिभत्ता अर्थात मानक आस्तियों पर प्रावधान तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर अप्राप्त उगाही।

ii मात्रात्मक प्रकटन

		रू. मिलियन में
	ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं (#):	238626.47
➢	मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की शर्त पर पोर्टफोलियो	
➢	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	
	बाजार जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं :मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (#):	
➢	ब्याज दर जोखिम	14668.02
➢	विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	335.41
➢	इक्विटी जोखिम	8248.42
	परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता (#):	
➢	बेसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण	
➢	मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	27083.26
	कॉमन इक्विटी टियर 1, टियर 1 और कुल पूंजी अनुपात :	
	श्रेष्ठ समेकित समूह हेतु;	
➢	आम इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	8.52%
➢	टियर 1 पूंजी (टी 1)	10.36%
➢	कुल पूंजी अनुपात	13.54%
#	आवश्यक पूँजी को आरडबल्यूए की 9% की दर से न्यूनतम नियामक आवश्यकता पर गणना की जाती हैं।	

तालिका डीएफ 3 - ऋण जोखिम
सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

क) ऋण जोखिम सहित सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें सम्मिलित है:

- पिछले देय तथा अपसामान्य की परिभाषा (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

1.0 बैंक ऑफ इंडिया

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों का अनुपालन करता है, जिसका सारांश निम्नलिखित है:

1.1 अनर्जक आस्तियाँ

एक आस्ति जिसमें पट्टा आस्ति शामिल है जब बैंक के लिए आय उत्पन्न नहीं करती है तब वह अनर्जक हो जाती है।

अनर्जक आस्ति (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसमें :

- मीयादी ऋण के संबंध 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए मूलधन का ब्याज और/या किस्त अतिदेय रहता है।
- एक ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के सम्बन्ध में, नीचे दर्शाए गए अनुसार ''अनियमित'' हुआ खाता।
- क्रय तथा बट्टागत बिल के मामले में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहने वाले बिल।
- अल्पावधि फसलों हेतु दो फसली मौसमों के लिए, अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा ब्याज।
- दीर्घावधि फसलों हेतु एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा उसपर ब्याज।
- दिनांक 1 फरवरी, 2006 के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के अनुसरण में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है तो।
- बैंक किसी भी खाते को एनपीए के रूप में तब ही वर्गीकृत करेगा जब ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह चुकाया नहीं जाए।
- बुनियादी/गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण, यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार (90 दिन का अतिदेय होने पर) वाणिज्यिक परिचालन शुरु होने से पहले किसी भी समय एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- किसी बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से दो वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता है तो उसे एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- किसी गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से बारई माह के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता है तो उसे एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।

1.2 ''अनियमित'' स्थिति

एक खाता तब ''अनियमित'' माना जाता है जब उसमें स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से ज्यादा बकाया लगातार बना रहे। उन मामलों में जहाँ प्रधान परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृति सीमा/आहरण अधिकार से कम है किन्तु तुलन पत्र की तिथि तक 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं है या उस अवधि के दौरान ब्याज नामें करने की राशि न हो तो, इन खातों को ''अनियमित'' खाता माना जाता है।

1.3 ''अतिदेय''

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब ''अतिदेय'' होती है जब बैंक द्वारा निधार्रित तिथि को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

1.4 अनर्जक निवेश

प्रतिभूतियों के मामले में, जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है तथा बैंक प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करता है तथा निवेशमूल्य में मूल्यहास हेतु यथोचित प्रावधान करता है।

एक अनर्जक निवेश (एनपीआई) एक अनर्जक अग्रिम (एनपीए) के समान है जहाँ

- ब्याज/किस्त (परिपक्वता आगम सहित) देय है तथा 90 दिनों से अधिक तक अदत्त है।
- अधिमानी शेयरों के यथोचित परिवर्तनों सहित जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।
- इक्विटी शेयरों के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुरुप नवीनतम तुलन पत्र के अनुपलब्धता पर किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य रु. 1 प्रति कंपनी है तो ऐसे इक्विटी शेयर अनर्जक निवेश माने जाएंगे।
- निर्गमकर्ता द्वारा यदि कोई ऋण सुविधा प्राप्त की जाती है जो बैंक की बही में अनर्जक अग्रिम है तब इस निर्गमकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश को अनर्जक अग्रिम माना जाएगा तथा विलोमत:।
- डिबेन्चर/बॉड में निवेश, जिसे अग्रिम प्रकृति का समझा जाए वह निवेशों पर लागू अनर्जक अग्रिम के अध्यधीन है।

2.0 पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी):

ऋण गुणवत्ता का अभिनिर्धारण कारोबार की संभावना, ऋणी का कार्यनिष्पादनऔर चुकौती क्षमता जैसे तथ्यों के आधार पर किया जाता है। यह प्रत्येक अभिनिर्धारण तथ्य और घटकों तथा संबंधित ऋणी की विशिष्टताओं से संबद्ध अभिनिर्धारण तथ्यो के आधार पर किया जाता है। तदनुसार आस्तियों को चालू, विशेष उल्लेख, अवमानक, संदिग्ध और हानि प्रवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है।

''आस्तियाँ'' अर्जक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों में वर्गीकृत की जाती है। अर्जक आस्तियाँ, राजस्व अर्जित करने के लिए किसी बैंक द्वारा निधियों का

प्रावधान है। ''अनर्जक आस्तियाँ '' बैंक की अर्जक आस्तियों के अलावा है जिसमें हानि की संभावना है।

कोई आस्ति अनर्जक तब होती है जब वह बैंक के लिए राजस्व उत्पन्न करना बंद कर देती है। अनर्जक आस्ति ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ मूलधन और/या ब्याज 90 दिन से अधिक के लिए बकाया है।

गत देय : किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय राशि गतदेय होती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित की गई तिथि को नहीं किया जाता है।

2010 को पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके ने नई लेखांकन नीति पीएसएके 50 तथा 55 के कार्यान्वयन को आरम्भ किया जो अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक आईएएस 32 तथा 39 के समान है जिसके अनुसार वित्तीय आस्तियों को उचित मूल्य पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। उपर्युक्त वर्णितानुसार ह्रासित वित्तीय आस्ति की गणना कर सकता है। अब हम बैंक के कोर बैंकिंग में समेकित पीएसएके परिकलन में प्रगति दर्शा रहे हैं जो प्रौद्योगिकी उन्नतिकरण के हमारे कारोबारी योजना के समान है।

मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा समीक्षित बकाया ऋण और अग्रिम निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाना चाहिए :

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
90-120	अवमानक	15%
120-180	संदिग्ध	50%
180 और ज्यादा	हानि	100%

3.0 बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि., बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि., बैंक ऑफ इंडिया युगांडा एवं बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. (अनुषंगी)

ऋण जोखिम बैंक के लिए वित्तीय हानि का जोखिम हो जाता है जब कोई ग्राहक या किसी वित्तीय लिखत का प्रतिपक्षी अपने संविदागत दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाता है और वह प्रमुख रूप से ग्राहकों एवं अन्य बैंकों को बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा नामे प्रतिभूतियों में निवेश के कारण होता है।

निदेशक मंडल ने अपनी ऋण समिति को ऋण जोखिम की चूक के लिए जिम्मेदारी प्रत्यायोजित की है। ऋण समिति को रिपोर्ट करने वाला ऋण विभाग बैंक के ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, इसमें निम्नलिखित शामिल है:-

- संपार्श्विक आवश्यकताओं को कवर करते हुए ऋण नीतियों का प्रतिपादन, ऋण निर्धारण, जोखिम ग्रेडिंग तथा रिपोर्टिंग, प्रलेखी तथा विधिक प्रक्रियाएं, विनियामक तथा सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन।
- ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए प्राधिकृत करने का ढाँचा स्थापित करना। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऋण नीति द्वारा ऋण सीमाएँ शामिल होती है।
- ऋण जोखिम की समीक्षा एवं अभिनिर्धारण।
- प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम का संकेन्द्रण, भौगोलिक एवं औद्योगिक (ऋणों एवं अग्रिमों के लिए) सीमित करना।

3.1 गत देय एवं अनर्जक की परिभाषा (लेखांकन उद्देश्य के लिए)

ओवरड्राफ्ट एवं अन्य ऋण सुविधा बिना विशिष्ट नियत तारीखों के गत देय माने जाएंगे यदि:

- ग्राहक की उधार सीमा से अधिक है।
- ग्राहक की उधार सीमा समाप्त हो जाए।
- गणना किए गए ब्याज और अवधि के लिए नियत ब्याज को पूरा करने के लिए जमाराशियों का अपर्याप्त होना।
- बिल अनादृत कर दिए गए हों।
- बिल या खाते का भुगतान नियत तारीख पर न किया गया हो।
- ऋण जिनकी चुकौती किस्तों में की जानी होती है, समूचे रूप से गतदेय माने जाते हैं, यदि कोई भी किस्त जो देय हो चुकी है और तीस दिन या ज्यादा अवधि के लिए भुगतान नहीं की गई हो।

4.0 बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.:

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-180	अवमानक	10%
181-270	संदिग्ध	50%
271 और अधिक	हानि	100%

5.0 बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि.:

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-180	अवमानक	20%
181-360	संदिग्ध	50%
361 और अधिक	हानि	100%

6.0 बैंक ऑफ इंडिया युगांडा –

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-179	अवमानक	20%
180-365	संदिग्ध	50%
365 और अधिक	हानि	100%

7.0 बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
1 वर्ष	मानक	प्रतिभूत - 20%
अप्रतिभूत - 25%		
1 वर्ष से अधिक एवं 2 वर्ष से कम	संदिग्ध	25% + कमी का 100%
2 वर्ष से अधिक से 4 वर्ष तक	संदिग्ध	40% + कमी का 100%
4 वर्ष से अधिक	हानि	100%

ख) बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

क. बैंक ऑफ इंडिया :

- एक बैंक के पोर्टफोलियों में, एक ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष का उधार, व्यापार समझौता और अन्य वित्तीय लेन-देन के प्रतिबद्धता को पूर्ण करने की अक्षमता या अनिच्छा से अथवा ऋण नीति में वास्तविक या महसूस किए गए ह्रास से पोर्टफोलियों के बढते मूल्य की एकमुश्त चूक से हानि उत्पन्न होती है।
- इन कमियों के विरुद्ध बैंक के दीर्घावधि वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक दृढ जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। ऋण जोखिम प्रबंधन में पहचान, मापन, निगरानी तथा ऋण जोखिम नियंत्रण सम्मिलित है।
- ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में सामान्य स्तर पर बैंक ने विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिम की पहचान की है। उत्पाद/प्रक्रियाओं के स्तर पर अधिक सूक्ष्मता से पहचान होती है। नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को आरम्भ करने से पहले विभिन्न जोखिमों का आकलन किया जाता है, जिसे जोखिम दृष्टिकोण से जोखिम रहित किया जाता है।
- ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में तीन विशिष्ट खण्डों को इसकी नीति में समाहित किया गया है जो है- नीति एवं कार्यनीति, संस्थागत ढांचा और परिचालन/प्रणाली।

i) नीति और कार्यनीति:

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन को अपनाता रहा है, जिससे कठिन समय में भी बैंक अपने संतुलन को बनाए रख पाया। यद्यपि नए तथा अनछुए क्षेत्रों के संबंध में बैंक की एक खुली नीति रही है तथा नए अवसरों को बैंक ने हमेशा पहचाना है। इस दर्शन के महत्वपूर्ण पक्षों को परिपत्रों में दर्शाया गया है तथा समय-समय पर अनुदेश पुस्तिका रूप में संहिताबद्ध किया गया है।

लाभप्रदता, सामना किए जानेवाले विभिन्न जोखिमों के स्तर, पूँजी स्तर, बाजार परिदृश्य तथा प्रतियोगिता को दृष्टिगत रखते हुए बैंक के कारोबारी उद्देश्यों और कार्यनीतियों का निर्णय लिया जाता है। बैंक की सोच हमेशा आस्ति गुणवत्ता तथा अर्जन पर रहती है अतएव वह विवेकपूर्ण ढंग से जोखिम नियंत्रण सहित लाभप्रदता को अधिक करने का प्रयास करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तथा सार्थक ऋण जोखिम संबंधी नीति जैसे ऋण नीति तथा ऋण अनुप्रवर्तन नीति का अनुमोदन तथा आवधिक तौर पर समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। ऋण नीति विभिन्न क्षेत्रों का ध्यान रखती जैसे ग्राहक, विपणन, उधार के क्षेत्रवार अभिगम, ऋण सुपुर्दगी, ऋण पर जोर, ऋण अवधि, ऋण अर्जन, जोखिम श्रेणी निर्धारण (जोखिम स्वीकार मानदंड सहित), कीमत निर्धारण, ऋण मूल्यांकन, सीमाओं का निर्धारण, ऋण जोखिम मानदंड, उद्योग मानदंड, संपार्श्विक और मार्जिन, रिश्तों की समीक्षा, प्रत्यायोजन कर योजना सांविधिक तथा अन्य नियंत्रण तथा प्रलेखीकरण। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों हेतु ऋण नीति है और प्रत्येक केन्द्र की अपनी क्रेडिट नीति है जो मुख्य नीति से मेल खाती है। ऋण मामले में शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए एक अलग नीति है। इसके अतिरिक्त ऋण जोखिम की पहचान तथा निगरानी ऋण अनुप्रवर्तन नीति के अंतर्गत की जाती है। पुनर्गठन नीति, बैंक जोखिम नीति, देश जोखिम नीति तथा ऋण लेखापरीक्षा नीति भी है। निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के बाद तथा निवेश नीति में दिए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश अनुबंधित होता है।

ii) संस्थागत ढांचा:

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य हेतु बैंक के संस्थागत ढांचे में शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल है जो जोखिम प्रबंधन पर व्यापक पर्यवेक्षण रखता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर कॉम) जो कि बोर्ड की उप-समिति है तथा जिसके अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष और इसके सदस्य के रुप में ऋण, मार्केटिंग और परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति के प्रमुख हैं जो ऋण जोखिम सहित समेकित जोखिम प्रबंधन की नीति और कार्यनीति निधार्रित करते हैं। परिचालनात्मक स्तर पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) ऋण जोखिम का दायित्व संभालते हैं। इसके मुख्य कार्यों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन, बृहत आधार पर बैंक के ऋण जोखिम की निगरानी, ऋण प्रत्यायोजन, बृहत ऋण जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा, पोर्टफोलियों प्रबंधन आदि सहित ऋण मामलों से संबंधित सभी नीतियों का बोर्ड से अनुमोदन हेतु अनुशंसा करना है।

जोखिम प्रबंधन विभाग महाप्रबंधक पद के मुख्य जोखिम अधिकारी के देखरेख में कार्यरत है जो जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा निर्धारत सीमाओं के अंदर व्यापक रूप से ऋण जोखिम का मापन, नियंत्रण तथा प्रबंधन करता है तथा बोर्ड/आर कॉम/सीआरएमसी द्वारा तय जोखिम मानदंडों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करता है। महाप्रबंधक के अंतर्गत कार्यरत ऋण निगरानी विभाग ऋण पोर्टफोलियों का अनुप्रवर्तन करता है, समस्याओं की पहचान करता है तथा कमियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋण लेखापरीक्षा कार्यों में ऋण समीक्षा/ऋण लेखापरीक्षा का समावेश है।

iii) परिचालन/प्रणाली/प्रक्रियाएं

बैंक ऋण प्रदान करने के लिए निरंतर एक मानक, तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली मदों सहित सभी ऋण जोखिमों का अनुरक्षण तथा प्रलेखीकरण, आवधिक व्यक्तिगत बाध्यताधारी समीक्षा, आवधिक निरीक्षण तथा संपार्श्विक प्रबंधन प्रणाली जैसी स्वत: पहल कर ऋण जोखिम प्रबंधन करता है।

ऋण जोखिम सीमा में उद्योग द्वारा बाध्यताधारी सीमा व संकेन्द्रण सीमा, ग्राहकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु प्रणाली व प्रक्रिया हेतु निगरानी तथा सीमा में बकाया नियंत्रण सम्मिलित है। ऋण विस्तार हेतु जांच तथा अधिशेष है यथा ऋण स्वीकृति से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, सीआरएमसी द्वारा जोखिम दृष्टिकोण से नए उत्पादों तथा प्रणाली का पुनरीक्षण, बहु ऋण अनुमोदक, जोखिम निर्धारण करने की प्रणाली, ग्राहक के जोखिम ग्रेडिंग पर आधारित कीमत सुविधाओं की प्रणाली, जोखिम दृष्टिकोण से ऋण प्रस्तावों के पुनरीक्षण हेतु ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति, ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा, स्वीकृति पूर्व संवितरण पूर्व समीक्षा तथा स्वीकृति पूर्व समीक्षा प्रणाली तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा व जोखिम समीक्षा कार्य निवेशों हेतु प्रस्ताव ऋण जोखिम विश्लेषण, विस्तृत मूल्यांकन तथा क्रम निर्धारण के अध्यधीन है। प्रवेश स्तर के मामले में, न्यूनतम क्रमनिर्धारण/गुणवत्ता मानक, उद्योग, परिपक्वता, अवधि, निर्गम अनुसार मामले निवेशों हेतु विनिधार्रित किए गए हैं जिससे कि तरलता के जोखिम तथा संकेन्द्रण के विपरीत प्रभाव को कम कर सकता है। अन्य बैंकों पर सकल जोखिम पर केन्द्रीयकृत परिदृश्य प्रदान करने हेतु एक उचित फ्रेमवर्क तथा अर्धवार्षिक समीक्षा की गई है। देश के जोखिम का अनुप्रवर्तन अर्धवार्षिक आधार पर होता है।

जोखिम आस्तियों के विविधतापूर्ण पोर्टफोलियों का अनुरक्षण किया जाता है तथा पोर्टफोलियों के नियमित विश्लेषण करने की एक प्रणाली है जिससे कि जोखिम संकेन्द्रण के जोखिम नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। अनर्जक अग्रिमों के संबंध में एक संतुलित नीति प्रक्रियागत है। ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली के आरम्भ सहित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) उन्नतिशील किया गया है जिससे कि बैंक की क्षमताएं बढेगी तथा तुलन पत्र में न आनेवाली अनिवाली सभी गतिविधियों के ऋण जोखिम का बैंक प्रबंधन करेगा।

iv) ऋण जोखिम प्रबंधन/न्यूनीकरण हेतु निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया जाता है -

➢ **ऋण अनुमोदित करने संबंधी प्राधिकार-अधिकारों का प्रत्यायोजन**

बैंक में बहु स्तरीय जोखिम आधारित अनुमोदित प्रणाली वाली सुस्पष्ट प्रत्यायोजन अधिकार की योजना है जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है और कारोबार के वातावरण की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए जब एवं जैसा आवश्यक होता है, उसे संशोधित किया जाता है। अधिकारियों का प्रत्यायोजन उधारकर्ताओं के रेटिंग के साथ लिंक की हुई है जहां बेहतर रेट वाले ग्राहकों को उच्चतर सीमा की मंजूरी देने का अधिकार है। वर्तमान में सभी ऋण प्रस्तावों पर जो महाप्रबंधक और उससे उच्चतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित प्राधिकारमें आते हैं। "ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति (सीआरईसी)" के माध्यम से कार्रवाई की जाती है जिससे ऋण प्रस्तावों में जोखिमों को स्वतंत्र एवं परोक्ष रूप से मूल्यांकन समझा जा सके। जोखिम प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक जिसे कोई मात्रात्मक या लाभ का लक्ष्य नहीं है सीआरईसी का अनिवार्य सदस्य होता है।

वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर प्रत्यायोजित अधिकारों के प्रयोग हेतु स्वीकृति के अधिकारी सहित गठित की गई हैं। प्रधान कार्यालय स्तर पर फील्ड में कार्यरत अधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों से परे प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए तीन ऋण समितियाँ (जीएमएलसीसी, ईडीएलसीसी एवं सीएसी) कार्यरत हैं। आंचलिक कार्यालय/ एनबीजी कार्यालय में उनके अधिकारों में आनेवाले ऋण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए इसी प्रकार ऋण समितियाँ (एसजेडएलसीसी/ जेडएलसीसी/एनबीजीएलसीसी) का गठित की गई है।

➢ **विवेकपूर्ण सीमाएँ**

विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए ऋण/निवेश के विविध पहलुओं जैसे एकल/समूह उधारकर्ता सीमाओं के संबंध में उपयुक्त विवेकपूर्ण सीमाएँ है।

➢ **जोखिम श्रेणी निर्धारण/मूल्य निर्धारण**

काऊन्टर पार्टी के विभिन्न जोखिम घटकों के लिए एकल बिन्दु इन्डीकेटर तथा क्रेडिट तथा मूल्य निर्धारण में सहायता हेतु बैंक ने विभिन्न खण्डों में श्रेणी निर्धारण माडल आरंभ किया है।

➢ **ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था (एलआरएम)**

ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था ऋण बही की गुणवत्ता के लगातार मूल्यांकन करने और ऋण प्रबंध में गुणात्मक सुधार लाने हेतु एक प्रभावी साधन है।

v. विश्लेषण के माध्यम से संविभाग प्रबंधन

विभिन्न ऋण पोर्टफोलियों एवं निवेशों की समग्र संरचना और गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक उपयुक्त प्रणाली होना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से शुरुआत के लिए बैंक ने एक सरल पोर्टफोलियों निगरानी फ्रेमवर्क प्रारंभ किया है। आगे चलकर बैंक और अधिक परिष्कृत पोर्टफोलियों प्रबंधन मॉडल तैयार करेगा। रु 10 लाख और इससे अधिक वाले खातों में रेटिंग माइग्रेशन छ:माही किया जा रहा है और बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट साफ्टवेयर (सीआरएमएस) चरणबद्ध रुप से कार्यान्वित किया जा रहा है। बैंक एडवांस एप्रोच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है।

vi. जोखिम मापांकन

वर्तमान में ऋण जोखिम का निर्धारण जोखिम श्रेणी निर्धारण व्यक्तिश: स्तर पर करने और पोर्टफोलियो स्तर पर आस्तियों के भारांक एवं जोखिम भारांको के आधार पर रखी गई पूँजी के माध्यम से किया जाता है। 31 मार्च 2008 से प्रभावी नवीन पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के अन्तर्गत बैंक ने मानक दृष्टिकोण को अपना लिया है।

vii. जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली

सभी ऋण संबंधी नीतियाँ अनुमोदन के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सीआरएमसी (जो ऋण जोखिम के लिए परिचालन स्तर की समिति है) द्वारा अनुमत की जाती है। उचित निगरानी करने के लिए विभिन्न ऋण संबंधी सूचनाएँ सीआरएमसी को प्रस्तुत की जाती है।

viii. जोखिम समीक्षा

लेखापरीक्षा-ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं साधन भी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं।

ix. विशेषकर उल्लिखित खाते/एनपीए खातों के अनुवर्तन हेतु उपाय

एनपीए की निगरानी/निवारण हेतु सामान्यत: बैंक में उपलब्ध विभिन्न उपाय नीचे सूचीबद्ध किए गए है :-

I. एनपीए होने से पहले खाता [विशेष रूप से उल्लिखित खाता (एसएमए)]:

क. आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वीकृत अवधि के अनुपालन हेतु सघन निगरानी।

ख. जहाँ भी अनियमितताएँ पाई गई है वहां तत्परता से अनुस्मारकों का भेजा जाना।

ग. एनपीए प्रवर्ग में खाते का न जाना सुनिश्चित करने हेतु तुरंत अतिदेयों की वसूली करना।

घ. वित्तीय डाटा के विश्लेषण के साथ इकाई का आवधिक निरीक्षण एवं आस्ति प्रभार।

ङ. खातों को एनपीए होने से पहले प्राप्य राशियों को पुनर्संरचित करना, अधिस्थगन अवधि, ब्याज निधि एवं किश्तों के आस्थगन की वृद्धि सहित सुधारात्मक कार्रवाई।

II) एनपीए होने के बाद खाता:-

क. बकाया को कम करने हेतु अर्थ सुलभ प्रतिभूतियों (टीडीआर, शेयर, मार्जिन राशि आदि) एवं गिरवी वस्तुओं का विनियोजन।

ख. उधारकर्ताओं के सहयोग से अन्य प्रतिभूतियों का निपटान।

ग. समझौता वार्ता के माध्यम से प्राप्य राशियों का समझौता निपटान।

घ. अग्रिम को रीकॉल करना।

ङ. अदालत में मुकदमा दाखिल - डिक्री निषादन।

च. अंत में, प्राप्य राशियों की वसूली हेतु सभी उपाय करने के पश्चात्, खाता को नियत शेष के बट्टे खाते में डाला जाता हैं ।

ख. पीटी बैंक ऑफ ड़ंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) ने संपूर्ण जोखिम प्रबंधन को स्वीकृत लक्षित, समन्वित और सतत बनाने की आशा से जोखिम जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) तथा जोखिम प्रबंधनइकाई (आरएमयू) स्थापित की है जो परिचालन इकाई और आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई ("आंतरिक लेखा परीक्षा") से स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त आरएमसी और आरएमयू के कार्यो के कार्यान्वयन के प्रभाव की निगरानी के लिए बैंक ने जोखिम निगरानी समिति बनाई है जो सीधे बोर्ड ऑफ कमीशनर्स को उत्तरदायी है।

बैंक ऑफ इंडोनेशिया के अनुसार बैंक ने 8 (आठ) प्रकार के जोखिमों को संभाला है। ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, अनुपालन जोखिम, विधि जोखिम, जोखिम के साथ संभाव्य जोखिम वाली गतिविधियाँ जो बैंक की कारोबार निरन्तरता को खंडित करती है । जोखिम प्रकार का आकलन किसी भी कार्यात्मक गतिविधि (निहित जोखिम) और जोखिम नियंत्रण प्रणाली में निहित जोखिमों का संयोजन है।

बैंक नए ऋणों का अनुमोदन करने में चयानात्मक है और नियामक द्वारा आवश्यक ऋण के प्रावधान से अधिक बनाए रखता है। संपार्श्विक आधारित उधार में, संपार्श्विक के मूल्य पर हेयरकट लगाई जाती है। बैंक को जोखिम अधिकारी निदेशक अनुपालन को रिपोर्ट करता है। जोख़िम प्रबंधन इकाई (आरएमयू) ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की देखभाल/निगरानी रखते हैं।

ग. बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी), बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि. और बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना -II) लि.

मासिक आधार पर ब्याज लगाया जाना, मानक आस्तियों में संभाव्य ऋण चूक या व्यतिक्रम से निपटने का एक उपयोगी साधन बन गया है। आस्ति की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु बैंक ने निम्नलिखित नीति अपनाई है जिस पर शाखाओं को तुरंत अमल करना चाहिए और :-

i. उधारकर्ता के साथ सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से अतिदेय या कम से कम संकटपूर्ण राशि को वसूल करना।

ii. अस्थायी बेमेल रोकड प्रवाह के मामलों में खातों में परिचालन को बनाए रखना।

iii. अपेक्षित नकदी प्रवाह के अनुसार चुकौती मीयाद को पुनर्निधारित करना।

iv. पुनर्रचना नीति में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार नकदी प्रवाह में यदि कोई अंतर हो तो अपेक्षित नकदी प्रवाह को दृष्टिगत रखते हुए देय राशि की पुनर्रचना की जाए।

v. एनपीए होने से पहले खातों में बैंक द्वारा उपरोक्त में एक या अधिक कार्रवाई की गई है।

ii मात्रात्मक प्रकटन

क. कुल सकल ऋण जोखिम निम्नानुसार

प्रवर्ग	रू. मिलियन में
निधि आधारित	4020,804.06
गैर-निधि आधारित *	631,847.65

* क्रेडिट छोडक़र डेरिवैटिव के समतुल्य

ख. जोखिम का भौगोलिक वितरण:

(रू. मिलियन में)

	स्वदेशी	विदेशी
निधि आधारित	3,170,527.87	850,276.19
गैर-निधि आधारित	586,904.66	44,942.98

ग. उद्योगवार जोखिम का वितरण (निधि आधारित और गैर- निधि आधारित) निम्नलिखित है :

(रू. मिलियन में)

उद्योग का नाम	निधि आधारित (बकाया राशि)	गैर निधि आधारित (बकाया राशि)
कोयला	1,001.10	83,381.41
खदान	78,296.36	-
लौह एवं इस्पात	116,710.31	3,879.30
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	31,280.67	11,085.85
सभी इंजीनियरिंग	15,726.44	13,454.81
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	2,104.35	1,850.49
विद्युत	286,753.28	
सूती वस्त्र उद्योग	43,732.77	6,304.37
जूट वस्त्र उद्योग	1,072.10	371.82
अन्य वस्त्र उद्योग	44,403.93	4,427.72
चीनी	19,371.83	917.79
चाय	16.30	32.41
खाद्य प्रसंस्करण	19,557.55	7,665.61
वनस्पति तेल एवं वनस्पति	8,591.89	10,079.44
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	7,641.56	665.05
पेपर एवं पेपर उत्पाद	11,541.77	884.91
रबर एवं रबर उत्पाद	20,985.13	5,302.98
केमिकल, डाई, पेंट्स आदि	45,385.70	16,341.30
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	3,712.66	1,804.88
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	11,719.16	4,707.75
जिसमें से ड्रग्ज और फार्मास्युटिकल्स	15,451.87	4,826.74
सीमेंट	13,599.16	776.03
चर्म एवं चर्म उत्पाद	4,271.26	695.27
रत्न एवं आभूषण	80,987.62	2,763.88
निर्माण	38,623.43	27,174.80
पेट्रोलियम	17,314.40	26,083.81
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	28,456.26	3,898.25
आधारभूत संरचनायें	440,829.91	95,406.46
जिसमें से पॉवर	287,668.40	48,284.97
जिसमें से दूरसंचार	2,875.71	218.95
जिसमें से सडके और पत्तन	97,384.42	27,054.64
अन्य उद्योग	77,264.99	134,946.88
शेष अन्य अग्रिम (सकल अग्रिमों सहित तुलन के लिए)	2,854,141.62	175,307.50
कुल	4,020,804.06	631,847.65

- बुनियादी संरचना क्षेत्र के 10.96% के दर से एक्सपोजर कुल निधि आधारित अग्रिमों के 5% से अधिक है।
- बुनियादी संरचना क्षेत्र के 15.10% के दर से एक्सपोजर कुल गैर-निधि आधारित बकाया के 5% से अधिक है।

घ. आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण निम्नलिखित है:

(रू. मिलियन में)

	अग्रिम	निवेश (सकल)	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ
पहला दिन	94,372.22	320,117.78	55,913.81
2 से 7 दिन	63,692.23	23,211.28	56,169.31
8 से 14 दिन	73,928.81	26,328.62	42,617.45

15 से 30 दिन	119,319.38	41,079.36	104,196.94
31 दिन और 2 माह तक	63,051.50	30,278.60	70,264.61
>2 माह और 3 माह तक	213,096.52	27,661.84	273,557.94
>3 माह और 6 माह तक	238,494.49	31,330.93	229,420.50
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	213,096.61	68,547.58	105,077.39
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	535,020.70	231,295.03	130,484.81
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	547,330.04	185,512.18	51,480.57
5 वर्ष से अधिक	1,344,089.20	435,026.16	130,450.72
कुल	**3,505,491.71**	**1,420,389.37**	**1,249,634.05**

ङ. **सकल एनपीए इस प्रकार हैं –**

प्रवर्ग	**(रू. मिलियन में)**
अवमानक	134,524.61
संदिग्ध-1	117,848.52
संदिग्ध – 2	239,692.56
संदिग्ध – 3	70,006.27
हानि	61,856.26
कुल	**623,928.21**

च. **निवल एनपीए की राशि रू. 2,82,528.45 मिलियन है।**

छ. **एनपीए अनुपात निम्नानुसार है :**

- सकल अग्रिमों पर सकल एनपीए : 16.58%
- निवल अग्रिमों पर निवल एनपीए : 8.26%

ज. **सकल एनपीए का उतार चढाव निम्नप्रकार है :**

(रू. मिलियन में)

i) वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	522,690.68
ii) वर्ष के दौरान किया गया परिवर्धन	256,141.64
iii) वर्ष के दौरान की गई कटौती	154,904.07
iv) वर्षान्त मे इतिशेष (i+ii-iii)	623,928.25

झ. **एनपीए हेतु प्रावधानों का उतार चढाव निम्नानुसार है : (रू. मिलियन में)**

i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	248,524.35
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	114,947.33
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	44,548.65
iv) वर्षान्त मे इतिशेष (i+ii-iii)	318,923.03

ञ. **अनर्जक आस्ति निवेश की राशि रू 25,945.92 मिलियन है।**

ट. **अनर्जक आस्ति निवेश हेतु किए गए प्रावधान की राशि रू 19112.66 मिलियन है।**

ठ. **निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का उतार चढाव निम्न प्रकार है :**

(रू. मिलियन में)

i) वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	11,266.11
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	32,317.19
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	8,343.07
iv) विनिमय अंतर	-
v) वर्षान्त में इतिशेष (i+ii-iii+iv)	35,240.22

ड. **एनपीए और बैंक ऑफ इंडिया के लिए प्रमुख उद्योग या प्रतिपक्ष प्रकार द्वारा किया गया प्रावधान (सोलो) :** (रू. मिलियन में)

उद्योग का नाम	एनपीए	प्रावधान
कोयला	366.00	230.50
खदान	11,391.20	4,882.50
लौह एवं इस्पात	68,710.80	19,703.30
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	13,769.40	9,339.10
सभी इंजीनियरिंग	5,996.60	2,400.70
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	977.50	548.30
विद्युत	66,377.60	24,637.90
सूती वस्त्र उद्योग	15,002.70	2,890.00
जूट वस्त्र उद्योग	737.30	505.10
अन्य वस्त्र उद्योग	12,723.50	2,478.70
चीनी	2,842.10	2,509.40
चाय	-	-
खाद्य प्रसंस्करण	5,718.53	1,690.70
वनस्पति तेल एवं वनस्पति	4,406.20	3,233.90
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	3,935.00	2,512.50
पेपर एवं पेपर उत्पाद	3,612.40	1,572.70
रबर एवं रबर उत्पाद	2,389.60	1,029.70
केमिकल, डाई, पेंट्स आदि	13,169.70	5,900.10
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	1,828.50	275.20
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	2,854.30	1,620.60
जिसमें से ड्रग्ज और फार्मास्युटिकल्स	5,452.60	2,310.00
सीमेंट	2,517.90	1,197.90
चर्म एवं चर्म उत्पाद	463.50	164.40
रत्न एवं आभूषण	27,216.60	5,342.30
निर्माण	6,693.20	796.80
पेट्रोलियम	4,191.60	3,541.20
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	12,379.00	6,056.20
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-

आधारभूत संरचनायें	111,185.40	50,385.50
जिसमें से पॉवर	66,377.60	24,637.90
जिसमें से दूरसंचार	2,797.40	1,559.40
जिसमें से सडके और पत्तन	29,265.40	13,965.30
अन्य उद्योग	54,499.40	10,149.20
शेष अन्य अग्रिम(सकल अग्रिमों सहित तुलन के लिए)	239,366.97	180,207.30
कुल	623,284.60	318,719.70

ढ. भूगोलवार एनपीए एनपीए एवं प्रावधान (बैंक ऑफ इंडिया के लिए सोलो)

(रू. मिलियन रुपयों में)

	घरेलू	विदेशी	कुल
सकल एनपीए	510,860.10	112,424.50	623,284.60
एनपीए हेतु प्रावधान	250,076.60	68,643.10	318,719.70

तालिका डीएफ-4

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों हेतु

i. गुणात्मक प्रकटीकरण:

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभागों के लिए:

➢ किसी भी परिवर्तन हेतु कारणों सहित, उपयोग की गई ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों का नाम

➢ ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया है; एवं

➢ बैंकिंग बही में लोक निर्गम श्रेणी निर्धारण का तुलनीय आस्तियों में अंतरण हेतु प्रयुक्त की गई प्रक्रिया का वर्णन।

1.0. बैंक ऑफ इंडिया:

ए. बैंक ने सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए निम्नलिखित ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों की सामान्य श्रेणी निर्धारण के उपयोग किए जाने हेतु अनुमोदन किया है। स्वदेशी दावों के लिए सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स, ब्रीकवर्क, एसएमईआरए एवं सीएआरई तथा अनिवासी कार्पोरेट्स, विदेशी बैंको एवं विदेशी प्रभुसत्ता पर दावों के लिए एस एंड पी, फिच एवं मूडी। एसएमई श्रेणी निर्धारण का उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

बी. इन सभी एजन्सियों के श्रेणी निर्धारण का उपयोग, बासेल-II के अंतर्गत सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोणान्तर्गत, श्रेणीकरण के अधीन समस्त ऋण जोखिमों के जोखिम भार प्रयोजनार्थ किया जा रहा है।

सी. बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम श्रेणी निर्धारण अंतरण हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया आरबीआई की नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई लोक श्रेणी निर्धारण इस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई है। श्रेणी निर्धारण जो केवल संबद्ध श्रेणी निर्धारण एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार प्रभावी है एवं पूर्व 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार पुनरीक्षित की गई है, का उपयोग किया जाता है।

डी. विशेष दूसरे पक्ष पर समस्त ऋण जोखिमों के लिए बैंक द्वारा श्रेणी निर्धारण के लिए केवल एक ही एजेन्सी का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि इस अपवाद सहित कि जहाँ केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा ऋण जोखिमों का एक से अधिक बार श्रेणी निर्धारण किया जाता है।

ई. जोखिम भार प्रयोजनार्थ पात्रता के लिए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि, बाह्य ऋण निर्धारण पर विचार किया जाता है एवं बैंक द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण ऋण राशि के संबंध में ऋण जोखिम को प्रतिबिंबित करें। एक ही पार्टी के दूसरे पक्ष को किसी अन्य ऋण जोखिम के लिए विशिष्ट श्रेणी निर्धारण एक निर्गमकर्ता या निर्गम को विस्तारित करते समय, यह ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि के लिए विस्तारित की जाती है, अर्थात दोनों मूल राशि एवं ब्याज हेतु। एक कार्पोरेट समूह के अंतर्गत एक कंपनी के बाह्य निर्धारण का उपयोग जोखिम भार हेतु उसी समूह की अन्य कंपनियों के लिए नहीं होता है।

एफ़. उन आस्तियों के लिए जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से कम या एक वर्ष के बराबर होती है, अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण प्रयोग की जाती है। नकद उधार एक्सपोजऱ के लिए दीर्घ अवधि श्रेणी निर्धारण ली जाती है।

जी. जहाँ एक जारीकर्ता की बाह्य दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण सहित दीर्घावधि एक्सपोजर है जो 150% जोखिम भारिता का समर्थन करता है, तथा उसी काउन्टरपार्टी के सभी अमूल्यांकित दावे चाहे वह अल्पावधि की हो अथवा दीर्घावधि की हो, भी 150% जोखिम भारिता वहन करती है, सिवाय उसके जहाँ ऋण जोखिम घटाव तकनीक इन दावों के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्पावधि श्रेणी निर्धारण के मामले भी एकसमान होंगे ।

एच. दीर्घावधि एक्सपोजऱ हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भारिता का सीधा आकलन अनुमोदित रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण समनुदेशित किया जाता है। इसके विपरीत, प्रतिपक्ष का अमूल्यांकित अल्पावधि दावा उसके प्रतिपक्ष के मूल्यांकित अल्पावधि दावो पर लागू जोखिम भारिता से कम से कम एक स्तर ज्यादा जोखिम भारिता वहन करता है। बैंकों तथा निगमों के विरुद्ध मूल्यांकित सुविधा से उत्पन्न दावों हेतु जोखिम भारिता निर्गम विशिष्ट अल्पावधि मूल्यांकन जनित है जो अमूल्यांकित दीर्घावधि दावों हेतु जोखिम भारिता का समर्थन नहीं करता है।

आई. यदि योग्य ऋण निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो निर्धारण दिए जाते हैं जो विभिन्न ऋण भारिता दर्शा रहा है तो वहाँ उच्च जोखिम भारिता लागू होगा। यदि योग्य ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या उससे अधिक मूल्यांकन विभिन्न जोखिम भारिता दर्शा रहे हैं तब दो न्यूनतम जोखिम भारिता का परवर्ती मूल्यांकन संदर्भित किया जाता है तथा उन दोनों जोखिम भारिताओं में से उच्च जोखिम भारिता लागू होता है यथा द्वितीय न्यूनतम जोखिम भारिता ।

जे. निवेश दावे का आरडब्ल्यू चयनित ऋण निर्धारण एजेन्सी द्वारा विशिष्ट श्रेणी निर्धारण पर आधारित होता है, जहाँ एक विशिष्ट निधार्रित निर्गम में दावा एक निवेश नहीं होता है:

i) विशिष्ट उधार (जहाँ जोखिम भार में श्रेणी निर्धारण का आकलन, जो अमूल्यांकित दावे पर लागू से कम हो) पर लागू श्रेणी निर्धारण बैंक के केवल अनिधार्रित दावे पर लागू होती है। यदि यह दावा समरूप श्रेणी अथवा सभी दृष्टि से विशेष दर आधारित उधार से वरीय हो एवं जहाँ दर आधारित दावा लघु अवधि दायित्व होता है, को छोडक़र अनिधार्रित दावे की परिपक्वता, दर आधारित दावे की परिपक्वता के बाद न आती हो।

ii) यदि निर्गमकर्ता अथवा एकल निर्गम की श्रेणी निर्धारित की गई हो, जो गैर निर्धारित दावों पर लागू की जाती है, के जोखिम भार के बराबर हो अथवा उच्चतर हो, वही दूसरे पक्ष पर गैर निर्धारित दावे, वही जोखिम भार का निर्धारण किया जाता है, जैसा कि दर आधारित एक्सपोजर में लागू होता है, यदि सभी दृष्टि से यह दावा दर आधारित ऋण जोखिम से समरूप या कनिष्ठ श्रेणी का हो।

2.0 पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार कोई भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है।

3.0 बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. बैंक ऑफ इंडिया युगांडा) लि तथा बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. :

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार कोई भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है। देश में कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी परिचालन /कार्यरत नहीं है।

4.0 बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी) :

आवश्यक्तानुसार तिमाही के आधार पर सामान्य प्रकटीकरण विवरणी द्वारा ऋण जोखिम का प्रकटीकरण किया जाता है ।

ii. **मात्रात्मक प्रकटीकरण:**

(रुपये मिलियन में)

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के कम होने के पश्चात एक्सपोजर की राशि के लिए बैंक की बकाया राशि (दर आधारित एवं गैर दर आधारित) निम्नलिखित तीन बृहत जोखिम क्षेत्रों एवं जिनकी कटौती की जाती है उन क्षेत्रों का मात्रात्मक प्रकटीकरण किया जाता है।	
(मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन) बीओआई का कुल ऋण (बाजार से संबद्ध तुलन पत्र मदों को छोडक़र) जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत प्रमुख जोखिम क्षेत्र निम्नानुसार है:-	
100% जोखिम भार से कम	**5,284,793.77**
100% जोखिम भार	**1,102,884.50**
100% से अधिक जोखिम भार	**486,262.24**

तालिका डीएफ-5

ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकताओं में यह शामिल है:

➢ ऑन एंड ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ और बैंक द्वारा इनका किस हद तक प्रयोग किया जाता है उसका संकेत ;

➢ संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं;

➢ बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के प्रमुख प्रकारों का विवरण

➢ गारंटीकर्ता काउंटर पार्टी के प्रमुख प्रकार और उनकी ऋण पात्रता; एवं

➢ लिए गए न्यूनीकरण के भीतर (बाजार अथवा ऋण) जोखिम केंद्रीकरण के बारे में सूचना

क: बैंक ऑफ इंडिया

1. ऋण जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन का एक अनुकूल साधन है, जो अच्छे एवं बुरे दोनों समय में राजस्व हानि से कंपनी का रक्षण करता है। बैंक उसके दैनिक परिचालनों में आने वाले ऋण जोखिम के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न पद्धति और तकनीक अपनाता है। ऐसी प्रक्रिया को ऋण जोखिम न्यूनीकरण का नाम दिया गया है और ऋण जोखिम न्यूनीकरण के कुछ तकनीक को पर्यवेक्षकों द्वारा मूल्य, मुद्रा असंतुलन और परिपक्वता असंतुलन के लिए समायोजन के पश्चात पूंजी प्रभार कटौती करने हेतु उपयोग करने की अनुमति दी गई हैं। नयी पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल ।।) के अंतर्गत पहचाने गए विभिन्न ऋण जोखिम प्रशामक (सीआरएम) निम्नानुसार है:

➢ संपार्श्विकृत संव्यवहार

➢ ऑन - बैलन्स शीट नेटिंग

➢ गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम प्रशामक के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। निम्नलिखित वित्तीय संपार्श्विक को स्वीकार किया गया है।

i. नकदी एवं जमाराशियाँ विदेशी मुद्रा की जमाराशियों सहित

ii. स्वर्ण : 99.99% शुद्धता वाले बेंचमार्क सहित

iii. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ

iv. किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

v. जीवन बीमा पॉलिसियाँ

vi. ऋण प्रतिभूतियाँ- श्रेणीकृत शर्तो के अध्यधीन

vii. ऋण प्रतिभूतियाँ-गैर श्रेणीकृत, बैंकों द्वारा जारी, शर्तों के अध्यधीन

viii. म्यूचुअल फंडों की यूनिट शर्तो के अध्यधीन

ix. संपार्श्विक संव्यवहारों के लिए पूंजी सहायता उपलब्ध करने हेतु कतिपय अतिरिक्त मानदंड हैं, जिनका संपार्श्विक के प्रबंधन पर प्रत्यक्ष वहन है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इस पहलू का ध्यान रखा जाता है।

3. ऑन-बैलेंस-शीट- नेटिंग :

ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को ऋणों/अग्रिमों (एक्सपोजर के रूप में माने गए) और जमाराशियों (संपार्श्विक के रूप में) तक सीमित रखा जाए, जहाँ पर दस्तावेजो के सबूतों के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार सहित बैंक का कानूनी प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है और जिसका नेट आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियाँ :

जहाँ प्रत्यक्ष, निर्धारित, अविकल्पी और बिना शर्त गारंटियाँ हो, बैंक पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने हेतु ऐसे ऋण संरक्षण को मान सकता है। पात्र गारंटीदाताओं/काउंटर गारंटीदाताओं की श्रेणी में ये शामिल हैं:

i. शासक, शासकीय संस्था (बीआईएस, आइएमएफ, यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ कतिपय विनिर्दिष्ट एमडीबी, ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई), बैंक और काउंटर पार्टी से अन्य निम्न जोखिम भार सहित बैंक और प्राथमिक व्यापारी;

ii. एए अथवा उससे बेहतर श्रेणी की अन्य संस्थाएं:

5. बैंक की सुपरिभाषित संपार्श्विक प्रबंधन नीति है जो संपार्श्विक के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह उधार में अंतर्निहित ऋण जोखिम के न्यूनीकरण का प्रमुख घटक है। बैंक मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। मूर्त प्रतिभूतियाँ या तो भौतिक स्वरूप की होती है अथवा अन्य सामग्री प्रारूप में जैसे कि नकद मार्जिन, बैंक के पास जमाराशियाँ, स्वर्ण अथवा अन्य मूल्यवान धातु, शेयर्स, एनएससी/केवीपी/जीवन बीमा पॉलिसियाँ। अमूर्त प्रतिभूतियाँ हैं – बैंक गारंटियाँ/साख पत्र, बही ऋण, आश्वासन पत्र, नकारात्मक पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र, अपंजीकृत प्रभार इत्यादि। उधार दिए गए धन हेतु प्रतिभूति प्राप्त करने के सामान्य तरीके हैं - बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक और पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र। बैंक द्वारा ऋण एक्सपोजर से सृजित की गई संपत्ति पर प्रथम प्रभार/अथवा समरूप आधार पर सामान्य नियम के अनुसार बैंक का प्रभार दर्ज किया जाए।

सामान्यत जब भी लागू हो/अनुमत होने पर गारंटी का आग्रह किया जाए। गारंटीकर्त्ता के प्रमुख प्रकार हैं:-

i) केंद्र/राज्य सरकार और डीआईसीजीसी, सीजीटीएमएसई और ईसीजीसी जैसी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एजेन्सियाँ

ii) कारपोरेट्स के प्रोमोटर/प्रमुख स्वामी

iii) व्यक्तियों के मामले में रिश्तेदारों की व्यक्तिगत गारंटी

6. **संपार्श्विक प्रबंधन के विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं : -**

संपार्श्विक को स्वीकार करने हेतु न्यूनतम शर्तेः संपार्श्विक को वैध और प्रवर्तनीय बनाने के लिए बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के रूप में स्वीकार की गई आस्तियाँ बिक्री योग्य, कानूनी प्रवर्तनीय और आवश्यकता पडने पर उसको नियंत्रण में लिये जा सकने योग्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आस्ति का बाजार मूल्य सहज निर्धारण योग्य हो अथवा उसे उचित रूप से स्थापित और सत्यापित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य से संपार्श्विक के रूप में स्वीकार्य आस्तियों के प्रकार और प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली इन प्रत्येक आस्तियों के मूल्य अनुपात के अधिकतम ऋण की सूची बैंक के पास है। संपार्श्विक लेते समय बैंक सांविधिक बाध्यताओं का भी ध्यान रखता है।

क) संपार्श्विक की वैधता

i) प्रवर्तनीयता;

बैंक सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के समर्थन में ऋण दस्तावेजीकरण सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हो और उधारकर्ता की बाध्यताओं को विमुक्ति हेतु निर्बाध रूप से संपार्श्विक को लागू करने हेतु बैंक को अधिकार देता हो।

ii) हक और स्वामित्व;

बैंक हमेशा संपार्श्विक के रूप में आस्ति को स्वीकार करने से पूर्व उसके अस्तित्व तथा स्वामित्व का सत्यापन करता है और सुनिश्चित करता है कि किसी अन्य पक्ष का कथित संपार्श्विक पर कोई पूर्व दावा नहीं है। ऋण सुविधा के ड्रॉ डाउन से पूर्व ही बैंक संपार्श्विक के नियंत्रण को सुरक्षित करता है। ऋण जोखिम के प्रबंधन के सरलीकरण के लिए शीर्ष प्रबंधन को संपार्श्विक पर सूचना आवधिक रूप से दी जाती है। संपार्श्विक पर प्रभार तत्परता से, जहाँ भी लागू है, संबंधित प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किए जाते हैं।

ख) लोन टू वैल्यू अनुपात

बैंक ने प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार की जाने वाली प्रमुख आस्तियों के लिए अधिकतम लोन टू वैल्यू अनुपात (मार्जिन) निर्धारित किया है। ऐसे अनुपात आस्ति के संबंधित जोखिम के आनुपातिक होते हैं और संपार्श्विक की वसूली के समय होनेवाली संभाव्य हानि के विरूद्ध पर्याप्त बफर प्रदान करते हैं।

ग) मूल्यांकन;

बैंक के एक्सपोजर हेतु स्वीकार की गई संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए बैंक की बोर्ड अनुमोदित नीति है जिसमें मूल्यांकन का आधार, मूल्यांकक की अर्हता और पुनर्मूल्यांकन की बारंबारता बैंक में अनुपालन हेतु निधार्रित की गई है।

घ) संपार्श्विक को सुरक्षित रखना तथा उसमें पहुँच का नियंत्रण;

संपार्श्विक के स्वीकारने, निगरानी अथवा सुरक्षित अभिरक्षा के अनुमोदन का प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधित व्यक्तियों और विभागों को दिया गया है।

ड) संपार्श्विक का प्रतिस्थापन/अतिरिक्त संपार्श्विक :

अतिरिक्त संपार्श्विक के अनुरोध की कार्यविधि का स्पष्ट दस्तावेजीकरण किया गया है।

च) बीमा:

सभी पात्र संपार्श्विक, जिन्हे विशेष रूप से छूट दी गई है उन्हें छोड़कर, संबंधित जोखिम हेतु बीमा द्वारा संरक्षित हैं और इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

छ) संपार्श्विक की बिक्री;

संपार्श्विक के समय पर परिसमापन के लिए बैंक की सुस्पष्ट और सख्त कार्यविधि है।

ख: पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके :

संपार्श्विक मूल्यांकन हेतु पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके की नीति एवं कार्यविधि है जो बैंक ऑफ इंडोनेशिया विनियमन और बंधक ऋण हेतु राष्टीय विवेक पर आधारित है। यदि संपार्श्विक का मूल्य रु.2.79 करोड से अधिक है तो संपार्शिक का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है। संपार्श्विक के स्वरूप पर आधारित परिसमापन मूल्य की गणना की जाती है। संपार्श्विक मूल्य की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। भूमि एवं भवन के रूप में प्रमुख रूप से संपार्श्विक स्वीकार किया जाता है। सामान्यता व्यक्तिगत एवं अन्य पक्ष गारंटी नहीं ली जाती। केंद्रीकरण हेतु उधार देने की क्षेत्रीय सीमा निधार्रित की जाती है। बैंक को संपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम शामकों की प्रमुख जोखिम की चिंता नहीं है।

ग: बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि.:

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों; अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिप्रबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है।

नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर सीमा निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव का 125% (पूर्णतः प्रतिभूत)	25
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	10
ग) अप्रतिभूत	5

घ. बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि.

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों; अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिप्रबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है।

नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	एकल उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा, पूंजी के 25% है और इसे बढाक़र कोर पूंजी के 50% किया जा सकता है।
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव का 125% (पूर्णत: प्रतिभूत)	
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	
ग) अप्रतिभूत	

ङ. बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों, अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिबंदक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है।

नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उदारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार हैं:-

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% (पूर्णत: प्रतिभूत)	30
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	30
ग) अप्रतिभूत	30

ii **मात्रात्मक प्रकटन :**

(रुपये मिलियन में)

(क) पृथक रूप से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू के बाद ऑन-ओर -ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर की गई है : मार्जिन (हेयर कट) लागू करने के बाद।	2,74,492.36
(ख) पृथक रूप से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू के बाद ऑन-ओर-ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग) जो गारंटी/क्रेडिट व्युत्पन्न (जब कभी आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है) द्वारा कवर की गई है।	4,43,816.66

तालिका डीएफ-6
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

i. **गुणात्मक प्रकटन**

समेकित स्तर पर यथा 31.03.2018 बैंक का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

ii. **मात्रात्मक प्रकटन :-**

लागू नहीं

तालिका डीएफ-7
लेन-देन बही में बाजार जोखिम

i. **गुणात्मक प्रकटन :**

(क) मानक दृष्टिकोण को कवर करते हुए पोर्टफोलियों को शामिल करते हुए बाजार जोखिम हेतु सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता ।

ए: **बैंक ऑफ इंडिया**

लेन-देन बही में बैंक निवेशों के "लेन-देन हेतु धारित" (एचएफटी) एवं "बिक्री हेतु उपलब्ध" (एएफएस) पोर्टफोलियों को धारित करता है। शेष आस्तियों- अर्थात परिपक्वता हेतु धारित पोर्टफोलियों और अग्रिमों के अंतर्गत निवेशों को बैंकिंग बही के रूप में माना जाता है। नीचे बाजार जोखिम प्रबंधन प्रयोजन एवं नीतियों का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है।

(i) **कार्यनीतियाँ एवं प्रक्रियाएं :**

बाजार जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम एवं इक्विटी कीमत जोखिम की निगरानी की जाती है। बैंक वर्तमान में जिन्स (कमॉडिटी) में लेन-देन नहीं कर रहा है।

ए. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम की निगरानी के लिए गैप विश्लेषण का पाक्षिक आधार पर पालन किया जाता है। संचयी गैप से संचयी आउटफ्लो का प्रतिशत निकालने के लिए विवेकपूर्ण सीमा का उपयोग किया जाता है- 28 दिनों तक के अल्पावधि बकेट के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अध्यधीन निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार उधार -दैनिक एवं औसत मांग उधार, आंतर बैंक देयताएं, खरीदी गयी नीधियां आदि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं काम करती हैं।

ऊँचे मूल्य की एकमुश्त जमाराशियों की निगरानी साप्ताहिक आधार पर की जाती है। अल्पावधि डायनामिक चलनिधि विवरण चलनिधि स्थिति का आकलन करने के लिए पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है जो व्यवसाय वृद्धि को ध्यान में रखकर चलती है। एक आकस्मिक निधि योजना तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गयी है। योजना का तिमाही आधार पर परीक्षण किया जाता है। चलनिधि संकट के समय और आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए यदि बाजार से निधि उठाई जानी हो तो बैंक की संभावित हानि का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर स्ट्रेस परीक्षण भी किया जाता है।

बी. **ब्याज दर जोखिम**

पिछले 12 माह के दौरान एवं अगले वित्तीय वर्ष तक बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए गैप विश्लेषण उपयोग में लिया जाता है। बैंक ड्यूरेशन गैप विश्लेषण का भी उपयोग करता है। देयताओं की अवधि के लिए

विवेकपूर्ण सीमाएं नियत की गयी हैं। बैंक के निवेश पोर्टफोलियों की ड्यूरेशन आधार पर निगरानी की जाती है।

एसएलआर एवं गैर एसएलआर (घरेलू) विवेकपूर्ण सीमाओं के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए वीएआर पद्धति अपनायी जाती है क्योंकि वीएआर के लिए विवेकपूर्ण सीमा नियत की गयी है एवं दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है एवं उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट की जा रही है। दिनांकित प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश सामान्यतया हैज किए जाते हैं एवं ब्याज दर जोखिम निम्नतम है। विदेशी मुद्रा विनिमय स्थिति में भी वीएआर सीमा नियत की गई है।

इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का आकलन स्ट्रेस टेस्टिंग से किया जाता है, यह जिसमें 200 बेसिस पाईंट के बाजार दर में परिवर्तन का सॉक लगाकर किया जाता है।

सी. विदेशी विनिमय जोखिम

बैंक ने यूएसडी के साथ अन्य मुद्राओं में एग्रीगेट गैप लिमिट नियत की है । बैंक के विभिन्न मुद्राओं में विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए अधिकतम डेलाइट एवं ओवरनाइट एक्सपोजर नियत किया है। हमने अवधि वार इंडिविजुअल करेंसी वाइस गैप लिमिट भी नियत किया है इसके अलावा, नुकसान रोक सीमा, लाभ सीमा लेना एवं एकल व्यवहार सीमाएं डीलरों के फोरेक्स परिचालनों पर निगरानी रखने के लिए बनायी गयी हैं।

नेट ओपन पोजीशन हेतु विवेकपूर्ण सीमा नियत करके डेरिवेटिव संव्यवहार की निगरानी की जाती है और बकाया डेरिवेटिव पर पीवी 01 का केप रखा जाता है।

डी. इक्विटी कीमत जोखिम

बैंक की घरेलू निवेश नीति के इक्विटी डीलरों के लिए नुकसान रोक सीमाएं नियत की हैं। कोषागार की दैनिक सीमा , अधिकतम निवेश सीमा , इर्क्विटी संविभाग (ट्रेडिंग) के लिए धारण अवधि के संव्यवहारों की उच्चतम प्रबंधन को दैनिक आधार पर रिपोर्टिंग की जाती है।

ई. बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढाँचा एवं संगठन:

जोखिम प्रबंधन बोर्ड संचालित कार्य है जिसे तीन स्तरों पर सपोर्ट किया जाता है: देखभाल करने एवं निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, जहाँ कहीं आवश्यक हो/जोखिम प्रबंधन नीतियां आदि अनुमोदित करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) जो नीति विषयों पर विचार करती है एवं एएलएम कक्ष के साथ जमीनी स्तर पर सपोर्ट प्रदान करती है। आस्ति देयता प्रबंधन समितियां विदेशी केन्द्रों में भी परिचालन में हैं। नीतियों, सीमाओं आदि पर चर्चा के लिए मार्केट जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) एक मूलभूत स्तरीय समिति है।

ii. जोखिम रिपोर्टिंग का स्कोप एवं प्रकृति और/अथवा मापांकन प्रणाली

स्वदेशी कारोबार के संबंध में बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए भारतीय रिजर्व् बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है - जैसे कि मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाना-दैनिक आधार पर लेन-देन बही में निवेशों का अवधि विश्लेषण-दैनिक आधार पर वीएआर लेन-देन बही निवेश इर्क्विटी पोर्टफोलियों को छोडक़र-तिमाही आधार पर तरलता जोखिम/बाजार जोखिम के लिए स्ट्रेस परीक्षण करना, स्वदेशी तुलन पत्र का अवधि विश्लेषण और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर तिमाही आधार पर प्रभाव पर समीक्षा की जाती है और एएलसीओ द्वारा कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।एएलसीओं द्वारा मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा की जाती है।

बाजार उधार लेन-देन के संबंध में भारतीय रिजर्व् बैंक के दिशानर्देशों के अनुरूप तरलता जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न विवेकपूर्ण उपाय किए गए हैं। मासिक आधार पर ढांचागत तरलता विवरणी तैयार की जाती है और पाक्षिक आधार पर अल्पावधि डायनमिक तरलता विवरणी तैयार की जाती है और उच्च प्रबंधन/ एएलसीओं को रिपोर्ट की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों की ढांचागत तरलता कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर की जा रही है।

स्ट्रेस परीक्षण एवं इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का परिणाम एएलसीओ को रिपोर्ट किया जाता है। लेन-देन बही स्थिति ड्यूरेशन एवं वीएआर दैनिक आधार पर उच्चतम प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है।

iii हैजिंग और/अथवा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नीतियां :

आस्ति देयता प्रबंधन एवं बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित विस्तृत नीतियां कार्यरत हैं जो बाजार जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न रणनीतियों एवं प्रक्रियाओं पर विस्तार से प्रकाश डालती है।

iv पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी):

वाणिज्यिक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता से संबंधित बैंक इंडोनेशिया के विनियमन के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के परिकलन हेतु बाजार् जोखिम के मापन के लिए अनिवार्य श्रेणी में बैंक शामिल नहीं है। यह इसलिए है कि बैंक विदेशी विनिमय बैंक है जिसके ट्रेडिंग बुक में प्रतिभूतियों और/अथवा डेरिवेटिव संव्यवहार के रूप में वित्तीय लिखत आईडीआर 20 बिलियन (यूएसडी 1.7 मिलियन अनुमानित) से कम की रकम है।

बी. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी), बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी), बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

क) बाजार् जोखिम के सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें मानकीकृत दृष्टिकोण के संविधान भी शामिल है।

i. बाजार जोखिम: ब्याज दर, मुद्रा तथा इक्विटी उत्पाद में खुली स्थिति से बाजार जोखिम उत्पन्न होती है। बोर्ड सीमा निधार्रित करता है तथा जो स्वीकार की जा सकती है, नियमित अंतराल पर उसकी समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त दैनिक आधार पर एक्सपोजर की निगरानी की जाती है।

ii. तरलता जोखिम: ओवरनाइट जमा से नकदी संसाधन, चालू खाते, परिपक्व जमाराशियां, ऋण आहरण और गारंटियों से उपलब्ध नकद स्त्रोतों से दैनिक मांग के लिए तथा मार्जिन और अन्य नकद समझौतों पर मांग से बैंक को नकद आरक्षित रखना पडता है। ऐसे मांग की पूर्ति करने के लिए परिपक्व निधि के उपलब्ध अंश के आधार पर बोर्ड ने उनके अनुभव पर सीमा निधार्रित की है और अंतर बैंक तथा अन्य उधार सुविधा के न्यूनतम स्तर पर जो मांग की अपेक्षित आहरण को कवर कर सके।

iii. ब्याज दर जोखिम- बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति तथा नकदी प्रवाह पर प्रचलित बाजार ब्याज दर में उतर चढाव के परिणाम के साथ जुडी विभिन्न जोखिमों को उठाना पडता है। बैंक को जमा राशि ऋण तथा बाजार प्रवृत्ति के परिवर्तन के अनुरूप दरों को परिवर्तित करने का विवेकाधिकार है। यह उपाय ब्याज दर जोखिम को बैंक एक्सपोजर न्यूनतम रखते है।

iv. मुद्रा जोखिम : बैंक को विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के मूल्य में होने वाले उतार-चढाव की जोखिम उठानी पडती है। बैंक विदेशी मुद्रा

बाजार में केवल जितनी आवश्यक मुद्रा की खरीदी तथा बिक्री के आधार तक शामिल रहती है। बैंक विदेशी मुद्रा वायदा बाजार में शामिल नहीं होता है और इस प्रकार जोखिम सीमित हो जाती है।

ii. **मात्रात्मक प्रकटन**

(रू. मिलियन में)

निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकता #	
ब्याजदर जोखिम	14,668.02
विदेशी विनिमय जोखिम (गोल्ड सहित)	335.41
इक्विटी जोखिम	8248.42

\# पूंजी आवश्यकता का परिकलन आरडब्ल्यूए की 9% की दर पर न्यूनतम विनियामक आवश्यकता पर किया जाता है।

तालिका डीएफ-8
परिचालनात्मक जोखिम
गुणात्मक प्रकटन

साधारण गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता के अतिरिक्त जिसके लिए बैंक अर्हता प्राप्त है उस परिचालन जोखिम पूंजी मूल्यांकन हेतु बैंक का (के) दृष्टिकोण ।

ए: बैंक ऑफ इंडिया

बैंक जोखिम प्रबंधन की सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया अपनाता है। बैंक कारोबार की विभिन्न पद्धतियों के तहत समस्त आर्थिक उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के परिचालन जोखिम का सतत निर्धारण और अभिनिर्धारण करता है। समस्त नये उत्पाद, गतिविधियाँ और प्रणालियाँ पहले नया उत्पाद समूह और फिर परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (सीओआरएम) अथवा क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), जो लागू हो के माध्यम से कायार्न्वित होती है। सभी नीतियां बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर.काम) द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद ही बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है। मुख्य जोखिम अधिकारी, आरकॉम के निदेशों को कायार्न्वित करते है और दिन-प्रतिदिन के परिचालन गत जोखिम प्रबंधन की देखभाल करते है।

जोखिम प्रबंधन विभाग, कारोबार परिचालन जोखिम प्रबंधकों (बीओआरएम) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ (ओआरएमएस) के नजदीकी सहयोग से कार्य करता है। बीओआरएम तथा ओआरएमएस की समिति परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रभाग को आवधिक आधार पर जोखिम और नियंत्रण निर्धारण करना, हानि की रिपोर्टिंग करना तथा की मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) में सहायता करता है।

अर्धवार्षिक आधार पर लॉस डेटा विश्लेषण के रूप में जोखिम रिपोर्टिंग की जाती है जिससे उच्च जोखिम प्रवणता वाले उत्पाद और कारोबार लाइन का निर्धारण किया जा सके और न्यूनीकरण उपाय अपनाए जा सके। शाखा स्तर के केआरआई और बैंक स्तर के केआरआई को तिमाही आधार पर ट्रैक किया जाता है।सभी बैंक के उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए वार्षिक आधार आरसीएसए कार्रवाई की जाती है।

बैसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण द्वारा ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज की गणना की जाती है। वर्तमान में बैंक ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज के परिकलन के लिए उन्नत मापन के प्रयास अपना रहा है। परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार की गणना के लिए समानान्तर रन के लिए बैंक को द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच(टीएसए) में माइग्रेट करने के लिए अनुमोदन मिला है ।

बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

कार्यों का पृथक्करण, प्रशिक्षण, स्पष्ट रूप से निर्धारित कार्यवाहियां, इत्यादि जैसे परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक ने श्रेष्ठ प्रक्रिया अपनाई है।

परिचालन जोखिम के प्रबंधन में, नीतियों और कार्यविधियों के नियंत्रण और रूटीन पर्यवेक्षण के संदर्भ में प्रत्येक इकाई जिम्मेदार है। अपरिहार्य परिस्थितियों से बचने प्रणाली के लिए उत्पाद का विकास, प्रणाली, मानव संसाधन और "अपने ग्राहक को जानिए" से संबंधित क्षेत्र शामिल है।

परिचालन जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने संव्यवहार प्रोसेसिंग में नियंत्रण कार्य को बढा दिया है जिसमें संव्यवहार के समय के अंदर पूरा करना, लागू मानकों के अनुवाद लेखांकन पद्धति का समायोजन,ठीक ढग़ से रिकार्ड का अनुरक्षण, आस्ति तथा डेटा के लिए सुरक्षित ऐक्सेस क्रियान्वित करने हेतु कार्य विधि सुनिश्चित करना है। आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई का कार्य जो परिचालन गतिविधियों की नियमित जांच करती है, आवश्यक सुधार को बेहतर बना रही है। बैंक परिचालन जोखिम के परिकलन के लिए बेसिक इंडिकेटर एप्रोच इन रिस्क वेटेड एसेट्स (एटीएमआर) का प्रयोग कर रही है।

बैंक में एक आंतरिक नियंत्रण इकाई भी है जो सुनिश्चित करता है कि सभी कारोबार इकाई बैंक की प्रक्रिया का और साथ ही स्थानीय सरकार के विनियमों का भी अनुपालन करते हैं।

सी: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी) , बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि. (अनुषंगी) , बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

परिचालनात्मक जोखिम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि का जोखिम है जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है जो बैंक की प्रक्रिया, कार्मिक, प्रौद्योगिकी और आधार संरचना से संबद्ध है और क्रेडिट, बाजार, तरलता जोखिम छोडक़र बाह्य कारक जैसे विधिक और विनियामक जरूरतों और कारपोरेट व्यवहार के आम स्वीकृत मानकों से उत्पन्न होते है। परिचालनात्मक जोखिम बैंक की सभी गतिविधियों से उत्पन्न होती है।

वित्तीय हानि एवं कुल लागत प्रभावशीलता सहित बैंक की प्रतिष्ठा धूमिल होने से बचाव को संतुलित करने और नियंत्रण कार्रवाई जो पहल एवं रचनात्मकता को सीमित करती है, से बचाव के लिए परिचलनात्मक जोखिम का प्रबंध करना बैंक का उद्देश्य है।

परिचालनात्मक जोखिम का ध्यान रखने के लिए प्रबंधन विकास एवं कार्यान्वियन हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रत्येक शाखा स्तर पर वरिष्ठ प्रबंधन हेतु निर्धारत किया गया है। परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु कुल मानकों के विकास उत्तरदायित्व में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायक है :-

➢ संव्यवहार के स्वतंत्र प्राधिकार सहित कार्य के उचित पृथक्करण की आवश्यकता;

➢ संव्यवहार के समाधान एवं निगरानी की आवश्यकता;

➢ नियामक एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं सहित अनुपालन;

➢ नियंत्रण एवं प्रक्रिया का प्रलेखीकरण;

➢ महसूस किए गए परिचालनात्मक जोखिमों के निर्धारण की आवश्यकता तथा पहचान किए गए जोखिमों का ध्यान रखने के लिए नियंत्रण एवं प्रक्रिया की पर्याप्तता;

➢ परिचालनात्मक हानि की रिपोर्टिंग एवं प्रस्तावित निवारणात्मक कार्रवाई की आवश्यकता;

➢ आकस्मिकता योजना का विकास;

➢ प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास;

➢ नैतिक एवं कारोबार मानक;

➢ बीमा सहित जोखिम कमी, जहां यह प्रभावी है।

तालिका डीएफ–9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

i. **गुणात्मक प्रकटन**

साधारण गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा में आईआरआरबीबी और प्रमुख धारणाओं के ऋण भुगतान और अ-परिपक्व जमा का परिचालन संबंधी धारणाओं का स्वरूप तथा आईआरआरबीबी मापने की बारंबारता शामिल है।

ए: **बैंक ऑफ इंडिया**

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की आम तौर पर तिमाही आधार पर गणना की जाती है। बैंकिंग बही में परिपक्वता हेतु धारित (एचटीएम) संविभाग में धारण किए सभी अग्रिम और निवेश सम्मिलित है।

कार्यनीति और प्रणालियाँ/संरचना और संगठन/जोखिम रिपोर्टिंग संबंधी कार्यक्षेत्र और स्वरूप/नीतियों आदि वही हैं जो टेबल डीएफ-7 के तहत रिपोर्ट की गई है।

आईआरआरबीबी मेजरमेंट की प्रणाली और प्रमुख धारणाएँ निम्नानुसार है;

➢ अग्रिमों तथा जमा राशियों, जो बैंक का 100% कारोबार कवर करती है, की शेष परिपक्वता पर नेटवर्क की शाखाओं से प्राप्त मासिक सूचना के आधार पर विभिन्न समय बकेट के साथ ब्याज दर संवेदनशील और विभिन्न आस्तियों व देयताओं की शेष परिपक्वता को ध्यान में लेते हुए संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाता है।

➢ प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि, प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु को परिपक्वता दिनांक के रूप में एवं औसत प्राप्ति को कूपन के रूप में तथा भुनाई प्रयोजन के लिए बाजार दर को लेकर परिचालित की जाती है। निवेशों के लिए, वास्तविक अवधि ली जाती है, जैसा कि डाटा संपूर्ण ब्योरों सहित उपलब्ध रहता है। निवेशों के संबंध में इस प्रयोग के लिए एएफएस एवं एचएफटी संविभागों को अलग रखा जाता है, जैसा कि बैंकिंग बही में आईआरआर पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

➢ उक्त के उपयोग से, प्रत्येक बकेट के लिए देयताओं और आस्तियों की आशोधित अवधि परिकलित की जाती है और ब्याज दर में 1% से परिवर्तन के लिए उनके मूल्य पर प्रभाव माना जाता है। उसमें जोडक़र निवल स्थिति परिकलित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि है या अन्यथा।

धारणाएँ :

i. समस्त टाईम बकेट और समस्त आस्तियों के लिए ब्याज दर सभी समान रूप से चालित होता है।

ii. मांग जमा राशियों–बचत तथा चालू के संदर्भ में इसे भारतीय रिजर्व़ बैंक दिशानिर्देशों के अनुसरण में स्ट्रेस परीक्षण पर विभाजित किया जाता है।

iii. आम तौर पर, बैंक आईआरआरबीबी की गणना करते समय कूपन दर/भुनाई दर का चयन/परिपक्वता तारीख के रूप में प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु , को लेना आदि सहित रिजर्व़ बैंक के तनाव परीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करता है।

iv. बीपीएलआर लिंकड अग्रिमों/बेस रेट के पुनर्मूल्य निर्धारण को 3 से 6 माह के बकेट में लिया गया है।

v. एमसीएलआर से संबद्ध अग्रिमों का पुनर्मूल्यन, उस एमसीएलआर परिपक्वता अवधि के आधार पर किया गया है जिससे ये एमसीएलआर संबद्ध है।

बी: **पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) तथा बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि., बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगियां) तथा बैंक ऑफ इंडिया युगांडा लि.**

बैंक अपनी वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह पर बाजार ब्याज दरों के वर्तमान स्तरों में अस्थिरता के प्रभाव सहित शामिल विभिन्न जोखिमों से युक्त है। बाजार प्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ बैंक को जमा राशियों, ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज दर में संशोधन करने का विवेकाधिकार है। इन उपायों के कारण बैंक के ब्याज दर जोखिम का क्षेत्र कम होता है।

II **मात्रात्मक प्रकटन**

आईआरआरबीबी मापने के लिए प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार उर्ध्वमुखी और अधोमुखी रेट शॉक के लिए उपार्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबद्ध उपाय) में वृद्धि (ह्रास), मुद्रा द्वारा खंडित (जहां कुल पण्यावर्त के 5% से अधिक पण्यावर्त होता है)

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (बीओआई सोलो)

(रू. मिलियन में)

	कुल	**जिसमें से, यूएसडी में (जहां कारोबार कुल कारोबार के 5% से अधिक है)**
1. जोखिम पर अर्जन (एनआईआई)		
1 वर्ष के लिए 0.50% परिवर्तन	993.95	(208.53)
2. जोखिम पर इक्विटी का आर्थिक मूल्य		
200 बेसिस पॉईंट शॉक	7896.48	8675.79
% ता के रूप में इक्विटी मूल्य में कमी	4.06%	4.46%

तालिका – डीएफ 10

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजऱ के लिए सामान्य प्रकटन

I **गुणात्मक प्रकटन**

बैंक तुलन पत्र की मदों के साथ प्रतिपक्षी कारोबार के उद्देश्य से हैजिंग के लिए व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करता है। व्युत्पन्न परिचालन के जोखिम प्रबंधन के शीर्ष में वरिष्ठ कार्यपालक रहते हैं जो उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट करते है, यह लाइन कार्यो से स्वतंत्र है। ट्रेडिंग की स्थिति दैनंदिन आधार पर बाजाऱ मूल्य को बही में अंकित किया जाता है (मार्कड टू मार्केट)।

जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा व्युत्पन्न नीति बनाई जाती है जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम को आंकना शामिल है।

तुलन पत्र प्रबंधन के लिए हैज संव्यवहार किया जाता है। जोखिमों के सही रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए उचित प्रणाली है। हैजिंग की नीति और उसकी निगरानी की प्रक्रिया भी उसी प्रकार से है।

हैज तथा गैर-हैज संव्यवहारों को रिकार्ड करने के लिए लेखांकन नीति है जिसमें आय, प्रीमियम और छूट का निर्धारण शामिल है। बकाया संविदा, प्रावधानीकरण, संमार्श्विक और जोखिम न्यूनीकरण का मूल्यांकन किया जा रहा है।

करंट एक्सपोजर मेथोडोलजी (सीईएम) के अनुरूप क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी परिकलित की गई है। संभाव्य एक्सपोजर का परिकलन क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर के साथ कल्पित मूलधन को गुणा करके किया जाता है। प्रतिस्थापन लागत सकारात्मक बाजार मूल्य है। चालू एक्सपोजर प्रतिस्थापन लागत के समान है। क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी संभाव्य एक्सपोजर और चालू एक्सपोजर का जोड है।

II गुणात्मक प्रकटन

क) संविदाओं का सकल सकारात्मक उचित मूल्य,लाभ की निवल राशि, चालू ऋण एक्सपोजर की निवल राशि, धारित संपार्श्विक (यथा नकदी,सरकारी प्रतिभूतियां आदि प्रकार सहित) और निवल व्युत्पन्न ऋण एक्सपोजर । इसमें चूक वाले एक्सपोजर के लिए उपाय की रिपोर्ट अथवा सीईएम के तहत एक्सपोजर राशि भी है। ऋण व्युत्पन्न हेज की कल्पित शून्य और ऋण एक्सपोजर के प्रभार द्वारा चालू ऋण एक्सपोजर का वितरण।

ख) ऋण व्युत्पन्न संव्यवहार जो सीसीआर (कल्पित मूल्य) में एक्सपोजर सृजित करती है, संस्था के अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो के साथ प्रयोग किए गए क्रेडिट व्युत्पन्न उत्पादों के वितरण सहित उसकी मध्यवर्ती गतिविधियों के बीच पृथक किया जाता है, जिसे आगे प्रत्येक उत्पाद समूह के मध्य खरीदे और बेचे गए संरक्षण में विखंडित किया जाता है।

(रू. मिलियन में)

काउंटर पार्टी ऋण जोखिम (सीसीआर)	
कल्पित मूलधन रकम	6,36,666.93
संभाव्य एक्सपोजर	16,371.87
प्रतिस्थापन लागत	5,272.86
चालू एक्सपोजर	5,272.86
क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी	21,644.73
आरडब्ल्यूए	6,586.12
पूँजी प्रभार	526.89

(रू. मिलियन में)

मदें	कल्पित रकम	चालू ऋण एक्सपोजर	क्रेडिट समतुल्य
मुद्रा विकल्प	0	0	0
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	52996.32	29.47	5121.09
वायदा दर करार	502980.51	5143.24	15779.29
ब्याज दर भविष्य	0	0	0
ऋण चूक स्वैप	0	0	0
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	80690.10	100.24	744.35
कुल	**636666.93**	**5272.96**	**21644.73**

तालिका डीएफ -11
पूंजी का विन्यास

(रू. मिलियन में)

	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत तथा आरक्षित	
1	प्रत्यक्ष जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी के साथ संबंधित अतिरिक्त स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	237264.93
2	प्रतिधारित उपार्जन	-149712.14
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षितियां)	244,102.74
4	सीईटी 1 से फेस आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	
	सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी लगाना जिसकी देखरेख 1 जनवरी 2018 तक की जाएगी	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और थर्ड पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत रकम)	1591.47
6	**विनियामक समायोजन के पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी**	**333247.00**
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	
9	बंधक सर्विसिंग अधिकारों को छोड़कर अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	-
10	आस्थगित कर आस्तियां	58878.11
11	नकदी प्रवाह हैज आरक्षित	
12	अपेक्षित हानि के प्रावधान में कमी	
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानियां	
15	परिनिश्चित- लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियां	
16	अपने शेयरों में निवेश (रिपोर्ट की गई तुलन-पत्र में यदि पहले ही प्रदत्त पूंजी समायोजित न किया गया हो)	
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस-धारिता	627.21
18	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
19	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के कॉमन स्टाक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	

21	अस्थायी अंतरों से उभरे आस्थगित कर आस्तियां (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि, कर देयता से संबंधित का समायोजन)	
22	(10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि, कर देयता से संबंधित का समायोजन)	
23	15% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि	
24	जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरो से उभरे आस्थगित कर आस्तियां	
26	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन 7 (26ए+26बी+26सी+26डी)	
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	100.00
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	0
26सी	जिसमें से: बहुलांश स्वामित्व वित्तीय संस्थाएं जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है के इक्विटी पूंजी में कमी	0
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाएं गए विनियामक समायोजन।	
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.	
	उदाहरण के लिए: एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अप्राप्त हानियों को फिल्टर किया जाना (भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई संबंध नहीं)	
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.	
	जिसमें से : समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें .	
27	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	
28	**सामान्य इक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**59605.32**
29	**सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)**	**273641.68**
	अतिरिक्त इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखतें	
30	प्रत्यक्ष जारी सापेक्ष अतिरिक्त टियर 1 लिखतें के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)	59100.00
31	जिसमें से: लागू लेखांकन मानको के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)	
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानक के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण लिखत)	
33	अतिरिक्त टियर 1 से फेज.आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	0.00
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखतें (और सीईटी 1 लिखत जो रो 5 में शामिल नहीं) (ग्रुप एटी 1 में अनुमत रकम)	
35	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें जो फेज.आउट के अधीन है।	
36	**विनियामक समायोजन के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**59100.00**
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन	
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस धारिता	50.00
39	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	0.00
40	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय स्थिति को घटाकर)10	
41	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियो के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	
41बी	बैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी।	
	पूर्व-बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें यथा डीटीए.	
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें जैसे वर्तमान समायोजन जो टियर 1 से 50% पर कटौती की जाती है)	
	जिसमें से: डसमायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.	
42	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 में लगाए गए विनियामक समायोजन	
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी पर कुल विनियामक समायोजन**	**50.00**
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)**	**59050.00**
44ए	**पूंजी पर्याप्तता 11 के लिए माना गया अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**59050.00**
45	**टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)**	**332691.68**
	टियर 2 पूंजी: लिखते एवं प्रावधान	
46	प्रत्यक्ष जारी पात्र टियर 2 लिखतों के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष	70000.00
47	टियर 2 से फेज.आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखत	14000.00
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित (ग्रुप टियर 2 में अनुमत राशि) टियर 2 लिखते (और रो 5 अथवा 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 ओर एटी 1 लिखतें)	
49	जिसमें से: फेज.आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें	
50	प्रावधान	18,042.32
51	**विनियामक समायोजन के पहले टियर 2 पूंजी**	**102042.32**
	टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन	
52	अपने टियर 2 लिखतों में निवेश	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-धारिता	47.45

54	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है(10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
55	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाकर)	0.00
56	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	
56ए	जिसमें से: असमेकित अनुषंगियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	
56बी	जिसमें से: बैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी।	
	पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में टियर 2 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें यथा वर्तमान समायोजन जो 50% पर टियर 2 से कटौती की जा रही है.	
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.	
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	47.45
58	**टियर 2 पूंजी (टी 2)**	**101994.87**
58ए	**पूंजी पर्याप्तता 14 के लिए माना गया टियर 2 पूंजी**	**101994.87**
58बी	**एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जिसे टियर 2 पूंजी माना जाता है।**	**0**
58सी	**पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58ए+ 58बी)**	**101994.87**
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)**	**434686.55**
	पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां	
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.	
	जिसमें से:	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)**	**3210680**
60ए	**जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां**	
60बी	**जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां**	
60सी	**जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां**	
	पूंजी अनुपात	
61	**सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)**	8.52%
62	**टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)**	10.36%
63	**कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)**	13.54%
64	**संस्था निर्दिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूंजी संतुलन और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता, जोखिम धारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)**	
65	**जिसमें से: पूंजी संतुलन बफर आवश्यकता**	
66	**जिसमें से: बैंक निर्दिष्ट प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता**	
67	**जिसमें से: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता**	
68	**बफर को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम धारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)**	
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न है)	
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	7.375%
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	8.875%
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	10.875%
	कटौती के लिए थ्रेसहोल्ड से कम रकम (जोखिम भारिता के पहले)	
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	
73	वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता से घटाकर)	
75	अस्थायी अंतरो से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता से घटाकर)	
	टियर 2 में प्रावधान को शामिल करने पर लागू सीमा	
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने के पहले)	18042.32
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की सीमा	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर-2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने के पहले)	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने के लिए सीमा	
	फेज आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)	
80	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	
82	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर चालू सीमा	0.00
83	सीमा के कारण एटी 1 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	0.00
84	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर चालू सीमा	14000.00
85	सीमा के कारण टी 2 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	0.00

तालिका डीएफ-12
पूंजी की संरचना- समाधान संबंधी आवश्यकताएं

चरण – 1

(रू. मिलियन में)

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र (31.03.2018)	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र (31.03.2018)
ए	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी	17,437.17	17,437.17
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	350,127.64	349,419.28
	अल्प संख्यक हित	1,591.47	1,591.47
	कुल पूंजी	369,156.29	368,447.93
ii	जमाराशियां	5,229,969.04	5,230,054.42
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	464,358.62	464,358.62
	जिसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	4,765,610.42	4,765,695.80
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृ. उल्लेख करें)	-	-
iii	उधार	435,982.55	435,982.55
	जिसमें से : आरबीआई से	133,580.00	133,580.00
	जिसमें से : बैंकों से	0.00	0.00
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	6,515.05	6,515.05
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	125,637.50	125,637.50
	जिसमें से : पूंजी लिखत	170,250.00	170,250.00
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	116,735.52	96,588.09
	कुल	6,151,843.40	6,131,072.98
बी	आस्तियां		
i	भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी और शेष	315,751.89	315,559.76
	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	644,490.43	644,509.93
ii	निवेश:	1,403,210.71	1,384,030.90
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	1,224,072.54	1,215,137.22
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	977.56	-
	जिसमें से : शेयर	19,714.74	15,466.66
	जिसमेंसे : डिबेंचर एवं बॉंड	82,506.27	80,521.53
	जिसमें से :अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/ सहयोगी कंपनियां	15,793.87	16,543.87
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागजात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	60,145.75	56,361.62
iii	ऋण एवं अग्रिम	3,432,889.21	3,432,863.36
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	355,765.38	355,765.38
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	3,077,123.82	3,077,097.98
iv	अचल आस्तियां	83,498.56	83,441.92
v	अन्य आस्तियां	272,002.60	270,667.12
	जिसमें से : सद्भाव एवं अमूर्त आस्तियां	-	-
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	92,140.21	92,140.21
vi	समेकन पर सद्भाव	-	-
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	-	-
	कुल आस्तियां	**6,151,843.40**	**6,131,072.98**

चरण -2

(रू. मिलियन में)

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र (31.03.2018)	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र (31.03.2018)
ए	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी	17,437.17	17,437.17
	जिसमें से : सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	17,437.17	17,437.17
	जिसमें से : एटी 1 हेतु पात्र राशि	-	-
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	350,127.64	349,419.28
	अल्प संख्यक हित	1,591.47	1,591.47
	कुल पूंजी	369,156.29	368,447.93
ii	जमाराशियां	5,229,969.04	5,230,054.42
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	464,358.62	464,358.62
	जिसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	4,765,610.42	4,765,695.80
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	-	-
iii	उधार	435,982.55	435,982.55
	जिसमें से : आरबीआई से	133,580.00	133,580.00
	जिसमें से : बैंकों से	0.00	0.00
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	6,515.05	6,515.05
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	125,637.50	125,637.50
	जिसमें से : पूंजी लिखत	170,250.00	170,250.00
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	116,735.52	96,588.09
	जिसमें से : सद्भाव से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र (31.03.2018)	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र (31.03.2018)
	जिसमें से : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00
	कुल	**6,151,843.40**	**6,131,072.98**
बी	आस्तियां		
i	भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी एवं शेष	315751.89	315559.76
	बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	644490.43	644509.93
ii	निवेश:	1403210.71	1384030.90
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	1224072.54	1215137.22
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	977.56	0.00
	जिसमें से : शेयर	19714.74	15466.66
	जिसमेंसे : डिबेंचर एवं बॉंड	82506.27	80521.53
	जिसमें से : अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां	15793.87	16543.87
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागजात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	60145.75	56361.62
iii	ऋण एवं अग्रिम	3432889.21	3432863.36
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	355765.38	355765.38
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	3077123.82	3077097.98
iv	अचल आस्तियां	83498.56	83441.92
v	अन्य आस्तियां	272002.60	270667.12
	जिसमें से:सद्भाव एवं अमूर्त आस्तियां		
	जिसमें से :		
	सद्भाव		
	(अन्य अमूर्त (एमएसआरएस को छोडक़र)		
	आस्थगित कर आस्तियां	92140.21	92140.21
vi	समेकन पर सद्भाव		
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	6151843.40	6131072.98

चरण -3

(रु. मिलियन में)

आम इक्विटी टियर 1 पूंजी :लिखत एवं आरक्षितियां

		बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया विनियामक पूंजी का अंश	चरण 2 से विनियामक के समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र के संदर्भ संख्या/पत्रों पर आधारित स्रोत
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी किए गए पात्र आम शेयर (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा साथ में संबंधित स्टॉक अधिशेष	237264.93	e
2	प्रतिधारित अर्जन	-149712.14	
3	संचित अन्य समेकित आय (एवं अन्य आरक्षितियां)	244,102.74	
4	सीईटी 1 से फेस आउट की शर्त के अध्यधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी (केवल संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं थर्ड पार्टियों द्वारा धारित आम शेयर पूंजी(ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि)	1591.47	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व आम इक्विटी टियर 1 पूंजी	333247.00	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	सद्भाव (संबंधित कर आस्तियां कम कर)		a-c

तालिका डीएफ-13
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनीक आईडेन्टिफायर(जैसे– निजी प्लेस्मेंट के हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE084A01016
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय विधि
	विनियामक व्यवहार	
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1
6	सोलो/ग्रुप /ग्रुप एवं सोलो में पात्र	सोलो एवं समूह
7	लिखत प्रकार	आम शेयर
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में , नवीनतम रिपोर्टिंग तारीख)	17,437.18
9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन)	लागू नहीं

10	लेखांकन वर्गीकरण	इक्विटी शेयर पूँजी
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	विभिन्न
12	दिनांकित या बेमियादी या सर्वकालिक	सर्वकालिक
13	मूल परिपक्वता तारीख	लागू नहीं
14	पर्यवेक्षी अनुमोदन के अध्यधीन पहले इश्यूअर कॉल	नहीं
15	वैकल्पिक कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन राशि	लागू नहीं
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, यदि लागू हों	लागू नहीं
	कूपन /डिविडेंड	लाभांश
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश /कूपन	लागू नहीं
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	लागू नहीं
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	लागू नहीं
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	लागू नहीं
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	नहीं
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं

24	यदि परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्जन ट्रिगर्स	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो, किसी प्रकार के लिखत में परिवर्तन किधर जाएगा उल्लेख करें।	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसके जारीकर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	नहीं
31	यदि राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर ।	लागू नहीं
32	यदि राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं
35	पोजीशन इन सबऑर्डिनेशन हाइरार्कि (लिखत से तुरंत वरिष्ठ लिखत के प्रकार का उल्लेख करें।	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	नहीं
37	यदि हाँ, तो कृपया गैर-कम्प्लायंट विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

1	**जारीकर्ता**	**बैंक ऑफ इंडिया**	**बैंक ऑफ इंडिया**	**बैंक ऑफ इंडिया**	**बैंक ऑफ इंडिया**
2	यूनीक आईडेन्टिफायर	INE084A09167	INE084A09191	INE084A09225	INE084A08052
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम
	विनियामक व्यवहार				
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1
6	सोलो/ग्रुप/ग्रुप एवं सोलो में पात्र	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप
7	लिखत प्रकार	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में, यथा नवीनतम रिपोर्टिंग तारीख)	1600	1300	1200	25000
9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन में यथा नवीनतम रिपोटिंग तारिख)	4,000	3,250	3,000	25000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार	उधार	उधार
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	10.02.2009	09.12.2009	09.09.2010	08.08.2014
12	दिनांकित या सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक
13	मूल परिपक्वता तारीख	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक
14	पर्यवेक्षीय अनुमोदन के अध्यधीन इश्यूअर कॉल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15	ऑप्शनल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन	कॉल ऑपशन की तारीख 10.2.2019 सममूल्य पर मोचन	कॉल ऑपशन की तारीख 09.12.2019 सममूल्य पर मोचन	कॉल ऑपशन की तारीख 09.09.2020 सममूल्य पर मोचन	कॉल ऑपशन की तारीख 08.08.2024 सममूल्य पर मोचन

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, यदि लागू हों	वर्षगांठ पर 10.2.2019 के बाद	09.12.2019 के बाद	27.7.2017 के बाद	08.08.2024 के बाद
	कूपन/डिविडेंड	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश / कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	कॉल से पहले 8.90%, कॉल के प्रयोग न होने पर 9.40%	कॉल से पहले 9.00%, कॉल के प्रयोग न होने पर 9.50%	कॉल से पहले 9.05%, कॉल के प्रयोग न होने पर 9.55%	प्र.व.11%
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	आंशिक रूप से विवेकाधीन	आंशिक रूप से विवेकाधीन	आंशिक रूप से विवेकाधीन	पूर्ण रूप से विवेकाधीन
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्जन् ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो, किस प्रकार के लिखत में परिवर्तन होगा उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसका जारीकर्ता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
31	यदि राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर्स।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पीओएनवी ट्रिगर
32	यदि राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई भी
33	यदि राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	स्थायी
34	यदि राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में सबऑर्डिनेशन व्यवस्था में स्थिति (लिखत के प्रकार का उल्लेख करें लिखत से तत्काल सीनियर)	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
37	यदि हाँ, तो कृपया गैर-कम्प्लायंट विशेषताओं का उल्लेख करें	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	लागू नहीं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट अभिज्ञापक	INE084A08078	INE084A08086
3	लिखत का शासी विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	नियामक प्रबंध		
4	संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1
5	परिवर्ती संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप
7	लिखत प्रकार	स्थायी ऋण लिखत	स्थायी ऋण लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि(अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में रू. मिलियन में)	10,000	5,000
9	सममूल्य के लिखत (रु. मिलियन, अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि के)	10,000	5,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	22.06.2016	23.06.2016
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी	बेमियादी
13	परिपक्वता की मूल तिथि	स्थायी	स्थायी
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	हां	हां
15	वैकल्पिक बोली तिथि, आकस्मिक बोली तिथि तथा प्रतिदान राशि	कॉल ऑपशन की तारीख 22.6.2021 सममूल्य पर मोचन	कॉल ऑपशन की तारीख 23.6.2026 सममूल्य पर मोचन
16	अनुवर्ती बोली तिथि, यदि लागू हो तो	वर्षगांठ की तारीख पर 22.6.2021 के बाद	वर्षगांठ की तारीख पर 23.6.2026 के बाद
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	11.50% p.a.	11.50% p.a.
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेक	पूर्ण विवेक
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्तन होगा	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशिष्टताएं	हां	हां
31	यदि राइट डाउन हैं तो, राइट डाउन ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर
32	यदि राइट डाउन है तो पूर्ण या आंशिक	कोई भी	कोई भी
33	यदि राइट डाउन है तो स्थायी या अस्थाई	कोई भी, आरबीआई निदेशानुरूप	कोई भी, आरबीआई निदेशानुरूप
34	यदि अस्थायी राइट डाउन तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठता से स्पष्ट करें)	स्थायी ऋण लिखत	स्थायी ऋण लिखत
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टताएं	नहीं	नहीं
37	यदि हां तो गैर –अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट अभिज्ञापक	INE084A08128	INE084A08102
3	लिखत का शासी विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	नियामक प्रबंध		
4	संक्रमणशील बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1
5	परिवर्ती संक्रमणशील बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप
7	लिखत प्रकार	स्थायी ऋण लिखत	स्थायी ऋण लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि(अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में रू. मिलियन में)	5,000	10,000
9	सममूल्य के लिखत (रु. मिलियन, अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि के)	5,000	10,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	02.11.2017	15.03.2017
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी	बेमियादी
13	परिपक्वता की मूल तिथि	स्थायी	स्थायी
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	हां	हां
15	वैकल्पिक बोली तिथि, आकस्मिक बोली तिथि तथा प्रतिदान राशि	कॉल ऑपशन की तारीख 02.11.2022 सममूल्य पर मोचन	कॉल ऑपशन की तारीख 15.03.2022 सममूल्य पर मोचन
16	अनुवर्ती बोली तिथि, यदि लागू हो तो	वर्षगांठ की तारीख पर 02.11.2022 के बाद	वर्षगांठ की तारीख पर 15.03.2022 के बाद
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	8.79%	9.95%
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेक	पूर्ण विवेक
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्त होगा	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशिष्टताएं	हां	हां
31	यदि राइट डाउन हैं तो, राइट डाउन ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर
32	यदि राइट डाउन है तो पूर्ण या आंशिक	कोई भी	कोई भी
33	यदि राइट डाउन है तो स्थायी या अस्थाई	कोई भी, आरबीआई निदेशानुरूप	कोई भी, आरबीआई निदेशानुरूप
34	यदि अस्थायी राइट डाउन तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठता से स्पष्ट करें)	स्थायी ऋण लिखत	स्थायी ऋण लिखत
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टताएं	नहीं	नहीं
37	यदि हां तो गैर –अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट अभिज्ञापक	INE084A09209	INE084A09217
3	लिखत का शासी विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	नियामक प्रबंध		
4	संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	टियर 2	टियर 2
5	परिवर्ती संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	अपात्र	अपात्र
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप
7	लिखत प्रकार	अपर टियर 2 पूंजी लिखत	अपर टियर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि(अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में रू. मिलियन में)	4,000	4,000
9	सममूल्य के लिखत (रु. मिलियन में)	10,000	10,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	20/01/2010	11/06/2010
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	20/01/2025	11/06/2025
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	हां	हां
15	वैकल्पिक बोली तिथि, आकस्मिक बोली तिथि तथा प्रतिदान राशि	20/01/2020	11/06/2020
16	अनुवर्ती बोली तिथि, यादि लागू हो तो	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	8.54%	8.48%
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	हां	हां
22	असंचयी या संचयी	संचयी	संचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्त होगा	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशिष्टताएं	नहीं	नहीं
31	यदि राइट डाउन है तो, राइट डाउन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि राइट डाउन है तो पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि राइट डाउन है तो स्थायी या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी राइट डाउन तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठता से स्पष्ट करें)	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टताएं	हां	हां
37	यदि हां तो गैर –अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट अभिज्ञापक	INE084A08037	INE084A08045	INE084A08060
3	लिखत का शासी विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	नियामक प्रबंध			
4	संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	परिवर्ती संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	पात्र	पात्र	पात्र
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप
7	लिखत प्रकार	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि(अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में रू. मिलियन में)	10,000	5,000	30,000
9	सममूल्य के लिखत (रु. मिलियन, अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि के)	10,000	5,000	30,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	25/09/2013	30/09/2013	31/12/2015
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	25/09/2023	30/09/2023	31/12/2025
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	नहीं	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक बोली तिथि, आकस्मिक बोली तिथि तथा प्रतिदान राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16	अनुवर्ती बोली तिथि, यादि लागू हो तो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	9.80%	9.80%	8.52%
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हां	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेक	पूर्ण विवेक	पूर्ण विवेक
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्तन होगा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशिष्टताएं	हां	हां	हां
31	यदि राइट डाउन हैं तो, राइट डाउन ट्रिगर	आरबीआई द्वारा निधार्रित	आरबीआई द्वारा निधार्रित	आरबीआई द्वारा निधार्रित
32	यदि राइट डाउन है तो पूर्ण या आंशिक	आरबीआई द्वारा निधार्रित	आरबीआई द्वारा निधार्रित	आरबीआई द्वारा निधार्रित
33	यदि राइट डाउन है तो स्थायी या अस्थाई	आरबीआई द्वारा निधार्रित	आरबीआई द्वारा निधार्रित	आरबीआई द्वारा निधार्रित
34	यदि अस्थायी राइट डाउन तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठता से स्पष्ट करें)	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टताएं	अनुपालन किया गया	अनुपालन किया गया	अनुपालन किया गया
37	यदि हां तो गैर –अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	--	--	--

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट अभिज्ञापक	INE084A09159	INE084A09175	INE084A09183
3	लिखत का शासी विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	नियामक प्रबंध			
4	संक्रमणशील बेसल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	परिवर्ती संक्रमणशील बेसल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप
7	लिखत प्रकार	अपर टियर 2 पूंजी लिखत	अपर टियर 2 पूंजी लिखत	अपर टियर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि(अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में रू. मिलियन में)	2,000	2,000	2,000
9	सममूल्य के लिखत (रू. मिलियन में)	5,000	5,000	5,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	16/10/2008	28/07/2009	28/08/2009
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	16/10/2023	28/07/2024	28/08/2024
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	हां	हां	हां
15	वैकल्पिक बोली तिथि, आकस्मिक बोली तिथि तथा प्रतिदान राशि	16/10/2018	28/07/2019	28/08/2019
16	अनुवर्ती बोली तिथि, यादि लागू हो तो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	11.15%	8.45%	8.50%
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हां	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	हां	हां	हां
22	असंचयी या संचयी	संचयी	संचयी	संचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्तन होगा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशिष्टताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि राइट डाउन हैं तो, राइट डाउन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि राइट डाउन है तो पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि राइट डाउन है तो स्थायी या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी राइट डाउन तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठता से स्पष्ट करें)	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टताएं	हां	हां	हां
37	यदि हां तो गैर –अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट अभिज्ञापक	INE 084A08094	INE 084A08110
3	लिखत का शासी विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	नियामक प्रबंध		
4	संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	टियर 2	टियर 2
5	परिवर्ती संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	अपात्र	अपात्र
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप
7	लिखत प्रकार	लोअर टियर 2 लिखत	लोअर टियर 2 लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि(अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में रू. मिलियन में)	15,000	10,000
9	सममूल्य के लिखत (रू. मिलियन में)	15,000	10,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	07/07/2016	27/03/2017
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	07/07/2026	27/03/2027
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	हां	हां
15	वैकल्पिक बोली तिथि, आकस्मिक बोली तिथि तथा प्रतिदान राशि	07/07/2021	27/03/2022
16	अनुवर्ती बोली तिथि, यादि लागू हो तो	मोचन तक, आरबीआई अनुमोदन की शर्त के अध्यधीन प्रत्येक वर्षगांठ तारीख पर (अर्थात 7 जुलाई)	मोचन तक, आरबीआई अनुमोदन की शर्त के अध्यधीन प्रत्येक वर्षगांठ तारीख पर (अर्थात 27 मार्च)
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	8.57%	8.00%
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेक	पूर्ण विवेक
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्तन होगा	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशिष्टताएं	नहीं	नहीं
31	यदि राइट डाउन हैं तो, राइट डाउन ट्रिगर	आरबीआई द्वारा निधार्रित	आरबीआई द्वारा निधार्रित
32	यदि राइट डाउन है तो पूर्ण या आंशिक	आरबीआई द्वारा निधार्रित	आरबीआई द्वारा निधार्रित
33	यदि राइट डाउन है तो स्थायी या अस्थाई	आरबीआई द्वारा निधार्रित	आरबीआई द्वारा निधार्रित
34	यदि अस्थायी राइट डाउन तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठता से स्पष्ट करें)	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टताएं	अनुपालन किया गया	अनुपालन किया गया
37	यदि हां तो गैर –अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	–	–

तालिका डीएफ -14
विनियामक पूंजी लिखतों के सम्पूर्ण निबंधन एवं शर्ते

➢ हमारे वेबसाइट पर विनियामक प्रकटन खंड के अंतर्गत पृथक प्रकटन ।

तालिका डीएफ : -15
परिश्रमिक के लिए प्रकटन की आवश्यकता

निदेशक मण्डल और उच्चतम कार्यपालको के पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना है। यह योजना स्टेटमेन्ट ऑफ इन्टेन्ट (एसओआई) के आधार पर बनाई गई है जो भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित है।

तालिका डीएफ: -16
बैंकिंग बहियों के लिए इक्विटी का प्रकटन

(रू. मिलियन में)

गुणात्मक प्रकटन

1.	इक्विटी जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1 जिसमें शामिल है :)	
	धारित जिस पर अभिलाभ अपेक्षित है और वे जो अन्य उद्देश्यों के लिए गए है के बीच अंतर जिसमें संपर्क और कार्यनीतिक कारण शामिल हैं, और	एसोसिएटस, सहायक और आरआरबी में किए गए सभी इक्विटी निवेश एचटीएम श्रेणी में है। ये प्रकृति से रणनीतिक हैं। कैपिटल गेन के उद्देश्य से इक्विटी में निवेश को ए.एफ.एस या एच.एफ.टी श्रेणीमें रखा जाता है तथा ये मार्क टू मार्केट (एम.टी.एम) के अधीन होते हैं।
	बैंकिंग बही में इक्विटी धारिता के मूल्यांकन और लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों पर विचार विमर्श। इसमें प्रयोग लेखांकन तकनीक और मूल्यांकन पद्धति शामिल है साथ ही मुख्य धारणाएं और मूल्यांकन प्रभावित करने वाली पद्धति के साथ इन पद्धतियों में परिवर्तन भी शामिल है।	आरबीआई के मास्टर परिपत्र-बैंको के द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण,मूल्यांकन तथा परिचालन हेतु विवेकपूर्ण नियम के अनुससर खरीद के समय निवेशों का वर्गीकरण ट्रेड के लिए रखे गए(एच.एफ.टी),बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफ़एस) तथा परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) श्रेणियों में रखे जाते हैं। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों (संयुक्त उद्यम वह होगा जहाँ अनुषंगियों के साथ बैंक 25% से अधिक इक्विटी धारण करता है) की इक्विटी में निवेश को एच.टी.एम श्रेणी में रखा जाता है। पूंजी पर्याप्तता हेतु,आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार एच.टी.एम श्रेणी के अंतर्गत रखे गए इक्विटी प्रतिभूति बैंकिंग बुक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार एच.टी.एम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को मार्क टू मार्केट होना आवश्यक नहीं हैं तथा अधिग्रहण लागत पर कैरी किया जाता है। इक्विटी निवेश के मूल्य में क्षणिक को छोड़कर यदि कोईह्रासहोता है। एच.टी.एम श्रेणी में निवेश की बिक्री से कोई हानि,लाभ एवं हानि खाते में दर्ज की जाती है तथा बाद में कर को हटाकर आरक्षित पूँजी तथा वैधानिक पूँजी में विनियोजित की जाती है।

	मात्रात्मक प्रकटन	
1.	निवेश के तुलन पत्र में प्रकट किए गए मूल्य के साथ-साथ उन निवेशों का उचित मूल्य, उद्धत शेयर मूल्य से तुलना जहां शेयर मूल्य भौतिक रूप से उचित मूल्य से भिन्न है।	
	निवेश का बही मूल्य	11850.30
	तुलन पत्र के अनुसार बही मूल्य	11831.70
2.	निवेश के प्रकार और प्रकृति, जिसमें निम्नानुसार श्रेणीकृत की जाने वाली राशि शामिल है :	
	• सार्वजनिक रूप से व्यापार ;	
	• निजी रूप से धारित	11831.70
3.	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न संचयी प्राप्त लाभ (हानि).	
4.	कुल अप्राप्य लाभ (हानि)	
5.	कुल प्रकट पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)	
6.	उपरोक्त में से कोई राशि टियर 1 और/या टियर 2 पूंजी में शामिल	
7.	उचित इक्विटी ग्रूपिंग द्वारा विघटित पूंजी आवश्यकताएं, बैंक की पद्धति के साथ समनुरूप के साथ-साथ संकलित राशि और इक्विटी निवेशों का प्रकार बशर्ते कि पर्यवेक्षी ट्रैन्जिशन या विनियामक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधान की देखभाल.	लागू नहीं

तालिका डीएफ 17-
लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय का सारांश 31-03-2018 (समेकित स्थिती)

	मद	(रू. मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल समेकित आस्तियाँ	6151843.40

2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा और वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेशके लिए समायोजन जिसका लेखांकन उद्देश्य के लिए समेकन किया जाता है लेकिन विनियामक समेकन की सीमा के बाहर है।	(-)100.00
3	परिचालन लेखा फ्रेमवर्क के अनुसरण में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन लेकिन लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय में शामिल नहीं	
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	21740.84
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण संव्यवहार के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और समान प्रतिभूत उधार)	--
6	तुलन पत्र बाह्य/बाहय मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन-पत्र बाहय एक्सपोजर के क्रेडिट समतुल्य राशि में परिवर्तन)	536032.78
7	अन्य समायोजन	(-)59555.32
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	6649961.70

तालिका डीएफ -18
लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन टेम्लैट

	मद	लीवरेज अनुपात फ्रेमवर्क (राशी मिलियन में)
	तुलन पत्र के एक्पोजर	
1	तुलन पत्र के अंदर के मद (डेरिवेटिव और एसएफटी छोडकर, लेकिन संपार्श्विक शामिल)	6085567.00
2	(बासेल III टियर 1 पूंजी निर्धारण में आस्ति रकम घटाया गया)	(-)59655.32
3	तुलन-पत्र पर कुल एक्सपोजर (डेरिवेटिव और एसएफटी छोडकर) (पंक्ति 1 और 2 का जोड)	6025911.68
	डेरिवेटिव एक्सपोजर	
4	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों के साथ सम्बद्ध प्रतिस्थापन लागत (अर्थात योग्य नकद अंतर मार्जिन का निवल)	5272.86
5	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों के साथ सम्बद्ध पीएफई के लिए एड ऑन रकम	16467.98
6	परिचालन लेखा फ्रेमवर्क के अनुसरण में तुलन-पत्र आस्ति से घटाये जाने पर दिए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्रॉस अप	
7	(डेरिवेटिव संव्यवहार में दिए गए नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों में कमी)	
8	(ग्राहक का छूट प्राप्त सीसीपी लेग – स्पष्ट व्यापार एक्सपोजर)	
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव से समायोजित प्रभावी अनुमानित रकम	
10	(लिखत क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित ऑफ सेट और एड ऑन घटाना)	
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का जोड)	21740.84
	संव्यवहार एक्सपोजर वित्तपोषित प्रतिभूतियां	
12	सकल एसएफटी आस्ति (नेटिंग को मान्यता दिए बिना), बिक्री लेखा संव्यवहारो के लिए समायोजन के बाद	60000.00
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के नकद देय और नकद प्राप्य का निवल रकम)	--
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	6276.40
15	एजेंट संव्यवहार एक्सपोजर	
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषित संव्यवहार (पंक्ति 12 से 15 का जोड)	66276.40
	अन्य तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर	
17	सकल अनुमानित रकम पर तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर	1078786.11
18	(क्रेडिट समतुल्य रकम के परिवर्तन के लिए समायोजन)	542753.32
19	तुलन पत्र बाह्य मदें (पंक्ति 17 और 18 का जोड)	536032.79
	पूंजी और कुल एक्सपोजर	
20	टियर 1 पूंजी	332691.68
21	कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का जोड)	6649961.71
	लीवरेज अनुपात	
22	बासेल III लीवरेज अनुपात	5.00%

Basel III (Pillar 3) - Disclosures (Consolidated) March, 2018

Table DF 1
Scope of Application

Name of the top bank in the group to which the Framework applies-

BANK OF INDIA

i. Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation:

Name of the entity/ Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the Method of consolidation	Whether the Entity is included under regulatory scope of consolidation yes / no)	Explain the Method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Bank of India New Zealand Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India(Uganda) Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India (Tanzania) Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India (Botswana) Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
PT Bank of India Indonesia, TBK	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Shareholding Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Axa Investment Managers Pvt Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Axa Trustee Services Pvt Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Merchant Bankers Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd	Yes	Joint Venture	No	Joint Venture	NA	NA
STCI Finance Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
ASREC (India) Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
Indo Zambia Bank Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Gramin Bank of Aryavart	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Jharkhand Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Narmada Jhabua Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

ii. Quantitative Disclosures:

c. *List of group entities considered for consolidation:*

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity & reserves (Rs Mn)	Total balance sheet assets (Rs Mn)
Bank of India New Zealand Ltd	Banking	2556.60	4829.94
Bank of India(Uganda) Ltd	Banking	640.32	2367.40
Bank of India (Tanzania) Ltd	Banking	1059.25	3431.52
Bank of India (Botswana) Ltd	Banking	227.19	914.57
PT Bank of India Indonesia, TBK	Banking	5410.55	21124.31
BOI Shareholding Ltd	Clearing & Settlement of Stock Exchange	283.27	304.86
BOI Axa Investment Managers Pvt Ltd	Assets Management	596.40	733.30
BOI Axa Trustee Services Pvt Ltd	Trusteeship Services	1.44	1.82
BOI Merchant Bankers Ltd	Merchant Banking services	134.23	134.93
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd	Life Insurance	5261.19	73389.00
STCI Finance Ltd	NBFC- NDSI	15543.00	115625.06
ASREC (India) Ltd	Assets Recovery Company	1420.02	1882.67
Indo Zambia Bank Ltd	Banking	5200.41	24200.67
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Banking	1777.73	44312.22
RRB Gramin Bank of Aryavart	Banking	15716.40	187084.07
RRB Jharkhand Gramin Bank	Banking	1549.12	37342.52
RRB Narmada Jhabua Gramin Bank	Banking	6290.91	84417.22

d. *The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:*

There is no deficiency in the subsidiaries.

e. *The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:*

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total Balance Sheet equity (Rs Mn)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method (Rs Mn)
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company LTD	Life Insurance	73389.01	28.96	1875.00 (Risk weight 250%)

f. *Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group are as governed by RBI.*

No

Table DF - 2

Capital Adequacy

i. Qualitative disclosures:

a. A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.

1. Bank of India:

The Bank carries out regular assessment of its Capital requirements from time to time reviewed on an annual basis to take care of the future growth in business, capital requirements, policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc. The Bank has also developed Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to comprehensively address all risks and maintain necessary additional capital.

2. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

In accordance with Regulation of Bank Indonesia, Bank's Tier-1 Capital should be minimum IDR 1 trillion in order to run foreign exchange business.

3. Bank of India (Tanzania) Ltd and Bank of India (Uganda) Ltd - Subsidiary:

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines developed by the Basel Committee, as implemented by the Bank of Tanzania (BOT) and Bank of Uganda (BOU), for supervision purposes. The required information is filed with the BOT and BOU, the local regulators on a quarterly basis. IFRS- 9 has been implemented with effect from 1st January, 2018.

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 Capital: - Share capital and Retained Earnings. Prepaid Expenses, Deferred Charges, our Statutory Reserves, and General Provisions are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 Capital: - Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of five risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off- balance sheet exposure, with some adjustments to reflect the more contingent nature of the potential losses.

4. Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiary):

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines of the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), for supervision purposes. The required information is disclosed in General Disclosure Statement on quarterly basis. The bank's regulatory capital as managed by its management solely consists of Tier 1 Capital

Tier 1 capital: - Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of five risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off-balance sheet exposure

5. Bank of India (Botswana) Ltd:

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 Capital: - Share capital, retained earnings and reserves (now loss for the subsidiary) created by appropriation of retained earnings. Prepaid expenses and deferred charges are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 Capital: -Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances i.e, provision on standard assets and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

ii. Quantitative disclosures:-

(Amount in ₹ Mn.)

Capital requirements for Credit Risk (#):	238,626.47
➢ Portfolios subject to standardized approach	
➢ Securitisation exposures	
Capital requirements for Market Risk: Standardized duration approach: (#)	
➢ Interest rate risk	14,668.02
➢ Foreign exchange risk (including gold)	335.41
➢ Equity risk	8,248.42
Capital requirements for Operational Risk (#):	
➢ Basic Indicator Approach	
➢ The Standardized Approach (if applicable)	27,083.26
Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios:	
(For the top consolidated group)	
➢ Common Equity Tier 1 Capital (CET 1)	8.52%
➢ Tier 1 Capital (T 1)	10.36%
➢ Total Capital Ratio	13.54%
# Capital requirement is calculated at Minimum Regulatory Requirement @ 9% of RWA.	

Table DF 3 - Credit risk
General Disclosures For All Banks

i. Qualitative Disclosures

a. The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk, including:

- Definition of past due and impaired (for accounting purposes)

1.0 Bank of India

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below:

1.1 Non-performing Assets

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank.

A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' as indicated below, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.
- Bank should classify an account as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.
- A loan for infrastructure/non-infrastructure project will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue) unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"
- A loan for an infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within two years from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"
- A loan for a non-infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within twelve months from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"

1.2 'Out of Order' status:

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

1.3 Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

1.4 Non Performing Investments:

In respect of securities, where interest/ principal is in arrears, the Bank does not depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
- Any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
- The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are subjected to NPI norms as applicable to investments.

2.0 PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

The Credit Quality is assessed based on the factors such as business prospects, performance of the debtor and repayment capacity. It is undertaken depending upon the materiality and significance of each assessment factor and components and the relevance of the assessment factors and components to the characteristics of the debtor concerned. Accordingly, the assets are classified into current, special mention, sub-standard, doubtful and loss category.

"Assets" are classified into Earning Assets and Non-earning Assets. Earning Assets are provision of funds by a bank to earn revenues. "Non-Earning Assets" are assets of the Bank other than Earning Assets with potential for Loss.

An asset becomes non-performing when it ceases to generate revenue for the bank. A non-performing asset is a loan or an advance where the arrears in principal and / or interest exceed 90 days.

Past due: Any amount due to the bank under any credit facility is "past due" if it is not paid on the due date fixed by the bank.

In 2010, PT Bank of India Indonesia Tbk implemented New Accounting Policy i.e. PSAK 50 & 55 which is similar to the International Accounting Standards IAS 32 & 39 according to which the financial asset must be presented at the fair value. It can compute financial asset impaired as described above. We are in process to integrate PSAK calculation into bank's

core banking, which is in line with our business plan that is up-gradation technology.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
90-120	Substandard	15%
120-180	Doubtful	50%
180 and More	Loss	100%

3.0 Bank of India (New Zealand) Ltd, Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India Uganda, and Bank of India (Botswana) Ltd (Subsidiaries):

Credit risk is a risk of financial loss to the bank, if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations and arises principally from the bank's loans and advances to customers and other banks, and investment debt securities.

The Board of Directors has delegated responsibility for the oversight of credit risk to its Credit committee. The credit department of the bank, reporting to the Credit committee is responsible for management of the bank's credit risk, including:-

- Formulating credit policies covering collateral requirements, credit assessment, risk grading and reporting, documentary and legal procedures, and compliance with regulatory and statutory requirements.
- Establishing the authorization structure for approval and renewal of credit facilities. The credit limits are governed by the Credit policy, as approved by the board.
- Reviewing and assessing credit risks.
- Limiting concentrations of exposure to counterparties, geographies and industries (for loans and advances).

3.1 Definitions of Past Due and Impaired (for accounting purposes):

Overdrafts and other credit facilities without specific due dates shall be considered past due if:

- Exceeds the customer's borrowing limit.
- Customers borrowing limit is expired.
- Deposits are insufficient to cover the interest calculated and due for the period
- Bill has been dishonoured
- Bill or account is not paid on due date
- Loans which are payable in installments are considered as past due in their entirety. If any of the installments have become due and unpaid for thirty days or more.

4.0 Bank of India (New Zealand) Ltd:

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-180	Substandard	10%
181-270	Doubtful	50%
271 and More	Loss	100%

5.0 Bank of India (Tanzania) Ltd:

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-180	Substandard	20%
181-360	Doubtful	50%
361 and More	Loss	100%

6.0 Bank of India Uganda

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-179	Substandard	20%
180-365	Doubtful	50%
365 and more	Loss	100%

7.0 Bank of India (Botswana) Ltd.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
1 year	Substandard	Secure - 20%
Unsecure – 25%		
1 year & above and < 2 years	Doubtful	25%+100% of shortfall
> 2 years to 4 years	Doubtful	40%+100% of shortfall
> 4 years	Loss	100%

b. Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy:

A. Bank of India:

- In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions or from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality.
- Against this backdrop a robust risk management framework is necessary for the long-term financial health of a bank. Credit Risk Management encompasses identification, measurement, monitoring and control of the credit risk exposures.
- The Bank has identified various types of credit risk at a generic level in the Credit Risk Management policy. More granular identification is done at the product /process level. Various risks are looked into before introducing new products/processes, which are cleared from the risk angle.
- The Credit Risk Management framework outlined in the policy is built on three distinct building blocks namely Policy & Strategy, Organizational Set up and Operations/Systems.

i) Policy and Strategy:

The Bank has been following a conservative risk philosophy, which has steered the bank through difficult times. However the Bank has an open policy regarding new and unexplored areas and new opportunities are not lost sight of. The

important aspects of this philosophy are embodied in the circulars and are periodically codified in the form of Manual of Instructions.

The business objectives and the strategy of the Bank is decided taking into account the profit considerations, the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is always conscious of its asset quality and earnings and hence judiciously matches profit maximization with risk control.

The Credit Risk Management policy and significant credit risk related policies like Credit Policy, and Credit Monitoring Policy are approved and periodically reviewed by the Board of Directors. The Credit Policy covers various areas of credit like Clientele, Marketing, Segmented Approach to Lending, Credit Delivery, Credit Thrust, Tenure of Credit, Credit Acquisition, Risk Rating (including risk acceptance criteria), Pricing, Credit appraisal, Assessment of Limits, Exposure Norms, Industry Norms, Collateral and Margins, Review of Relationship, Scheme of Delegation, Statutory and other Restrictions and Documentation. Credit Policy for International Operations is in place and each center has its own credit policy dovetailed to the main policy. The delegation of powers for credit matters is covered by a separate policy. In addition Credit Risk is tracked and monitored as per the Credit Monitoring Policy. Restructuring Policy, Write Off and Recovery Policy, Asset Classification and Provisioning Policy, Bank Exposure Policy, Country Risk policy and Credit Audit Policy are also in place. Investments are contracted as per the policy guidelines laid down in the Investment Policy and after clearance by the Investment Committee.

ii) Organizational Set up:

The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex levels that have the overall oversight of management of risks. The Risk Management Committee of the Board (R. Com) which is the sub-committee of the Board headed by the MD & CEO and whose members also include heads of Credit, Market & Operational Risk Management Committees, devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk. At the operational level the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions includes implementation of credit risk management policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit matters including delegation of credit, prudential limits on large credit exposures, portfolio management, etc.

The Risk Management Department headed by the Chief Risk Officer of General Manager rank, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/R. Com/M.Com. The Credit Monitoring Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

iii) Operations/Systems/Processes

The Bank has proactive Credit Risk Management practices like consistent standards for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items, periodic individual obligor reviews, periodic inspections and collateral management systems.

Credit risk limits including obligor limits and concentration limits by industry, systems and procedures for monitoring financial performance of customers and for controlling outstanding within limits are followed. Checks and balances are in place for extension of credit viz. separation of credit risk management from credit sanction, vetting of new products and systems from risk angle by the CRMC, multiple credit approvers, system of assigning risk rating, vetting of ratings, mechanism to price facilities depending on the risk grading of the customer, Credit Risk Evaluation committee for vetting credit proposals from risk angle, credit process audit, post sanction pre disbursement review and post sanction review systems and an independent audit and risk review function. Proposals for investments are subjected to credit risk analysis, detailed appraisal and rating. As a matter of entry level, minimum ratings/quality standards, industry, maturity, duration, issue-wise limits are stipulated for investments to mitigate the adverse impact of concentration and risk of liquidity. Investment exposure is taken into consideration while computing exposure to a customer/group. A suitable framework is in place to provide a centralized overview on the aggregate exposure on other banks and half-yearly reviews are undertaken at a single point. The country exposures are monitored on half yearly basis.

A diversified portfolio of risk assets is maintained and a system to conduct regular analysis of the portfolio so as to ensure ongoing control of risk concentrations is in place. A conservative policy for provisioning in respect of non-performing advances is followed. Management Information System (MIS) is being upgraded with introduction of Credit Risk Management System, which would enhance the capabilities of the bank to manage and measure the credit risk inherent in all on- and off-balance sheet activities.

iv) The following tools are used for credit risk management/ mitigation –

➢ **Credit Approving Authority – Delegation of Powers:**

The Bank has a well-defined scheme of risk based delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment. The delegation of powers is linked to the rating of the borrower with powers for sanction of higher limits to better-rated customers. At present, all credit proposals falling within the delegated authority of the General Manager and above are being routed through the “Credit Risk Evaluation Committee (CREC)” to bring in an element of independence and off-site evaluation of risks perceived in credit proposals. The General Manager, Risk Management Department, who has no volume or profit targets, is mandatory member of the CREC.

As per Ministry of Finance Guidelines, Credit Committees

with sanctioning powers have been formed at various administrative levels to exercise delegation of powers. At Head Office level, three Credit Committees (GMLCC, EDLCC and CAC) are functioning to deal with proposals falling beyond the delegated powers of the field functionaries. Such Credit Committees (SZLCC/ZLCC/NBGLCC) have also been set-up at Zonal Office/NBG office for considering the credit proposals falling within their powers.

➢ **Prudential Limits:**

Prudential limits on various aspects of credit/investment like Single/Group borrower limits for various types of borrowers are in place.

➢ **Risk Rating/Pricing:**

The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.

➢ **Credit Audit/Loan Review Mechanism (LRM):**

Credit Audit/LRM is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration

v) Portfolio Management through analysis:

It is also important to have in place a system for monitoring the overall composition and quality of various credit portfolios and investments. With this objective, to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model. Rating Migration of accounts with Rs. 10 lacs and above is being done on half yearly and submitted to Board. Credit Risk Management Software (CRMS) is being implemented phase-wise. Bank is getting prepared for adopting Advanced Approaches.

vi) Risk Measurement:

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights. The Bank has migrated to the Standardized approach under the New Capital Adequacy Framework (Basel II), effective 31st March 2008.

vii) Risk Reporting System:

All credit related policies are cleared by the CRMC (which is the operational level committee for credit risk) before submission to the appropriate authorities for approval. Various Credit Related reporting's submitted to CRMC to enable proper monitoring.

viii) Risk Review:

Audit –Credit Risk Management Systems procedures and Tools are also subjected to internal audit for ensuring effectiveness.

ix). Measures for follow up of Special Mention Accounts (SMA) / NPA Accounts

The various means of monitoring / resolving NPAs undertaken by the Banks are listed below:

I. Before the account becoming NPA [Special Mention A/c (SMA)]:

a. Close monitoring for compliance of sanction terms to maintain asset quality.

b. Reminders are sent promptly whenever irregularities are observed.

c. Overdues are recovered quickly to ensure that account does not slip to NPA category.

d. Periodic inspection of the unit and charged assets along with analysis of financial data.

e. To restructure the dues before accounts become NPAs. Remedial action includes enhancement of moratorium period, funding of interest, and deferment of installments.

II. After the account becoming NPA:

a. Appropriation of liquid securities (TDR, shares, margin money etc.) and pledged goods, to reduce outstanding.

b. Disposal of other securities, with the co-operation of borrowers.

c. Compromise and settlement of dues through negotiation.

d. Re-calling the advance.

e. Filing suit in Court– Execution of decree.

f. After all the chances of recovery of dues are exhausted, account is written off of the balance dues.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

PT Bank of India Indonesia Tbk has established a Risk Management Committee (RMC) and the Risk Management Unit (RMU) which is independent of the Operational Unit and the Internal Audit Unit ("Internal Audit") in the hope of overall risk management can be integrated, targeted, coordinated and sustainable. Furthermore, to monitor the effectiveness of implementation of tasks RMC and RMU, the Bank established a Risk Monitoring Committee which is directly responsible to the Board of Commissioners.

The Bank has managed 8 (eight) types of risk according to Bank of Indonesia which are credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk. Banks also create risk profiles which can broadly map the activity that has risks as well as potential risks that disrupt the Bank business continuity. Assessment of risk type is a combination of the risks inherent in any functional activity (inherent risk) and risk control systems.

The Bank is selective in approving new credits and maintains higher loan provisions than that required by the Regulator. In collateral based lending, hair cut is applied to the value of collateral. The Risk Manager of the bank reports to the Director Compliance. Risk Management Unit (RMU) supervises/ has oversight of the credit approval process.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (New Zealand) Ltd, Bank of India (Uganda) Ltd, and Bank of India (Botswana) Ltd:

Monthly interest application has become a useful tool to tackle potential delinquencies or defaults in standard accounts. To retain the asset quality, the Bank has adopted

the following policy, Branches should promptly act and:

i Recover the overdues or at least the critical amount through active follow up with borrowers;

ii Put the accounts under holding on operations in case of temporary cash flow mismatches;

iii Reschedule the repayment terms as per expected cash flows;

iv Restructure the dues in keeping with the expected cash flows and gaps in cash flows, if any as per guidelines given in the restructuring policy.

v Any one or more of the above actions are taken by the Bank before the account becomes NPA.

ii. Quantitative Disclosures:

a. The total gross credit exposures is:

Category	(Rs. In Mn)
Fund Based	4,020,804.06
Non Fund Based*	631,847.65

*Excluding Credit Equivalent of Derivatives

b. The geographic distribution of exposure is:

(Rs.in Mn)

	Domestic	Overseas
Fund Based	3,170,527.87	850,276.19
Non Fund Based	586,904.66	44,942.98

c. Industry type distribution of exposure (Fund Based & Non Fund Based) is as under:

(Rs. in mn)

Industry Name	O/S Fund Based	O/S NFB
Coal	1,001.10	83,381.41
Mining	78,296.36	-
Iron & Steel	116,710.31	3,879.30
Other Metal & Metal Products	31,280.67	11,085.85
All Engineering	15,726.44	13,454.81
Of which Electronics	2,104.35	1,850.49
Electricity	286,753.28	
Cotton Textiles	43,732.77	6,304.37
Jute Textiles	1,072.10	371.82
Other Textiles	44,403.93	4,427.72
Sugar	19,371.83	917.79
Tea	16.30	32.41
Food Processing	19,557.55	7,665.61
Vegetable Oil & Vanaspati	8,591.89	10,079.44
Tobacco & Tobacco Products	7,641.56	665.05
Paper & Paper Products	11,541.77	884.91
Rubber & Rubber Products	20,985.13	5,302.98
Chemical, Dyes, Paints etc.	45,385.70	16,341.30
of which Fertilisers	3,712.66	1,804.88
of which Petro-chemicals	11,719.16	4,707.75
of which Drugs & Pharmaceuticals	15,451.87	4,826.74
Cement	13,599.16	776.03
Leather & Leather Products	4,271.26	695.27
Gems & Jewellery	80,987.62	2,763.88
Construction	38,623.43	27,174.80
Petroleum	17,314.40	26,083.81
Automobiles including Trucks	28,456.26	3,898.25
Infrastructure*	440,829.91	95,406.46
of which Power	287,668.40	48,284.97
of which Telecommunications	2,875.71	218.95
of which Roads & Ports	97,384.42	27,054.64
Other Industries	77,264.99	134,946.88
Residuary Other Advances (to balance with Total Advances)	2,854,141.62	175,307.50
Total	**4,020,804.06**	**631,847.65**

- Exposure to Infra Sector at 10.96% exceeds 5% of total fund based advances
- Exposure to Infra Sector at 15.10% exceeds 5% of total non-fund based outstanding.

d. The residual contractual maturity break down of assets is:

(Rs in Mn)

	Advances	Investments	F. C. Assets
Day 1	94,372.22	320,117.78	55,913.81
2 to 7 days	63,692.23	23,211.28	56,169.31
8 to 14 days	73,928.81	26,328.62	42,617.45
15 to 30 days	119,319.38	41,079.36	104,196.94
31 Days & upto 2 months	63,051.50	30,278.60	70,264.61
> 2 months & upto 3 months	213,096.52	27,661.84	273,557.94
>3 months & upto 6 months	238,494.49	31,330.93	229,420.50
Over 6 months & upto 1 year	213,096.61	68,547.58	105,077.39
Over 1 year & upto 3 years	535,020.70	231,295.03	130,484.81
Over 3 years & upto 5 years	547,330.04	185,512.18	51,480.57
Over 5 years	1,344,089.20	435,026.16	130,450.72
Total	**3,505,491.71**	**1,420,389.37**	**1,249,634.05**

e. The Gross NPAs are:

Category	(Rs, in Mn)
Sub Standard	134,524.61
Doubtful – 1	117,848.52
Doubtful – 2	239,692.56
Doubtful – 3	70,006.27
Loss	61,856.26
Total	**623,928.21**

f. The amount of Net NPAs is Rs. 2,82,528.45 Mn.

g. **The NPA ratios are as under:**

- Gross NPAs to Gross Advances (Solo) :16.58%
- Net NPAs to Net Advances (Solo) : 8.26%

h. **The movement of Gross NPA is as under:**

(Rs in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	522,690.68
ii) Additions during the year	256,141.64
iii) Reductions during the year	154,904.07
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	623,928.25

i. **The movement of provision for NPAs is as under:**

(Rs in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	248,524.35
ii) Provisions made during the year	114,947.33
iii) Write-off/write-back of excess provisions	44,548.65
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	318,923.03

j. **The amount of Non-Performing Investment is Rs.25,945.92 Mn.**

k. **The amount of provision held for Non-Performing Investment is Rs.19112.66 Mn.**

l. **The movement of provisions for depreciation on investments is as under:**

(Rs in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	11,266.11
ii) Provisions made during the year	32,317.19
iii) Write-off/write-back of excess provisions	8,343.07
iv) Exchange Difference	-
v) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii+iv)	35,240.22

m. **NPA and Provisions maintained by Major Industry or Counterparty type for Bank of India [Solo] :**

(Rs. in Mn.)

Industry Name	NPA	Provision
Coal	366.00	230.50
Mining	11,391.20	4,882.50
Iron & Steel	68,710.80	19,703.30
Other Metal & Metal Products	13,769.40	9,339.10
All Engineering	5,996.60	2,400.70
Of which Electronics	977.50	548.30
Electricity	66,377.60	24,637.90
Cotton Textiles	15,002.70	2,890.00
Jute Textiles	737.30	505.10
Other Textiles	12,723.50	2,478.70
Sugar	2,842.10	2,509.40
Tea	-	-
Food Processing	5,718.53	1,690.70
Vegetable Oil & Vanaspati	4,406.20	3,233.90
Tobacco & Tobacco Products	3,935.00	2,512.50
Paper & Paper Products	3,612.40	1,572.70
Rubber & Rubber Products	2,389.60	1,029.70
Chemical, Dyes, Paints etc.	13,169.70	5,900.10
of which Fertilisers	1,828.50	275.20
of which Petro-chemicals	2,854.30	1,620.60
of which Drugs & Pharmaceuticals	5,452.60	2,310.00
Cement	2,517.90	1,197.90
Leather & Leather Products	463.50	164.40
Gems & Jewellery	27,216.60	5,342.30
Construction	6,693.20	796.80
Petroleum	4,191.60	3,541.20
Automobiles including Trucks	12,379.00	6,056.20
Computer Software	-	-
Infrastructure*	111,185.40	50,385.50
of which Power	66,377.60	24,637.90
of which Telecommunications	2,797.40	1,559.40
of which Roads & Ports	29,265.40	13,965.30
Other Industries	54,499.40	10,149.20
Residuary Other Advances (to balance with Gross Adv.)	239,366.97	180,207.30
Total	**623,284.60**	**318,719.70**

n. **Geography wise NPA and Provision [for Bank of India Solo]:**

(Amount in Rs Mn)

	Domestic	Overseas	Total
Gross NPA	510,860.10	112,424.50	623,284.60
Provision for NPA	250,076.60	68,643.10	318,719.70

Table DF-4

Credit Risk: Disclosures For Portfolios Subject To The Standardised Approach

i. **Qualitative Disclosure:**

a) For portfolios under the standardized approach:

➢ Names of Credit Rating agencies used, plus reasons for any changes

➢ Types of exposure for which each agency is used; and

➢ A description of the process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book;

1.0 **BANK OF INDIA:**

a. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, INDIA RATINGS, BRICKWORK, SMERA, and CARE

for domestic claims and S&P FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns. SME ratings are not being used, as they are not approved by RBI.

b. The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II.

c. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.

d. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.

e. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it. Even while extending an issuer or an issue specific rating to any other exposure on the same counterparty it is extended to the entire amount of credit risk exposure i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.

f. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.

g. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except in cases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.

h. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardized Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counter-party attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.

i. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.

j. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:

i. The rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un- assessed claim only if this claim ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.

ii. If either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.

2.0 PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

As per prevailing norms in the Country credit rating is not required to be done by any external credit rating agency.

3.0 Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (Uganda) Ltd) and Bank of India (Botswana) Ltd.:

As per prevailing norms in the Country credit rating is not required to be done by any external credit rating agency. There is no credit rating agency operating/working in the Country.

4.0 Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary):

Credit risk is disclosed through General Disclosure Statement on quarterly basis as per the requirements.

ii. Quantitative Disclosures

(Rs in Mn)

For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted;	
The total credit exposure of BOI (subject to standardized approach), are classified under major risk buckets are as under: -	
Below 100 % risk weight:	5,284,793.77
100 % risk weight:	1,102,884.50
More than 100 % risk weight:	486,262.24

Table DF-5 Credit Risk Mitigation

Disclosures For Standardised Approaches

i. Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

- Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting;
- Policies and processes for collateral valuation and management;
- A description of the main types of collateral taken by the bank;

- The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness; and
- Information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken

A. Bank of India:

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to protect entity's earnings from loss both in good and bad times. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Such a process is termed as credit risk mitigation and some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. The Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:

- Collateralized transactions
- On-balance-sheet-netting
- Guarantees

2. Eligible Financial Collateral:

All collaterals are not recognized as credit risk mitigants under the Standardized Approach. The following are the financial collaterals recognized.

i. Cash and Deposits including deposits in foreign currency.

ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.

iii. Securities issued by Central and State Governments

iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates

v. Life insurance policies

vi. Debt securities -Rated subject to conditions.

vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions

viii. Units of mutual funds subject to conditions

ix. There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting:

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees:

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors/ counter guarantors includes:

i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

ii. **Other entities rated AA or better.**

5. The Bank has a well-defined Collateral Management policy, which provides the controlling framework to ensure collateral is used optimally. This is a key component in mitigating the credit risks inherent in lending. The Bank accepts both tangible and intangible securities. Tangible Securities are either in physical form or such other material form like cash margin, Deposits with Banks, Gold or such other precious metals, Shares NSC/KVP/Life Insurance Policies. The intangible securities are –Bank Guarantees / Letters of Credit, book debts, Letter of Comfort, Letter of Negative Lien, Unregistered Charge etc. The common ways for obtaining security for moneys lent are Mortgage, Pledge, Hypothecation and lien The assets created out of the bank's credit exposure are as a general rule charged to the bank by way of first charge on pari-passu basis.

Guarantees are normally insisted upon whenever available/ permissible. The main type guarantors are:

i. Central/State Government and Central Government sponsored agencies like DICGC, CGTMSE, and ECGC.

ii. Promoters/Major owners of corporates.

iii. Individual Guarantees of relatives in case of individuals

6. The various aspects of collateral management are:

Minimum conditions for the acceptance of collateral: For collateral to be valid and enforceable the bank ensures that the assets accepted as collateral are marketable, legally enforceable and can be taken control of if necessary .It is also ensured that the market value of the asset is readily determinable or can be reasonably established and verified. For internal control purposes, the bank has a list of types of assets acceptable as collateral and the maximum loan to value ratio for each of these assets taken as primary security. The bank also takes into account statutory restriction while taking collaterals.

a) Validity of collateral:

i) Enforceability:

Bank ensures that credit documentation supporting the collateral, is legally enforceable in all relevant jurisdictions and empowers the Bank to apply the collateral freely to discharge the borrower's obligations.

ii) Title and ownership:

Bank always verifies the existence and ownership of the assets being received as collateral before acceptance and ensures that there is no prior claim by any other party on the said collateral. Bank secures its control of the collateral prior to the drawdown of credit facilities. Information on collaterals is provided to Top Management periodically to facilitate management of credit risk. Charges on collaterals are promptly registered with the relevant authorities wherever applicable.

b) Loan-to-value ratios:

Bank has specified the maximum loan-to-value ratio (margin) for major types of asset to be accepted as primary security. Such ratios are commensurate with the relative risk of the

assets and should be able to provide an adequate buffer against potential losses in realizing the collateral.

c) Valuation:

Bank has a Board approved policy in place for valuation of properties accepted for bank's exposures, where Basis of valuation, Qualification of Valuer and Frequency of revaluation are laid down for compliance across the bank.

d) Safe Keeping Of Collateral And Control To Their Access:

Authority and responsibility has been delegated to relevant individuals and departments for approving the acceptance, monitoring or safe custody of collaterals.

e) Additional / Replacement of Collateral:

Procedures for requesting additional collateral are clearly documented

f) Insurance:

All eligible collaterals except those specially exempted are covered by insurance for relevant risks and detailed guidelines for the same are in place.

g) Sale of Collateral:

The Bank has clear and robust procedure for the timely liquidation of collateral.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk:

PT Bank of India Indonesia Tbk has policy and processes for collateral valuation, based on Bank of Indonesia Regulation and national discretions for mortgage loan. Independent appraisal of the collateral is made if the sanction limit of the loan is above Rs. 2.79 Crores. Liquidation value is calculated based on type of collateral. Collateral value is reviewed every year. The main type of collateral taken is Land & Buildings. Generally personal or third party guarantee is not taken. Sectoral caps in lending are in place to take care of concentrations. The Bank has no major risk concentrations of collaterals or credit risk mitigants.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd and Bank of India (New Zealand) Ltd:

The collaterals are obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/group are as detailed under

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	25
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	10
c) Unsecured	5

D. Bank of India (Uganda) Ltd.:

The collaterals are obtained in the form of Bank's own term deposit receipts, Legal mortgage over immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/ group as per detailed under:

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	Single borrower exposure limit is 25% of the Capital and can be extended to 50% of core Capital.
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	
c) Unsecured	

E. Bank of India (Botswana) Ltd.:

The collaterals are obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/group are as detailed under:

Collateral position	Limit (as % of unimpaired capital)
1) Secured by collateral, the value of which is at least	
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	30
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	30
c) Unsecured	30

ii. Quantitative Disclosures:-

(Amount in Rs. Mn)

(a) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral: after the application of haircuts.	2,74,492.36
(b) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI).	4,43,816.66

Table DF - 6

Securitisation Exposures :- Disclosure for Standarised Approach

i. Qualitative Disclosures:-

On consolidated level the Bank has no Securitization Exposure as on 31.03.2018

ii. Quantitative Disclosures :-

Not Applicable.

Table DF - 7

Market Risk in Trading Book

i. Qualitative Disclosures

a. The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized **approach.**

A. Bank of India:

In Trading book the Bank holds" Held for Trading"(HFT) and "Available for Sale" (AFS) portfolios of investments. The rest of the assets–i.e. Investments under Held to Maturity (HTM) portfolio and advances-are treated as Banking Book. Given below is brief description of the Market Risk Management objectives and policies.

i. Strategies and Processes:

Under Market Risk Management Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Foreign Exchange Risk, and Equity Price risk are monitored. Bank is not currently trading in commodities.

a. Liquidity Risk:

Gap analysis is followed for monitoring Liquidity risk on a fortnightly basis. Prudential limit-for percentage of cumulative gap to cumulative outflow-based on Reserve Bank of India guidelines for the short-term buckets up-to 28 days is monitored. Besides, prudential limits are in place for market borrowing– Daily and average call borrowing–Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc.

High value bulk deposits are monitored on a weekly basis. Short-term dynamic liquidity statement is prepared on a fortnightly basis to assess the liquidity position, which takes in to account the business growth. A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is tested on a quarterly basis. Stress Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

b. Interest Rate Risk:

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis. Prudential limits have been fixed for duration of liabilities. Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

VaR methodology is followed for dated securities under SLR and Non-SLR(Domestic) Prudential limits for VaR have been fixed and daily monitoring is being done and reported to Top Management. Foreign investments in dated securities are normally hedged and the interest rate risk is minimal. VaR limits are also fixed for Foreign Exchange position.

Stress Testing is done to assess the impact on Economic Value of Equity by infusing a shock of change in market rate by 200 basis points.

c. Foreign Exchange Risk:

The Bank has fixed Aggregate Gap Limit in USD as well as in other currencies, Maximum Aggregate daylight and overnight exposure limits for foreign exchange exposure in various currencies. We have also fixed period-wise Individual Currency-wise Gap Limits. Stop loss limits, take profit limit and single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

Derivative transactions are monitored by fixing prudential limit for net open position and a cap for PV01on the outstanding derivatives.

d. Equity Price Risk:

The bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits for equity dealers. Daily Limits to Treasury, Maximum Investment Limit, Holding Period for Equity Portfolio (Trading). Daily reporting is done to Top Management on the transactions.

e. Structure and Organization of Market Risk Management function:

Risk Management is a Board driven function supported by three levels-.Risk Management Committee of the Board for overseeing and issuing directions, wherever necessary/ approving Risk Management Policies etc. ,Asset Liability Management Committee(ALCO) who consider policy issues and with ALM Cell providing support at the ground level. Asset Liability Management Committees are operational at foreign centers also. Market Risk Management Committee (MRMC) is a basic level committee for discussion on policies, limits, exceeding etc.

ii. Scope and nature of risk reporting and/ or measurement systems:

In respect of domestic business the guide lines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as–Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a monthly basis–Duration analysis of investments in the Trading book on a daily basis–VaR calculation of trading book investments on a daily basis excepting the equity portfolio–conducting stress test for liquidity risk/market risk on a quarterly basis.–Duration analysis of global balance sheet and impact on the Economic Value of Equity on a monthly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed on a monthly basis by ALCO.

Various prudential measures have been put in respect to market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on daily basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a fortnightly basis and reported to Top Management / ALCO. Structural liquidity of international operations is being done on a quarterly basis at the corporate level.

The results of the Quarterly study on Stress-Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position–Duration and VaR is reported daily to Top Management.

iii. Policies for Hedging and / or Mitigating Risk:

Detailed policies are operational for Asset Liability Management and Market Risk Management, which deal in detail the various strategies and processes for monitoring Market Risk.

iv. PT Bank of India IndonesiaTbk (Subsidiary):

In accordance with Regulation of Bank Indonesia regarding Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Bank, Bank is not included in the mandatory category for measuring the market risk in the calculation of the value of capital adequacy ratio (CAR). This is due to Bank is a foreign exchange Bank with financial instrument position in the form of securities and/or derivative transaction in the form of a Trading Book with amount below IDR 20 billion (USD 1.7 Million approximately).

B. Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (Uganda) Ltd. & Bank of India (Botswana) Ltd.

a. The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

i. Market risk: Market risk arises from open positions in interest rate, currency and equity products. The board sets limits and reviews it at regular interval on the risk that may be accepted. Further the exposure is monitored on daily basis.

ii. Liquidity risk: The bank is exposed to daily calls on its available cash resources from overnight deposits, current accounts, maturing deposits, loans drawn and guarantees, from margin and other calls on cash settlement. The board has set limit based on their experience of the minimum proportion of maturing funds available to meet such calls and on the minimum level of inter-bank and other borrowing facility that should be in place to cover withdrawals at unexpected levels of demand.

iii. Interest rate risk: The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

iv. Currency risk: The bank is exposed to the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rate. The bank is involved in foreign currency market only to the extent of buying and selling to the extent of required currency. The bank is not involved in foreign currency forward contracts and thus the risk is limited.

ii. Quantitative Disclosure :-

(Rs in Mn)

The capital requirements for #	
Interest rate risk	14,668.02
Foreign exchange risk (including gold)	335.41
Equity risk	8248.42

Capital requirement is calculated at Minimum Regulatory Requirement @ 9% of RWA.

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative Disclosures

In addition to the general qualitative disclosure requirement, the approach(es) for operational risk capital assessment for which the bank qualifies.

A. BANK OF INDIA

The Bank adopts best practices in Risk Management. The Bank assesses and identifies operational risks inherent in all the material products, processes and systems under different Business Lines on an ongoing basis. All new products, activities and systems are being first routed through the New Product Group Committee and then through Committee on Operational Risk Management (CORM) or Credit Risk Management Committee (CRMC), as applicable. All policies related to Risk Management are approved by the Board only after clearance by the Risk Management Committee of the Board (R Com). The Chief Risk Officer implements the directives of R.Com and overseas day-to-day Operational Risk Management functions.

Risk Management function works in close coordination with the committee of Business Operational Risk Managers (BORM) and Operational Risk Management Specialists (ORMS). The committee of BORM and ORMS assists the Operational Risk Management Division in undertaking the Risk and Control Self-Assessments (RCSA), reporting Operational Risk Losses and tracking Key Risk Indicators (KRIs) on a periodical basis.

Risk reporting in the form of Loss Data Analysis is done on half yearly basis to assess the high-risk prone product and business lines and mitigation measures are adopted. Branch levels KRIs and Bank Level KRIs are tracked on a quarterly basis. RCSA exercise is undertaken for all the Bank's products and processes on an annual basis.

Operational Risk Capital Charge is calculated through Basic Indicator Approach. At present, the Bank is in the process of moving towards Standardised Measurement Approaches for computation of Operational Risk Capital Charge. The Bank has already got parallel run approval for migration to The Standardised Approach (TSA) for calculation of Operational Risk Capital Charge.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

Bank adopts best practices in operational risk management, like segregation of duties, trainings, clear laid down procedures etc.

In managing operational risk, each unit is responsible for the risks in its daily operations by referring to policies and procedures, control and routine supervision. Managing operational risks also include areas related to product development, system, human resources and "know your customer" principles to prevent unavoidable circumstances.

To minimize the operational risk, the bank has increased the control function in the transaction processing which conducted among others by implementing the procedures to ensure timely completion of the transaction, adjustment the accounting method to the applied standards, maintain records in orderly, secure access to the asset and data. Function of the Internal Audit Unit who conducts regular checks to the operational activities is also adding value to the improvement needed. Bank use Basic Indicator Approach in Risk Weighted Assets (ATMR) calculation for Operational Risk.

Bank also has Internal Control unit which has job to ensure all business unit comply to bank procedure and local government regulation as well.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (Uganda) Ltd.& Bank of India (Botswana) Ltd.

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the bank's processes, personnel, technology and infrastructure, and from external factors other than credit, market, liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of corporate behavior. Operational risk arises from all the bank's activities.

The bank's objective is to manage the operational risk so as to balance the avoidance of financial losses and damage to the bank's reputation with overall cost effectiveness and to avoid control procedures that restrict initiate and creativity.

The primary responsibility for the development and implementation of controls to address operational risk is assigned to the senior management at each branch level. The responsibility is supported by the development of overall standards for management of operational risks in the following areas:

- Requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorization of transactions;
- Requirements for the reconciliation and monitoring of transactions;
- Compliance with regulatory and other legal requirements;
- Documentation of controls and procedures;
- Requirements for the periodic assessment of operational risks faced, and the adequacy of controls and procedures to address the risks identified;
- Requirements for the reporting of operational losses and proposed remedial action;
- Development of contingency plans;
- Training and professional development;
- Ethical and business standards;
- Risk mitigation, including insurance where this is effective

Table DF-9

Interest Rate Risk In The Banking Book (IRRBB)

i. Qualitative Disclosures

The general qualitative disclosure requirement, including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behavior of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement.

A. Bank Of India

Interest Rate Risk in banking book is calculated generally on a quarterly basis. Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio.

The strategies & processes /structure & organization / scope and nature of risk reporting/ policies etc. are the same as reported under Table DF –7.

The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows:

- Based on monthly information from data centre on the residual maturity of the advances and the deposits covering around 100% of bank's business, Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets, having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.
- The duration for each asset and liability is arrived at taking the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken, as data is available with full particulars. In respect of investments, the AFS and HFT portfolios are excluded for this exercise as the focus is on IRR in the Banking Book.
- Using the above, Modified duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 1% is reckoned By adding up, the net position is arrived at to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

Assumptions:

i. The interest rate moves uniformly across all time buckets and for all assets.

ii. In respect of demand deposits – savings and current – the same are distributed as per their behavioral analysis as suggested by RBI.

iii. Generally the bank follows RBI guidelines on stress testing while calculating the IRRBB including selection of coupon rate / discount rate / taking midpoint of each time bucket as the maturity date etc.

iv. Re-pricing of Base Rate/BPLR linked advances has been taken in the 3 to 6 months bucket.

v. Re-pricing of MCLR linked advances has been taken as per the MCLR tenor they are linked to.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary),Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries) and Bank of India Uganda Ltd

The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

ii. Quantitative Disclosures

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover.

Interest Rate Risk In Banking Book (BOI Solo)

(Rs in Mn)

	Total	Of which in USD (where turnover is more than 5% of total turnover)
1. Earnings At Risk (NII)		
At 0.50% change for 1 year	993.95	(208.53)
2. Economic Value of Equity at Risk		
200 basis point shock	7896.48	8675.79
Drop in equity value in %age terms	4.06%	4.46%

Table –DF 10

General Disclosure For Exposures Related To Counterparty Credit Risk

i. Qualitative Disclosure

The bank uses derivatives products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes. The risk management of derivative operation is headed by a senior executive, who reports to top management, independent of the line functions. Trading positions are marked to market on daily basis.

The derivative policy is framed by the Risk Management Department, which includes measurement of credit risk and market risk.

The hedge transactions are undertaken for balance sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place. Policy for hedging and processes for monitoring the same is in place.

Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions are in place, which includes recognition of income, premiums and discounts. Valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and risk mitigation are being done.

Credit equivalent or EAD has been computed in accordance with the Current exposure methodology (CEM). Potential exposure is computed by multiplying Credit conversion factor with Notional principal. Replacement cost is the positive market value. Current exposure is the same as the replacement cost. Credit equivalent or EAD is the sum of potential exposure and current exposure.

ii. Quantitative Disclosure

a. Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposure, collateral held (including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit derivative hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure.

b. Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group

(Rs in Mn)

Counter Party Credit Risk (CCR)	
Notional Principal Amount	6,36,666.93
Potential Exposure	16,371.87
Replacement Cost	5,272.86
Current Exposure	5,272.86
Credit Equivalent or EAD	21,644.73
RWA	6,586.12
Capital Charge	526.89

(Rs. In Mn)

Item	Notional Amount	Current Credit Exposure	Credit equivalent
Currency Option	0	0	0
Cross CCY Interest Rate Swaps	52996.32	29.47	5121.09
Forward rate agreements	502980.51	5143.24	15779.29
Interest rate future	0	0	0
Credit default swaps	0	0	0
Single CCY interest Rate Swaps	80690.10	100.24	744.35
Total	**636666.93**	**5272.96**	**21644.73**

Table DF -11

Composition of Capital

(Rs. in million)

	Common Equity Tier 1 Capital : Instruments and Reserves	
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	237264.93
2	Retained earnings	-149712.14
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	244,102.74
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	

	Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	1591.47
6	**Common Equity Tier1 capital before regulatory adjustments**	**333247.00**
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments	
7	Prudential valuation adjustments	
8	Goodwill (net of related tax liability)	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	-
10	Deferred tax assets	58878.11
11	Cash-flow hedge reserve	
12	Shortfall of provisions to expected losses	
13	Securitisation gain on sale	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	
15	Defined-benefit pension fund net assets	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	627.21
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)3	
20	Mortgage servicing rights4 (amount above 10% threshold)	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences5	
22	(amount above 10% threshold, net of related tax liability)	
23	Amount exceeding the 15% threshold6	
24	of which: significant investments in the common stock of financial entities	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	
26	National specific regulatory adjustments 7	
	(26a+26b+26c+26d)	
26a	of which:Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	100.00
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries8	0
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank9	0
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
	For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**59605.32**
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**273641.68**
	Additional Tier 1 capital: instruments	
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	59100.00
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**59100.00**
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments	
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	50.00
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)10	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	

41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	**50.00**
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**59050.00**
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy11**	**59050.00**
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**332691.68**
	Tier 2 capital: instruments and provisions	
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	70000.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	14000.00
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	
50	Provisions12	18,042.32
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**102042.32**
	Tier 2 capital: regulatory adjustments	
52	Investments in own Tier 2 instruments	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	47.45
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	
55	Significant investments13 in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT	
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	47.45
58	**Tier 2 capital (T2)**	**101994.87**
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy14**	**101994.87**
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	**0**
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a+58b)**	**101994.87**
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**434686.55**
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre Basel III Treatment	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
	of which: …	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**3210680**
60a	of which: total credit risk weighted assets	
60b	of which: total market risk weighted assets	
60c	of which: total operational risk weighted assets	
	Capital ratios	
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.52%
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	10.36%
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	13.54%
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	
65	of which: capital conservation buffer requirement	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	
67	of which: G-SIB buffer requirement	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	
	National minima (if different from Basel III)	
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.375%
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.875%
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.875%

	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)	
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2	
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	18042.32
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)	
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	0.00
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	14000.00
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00

Table DF-12

Composition of Capital - Reconciliation Requirements

Step - 1

(Rs. in Mn.)

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		(31.03.2018)	(31.03.2018)
A	**Capital and Liabilities**		
i	Paid-up Capital	17,437.17	17,437.17
	Reserves & Surplus	350,127.64	349,419.28
	Minority Interest	1,591.47	1,591.47
	Total Capital	369,156.29	368,447.93
ii	Deposits	5,229,969.04	5,230,054.42
	of which: Deposits from banks	464,358.62	464,358.62
	of which: Customer deposits	4,765,610.42	4,765,695.80
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	Borrowings	435,982.55	435,982.55
	of which: From RBI	133,580.00	133,580.00
	of which: From banks	0.00	0.00
	of which: From other institutions & agencies	6,515.05	6,515.05
	of which: Others (pl. specify)	125,637.50	125,637.50
	of which: Capital instruments	170,250.00	170,250.00
iv	Other liabilities & provisions	116,735.52	96,588.09
	Total	6,151,843.40	6,131,072.98
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	315,751.89	315,559.76
	Balance with banks and money at call and short notice	644,490.43	644,509.93
ii	Investments:	1,403,210.71	1,384,030.90
	of which: Government securities	1,224,072.54	1,215,137.22
	of which : Other approved securities	977.56	-
	of which: Shares	19,714.74	15,466.66
	of which: Debentures & Bonds	82,506.27	80,521.53
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	15,793.87	16,543.87
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	60,145.75	56,361.62
iii	Loans and advances	3,432,889.21	3,432,863.36
	of which: Loans and advances to banks	355,765.38	355,765.38
	of which: Loans and advances to customers	3,077,123.82	3,077,097.98
iv	Fixed assets	83,498.56	83,441.92
v	Other assets	272,002.60	270,667.12
	of which: Goodwill and intangible assets	-	-
	of which: Deferred tax assets	92,140.21	92,140.21
vi	Goodwill on consolidation	-	-
vii	Debit balance in Profit & Loss account	-	-
	Total Assets	**6,151,843.40**	**6,131,072.98**

Step – 2

(Rs in Mn)

		Balance sheet as in financial statements (31.032018)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation (31.03.2018)
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	17,437.17	17,437.17
	of which: Amount eligible for CET1	17,437.17	17,437.17
	of which: Amount eligible for AT1	-	-
	Reserves & Surplus	350,127.64	349,419.28
	Minority Interest	1,591.47	1,591.47
	Total Capital	369,156.29	368,447.93
ii	Deposits	5,229,969.04	5,230,054.42
	of which: Deposits from banks	464,358.62	464,358.62
	of which: Customer deposits	4,765,610.42	4,765,695.80
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	Borrowings	435,982.55	435,982.55
	of which: From RBI	133,580.00	133,580.00
	of which: From banks	0.00	0.00
	of which: From other institutions & agencies	6,515.05	6,515.05
	of which: Others (pl. specify)	125,637.50	125,637.50
	of which: Capital instruments	170,250.00	170,250.00
iv	Other liabilities & provisions	116,735.52	96,588.09
	of which: DTLs related to goodwill	0.00	0.00
	of which: DTLs related to intangible assets	0.00	0.00
	Total	6,151,843.40	6,131,072.98
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	315751.89	315559.76
	Balance with banks and money at call and short notice	644490.43	644509.93
ii	Investments	1403210.71	1384030.90
	of which: Government securities	1224072.54	1215137.22
	of which: Other approved securities	977.56	0.00
	of which: Shares	19714.74	15466.66
	of which: Debentures & Bonds	82506.27	80521.53
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	15793.87	16543.87
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	60145.75	56361.62
iii	Loans and advances	3432889.21	3432863.36
	of which: Loans and advances to banks	355765.38	355765.38
	of which: Loans and advances to customers	3077123.82	3077097.98
iv	Fixed assets	83498.56	83441.92
v	Other assets	272002.60	270667.12
	of which:Goodwill and intangible assets		
	Out of which:		
	Goodwill		
	(Other intangibles (excluding MSRs)		
	Deferred tax assets	92140.21	92140.21
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	**6151843.40**	**6131072.98**

Step -3

(Rs. in Mn)

	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
		Component of regulatory capital reported by bank	**Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	237264.93	e
2	Retained earnings	-149712.14	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	244,102.74	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non- joint stock companies)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	1591.47	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	333247.00	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		a-c

Table DF-13

Main Features of Regulatory Capital Instruments

1	Issuer	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A01016
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	CET 1
5	Post-transitional Basel III rules	CET 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
7	Instrument type	Common Shares
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	17,437.18
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	NA
10	Accounting classification	Equity Share Capital
11	Original date of issuance	Various
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	NA
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA
	Coupons / dividends	Dividend
17	Fixed or floating dividend/coupon	NA
18	Coupon rate and any related index	NA
19	Existence of a dividend stopper	NA
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	NA
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	NA
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA
25	If convertible, fully or partially	NA
26	If convertible, conversion rate	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA
30	Write-down feature	NO
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA
32	If write-down, full or partial	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other and creditors of the depositors Bank
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA

	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier	INE084A09167	INE084A09191	INE084A09225	INE084A08052
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	AT 1	AT 1	AT 1	AT 1
5	Post-transitional Basel III rules	AT 1	AT 1	AT 1	AT 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	1,600	1,300	1,200	25,000
9	Par value of instrument (Rs. in million, as of most recent reporting date)	4,000	3,250	3,000	25,000
10	Accounting classification	Borrowing	Borrowing	Borrowing	Borrowing
11	Original date of issuance	10.02.2009	09.12.2009	09.09.2010	08.08.2014
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Call Option Date 10.02.2019 Redemption at Par	Call Option Date 09.12.2019 Redemption at Par	Call Option Date 09.09.2020 Redemption at Par	Call Option Date 08.08.2024 Redemption at Par
16	Subsequent call dates, if applicable	On Anniversary Date after 10.02.2019	after 09.12.2019	after 27.07.2017	after 08.08.2024
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed

	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India
18	Coupon rate and any related index	Before Call 8.90% if call not exercised 9.40%	Before Call 9.00% if call not exercised 9.50%	Before Call 9.05% if call not exercised 9.55%	11% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Full Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to Redeem	Yes	Yes	Yes	
No					
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA	PONV Trigger
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	Any
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	No
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	NA

1	Issuer	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier	INE084A08078	INE084A08086
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Additional Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	10,000	5,000
9	Par value of instrument (Rs. in million, as of most recent reporting date)	10,000	5,000
10	Accounting classification	Borrowing	Borrowing
11	Original date of issuance	22.06.2016	23.06.2016
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Call Option Date 22.06.2021 Redemption at Par	Call Option Date 22.06.2021 Redemption at Par
16	Subsequent call dates, if applicable	On Anniversary Date after 22.06.2021	On Anniversary Date after 23.06.2026
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed

18	Coupon rate and any related index	11.50% p.a.	11.50% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Full Discretionary	Full Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA
30	Write-down feature	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	PONV Trigger	PONV Trigger
32	If write-down, full or partial	Any	Any
33	If write-down, permanent or temporary	Either, as directed by RBI	Either, as directed by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments
36	Non-compliant transitioned features	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA

1	Issuer	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier	INE084A08128	INE084A08102
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Additional Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	5,000	10,000
9	Par value of instrument (Rs. in million, as of most recent reporting date)	5,000	10,000
10	Accounting classification	Borrowing	Borrowing
11	Original date of issuance	02.11.2017	15.03.2017
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Call Option Date 02.11.2022 Redemption at Par	Call Option Date 02.11.2022 Redemption at Par
16	Subsequent call dates, if applicable	On Anniversary Date after 02.11.2022	On Anniversary Date after 15.03.2022
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.79% p.a.	9.95% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Full Discretionary	Full Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA

29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA
30	Write-down feature	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	PONV Trigger	PONV Trigger
32	If write-down, full or partial	Any	Any
33	If write-down, permanent or temporary	Either, as directed by RBI	Either, as directed by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments
36	Non-compliant transitioned features	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA

1	Issuer	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier	INE084A09209	INE084A09217
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Upper Tier 2	Upper Tier 2
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	4,000	4,000
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	10,000	10,000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	20/01/2010	11/06/2010
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	20/01/2025	11/06/2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	20/01/2020	11/06/2020
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.54%	8.48%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Cumulative	Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier	INE084A08037	INE084A08045	INE084A08060
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	10,000	5,000	30,000
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	10,000	5,000	30,000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	25/09/2013	30/09/2013	31/12/2015
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	25/09/2023	30/09/2023	31/12/2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.80%	9.80%	8.52%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Convertible
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Non-Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	Yes	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
32	If write-down, full or partial	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA		
	NA	NA		
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Compiled	Compiled	Compiled
37	If yes, specify non-compliant features	--	--	--

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier	INE084A09159	INE084A09175	INE084A09183
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Upper Tier 2 Capital	Upper Tier 2 Capital	Upper Tier 2

8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	2,000	2,000	2,000
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	5,000	5,000	5,000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	16/10/2008	28/07/2009	28/08/2009
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	16/10/2023	28/07/2024	28/08/2024
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	16/10/2018	28/07/2019	28/08/2019
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	11.15%	8.45%	8.50%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature

1	Issuer	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier	INE 084A08094	INE 084A08110
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Lower Tier 2 Instruments	Lower Tier 2 Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	15,000	10,000
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	15,000	10,000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	07/07/2016	27/03/2017
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	07/07/2026	27/03/2027
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	07/07/2021	27/03/2022

16	Subsequent call dates, if applicable	On every anniversary date (i.e. 7th July) till redemption, subject to RBI approval	On every anniversary date (i.e. 27th March) till redemption, subject to RBI approval
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.57%	8.00%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Decided by RBI	Decided by RBI
32	If write-down, full or partial	Decided by RBI	Decided by RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Decided by RBI	Decided by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Compiled	Compiled
37	If yes, specify non-compliant features	--	--

Table DF - 14

Full terms and Condition of Regulatory Capital Instrument

- Disclosed separately under Regulatory Disclosure Section on our website.

Table DF - 15

Disclosure Requirement for Remuneration

The remuneration of Board of Directors and Top executives are decided by the Government of India. In addition to that there is one performance linked Incentive Scheme for whole time directors. The scheme is formulated on the basis of Statement of Intent (SOI) which is signed by the Government of India.

Table DF -16

Equities Disclosure for Banking Books

(Amount in Rs. Mn)

	Qualitative Disclosure	
1.	The general qualitative disclosure requirement (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including:	
	Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and	All equity investments made in Associates, Subsidiaries and RRBs are in HTM category. These are strategic in nature. Investments in equity made with an objective of capital gains are booked under AFS or HFT category and are subject to Marking to Market (MTM).
	Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.	Investments are classified at the time of purchase into Held for trade (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories in line with the RBI master circular- Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks. In accordance with the RBI guidelines, investments in equity of subsidiaries and joint ventures (a joint venture will be one where the Bank, along with its subsidiaries, holds more than 25 percent of the equity) are required to be classified under HTM category. For capital adequacy purpose, as per the RBI guidelines, equity securities held under HTM category are classified under banking book. As per the RBI guidelines, investments classified under HTM category need not be marked to market and are carried at acquisition cost. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognised in the profit and loss statement. Any profit on sale of investments under HTM category is recognised in the profit and loss statement and is then appropriated to capital reserve, net of taxes and statutory reserve.
	Quantitative Disclosures	
1.	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	
	Book value of investment	11850.30
	Value as per Balance sheet	11831.70
2.	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as:	
	• Publicly traded;	
	• Privately held	11831.70
3.	The cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	
4.	Total unrealized gains (losses)13	
5.	Total latent revaluation gains (losses)14	
6.	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	
7.	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	N.A.

Table DF 17

Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure: 31.03.2018 (Consolidated Position)

		(Rs. in Million)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	6151843.40
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	(-)100.00
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	
4	Adjustments for derivative financial instruments	21740.84
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	--
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	536032.78
7	Other adjustments	(-)59555.32
8	**Leverage ratio exposure**	**6649961.70**

Table DF-18

Leverage Ratio Common Disclosure Template

On-balance sheet exposures		
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	6085567.00
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(-)59655.32
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	6025911.68
Derivative exposures		
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	5272.86
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	16467.98
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	21740.84
Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	60000.00
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	--
14	CCR exposure for SFT assets	6276.40
15	Agent transaction exposures	
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	66276.40
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	1078786.11
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	542753.32
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	536032.79
On-balance sheet exposures		
20	Tier 1 capital	332691.68
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	6649961.71
Leverage ratio		
22	Basel III leverage ratio	5.00%

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

प्रधान कार्यालय : प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई -400 051

Head Office : Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051

सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बाईसवीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, **13 जुलाई, 2018 को सुबह 10.30 बजे** निम्नलिखित कारोबार करने के लिए, बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी -5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 में आयोजित की जाएगी:

मद सं. 1 -

"31 मार्च 2018 के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र, दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ एवं हानि खाते, लेखा द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के कार्य तथा गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र तथा लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उन्हें अनुमोदित करना तथा अंगीकार करना"

निदेशक मण्डल के आदेश से

(दीनबंधु मोहापात्रा)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28.05.2018

टिप्पणियां:

1. **परोक्षी की नियुक्ति**

   वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार शेयरधारक स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए नियुक्त कर सकता है तथा ऐसे परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। वैध एवं प्रभावी होने के लिए परोक्षी फार्म वार्षिक आम बैठक की तारीख से 4 (चार) दिन पहले, अर्थात सोमवार, 09 जुलाई 2018 को बैंक के कार्य की समाप्ति पर या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में अवश्य ही प्राप्त हो जाने चाहिए।

2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

   किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति, उस बैठक जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति को बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक आम बैठक की तारीख से 4 (चार) दिन पहले, अर्थात सोमवार, 09 जुलाई 2018 को बैंक के कार्य की समाप्ति पर या उससे पहले जमा न करा दिया गया हो।

3. **लेखा वंदी**

   बैंक का शेयर धारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण रजिस्टर वार्षिक आम बैठक एवं लाभांश के भुगतान के लिए पात्रता अभिनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार, 09 जुलाई 2018 से गुरुवार, 12 जुलाई 2018 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Twenty Second Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of India will be held on **Friday, July 13, 2018 at 10.30 A.M.** at Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400 051 to transact the following business:

Item No. 1

"To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2018, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2018, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

By order of the Board

(Dinabandhu Mohapatra)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 28.05.2018

Notes.

1. **APPOINTMENT OF PROXY**

   A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON HIS/HER BEHALF. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the place specified in the Proxy form not later than 4(four) days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the close of banking hours of Monday, July 09, 2018.

2. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE**

   No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than 4 (four) days before the Annual General Meeting on or before the close of banking hours of Monday, July 09, 2018.

3. **BOOK CLOSURE**

   The Register of the Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Monday, July 09, 2018 to Thursday July 12, 2018 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting,

4. **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची में हस्ताक्षर हेतु दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास सौंप दें। शेयरधारक के परोक्षी/प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास पर यह उल्लेख करना चाहिए कि वह "परोक्षी" है या "प्रतिनिधि"।

5. **लाभांश, यदि कोई जिसका दावा न किया गया हो**

जिन शेयरधारकों ने विगत अवधियों के लिए प्राप्त लाभांश वारंट का नकदीकरण न करवाया हो उनसे अनुरोध है कि वे डूप्लिकेट वारंट जारी करवाने हेतु बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, सात वर्षों की अवधि के लिए दावा न की गई या अदत्त रही लाभांश की राशि को केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत स्थापित इन्वेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फण्ड (आईईपीएफ) को अंतरित किया जाना चाहिए।

6. **ई वोटिंग**

बैंक सहर्ष, नोटिस में उल्लेख किए गए मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। बैंक ने मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/स्वामित्व हितधारकों का ई-वोटिंग अधिकार उनके द्वारा यथा शुक्रवार, 06, जुलाई 2018 को धारित इक्विटी शेयरों पर माना जाएगा जो इस हेतु कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख पर भौतिक अथवा डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखनेवाले शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप से डाल सकते हैं।

7. **ई-वोटिंग अनुदेश**

i. शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार इस उद्देश्य से नियत यथा शुक्रवार, 06 जुलाई, 2018 (कट-ऑफ तारीख) को बैंक के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात में उनके द्वारा धारित शेयर के आधार पर होगा।

ii. वोटिंग अवधि मंगलवार, 10 जुलाई 2018 को सुबह 10.00 बजे आरंभ होगी और गुरुवार, 12 जुलाई, 2018 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। सीडीएसएल द्वारा उसी दिन शाम 5.00 बजे ई-वोटिंग मोड्यूल को डिसेबल कर दिया जाएगा।

iii. शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा।

iv. ***shareholders/members*** पर क्लिक करें।

v. अब अपने यूज़र आईडी की प्रविष्टि करें।

(ए) सीडीएसएल के लिए : 16 डिजिट की बेनिफिशिएरी आईडी

(बी) एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी

(सी) जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों उन्हें बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।

vi. डिस्प्ले किए गए वेरिफिकेशन इमेज की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

vii. यदि आपके पास डीमैट स्वरूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन किया हो और किसी कंपनी/

4. **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry pass is annexed to this Report. Shareholders/ Proxy holders/ representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the Attendance slip-cum-Entry pass at the venue. Proxy/Representative of a shareholder should state on the Attendance slip-cum-Entry pass "Proxy" or "Representative" as the case may be.

5. **UNCLAIMED DIVIDEND IF ANY**

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend for previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for claiming of unpaid dividend. As per the Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 125 of the Companies Act, 2013.

6. **E-Voting**

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank has appointed M/s. S N Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Friday July 06, 2018 being the Cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

7. **E-Voting Instructions**

(i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on Friday July 06, 2018 (Cut-off Date) fixed for the purpose.

(ii) The voting period will commence at 10.00 a.m. on Tuesday July 10, 2018 and will end at 5.00 p.m. on Thursday July 12, 2018. The e-voting module shall also be disabled by CDSL at 5.00 p.m. on the same day.

(iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iv) Click on shareholders/members

(v) Now enter your User ID

(a) For CDSL: 16 digit beneficiary ID

(b) For NSDL: 8 Character DPID followed by 8 Digit Client ID

(c) Members holding shares in physical form should enter Folio Number registered with the Bank.

(vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on

निकाय पर वोट किया हो, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।

viii. यदि आप पहली बार ई वोटिंग कर रहे हों तो निम्नलिखित का पालन करें :-

डीमैट और भौतिक स्वरूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए	
पीएएन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक पीएएन की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने बैंक/डिपॉजिटरी प्रतिभागी में अपना पीएएन अपडेट न किया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले के दो अक्षर और अपने पीएएन के 8 अंकों का सीक्वेन्स नंबर सूचित करें। • यदि सीक्वेन्स नंबर, 8 अंकों से कम अंकों का हो तो नाम के पहले दो अक्षरों(बड़े अक्षरों में) के बाद उस नंबर से पहले आवश्यक संख्या में '0' जोड़ें। अर्थात यदि आपका नाम Ramesh Kumar है और सीक्वेन्स नंबर 1 है तो पीएएन फील्ड में RA0000001 लिखें।
लाभांश बैंक विवरण एवं जन्मतिथि (DOB)	कथित डीमैट खाते या फोलियो के लिए dd/mm/yyyy प्रारूप में आपके डीमैट या बैंक अभिलेख में उल्लिखितानुसार जन्म तिथि की प्रविष्टि करें। • यदि ब्यौरे डिपॉजिटरी या बैंक में ब्यौरे रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेशों (v) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक ब्यौरों के फील्ड् में मेम्बर आईडी/ फोलियो नंबर का उल्लेख करें।

ix. इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात *`SUBMIT'* पर क्लिक करें।

x. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीधे *`Bank selection'* स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब *`password creation'* मेन्यू में पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी/निकाय के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा बशर्ते वह कंपनी/निकाय सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से - ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।

xi. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उन ब्यौरे का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-नोटिंग हेतु किया जा सकता है।

an earlier voting of any company/ entity, then your existing password is to be used.

(viii) If you are a first time user follow the steps given below::

For Members holding shares in Demat and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha numeric `PAN' issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/ Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number (refer serial no. printed on the name and address sticker/postal ballot form/mail) in the PAN Field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two character of the name in CAPITAL letters. E.g. if your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA0000001 in the PAN Field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. • If the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id/ folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v)

(ix) After entering these details appropriately, click on `SUBMIT' tab.

(x) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach `password creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company / entity on which they are eligible to vote, provided that company / entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(xi) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolution contained in this notice.

xii. बैंक ऑफ़ इंडिया के *EVSN* पर क्लिक करें जिस पर आप वोट करना चाहें।

xiii. वोटिंग पृष्ठ पर आपको *`Resolution Description'* दिखेगा और उसी विकल्प के सामने वोटिंग हेतु *`Yes/No'* दिखेगा। इच्छानुसार *'Yes'* या *`No'* विकल्प चुनें। *'Yes'* विकल्प चुनने से तात्पर्य है कि आप इस संकल्प से सहमत हैं और *`No'* विकल्प मतलब आप इस संकल्प से सहमत नहीं हैं।

xiv. यदि आप संकल्प के पूर्ण ब्यौरे देखना चाहें तो *`RESOLUTION FILE LINK'* पर क्लिक करें।

xv. आप ने जिस संकल्प पर वोट करने का निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात *`SUBMIT'* पर क्लिक करें। एक *`confirmation box'* प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहें तो *`OK'* पर क्लिक करें अन्यथा आपका वोट बदलने के लिए *`CANCEL'* पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।

xvi. 'संकल्प' पर अपने वोट की पुष्टि करने पर आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

xvii. आपके द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट आउट निकालने हेतु आप वोटिंग पेज पर *`click here to print'* विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।

xviii. यदि डीमैट खाता धारक पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज नोटिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करें और *`Forget Password'* पर क्लिक करें और सिस्टम जो ब्यौरे मांगे उनकी प्रविष्टि करें।

xix. एंड्राइड आधारित मोबाइल फोन हेतु उपलब्ध CDSL के m-Voting मोबाइल एप्प के माध्यम से भी शेयरधारक मतदान कर सकते हैं। m-Voting मोबाइल एप्प को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। Apple और Windows फोन प्रयोगकर्ता क्रमश: एप्प स्टोर और विंडोज़ फोन स्टोर से इस एप्प को डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया मोबाइल से मतदान करते वक्त मोबाइल एप्प के अनुदेशों का पालन करें।

xx. गैर-एकल शेयरधारक और अभिरक्षक हेतु नोट

- गैर एकल शेयर धारक (अर्थात एकल व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा और कॉरपोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia-com को ई मेल की जानी चाहिए जिसकी प्रतिलिपि scrutinizer@snaco.net को भेजी जाए।
- लॉग इन ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित करना होगा। अनुपालन यूज़र उन खातों को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।

(xii) Click on the EVSN of Bank of India on which you choose to vote.

(xiii) On the voting page, you will see `Resolution Description' and against the same the option `Yes/ No' for voting. Select the option Yes or No as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiv) Click on the "RESOLUTION FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on `SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on `CANCEL' and accordingly modify your vote.

(xvi) Once you `CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvii) You can also take out print out of the voting done by you by clicking on the `Click here to print' option on the Voting page.

(xviii) If Demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xix) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows Phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xx) Note for Non-Individual Shareholders and Custodians:

- Non Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) and custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and CC to scrutinizer@snaco.net.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.

- खाते की सूची helpdesk.evoting@cdslindia-com को मेल की जाए और खातों के अनुमोदन होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।
- उनको अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सिस्टम में लोड करना होगा ताकि स्क्रूटिनाइजर इसकी जांच कर सके। ई-वोटिंग के संबंध में यदि कोई प्रश्न या समस्या है तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू) और www.evotingindia.com में उपलब्ध हेल्प खण्ड के तहत ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk@deslindia.com को ई मेल लिख सकते हैं।

xxi. बहु फोलियो/डीमैट खाता धारित शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए पृथक रूप से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। **तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार भारत सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के वोटिंग अधिकार का प्रयोग नही कर सकता है।**

xxii. ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

xxiii. कृपया नोट करें कि एक बार वोट देने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते या असाधारण आम बैठक में वोट नहीं दे सकते हैं। तथापि आप बैठक में उपस्थित रह सकते हैं और विचार-विर्मश, यदि कोई हो, में सहभागिता कर सकते हैं।

xxiv. आप फोलियो में यूज़र प्रोफाइल ब्योरे में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में संसूचनाएं भेजने के लिए किया जाएगा।

8. बैठक में मतदान

कार्यसूची मद पर चर्चा के पश्चात अध्यक्ष महोदय कार्यसूची के मद के संबंध में मतदान का आदेश देंगे। बैठक में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए उनका वोट नहीं दिया है वे बैठक में मतदान के जरिए अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रयोजन हेतु नियुक्त स्क्रूटिनाइज़र के तहत मतदान का आयोजन और पर्यवेक्षण किया जाएगा। मतदान पूरा होने के बाद अध्यक्ष महोदय बैठक की समाप्ति की घोषणा करेंगे।

9. मतदान के परिणाम के साथ ई-वोटिंग के परिणाम जोड़कर उसकी घोषणा बैंक अपनी वेबसाइट पर करेगा और स्टॉक एक्सचेजों को भी सूचित किया जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(दीनबंधु मोहापात्रा)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28.05.2018

- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

(xxi) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account. **However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.**

(xxii) The results of remote e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

(xxiii) Kindly note that once you have cast your vote, you cannot modify or vote on voting at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

(xxiv) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

8. Voting at the Meeting

After the agenda item has been discussed, the Chairman will order voting in respect of the item on the agenda. Shareholders/Members attending the meeting and who have not casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their voting right at the meeting through onsite e-voting. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizer appointed for the purpose. After conclusion of the Voting , the Chairman may declare the meeting as closed.

9. The Results of the voting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges.

By order of the Board

(Dinabandhu Mohapatra)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 28.05.2018

यह पृष्ठ खाली छोड़ा गया है
THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, "जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

फोलियो नं. ____________________ डी. पी. आईडी नं ____________________

(यदि डीमेट न किया गया हो) ग्राहक आईडी नं ____________________

(यदि डीमेट किया गया हो)

मैं/हम ____________________ निवासी ____________________ जिला ____________________ राज्य ____________________ बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयरधारक हूं/हैं और मैं/हम एतद्वारा श्री/श्रीमती ____________________ निवासी ____________________ जिला ____________________ राज्य ____________________ को या उनके उपस्थित न होने पर श्री/श्रीमती ____________________ निवासी ____________________ जिला ____________________ राज्य ____________________ को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से शुक्रवार, 13 जुलाई 2018 को आयोजित की जाने वाली बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

माह ____________________ की ____________________ 2018 को हस्ताक्षरित।

परोक्षी के हस्ताक्षर ____________________

नामः ____________________

पताः ____________________

____

राजस्व
स्टांप

____
प्रथम /एकमात्र शेयर धारक के हस्ताक्षर

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

1. कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह,
   - क) एकमात्र शेयरधारक व्यक्ति के मामले में शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।
   - ख) संयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।
   - ग) निगमित निकाय के मामले में लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिकारी या अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।
2. परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उनके अंगूठे का निशान वहां लगा है तो वह निशान न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
3. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत रसीदी टिकट न लगा हो और उसे निम्नलिखित पते पर असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले जमा नहीं कराया गया हो। उसके साथ उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी की प्रति या अन्य प्राधिकार जिसे नोटरी अथवा न्यायधीश ने सत्य प्रति के रुप में प्रमाणित किया हो, को बैंक में निम्न पते पर पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो-

   "बैंक ऑफ़ इंडिया, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, 8 वीं मंजिल, स्टार हाउस, सी-5, ''जी'' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051."
4. बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
5. विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
6. परोक्षी की लिखत को निष्पादित करने वाले शेयरधारक असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
7. किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ़ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

Head Office : Star House, C-5, 'G' Block, BandraKurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Folio No.__________________ DP ID No.__________________

(if not dematerialised)

Client ID __________________

(if dematerialised)

I/We, ________________________________ resident of __________________________ in the district of ________________________ in the state of ______________________________being a shareholder/ shareholders of Bank of India, hereby appoint Shri/Smt____________________________________,resident of ________________________ in the district of __________in the state of ____________________ or failing him/ her Shri/Smt. ________________________resident of________________in the district of____________________ in the state of ____________as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Meeting of the shareholders of Bank of India to be held on Friday, July 13, 2018 and at any adjournment thereof.

Signed this ____________________day of _________2018.

Signature of Proxy _____________

Name ____

Address ____

____

____

Revenue Stamp

____

Signature of first named/sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by his/her attorney, duly authorised in writing.
   - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
   - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank at:

   "Bank of India, Share Department Head Office, 8th Floor, Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051."
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting.
7. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

असाधारण आम बैठक हेतु उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र
ATTENDANCE SLIP – CUM - ENTRY PASS
ANNUAL GENERAL MEETING

दिनांक: शुक्रवार, 13 जुलाई 2018, समय: प्रात: 10.30 बजे

Date: Friday, July 13, 2018, Time 10.30 AM

बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, ''जी'' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Bank of India Auditorium, Star House, 'C' 5 G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry)

फोलियो क्र./ डीपीआईडी नं./ ग्राहक आईडी नं. Folio No./ DPID No./ Client ID No.	शेयरों की संख्या No. of Shares	उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the shareholder / proxy / Representative present

- -

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान इसे अपने पास रखें)

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

असाधारण आम बैठक: दिनांक शुक्रवार, 13 जुलाई 2018, समय: प्रात: 10.30 बजे

Annual General Meeting: Date Friday July 13, 2018 at 10.30 A.M.

फोलियो क्र./ डीपीआईडी नं./ ग्राहक आईडी नं. Folio No./ DPID No./ Client ID No.	क्रम संख्या Serial no.	शेयरों की संख्या No. of Shares

पश्चलेख : बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएँगे।
P.S. No gifts / gift coupons will be distributed at the meeting.

NOTES

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

हमारा दृष्टिकोण

''कंपनियों, मध्यम श्रेणी व्यापारियों और दूरदाराज के छोटे आम ग्राहकों का मनपसंद बैंक बनना, छोटे व्यापारियों, ग्रामीण बाजारों और सामान्य बाजार को लागत प्रभावी विकासमान बैंकिंग प्रदान''।

Our Vision

"To become the bank of choice for corporates, medium businesses and upmarket retail customers and to provide cost effective developmental banking for small business, mass market and rural markets".

हमारा लक्ष्य

''सर्वश्रेष्ठ और व्यावहारिक बैंकिंग भूमंडलीय बाजारों में प्रदान करने के लिए एक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए लागत प्रभावी और दायित्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना और ऐसा करते हुए हमारे पूंजी निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करना''।

Our Mission

"To provide superior, proactive banking services to niche markets globally, while providing cost-effective, responsive services to others in our role as a development bank, and in so doing, meet the requirements of our stakeholders".

हमारी गुणवत्ता नीति

हम, बैंक ऑफ़ इंडिया को पसंदीदा बैंक बनाने हेतु अपने ग्राहकों और संरक्षकों को, **उत्कृष्ट, व्यवहार्य, नवोन्मेषी, अत्याधुनिक** बैंकिंग सेवाएं तत्परता और शालीनता से प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

Our Quality Policy

We, at Bank of India, are committed to become the Bank of Choice by providing SUPERIOR, PROACTIVE, INNOVATIVE STATE OF THE ART Banking Services with an attitude of Care and Concern for the Customers and Patrons.

महत्वपूर्ण सूचना

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 के सॉफ्ट कॉपी को प्राप्त करने हेतु बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट **www.bankofindia.co.in** का अवलोकन करें।

बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले शेयरधारक **investor@bigshareonline.com** पर ई-मेल कर ऑर्डर कर सकते हैं।

शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि ई मेल के जरिए जल्द नोटिस, सूचना आदि प्राप्त करने के लिए अपना ई मेल आई डी **headoffice.share@bankofindia.co.in,** पर सूचित करें

IMPORTANT NOTICE

Shareholders are requested to visit Bank of India website **www.bankofindia.co.in** to get the soft copy of Annual Report 2017-18.

Shareholders desirous of having a copy of Bank's Annual Report may order for it by sending email to **investor@bigshareonline.com**

Shareholders are requested to register their E-mail ID, with the Bank at headoffice.share@bankofindia.co.in, for quick/early receipt of Notice, information, communication through E-mail.

NOTES

★ Free Personal Accident Insurance
- Repayment Upto 30 Years
- Lowest Interest Rates
- No Hidden Charges
- Easy Takeover of Home Loan, Top-up Loan & Overdraft Facility Available

Attractive Interest Rates

Visit : **www.bankofindia.co.in**
Follow us on

Bank of India

Relationship beyond banking

हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीनबंधु मोहापात्रा जी माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय गृह मंत्री व अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

Our Managing Director & Chief Executive Officer Shri Dinabandhu Mohapatra receiving Rajbhasha Kirti Award from Honourable President of India in the presence of Honourable Home Minister of India and other Dignitaries.

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India
रिश्तों की जमापूँजी

बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय:
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051.
फोन : 022 - 6668 44 44
वेबसाइट: www.bankofindia.co.in

Bank of India
Head Office :
Star House, C-5, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400 051.
Phone : 022- 6668 44 44
Website : www.bankofindia.co.in